VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material 2019
(September 2018 to June 2019)

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. रोजगार, कौशल विकास और श्रम सुधार (Employment, Skill Development and Labour Reforms) 5

1.1. बेरोजगारी और कौशल विकास 5

1.1.1. बेरोजगारी के आंकड़े 7

1.1.2. कौशल भारत मिशन 9

1.2. श्रम सुधार..11

1.2.1. श्रम कानूनों का समेकन..11

1.2.2. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी...13

1.2.3. नियत-अवधि रोजगार नियम 15

2. समावेशी विकास (Inclusive Growth) 18

2.1. वित्तीय समावेशन 18

2.1.1. प्रधानमंत्री जनधन योजना 18

2.2. निर्धनता एवं मानव विकास..20

2.2.1. मानव विकास सूचकांक..20

2.2.2. निर्धनता एवं साझी समृद्धि 2018 22

2.2.3. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक-2018 23

2.3. सामाजिक सुरक्षा 25

2.3.1. न्यूनतम बुनियादी आय 25

2.3.2 भारत में बीमा क्षेत्रक...27

2.4. चक्रीय अर्थव्यवस्था 28

2.5. ब्लू इकोनॉमी 30

3. राजकोषीय नीति एवं संबंधित तथ्य (Fiscal Policy And Related News) 33

3.1. राजकोषीय नीति..33

3.1.1. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद..33

3.1.2. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली..35

3.1.3. भारत में GDP आकलन 37

3.1.4. मध्यम आय पाश 40

3.2. संसाधन जुटाना..42

3.2.1. अप्रत्यक्ष करारोपण - वस्तु और सेवा कर के 2 वर्ष 42

3.2.2. प्रत्यक्ष करारोपण..46

3.2.3. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि...47

3.2.4. कर अपवंचन को नियंत्रित करने हेतु किए गए उपाय 49

3.2.4.1. पूँजीगत लाभ कर...49

VISION IAS

3.2.4.2. आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण 50

3.3. ऋण और इसके समाधान 50

3.3.1. सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र 50

3.3.2. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण 53

3.3.3. दिवाला और दिवालियापन संहिता 54

3.4. डिजिटल अर्थव्यवस्था 57

3.4.1. भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली 58

3.5. अन्य वित्त संबंधी तथ्य 60

3.5.1. इनसाइडर ट्रेडिंग 60

3.5.2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 61

4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy) 64

4.1. परिसंपत्ति गुणवत्ता 64

4.1.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी 64

4.1.2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 67

4.2. मौद्रिक नीति संचरण 70

4.3. बैंक समेकन 71

4.4. विभेदीकृत बैंक/आला बैंक 73

4.4.1. लघु वित्त बैंक 73

4.4.2. भारतीय डाक भुगतान बैंक 76

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) 79

5.1. पूँजी खाता उदारीकरण 79

5.2 चालू खाता घाटा 81

6. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance) 83

6.1. शेल कंपनियाँ 83

7. कृषि और संबद्ध क्षेत्र (Agriculture And Allied Sector) 85

7.1. कृषि संगणना 87

7.2. कृषि आगत 89

7.2.1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 89

7.2.2. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) 91

7.3 कृषि बीमा 92

7.3.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 92

7.3.2 कृषि ऋण माफी 94

VISION IAS

7.3.3. वर्षा सिंचित कृषि के प्रति नीतिगत पूर्वाग्रह....95

7.4. कृषि विपणन....97

7.4.1. APMC के एकाधिकार को समाप्त करना....97

7.4.2. कृषि निर्यात नीति, 2018....99

7.4.3. भारत में खाद्यान्न प्रबंधन....103

7.5. संबद्ध क्षेत्र....106

7.5.1. मत्स्यपालन....107

7.5.2. बागवानी....109

7.6. कृषि शिक्षा....110

8. औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे (Industrial Policy and Associated Issues)....112

8.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम....113

8.2. SEZ नीति रिपोर्ट....116

8.3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019....119

8.4. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019....121

8.5. चौथी औद्योगिक क्रांति....122

8.6. भारत में सौर उपकरणों का विनिर्माण....123

8.7. तकनीकी वस्त्र....125

9. सेवा क्षेत्र (Services Sector)....127

9.1. ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति....127

9.2. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति....129

9.3. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018....130

9.4. स्थावर संपदा निवेश न्यास....131

9.5. औषधियों की कीमत निर्धारण....132

10. अवसंरचना (Infrastructure)....136

10.1. राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क का प्रारूप....136

10.2. स्मार्ट सिटी मिशन....139

10.3. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप....141

10.4. परियोजना / कार्यक्रम प्रबंधन पर रिपोर्ट....143

11. परिवहन क्षेत्रक (Transport Sector)....144

11.1.अंतर्देशीय जलमार्ग पर पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल....144

VISION IAS

11.2. रेलवे सुरक्षा 146

12. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy Sector) 148

12.1. जल-विद्युत क्षेत्रक 149

12.2. दबावग्रस्त ताप विद्युत् संयंत्रों का पुनरुद्धार 151

12.3. विद्युत (संशोधन) विधेयक का मसौदा 153

12.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 154

12.5. विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण उदय योजना के पूर्व के स्तरों तक पहुँचने का अनुमान 155

13. विविध (Miscellaneous) 159

13.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 159

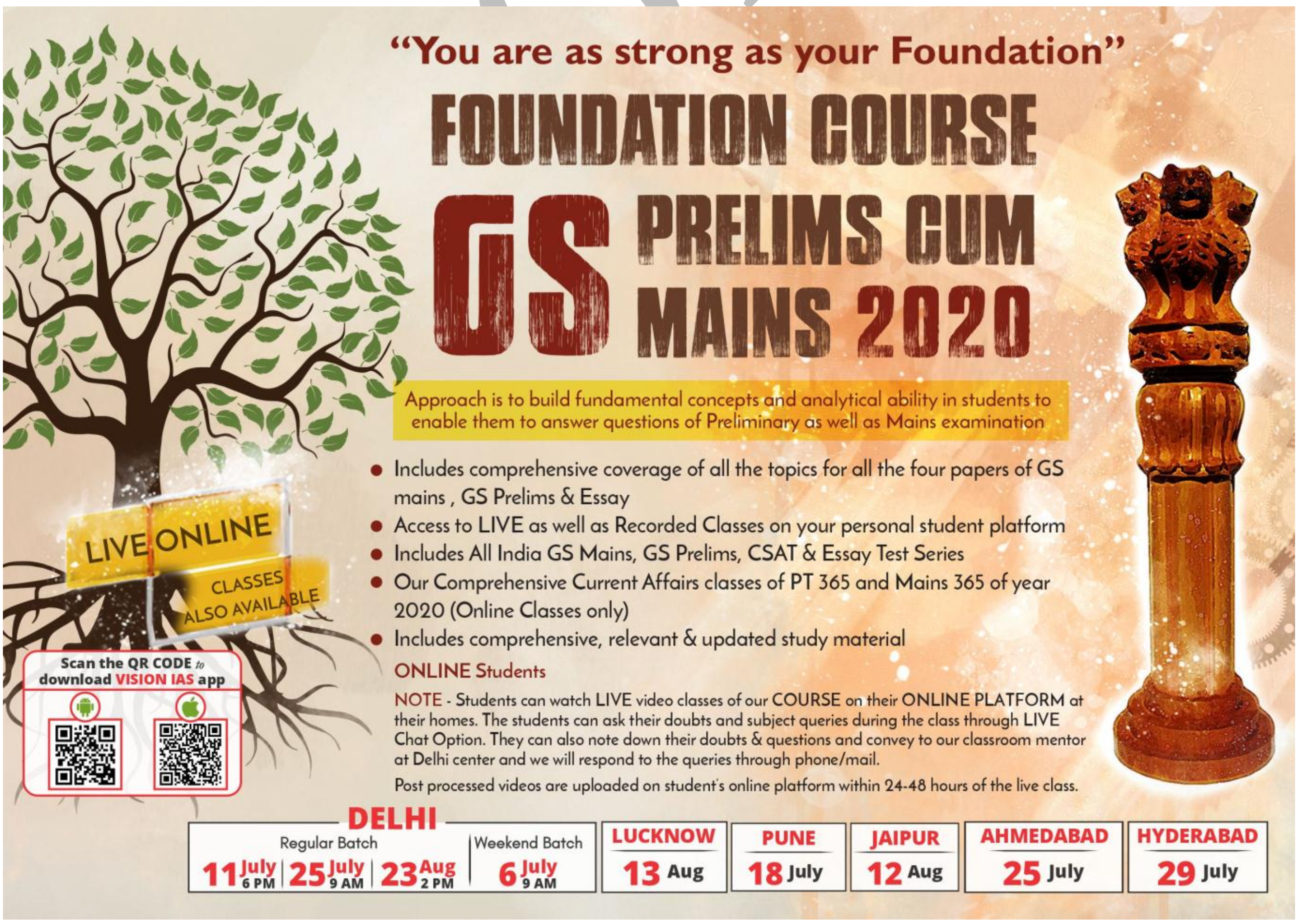

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

1. रोजगार, कौशल विकास और श्रम सुधार (Employment, Skill Development and Labour Reforms)

1.1. बेरोजगारी और कौशल विकास

(Unemployment And Skill Development)

भूमिका

रोजगार परिदृश्य

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS) के निष्कर्ष:**
  - भारत में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 2011-12 (NSSO) के 39.5% से घटकर 2017-18 में 36.9% रह गयी। (सामान्य स्थिति के अनुसार)
    - **ग्रामीण क्षेत्र:** LFPR में 3.6% की गिरावट।
    - **शहरी क्षेत्र:** LFPR में 0.1% की गिरावट।
  - भारत में **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)** 2011-12 (NSSO) के 38.6% से घटकर 2017-18 में 34.7% हो गया था।
    - **ग्रामीण क्षेत्र:** WPR में 4.9% की गिरावट।
    - **शहरी क्षेत्र:** WPR में 1.6% की गिरावट।
  - **लैंगिक अंतराल:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के कार्यबल में 22% महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी 71% है।
    - **मेघालय** एकमात्र राज्य है जहाँ 50% महिलाएं कार्यबल का हिस्सा है, वहीं बिहार में केवल 4% महिलाएं कार्यरत हैं।

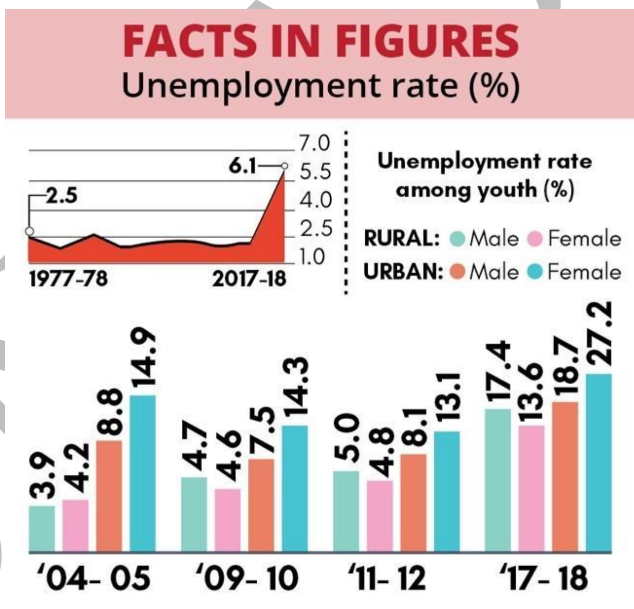

Source: NSSO

  - **उचित रोजगार (decent employment) से संबंधित स्थिति:** उचित रोजगार के निम्नलिखित तीन प्रमुख संकेतक हैं: नौकरियों से संबंधित लिखित अनुबंध, सवैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा लाभ। इनमें से दो संकेतकों में गिरावट दर्ज की गई है, जिनमें सम्मिलित हैं :
    - **गैर-कृषि क्षेत्रक में नौकरी से संबंधित लिखित अनुबंध के आधार पर संलग्न श्रमिकों की भागीदारी** 2004-05 के 40.9% से घटकर 2017-18 में 28.9 प्रतिशत हो गयी।
    - **गैर-कृषि क्षेत्रक में सवैतनिक अवकाश के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या** 2004-05 के 53.8% से घटकर 2017-18 में 45.8% रह गयी।
    - **गैर-कृषि क्षेत्रक में सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए पात्र श्रमिकों की संख्या** 2004-05 के 45.5% से बढ़ कर 2017-18 में 50.4% हो गयी है।
  - **औपचारिक रोजगार में वृद्धि:** उद्योग और सेवाओं से संबंधित अनौपचारिक उद्यमों तथा गैर-फसल उत्पादन वाले कृषि कार्यों में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी 2011-12 के 72.5% से घटकर वर्ष 2017-18 में 68.4% हो गई है।
  - **श्रमिकों का कृषि क्षेत्र से** उद्योग या सेवा क्षेत्रक में कार्यरत होने से **कृषि क्षेत्रक में कार्यरत श्रमिकों की भागीदारी में लगभग पांच प्रतिशत पाइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है** जो 2011-12 के 48.9% से गिर कर 2017-18 में 44.1% रह गयी है।
  - **तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा:** शहरी क्षेत्र में 15 या उससे अधिक आयु वाले 94.3% लोगों को किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं है। 2017-18 में औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के अनुपात में लगभग 4.4% की वृद्धि हुई है।

- ○ **आय अंतराल:** 2018 में औसतन एक पुरुष कर्मचारी ने एक नियमित महिला वेतनभोगी कर्मचारी से 1.2-1.3 गुना अधिक आय प्राप्त की। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में स्व-नियोजित पुरुष कर्मचारियों ने 2018 में स्व-नियोजित महिला कर्मचारियों की तुलना में 2 गुना अधिक आय प्राप्त की।
- **वार्षिक लोक उद्यम सर्वेक्षण (PES)** श्रृंखला के अनुसार, **कैजुअल और अनुबंधित कर्मियों** की संख्या 2014 के 36% से बढ़ कर 2018 में 53% हो गयी है।

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का संकल्पनात्मक ढांचा:

- **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate; LFPR):** इसे जनसंख्या के आधार पर श्रम बल (अर्थात कार्यरत या कार्य करने की आकांक्षा वाले या कार्य के लिए उपलब्ध) में लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio; WPR):** इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **आनुपातिक बेरोजगार (Proportion Unemployed; PU):** इसे जनसंख्या में बेरोजगारों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **बेरोजगारी दर (Unemployment Rate; UR):** इसे श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **कार्यकलाप की स्थिति:** किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। इसका निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है:
  - **सामान्य स्थिति (Usual Status):** जब सर्वेक्षण की तिथि से पूर्व के 365 दिनों की सन्दर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति निर्धारित की जाती है।
  - **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (Current Weekly Status; CWS):** जब सर्वेक्षण तिथि से पूर्व के 7 दिनों की सन्दर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति निर्धारित की जाती है।

बेरोजगारी के कारण:

- **आर्थिक मंदी:** वर्तमान समय में, भारत की GDP में इष्टतम मात्रा में योगदान करने वाले ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, निर्माण, कृषि और MSMEs जैसे क्षेत्रकों में मांग में तीव्र गिरावट के कारण मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **स्वैच्छिक बेरोजगारी को वरीयता:** अल्प-भुगतान वाली नौकरियों (विशेषकर जब किसी के द्वारा उच्च शैक्षिक फीस का व्यय किया गया हो) की अपेक्षा स्वैच्छिक बेरोजगारी को वरीयता दी जाती है अर्थात जब तक उपयुक्त जॉब प्रोफाइल और पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक 'वेट-एंड-वॉच (उपयुक्त समय की प्रतीक्षा)' की नीति अपनाई जाती है।
- **रोजगार का दर्जा घटना (Downgrading of employment):** अर्थात उच्च और अतिरिक्त योग्यता वाले उम्मीदवारों की प्राथमिक पदों (उदाहरणस्वरुप, Ph.D धारकों द्वारा चपरासी के पद के लिए आवदेन की खबरें) पर भर्ती करना।
- **उद्योग-अकादमिक सामंजस्य का अभाव:** कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के मध्य अंतराल की विद्यमानता।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव:** इसके कारण कई लोग रोजगार प्राप्त करने योग्य नहीं होते हैं।

रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक
- स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया योजनाएं
- मेक इन इंडिया कार्यक्रम
- वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को विशेष पैकेज
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

VISION IAS

रोजगार सृजन के लिए उठाये जा सकने वाले कदम

- **श्रम गहन क्षेत्रकों के विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करना:** अधिकाधिक रोजगार उत्पन्न करने हेतु श्रम गहन क्षेत्रकों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा एवं जूते, काष्ठ वस्तुओं के विनिर्माण और फर्नीचर, कपड़ा, वस्त्र एवं परिधान आदि के विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- **क्लस्टर विकास:** अत्यधिक रोजगार सृजित करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वृहत विकास को प्रोत्साहित करने पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करने के साथ MSMEs क्षेत्रक में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु क्लस्टर (संकुल) विकास करना।
- **कार्यबल का औपचारिकीकरण:** जहाँ एक ओर नौकरियों में वृद्धि समावेशी होनी चाहिए, वहीं नई नौकरियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ तथा यूनियन बनाने के अधिकार सहित बेहतर कार्य स्थितियों के साथ-साथ उचित और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है।
    - उचित वेतन सहित उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के सृजन हेतु संगठित क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
- पड़ोसी देशों और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु **बेहतर एवं प्रासंगिक कौशल अवसरों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।**
- बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा और अधिक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए गुणवत्ता में सुधार आदि सहित **"कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन"** विकसित कर निर्यात बाजार का विस्तार करना।
- **उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना:** निगम कर में कमी करना, ऋण मानदंडों को सरल बनाना और GST नियमों में अल्पकालिक आधार पर छूट प्रदान करना आदि कुछ ऐसे सुधार हैं, जिनसे कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए और अधिक लोगों को कार्य पर रखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
- सरकारी नौकरियों के सृजन हेतु **स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और न्यायपालिका** जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा **वेतन संबंधी अंतरों को कम करने** और देश के कार्यबल में अधिक-से-अधिक महिलाओं को शामिल करने हेतु सुधार किए जाने चाहिए।
- भारत को अपनी **सेवा-आधारित संरचना को त्यागना होगा** और अर्थव्यवस्था को **नवाचार-संचालित के रूप में रूपांतरित** करना होगा तथा अपनाने वाले (adopter) के स्थान पर सृजनकर्ता (creator) बनने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

नौकरियों की संख्या में वृद्धि के स्थान पर बेहतर नौकरियों का सृजन करना:

- प्रायः भारत के लिए आवश्यक नौकरियों की संख्या से संबंधित बहस में, एक महत्त्वपूर्ण पहलू छूट जाता है, अर्थात भारत को केवल अत्यधिक नौकरियों की आवश्यकता नहीं हैं, बल्कि **बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियों** की आवश्यकता है।
- नीति आयोग के **तीन वर्षीय कार्य एजेंडे के अंतर्गत** भी यह निर्दिष्ट किया गया है कि बेरोजगारी की तुलना में **अल्प-रोजगार** की समस्या अधिक गंभीर मुद्दा है। विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिया गया है कि भारत के लिए आगामी वर्षों में **स्वैच्छिक अल्प-रोजगार** एक गंभीर समस्या बन सकता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से होती है:
    - **'उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण' के अनुसार** हाल के वर्षों में बेहतर रूप से शिक्षित लोगों के लिए नौकरियों की विकास दर में अत्यधिक गिरावट हुई है। आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि समय के साथ रोजगार पाने वाले बेरोजगारों की संख्या में भी कमी आई है जिसका अर्थ है कि लोग **उच्च उत्पादकता, उच्च वेतन वाली नौकरियों** की तलाश कर रहे हैं।
    - इसी प्रकार, कई लोग अब नौकरियों की आकांक्षा नहीं रखते हैं और वे **उद्यमी** बन रहे हैं।
- इसलिए, सरकारी नीतियों को एक सक्षमकारी परिवेश के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, जिससे बेहतर नौकरियों के सृजन में सहायता मिल सके।

1.1.1. बेरोजगारी के आंकड़े

(Unemployment Data)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** की वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017 से जून 2018) और त्रैमासिक बुलेटिन (अक्तूबर-दिसम्बर 2018) जारी किए गए हैं।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- भारत में **बेरोजगारी के आंकड़ों की विश्वसनीयता** पर बहस होती रही है। इससे पूर्व रोजगार और इसकी सरंचना का अध्ययन करने हेतु विभिन्न स्रोत विद्यमान थे, जैसे:

भारत में रोजगार का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण और उनके संघटक
घरेलू या पारिवारिक सर्वेक्षण (Household Surveys) • (+) व्यापक रूप से समग्र श्रम बल को सम्मिलित करता है। • (-) ये प्रत्येक पांच वर्ष के उपरांत किए जाते हैं। • (-) डेटा संग्रह और परिणामों की उपलब्धता के मध्य का समय अन्तराल। • उदाहरण – रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (NSSO), वार्षिक श्रमबल सर्वेक्षण (श्रम ब्यूरो)
उद्यम सर्वेक्षण: • (+) उद्योग सरंचना, मजदूरी और अन्य रोजगार विशेषताओं से संबंधित आकलन में घरेलू या पारिवारिक सर्वेक्षण की अपेक्षा बेहतर सटीकता। • (-) उपलब्ध नमूने ढांचे (sample frames) के अंतर्गत लघु, असंगठित उद्यम सम्मिलित नहीं होते हैं। • (-) स्व-नियोजित और कृषि श्रमिकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। • उदाहरण – आर्थिक जनगणना (MOSPI द्वारा), उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (MOSPI), उद्योगों और सेवाओं के असंगठित क्षेत्रक का सर्वेक्षण (NSSO), त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (QES)(श्रम ब्यूरो)
सामजिक सुरक्षा योजनाएं: • (+) नई नौकरियों का व्यापक कवरेज। • (-) अत्याधिक पक्षपातपूर्ण कवरेज और नौकरियों की दोहरी गणना की संभावना। • (-) सरकारी योजनाओं में पर्याप्त रूप से अतिव्यापन (Overlapping) होने की संभावना। • उदाहरण- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

अन्य स्रोत:
• प्रशासनिक आंकड़े: इनमें टैक्स रिटर्न एवं फाइलिंग, पेंशन और मेडिकल बीमा कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।
  ○ (+) औपचारिक रोजगार के मापन का बेहतर पैमाना।
  ○ (-) आंशिक कवरेज
  ○ (-) नई नौकरियों का मापन कठिन
• सरकारी योजनाओं के आंकड़े: इसके अंतर्गत मनरेगा (MGNREGA), मुद्रा (MUDRA) तथा समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY) इत्यादि कार्यक्रमों के अंतर्गत रोजगार सृजन के आकलन को शामिल किया जाता है।
• उभरते हुए स्रोत: वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN), बिग डाटा एनालिटिक्स

- **उपलब्ध अनुमान या तो अप्रचलित हो गए थे या ऐसे दोषपूर्ण डिज़ाइन वाले सर्वेक्षणों पर आधारित थे** जो उन्हें राष्ट्रव्यापी रोजगार स्तर का आकलन करने हेतु अनुपुक्त बनाते थे।
- अतः इनके साथ ही, NSSO द्वारा **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** नाम से एक नया सर्वे जारी किया गया है। इसके द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर श्रम बल, रोजगार, बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमबल, रोजगार एवं मजदूरी की प्रकृति के वार्षिक अनुमान उपलब्ध कराए जाएंगे। PLFS द्वारा NSSO के **रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

PLFS सर्वेक्षण में किए गए परिवर्तन:

- इसके **दोहरे उद्देश्य** हैं:
  - शहरी क्षेत्रों में **श्रम-बाजार से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी संकेतकों में होने वाले परिवर्तनों का तिमाही आधार पर आकलन** करना। शहरी क्षेत्रों के परिवारों के यहां चार बार दौरा किया गया और इसके साथ ही तीन तिमाहियों के लिए एक रोलिंग

पैनल का गठन किया गया। इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में मौसमी रोजगार के साथ-साथ रोजगार से संबंधित विशिष्टताओं में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने में सुविधा प्राप्त हुई।

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **श्रमबल से संबंधित विविध संकेतकों का वार्षिक आकलन प्रस्तुत करना।**

- इसलिए, **त्रैमासिक बुलेटिन** के अंतर्गत केवल **शहरी क्षेत्रों** के प्रमुख संकेतकों को ही शामिल किया गया है, वहीं **वार्षिक रिपोर्ट** में **ग्रामीण और शहरी** दोनों क्षेत्रों से संबंधित संकेतकों को शामिल किया गया है।
- **स्तरीकरण के लिए मानदंड-** परिवार के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय का उपयोग करने के स्थान पर PLFS में परिवार के सदस्यों के शिक्षा के स्तर का उपयोग किया जाता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग-** टेबलेट्स की सहायता से क्षेत्र से उपयुक्त इनपुट और डेटा के एकत्रण सहित विश्व बैंक के 'कम्प्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (CAPI)' सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म को अपनाया गया है।
- **फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स (FI)/फील्ड ऑफिसर्स (FO) का बेहतर प्रशिक्षण-** डाटा संग्रहण करते समय अवधारणाओं एवं परिभाषाओं की समान समझ और उनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु।
- इस सर्वेक्षण ने भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों की **विश्वसनीयता में कमी के कारणों** को समाप्त करने का प्रयास किया है। आंकड़ों की बारंबारता (frequency of data) के अतिरिक्त, इसके अंतर्गत समान समस्याओं का समाधान करने हेतु कुछ **नवीन विशेषताओं** को समाविष्ट किया गया है।

आगे की राह:

आंकड़ों का कोई भी एकल स्रोत अपने आप में पूर्ण नहीं होता: इन आंकड़ों को अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों द्वारा पूरित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार बाजार की संपूर्ण स्थिति का अनुमान प्राप्त किया जा सके। शोध समुदाय और शैक्षणिक समुदाय द्वारा लोगों को श्रम बाजार से संबंधित अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1.1.2. कौशल भारत मिशन

(Skill India Mission)

- कौशल भारत मिशन की शुरुआत 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति के निर्माण के साथ की गई थी।
- इस मिशन के अंतर्गत, 2022 तक 150 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने के पिछले लक्ष्य को बढ़ा कर 2022 तक 400 मिलियन किया गया है।
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, मांग-प्रेरित और पुरस्कार-आधारित प्रमुख योजना **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** की शुरुआत की गई है।

कौशल विकास की आवश्यकता

- **उच्च बेरोजगारी दर:** भारत की **अल्प-कुशल श्रम बल और उच्च बेरोजगारी दर के मध्य प्रत्यक्ष संबंध** है। NSSO की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के श्रम बल के केवल 3% भाग को ही औपचारिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त था।
- **जनसांख्यिकी लाभांश:** 2025 तक भारत के श्रम बल का आकार, विश्व में सबसे बड़ा होने की संभावना व्यक्त की गयी है। इस **जनसांख्यिकी लाभांश के प्रभावी उपयोग हेतु, कौशल विकास को प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए।**
- **नवाचार को अपनाना:** भारत एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने हेतु प्रयासरत है, अतः कुशल मानव पूँजी का विकास कार्यबल की नवाचार लब्धि (innovation quotient) में वृद्धि करने हेतु महत्त्वपूर्ण है।

भारत में कौशल विकास से संबंधित मुद्दे:

- **निम्नस्तरीय प्रत्यायन प्रक्रिया:** भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा प्रायः प्रत्यायन (accreditation) और सम्बद्धता (affiliation) प्रकिया की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए: इसके द्वारा भवन अवसंरचना, उपकरण और संकाय के सम्बन्ध में **राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद** द्वारा निर्धारित मानदंडों की अवहेलना की है।

VISION IAS

- **मानदंडों, प्रक्रियाओं, पाठ्यक्रम, प्रमाणन की विविधता–** कौशल विकास से सम्बन्धित नीतियाँ और पहलें लगभग 20 मंत्रालयों के तहत विस्तृत हैं। इसलिए उसमे एकरूपता और समग्र दृष्टिकोण का अभाव है।
    - यही स्थिति राज्य कौशल विकास मिशनों पर भी लागू होती है, जहाँ बेहतर समन्वय और निगरानी तंत्र के बिना समेकन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- **अपर्याप्त निधियन और व्यय:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) को आवंटित राशि के अल्प उपयोग के कारण आवंटित राशि में भारी कटौती की गयी थी।
- कुशल श्रमिकों के लिए बेहतर मजदूरी प्रदान करने की **उद्योगों की अनिच्छा** के कारण कुशल मानवशक्ति का उपयोग कम होता है।
- **निम्नस्तरीय उद्योग इंटरफेस –** उदाहरण के लिए, अनेक **क्षेत्र कौशल परिषदों** (औद्योगिक निकायों के लिए यह अनिवार्य है कि उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास सुनिश्चित करें) की स्थापना की गयी है। प्रत्येक परिषद, अपने व्यवसाय को अधिकतम करने हेतु प्रयासरत हैं। इसके अतिरिक्त, इन परिषदों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु
- कोई विश्वसनीय मूल्यांकन बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।
- **औपचारिक शिक्षा के साथ समेकन का अभाव** और परिणामों पर ध्यान केन्द्रित न किया जाना।
- **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता का अल्प-उपयोग–** ITI में कुल 21.9 लाख सीटों की क्षमता की अपेक्षा प्रशिक्षुओं की कुल संख्या केवल 19.4 लाख ही है।

आगे की राह

- संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले **स्किल वाउचर** को **एक वित्तीयन साधन** के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हें लाभार्थी को प्रदान किया जा सकता है जो उन्हें किसी भी प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाएगा।
- **उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए** ताकि वे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के आधार पर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, पाठ्यचर्या विकास, प्रशिक्षण माड्यूल, उपकरणों की व्यवस्था करने, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान आदि का प्रबंध कर सकें। **शारदा प्रसाद समिति** की अनुशंसाओं के अनुरूप कौशल परिषदों की कार्यप्रणाली में सुधार किए जाने चाहिए।
- **प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन:** छात्रों की रोजगार योग्यता में वृद्धि करने हेतु गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता है। NCDC द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान किए जाने के साथ-साथ ऐसे संस्थानों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए कुछ तकनीकों का भी विकास करना चाहिए।
- **स्किल मैपिंग** और स्थानीय स्तर पर मांग एवं आपूर्ति का आकलन कर युवाओं का डेटाबेस तैयार करने हेतु **स्थानीय निकायों** का उपयोग किया जा सकता है।
    - **रेलवे और अन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मियों** को कौशल प्रशिक्षण या दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोजित किया जा सकता है।
- MUDRA के तहत ऋण प्रदान करने हेतु PMKVY प्रमाणित उम्मीदवारों को बेहतर सुविधा-समर्थन दिया जाना चाहिए।

कौशल भारत का प्रदर्शन:

- इसके तहत, जनवरी 2019 तक देश भर में लगभग **37.32 लाख उम्मीदवारों** को नामांकित किया गया है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के कौशल भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित **10.09 लाख** लोगों को नौकरी प्राप्त हुई है, साथ ही उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में सर्वाधिक लोगों को नियोजित किया गया है।

कौशल विकास हेतु सरकार की अन्य हालिया पहलें:

- **भारतीय कौशल संस्थान:** सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के आधार पर देश के विभिन्न स्थानों पर भारतीय कौशल संस्थानों (IIS) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **वैश्विक कौशल पार्क:** यह छात्रों को विश्व स्तरीय मशीनरी, उपकरण एवं साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण विधियाँ प्रदान करने हेतु स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने **मध्यप्रदेश में प्रथम वैश्विक कौशल पार्क की** स्थापना हेतु 150 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- मंत्रीमंडल ने कौशल भारत मिशन के परिणामों में सुधार हेतु, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (NCVT) में विलय को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

VISION IAS

1.2. श्रम सुधार

(Labour Reforms)

श्रम समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए केंद्र तथा राज्य स्तर पर विविध कानूनों को निर्मित किया गया है। इसके साथ ही, श्रम सुधारों का दोहरा उद्देश्य होना चाहिए: i) औपचारिक क्षेत्र में रोजगारों के सृजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा ii) श्रमिकों को अति सुरक्षा प्रदान कर नियोक्ताओं पर अत्यधिक दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

श्रम सुधारों का एजेंडा

- राज्यों तथा केंद्र द्वारा अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का **समेकन** तथा **सरलीकरण करना**।
- देश में **न्यूनतम पारिश्रमिक** को सुसंगत बनाना तथा यह सुनिश्चित करना कि ये लाभार्थियों तक पहुँच सके।
- अनुबंध श्रम (सामाजिक रूप से असुरक्षित) को नियोजित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु **निश्चित अवधि के रोजगार** को प्रस्तावित किया जाना चाहिए।

1.2.1. श्रम कानूनों का समेकन

(Consolidation of Labour Laws)

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा केन्द्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, समेकन तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाने की अनुशंसा की गई थी। सरकार इस दिशा में कार्यरत रही है तथा विविध श्रम संहिताओं को प्रस्तुत किया है:-

प्रस्तावित संहिता	संहिता की आवश्यकता	मुख्य प्रावधान
वेतन संहिता विधेयक, 2019 (Code on Wages Bill, 2019)	• यह विभिन्न क्षेत्रों में वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक के अभाव में आवश्यक हो जाता है, चूँकि यह आर्थिक संभावनाओं के समक्ष बाधा उत्पन्न करता है। • इसका उद्देश्य पारिश्रमिक भुगतान, 1936, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को प्रतिस्थापित कर **पारिश्रमिक से संबंधित कानूनों का समेकन करना** है।	• यह संहिता सरकारी प्रतिष्ठानों सहित **किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, निर्माण या पेशे पर लागू होगी**। • पारिश्रमिक में वेतन, भत्ता, या मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त कोई भी अन्य घटक सम्मिलित होते हैं। इसमें कर्मचारियों को भुगतान योग्य बोनस या कोई यात्रा भत्ता आदि सम्मिलित नहीं होंगे। • यह रेलवे, खदानों तथा तेल क्षेत्रों जैसे प्रतिष्ठानों में पारिश्रमिक से संबंधित निर्णयों के निर्धारण में **केंद्र तथा राज्य के क्षेत्राधिकार में अंतर स्पष्ट करती है**। • विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक वैधानिक **राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक की अवधारणा** प्रस्तुत की गयी है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक से कम न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण नहीं किया जायेगा।
औद्योगिक संबंध श्रम संहिता विधेयक, 2015 (Labour Code on Industrial Relations Bill, 2015)	• इसका उद्देश्य श्रम बाज़ार में **अपेक्षाकृत अधिक नम्यता तथा श्रम अनुशासन का निर्माण करना** है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार करने के साथ-साथ उद्यमियों को श्रम-गहन क्षेत्रों में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। • यह **तीन कानूनों**, यथा ट्रेड यूनियन	• इसके द्वारा कर्मचारियों की न्यूनतम सीमा को 100 से बढ़ा कर 300 कर दिया गया है, ज्ञातव्य है कि अब 300 से अधिक लोगों को नौकरी से निकालने/छंटनी/तालाबंदी के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस प्रावधान की श्रम समूहों तथा ट्रेड यूनियन के द्वारा कटु आलोचना की गयी है। • इसके अनुसार, किसी व्यापार संघ के पंजीयन के लिए 10% श्रमिकों को आवेदन (आवेदक होंगे)

VISION IAS

	अधिनियम,1926; औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को **प्रतिस्थापित करेगा।**	करना होगा। इस प्रावधान का भी विभिन्न श्रमिक समूहों एवं ट्रेड यूनियन द्वारा विरोध किया गया है। • 50 से कम कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले नियोक्ताओं के लिए कम से कम 1 माह का नोटिस देने तथा छंटनी के पश्चात् प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति (बर्खास्तगी) की राशि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता, 2017 (Labour Code on Social Security & Welfare, 2017)	• **वर्तमान श्रमिकों की लगभग 90% संख्या को किसी भी सामाजिक सुरक्षा के तहत समाविष्ट नहीं किया गया है।** • किसी श्रम कानून के लागू होने के लिए मजदूरी और नियोजित श्रमिकों की संख्या के लिए निर्धारित वर्तमान सीमाएं, नियोक्ताओं को प्रणाली में शामिल होने से बचने के लिए हतोत्साहित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप श्रम बाजार में बहिष्करण और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं।	• **कर्मचारी की परिभाषा तथा श्रमिकों के वर्गीकरण** के अंतर्गत अंश-कालिक कर्मचारी, कैजुअल कर्मचारी, नियत अवधि के लिए नियुक्त कर्मचारी, मात्रानुपाती दर (पीस रेट) /कमीशन पर कार्य करने वाले मजदूर, अनौपचारिक कर्मचारी, घर से कार्य करने वाले कर्मचारी, घरेलू कर्मचारी तथा मौसमी श्रमिक सभी प्रकार के रोज़गार शामिल हैं। • अंशदान हेतु एक उचित प्रतिशत-आधारित संरचना, सामाजिक-आर्थिक श्रेणी तथा न्यूनतम अधिसूचित पारिश्रमिक को इस संहिता के अंतर्गत शामिल किया गया है। • **यह एक पारदर्शी तथा निष्पक्ष आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तावित करती है**, यथा, • वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर लेखांओं के लिए समयबद्ध तैयारी; • प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्, राज्य बोर्ड द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा का प्रावधान; • सामाजिक सुरक्षा संगठनों की ही भांति मध्यवर्ती एजेंसियों के लेखों की भी CAG द्वारा जाँच की जा सकेगी। • **पारिश्रमिक तथा आय की सीमा:** 'पारिश्रमिक सीमा' नामक पद का आशय भुगतान योग्य योगदान पर अधिकतम सीमा को निर्धारित करना है; जबकि 'आय सीमा' नामक पद का आशय सरकार को दो भिन्न श्रमिक वर्गों हेतु दो भिन्न प्रकार की योजनाओं (समान उद्देश्य के लिए) के प्रावधान हेतु सक्षम बनाना है। • **कॉन्ट्रिब्यूशन ऑग्मेंटेशन फंड** की स्थापना की जाएगी। इनके माध्यम से सरकारें उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर सकेगी जो अंशदान का भुगतान करने में असमर्थ हैं। • **राष्ट्रीय स्थिरीकरण कोष** का उपयोग पूरे देश में इस योजना के कोषों के सामंजस्य हेतु किया जाएगा तथा इसका प्रबंधन केन्द्रीय बोर्डों द्वारा किया जाएगा।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक,	• प्रस्तावित संहिता ऐसा पहला एकल क़ानून है **जो श्रमिकों की कार्य की दशाओं, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के**	• व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मानक निर्धारित करने के लिए केंद्र को उचित अधिकार प्रदान किए गए हैं।

VISION IAS

2019 संहिता (Labour Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions, 2018)	**मानकों की व्यवस्था करता है** तथा यह **उन सभी कारखानों पर लागू होगा जिनमें कम से कम 10 श्रमिक कार्यरत हैं।** • यह कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996; ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 इत्यादि जैसे **13 श्रम कानूनों को एकीकृत करेगा।**	• कारखानों में **वार्षिक स्वास्थ्य जाँच** को अनिवार्य बना दिया गया है तथा इसका खर्च नियोक्ता को उठाना होगा। • सभी कर्मचारियों (संहिता के लागू होने से पूर्व नियोजित कर्मचारियों सहित) के लिए **नियुक्ति पत्र** जिसमें वैधानिक लाभों के प्रति उनके अधिकारों का उल्लेख किया जायेगा। • कार्य के दौरान मृत्यु या घायल हुए कर्मचारियों के परिवारों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर आरोपित **अर्थदण्ड का कम से कम 50%** उन्हें प्रदान किया जा सकता है। • संबंधित मुद्दों पर मानकों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड** तथा राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार के निकायों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। • निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, परीक्षण तथा जाँच हेतु प्रस्तावित क्षेत्राधिकार के साथ **समन्वयकों की नियुक्ति** का प्रस्ताव किया गया है। • अनुबंध के आधार पर श्रमिक प्रदान करने वाले या ऐसा करने का अभिप्राय रखने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए **अनिवार्य लाइसेंस** की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक परिसरों के लिए भी लाइसेंस आवश्यक है। • अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के लिए **यात्रा भत्ता तथा विस्थापन भत्ता** जैसे विविध भत्तों का प्रस्ताव किया गया है। • राज्य सरकार के द्वारा ख़तरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित किसी कारखाने की स्थापना के लिए किए गए आवेदन की जाँच करने हेतु एक **साईट अप्रेज़ल कमिटी (Site Appraisal Committee)** की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति अपनी अनुशंसाएँ राज्य सरकार को भेजेगी।

1.2.2. राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

(National Minimum Wage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने **"राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी (NMW) निर्धारण हेतु कार्य प्रणाली** के लिए एक तकनीकी रिपोर्ट जारी की है।
- एक समान न्यूनतम मजदूरी 9750 रुपये प्रति माह या पांच क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार 8892 से 11622 रुपये प्रतिमाह (जुलाई 2018 तक) की अनुशंसा की गयी है।

पृष्ठभूमि

- **मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** में न्यून मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियां प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के मानदंडों की अनुपस्थिति को **भारतीय मजदूर कांफ्रेस और सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसाओं** द्वारा सम्बोधित किया गया है और इस प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं।
- कई वर्षों से न्यूनतम मजदूरी नीति में सुधार करने की मांग की जा रही है और यहाँ तक कि एक "राष्ट्रीय वेतन नीति" बनाने में भी रुचि ली गयी है।
- मजदूरी संहिता विधेयक 2017 में एक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया था। इस सन्दर्भ में एक विशेषज्ञ समिति को इसके लिए कार्यपद्धति निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था।

न्यूनतम मजदूरी

- यह वह न्यूनतम राशि है जिसका **नियोक्ता/उद्योग द्वारा अपने कार्मिकों को भुगतान** किया जाता है तथा इस पर नियोक्ता/उद्योग की भुगतान क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- यह न केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रदान की जानी चाहिए बल्कि यह कार्मिकों की दक्षता को बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त होनी चाहिए।

निर्वाह मजदूरी

- इसके द्वारा न केवल अर्जक के परिवार के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए बल्कि उसके बच्चों के लिए शिक्षा, रोगों के विरुद्ध सुरक्षा, आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था सहित विपदा की स्थितियों के विरुद्ध बीमे की व्यवस्था के लिए भी इसे पर्याप्त होना चाहिए।

उचित मजदूरी

- यह **उद्योग की भुगतान करने की क्षमता के साथ सम्बद्ध** है।
- श्रम उत्पादकता, प्रचलित मजदूरी दर, राष्ट्रीय आय का स्तर और इसके वितरण जैसे कुछ चर हैं जो उचित मजदूरी के निर्धारण में योगदान करते हैं।
- यह **न्यूनतम मजदूरी से अधिक परन्तु निर्वाह मजदूरी से कम** होती है।

भारत में न्यूनतम मजदूरी प्रणाली से संबंधित मुद्दे

- **इसके कवरेज से संबंधित मुद्दे-** वर्तमान में अकुशल श्रमिकों हेतु लगभग 429 अनुसूचित रोजगार और 1,915 अनुसूचित कार्य-श्रेणियाँ (job categories) उपलब्ध हैं। नौकरियों की श्रेणियों और वेतन दरों में इस व्यापक विस्तार से न केवल सभी राज्यों के मध्य बल्कि राज्यों के भीतर भी व्यापक विविधताएं उत्पन्न हुई हैं।
- **न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण हेतु एक समान मापदंड का अभाव**: कुछ राज्य मजदूरी को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) के माध्यम से जीवन निर्वाह व्यय से संबद्ध करते हैं जबकि कुछ राज्य ऐसा नहीं करते।
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सभी मजदूरी श्रमिकों को समाविष्ट नहीं करता है-** भारत में मजदूरी करने वाले प्रत्येक तीन श्रमिकों में से एक श्रमिक इसके द्वारा संरक्षित नहीं है।
- **लैंगिक भेदभाव की उपस्थिति-** उदाहरण के लिए, घरेलू कामगारों की श्रेणी में महिलाओं की अधिक भागीदारी है जबकि सुरक्षा गार्ड जैसी श्रेणी में पुरुषों की संख्या अधिक है। हालांकि ये दोनों व्यवसाय अकुशल श्रमिकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, परन्तु किसी राज्य के भीतर घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर सुरक्षा गार्डों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों की तुलना में निरंतर अल्प बनी हुई है।
- **अधिनियम का अनुपालन-** यह भी देखा गया है कि अनियत (casual) पारिश्रमिक अर्जकों की तुलना में नियमित पारिश्रमिक वाले कामगारों के लिए अनुपालन स्तर काफी अधिक है।

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता:

- **देश भर में एक समान जीवन-निर्वाह मानदंडों को सुनिश्चित करना–** वर्तमान में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के मध्य न्यूनतम मजदूरी की राशि में अंतर है। इस प्रकार के अंतरों के लिए इस तथ्य को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों केवल अपने द्वारा सम्मिलित किए गये रोजगारों के लिए ही न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित, संशोधित और लागू करती हैं।
- **न्यूनतम मजदूरी कानून के सरल कार्यान्वयन और अनुपालन हेतु–** यह एक से अधिक मजदूरी कानूनों संबंधी अस्पष्टता और भ्रम को दूर करेगी।

VISION IAS

न्यूनतम मजदूरी पर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय:

- ILO न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मशीनरी अभिसमय, 1928 (The ILO Minimum Wage Fixing Machinery Convention, 1928)
- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मशीनरी (कृषि) अभिसमय, 1951 {Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951}
- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण अभिसमय, 1970 (Minimum Wage Fixing Convention, 1970)

समिति की संस्तुतियां:

- **न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के वर्तमान मानदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता-** घरेलू उपभोग इकाइयों, खाद्य पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं, परिवर्तित होते उपभोग पैटर्न और गैर-खाद्य व्यय की आवश्यकताओं के अनुसार नवीनतम उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में मानदंडों को अद्यतित करने की आवश्यकता है।
- **एक राष्ट्रीय रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप में स्वीकार्य खाद्य बास्केट को विस्तार से स्पष्ट करने की आवश्यकता–** यह एक ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा सकता है जो केवल कैलोरी सेवन के स्थान पर संतुलित आहार पर ध्यान केन्द्रित करे। इसलिए समिति एक ऐसे स्तर पर न्यूनतम वेतन की सिफारिश करती है जो (प्रति वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन) 2400 कैलोरी, 50 ग्राम प्रोटीन और 30 ग्राम वसा प्रदान करे।
- **मुद्रास्फीति के लिए मध्यवर्ती समायोजन–** जिसमें CSO द्वारा उपलब्ध कराए गये CPI के आधार पर कम से कम हर छह महीने में परिवर्तन को समायोजित किया जा सके।
- **गैर-खाद्य वस्तुएं–** गैर-खाद्य पदार्थों पर आवश्यक व्यय का अनुमान लगाने के लिए समिति वस्तुओं के दो समूहों की पहचान करती है:
    - **आवश्यक गैर-खाद्य वस्तुएं,** जैसे- वस्त्र, ईंधन और प्रकाश, मकान किराया, शिक्षा, चिकित्सा, जूते, और परिवहन;
    - **अन्य गैर-खाद्य वस्तुएं,** जैसे- मनोरंजन, टिकाऊ वस्तुएं, सौन्दर्य प्रसाधन, अन्य घरेलू उपभोग की वस्तुएं, परिवहन को छोड़कर उपभोक्ता सेवाएँ तथा उपभोक्ता कर।
- **राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए एकल मूल्य –**भारत के लिए यह जुलाई 2018 के आधार पर 375 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया जाना चाहिए। यह किसी भी क्षेत्र, कौशल, व्यवसाय और ग्रामीण-शहरी स्थान से निरपेक्ष रहते हुए 9750 रुपये प्रति माह के बराबर होगा।
    - इसने शहरी कर्मचारियों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से 55 रुपए प्रतिदिन अर्थात् 1430 रुपये प्रति माह अधिक देने की भी सिफारिश की है। यह अतिरिक्त मजदूरी **अतिरिक्त मकान किराया भत्ते** (शहरी पूरक भत्ते) के रूप में होगी।
- **क्षेत्रीय स्तर पर NMW के आकलन की विधि:** क्षेत्रीय स्तरों पर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का आकलन करने के उद्देश्य से समिति ने राज्यों को एक समग्र सूचकांक के आधार पर **पांच क्षेत्रों** में बांटा है और क्षेत्र विशेष राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की सीमा के लिए प्रतिमाह 8,892 से 11,622 रुपयों के बीच की सिफारिश की है।
- **न्यूनतम मजदूरी को राउंड नंबर्स में निर्धारित किया जाना चाहिए–** इनका भुगतान किया जाना सरल है। यह न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगा।
- **श्रम और रोजगार मंत्रालय में एक अनुसन्धान इकाई का गठन–** यह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और समायोजित करने के समय अनुशंसाओं को तैयार करने में केन्द्रीय सलाहकार और राज्य सलाहकार बोर्डों की सहायता करेगी।

1.2.3. नियत-अवधि रोजगार नियम

(Fixed-Term Employment Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से सभी उद्योगों में नियत-अवधि रोजगार (FTE) की अनुमति देने से संबंधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

- **औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 की** मार्च की अधिसूचना ने सभी उद्योगों को एक **निश्चित अवधि के लिए संविदा श्रमिकों की भर्ती की अनुमति** दे दी है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, **श्रम समवर्ती सूची का एक विषय है** और संसदीय अनुसमर्थन के बिना राज्य वस्तुतः इन आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं हैं।
- इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलग से अधिसूचनाएं जारी करने को कहा है।

नियत-अवधि रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट: FTE) क्या है?

- FTE वस्तुतः **एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें कोई कम्पनी किसी कर्मचारी को एक नियत अवधि के लिए नियोजित करती** है।
- इसके तहत **कर्मचारी, कम्पनी के भुगतान रजिस्टर या पे रोल पर नहीं होता** है।
- उनका **वेतन पहले ही निर्धारित किया जाता है और अवधि समाप्त होने तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं** किया जाता है।
- इस प्रकार के अनुबंध अस्थायी नौकरियों के लिए किए जाते हैं, नियमित नौकरियों के लिए नहीं।
- **ऐसे कर्मचारी उस प्रतिष्ठान के सभी स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध समस्त वैधानिक लाभों** (कार्य के घंटे, मजदूरी इत्यादि) के अधिकारी होते हैं। हालाँकि, **भविष्य निधि जैसे अन्य लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं** होते हैं।
- नियोक्ता नियत तिथि से पहले भी कुछ आधारों, जैसे- धोखाधड़ी, गैर-निष्पादन आदि के आधार पर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। सेवा में तीन महीने पूरे करने वाले अस्थायी कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्त करने से पूर्व दो सप्ताह का अग्रिम नोटिस देना होगा।

FTE के लाभ:

- **निश्चित मजदूरी और कार्य परिस्थितियाँ:** इससे श्रमिक के लिए पूर्व निर्धारित मजदूरी और कार्य दशाएँ सुनिश्चित होती हैं। इससे उन्हें दी गयी अवधि के लिए आजीविका की सुरक्षा मिलती है।
- **जवाबदेही:** श्रमिक सांविधिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः उनके प्रमुख नियोक्ता में उनके प्रति जवाबदेही की भावना बनी रहती है।
- **श्रम लागत का पूर्वानुमान:** निश्चित अवधि का अनुबंध व्यवसाय को श्रम लागत का पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाता है। इससे उन्हें वेतन वृद्धि से सम्बन्धित विरोध आदि से राहत मिलती है।
- **अल्पावधि रोजगार में कमी:** व्यवसाय के व्यस्ततम समय में उद्योगों को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। FTE उनके लिए बिना किसी अतिरिक्त विधायी बोझ के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार रखने और हटाने में सहायक होगा। FTE विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं को निष्पादित करने में उपयोगी होगा, यथा- अवसरंचना क्षेत्र, परिधान, फुटवियर और मीडिया के कुछ अनुभाग आदि की परियोजनाएँ।
- **वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता:** श्रमिकों की भर्ती करने और उनको हटाने में अंतर्निहित लोचशीलता के कारण व्यवसाय उपयुक्त कर्मचारियों की खोज कर अपनी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में सक्षम होंगे।
- **रोजगार के अवसर:** FTE से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की सम्भावना है, बशर्ते पूँजी लागत इतनी कम न हो कि वो श्रमिकों को नियोजित करने में बाधक बने।

इस कदम की आलोचना:

- **भर्ती करना और निकालना:** सभी केन्द्रीय व्यापार संघ सरकार की भर्ती करो और निकालो (hire-and-fire) नीति का विरोध कर रहे हैं। इस कदम से व्यापार संघों (ट्रेड यूनियन्स) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
- **सुरक्षा तंत्रों को हटाना:** सरकार ने नियोक्ताओं को कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा श्रमिकों को प्रदान की गयी न्यूनतम सुरक्षा की चिंता से भी मुक्त कर दिया है।
- **रोजगार के नियमितीकरण को कमजोर बनाता है:** मजदूरी में वृद्धि के लिए सामूहिक सौदेबाजी सम्भव नहीं होगी। साथ ही व्यवसायों के पास संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization) हेतु भी कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध:** न्यायालयों ने FTE को केवल मौसमी गतिविधियों (seasonal activities) में अनुमति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक पूर्व निर्णय में यह व्यवस्था दी थी कि किसी नियत-अवधि वाले संविदा कर्मचारी को, जिसने 7 वर्ष तक कार्य किया हो, को नियमित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **उद्योग इससे श्रम शोषण के स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे:** प्रबन्धन के साथ श्रमिकों के विवाद (जैसे- मारुती-सुजुकी घटना) के मुख्य कारण हैं: श्रमिक संघों को मान्यता प्राप्त न होना, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों से बहुत अधिक होना, अस्थायी कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी का भुगतान किया जाना आदि। यह कदम प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य विवाद को और प्रोत्साहित करेगा।

क्या किया जाना चाहिए?

- FTE शर्तों को **नियोक्ता और कर्मचारियों, दोनों के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता** है।
- वर्तमान नियम FTE की न्यूनतम या अधिकतम अवधि और क्रमानुगत FTEs की अधिकतम स्वीकार्य संख्या के सन्दर्भ में मौन है।
- **मानदंड पारदर्शी होने चाहिए और परस्पर सहमति से निर्धारित** किये जाने चाहिए। बेहतर सामाजिक सुरक्षा तन्त्र के अभाव में श्रम सुधार राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे।
- चूंकि श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अतः FTE के लिए भलीभांति चर्चा के पश्चात् संसद के माध्यम से एक कानून प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. समावेशी विकास (Inclusive Growth)

- समावेशी विकास की केंद्रीय धारणा में **सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणामों के लाभों का समाज के सभी वर्गों के साथ सहभाजन** का विचार शामिल है। समावेशी विकास, सतत विकास और निर्धनता उन्मूलन घनिष्टतापूर्वक अंतर-संबंधित हैं।
- भारत स्वतंत्रता के पश्चात् से ही अपने कल्याणकारी राज्य दृष्टिकोण के माध्यम से समावेशी विकास की ओर कार्य कर रहा है तथा सभी अनुवर्ती सरकारों की नीतियों में यह केंद्र बिंदु बना रहा है। ज्ञातव्य है कि **12वीं पंचवर्षीय योजना** का शीर्षक भी **"तीव्रतर, अधिक समावेशी और संधारणीय विकास"** था।
- हालांकि, उच्च विकास दरों की प्राप्ति के बावजूद और आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् भी विकास न्यायसंगत नहीं रहा है।
- ऑक्सफैम (Oxfam) की 'रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था कि विगत वर्ष **देश में उत्पादित सम्पत्ति का 73% भाग भारत के सबसे धनी 1% व्यक्तियों** के पास था। इसके अतिरिक्त, 67 करोड़ भारतीयों को समाहित करने वाली भारत की निर्धनतम आधी जनसंख्या की सम्पत्ति में केवल 1% की ही वृद्धि हुई थी।
- समावेशी विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हैं: मनरेगा (MGNREGA), इंदिरा आवास योजना (IAY), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM), राष्ट्रीय सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NSAP), सर्व शिक्षा अभियान (SSA), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC), डिजिटल इंडिया (DI), कौशल भारत-कुशल भारत योजना इत्यादि।

2.1. वित्तीय समावेशन

(Financial Inclusion)

2.1.1. प्रधानमंत्री जनधन योजना

(Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को ओपन-एंड योजना के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, अर्थात् यह योजना अनिश्चित काल तक जारी रहेगी।

सरकार की नई पहलें

- **ओवरड्राफ्ट की सीमा** 5000 रुपये से बढ़ा **कर दोगुनी** अर्थात् 10000 कर दी गई है।
- **2000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट** के लिए **किसी प्रकार की शर्त नहीं होगी।** इसके अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के उपयोग के लिए

पूर्व की **आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष** कर दिया गया है।
- नए रुपे (RuPay) कार्ड धारकों की **दुर्घटना बीमा की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये** कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- यह भारत सरकार का **एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य बैंक खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार और उन तक पहुंच विकसित करना है।
- इसका फोकस गांवों को सम्मिलित करने वाली विगत योजनाओं के विपरीत शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों को समाहित करने पर है।
- इस योजना के तहत सभी सरकारी लाभों (केंद्र/राज्य/स्थानीय निकाय) को लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने की परिकल्पना की गयी है तथा इस प्रकार इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना को बढ़ावा देना है।

महत्व

- औपचारिक ऋण तक पहुंच के अभाव में भारत के निर्धन परिवारों को विवश होकर महाजनों एवं साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है, जो उनसे अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। हाउसहोल्ड सर्वे ऑन इंडियाज़ सिटीजन एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर इकोनॉमी, 2016 से ज्ञात होता है कि **जनसंख्या के निर्धनतम वर्ग के प्रत्येक तीन में से दो लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त** करते हैं।
- हालाँकि समय के साथ **औपचारिक वित्तीय संस्थानों** तक पहुंच में वृद्धि हुई है, परन्तु अभी भी हजारों गाँवों में किसी भी बैंक की शाखा मौजूद नहीं है और सभी **वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण का केवल 10 प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच** पाता है।

उपलब्धियां

- **वित्तीय समावेशन में सहायता-** ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस के अनुसार, लगभग 80% वयस्क भारतीयों के पास बैंक खाते उपलब्ध हैं। वित्तीय समावेशन तीन तरीकों से हुआ है, ये हैं:
  - **बचतों का वित्तीयकरण-** निम्न आय वाले परिवारों को एक सुरक्षित निवेश उत्पाद तक पहुँच प्रदान कर बचतों का वित्तीयकरण।
  - **वित्तीय उत्पादों का विविधीकरण-** कम लागत वाले दुर्घटना बीमा कवर के लिए नामांकन करने वाले 13.5 करोड़ और जीवन बीमा कवर हेतु नामांकन करने वाले 5.5 करोड़ लाभार्थियों के साथ वित्तीय उत्पादों का विविधीकरण।
  - **इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की ओर स्थानांतरण-** 27.7 करोड़ खाताधारकों के पास रुपे डेबिट कार्ड की उपलब्धता के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की ओर स्थानांतरण।
- **बैंकिंग क्षेत्र को सहायता**
  - **बैंकों के तुलन पत्रों (Balance Sheets) में सुधार-** यद्यपि अभी भी ये बैंकों के डिपॉजिट बेस (जमा आधार) के 1 फीसदी से भी कम हैं, परन्तु किसी वर्ष में जमा का प्रवाह कम होने पर भी इन्होंने अपनी निरंतर वृद्धि को बनाए रखा है।
  - **शून्य बैलेंस खातों का कम होता प्रतिशत-** शून्य बैलेंस खाते वर्ष 2015 में 58% से घटकर जनवरी 2019 में 15% हो गए। साथ ही, निष्क्रिय खातों का प्रतिशत वर्ष 2017 में 19.8% से घटकर दिसंबर 2018 तक 16.3% हो गया।
  - **अब बैंकों के लिए सर्विसिंग कॉस्ट (सेवा प्रदान करने से संबद्ध लागत) कोई समस्या नहीं है-** क्योंकि इन खातों में औसत जमा राशि में वृद्धि हुई है।
- **समावेशी विकास में सहायता**
  - **ग्रामीण भारत पर फोकस-** 35.70 करोड़ खाताधारकों में से 21 करोड़ खाताधारक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं।
  - **महिला सशक्तीकरण-** लगभग 18.88 करोड़ खाताधारक महिलाएँ हैं।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-** सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अगस्त 2018 तक इनमें से 23 प्रतिशत खातों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हुआ था।

VISION IAS

- **सब्सिडी में लीकेज की रोकथाम: 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण** के अनुसार **जनधन खातों, आधार और मोबाइल नेटवर्क के संयोजन (JAM ट्रिनिटी)** द्वारा सृजित बैंकिंग अवसरंचना के कारण LPG सब्सिडी हस्तांतरण की लीकेज में **24% की गिरावट** आई है और लाभार्थियों के अपवर्जन में भारी कमी आई है।

चुनौतियां

- **असुरक्षित ऋण पर निर्भरता-** बैंक खातों तक पहुंच का ऋण हेतु निजी साहूकारों पर निर्भरता पर अत्यल्प प्रभाव ही दृष्टिगोचर हुआ है।
    - **इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या:** इंटरनेट सुविधाओं के लिए अपर्याप्त अवसंरचात्मक आधार (विशेषकर पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में) के परिणामस्वरूप व्यवसाय प्रतिनिधियों (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेन्ट) को आवश्यक बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
    - **ओवरड्राफ्ट सुविधा हेतु निर्धारित वित्त का विपथन (डायवर्जन):** जनधन खातों के तहत निर्धारित ओवरड्राफ्ट की सुविधा निर्धन वर्ग के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, परन्तु इसके वित्तपोषण हेतु वित्त कहाँ से प्राप्त होगा, यह अभी तक अस्पष्ट है।
    - **व्यवसाय प्रतिनिधियों हेतु बढ़ती हुई लागत:** यदि इन खातों को सक्रिय बनाए रखना है और निष्क्रिय नहीं होने देना है तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेन्ट्स की सघनता में वृद्धि करनी होगी। इससे बैंकिंग सेवाओं की लागत में वृद्धि होगी।
    - **नोटबंदी के दौरान जमा हुए अनधिकृत धन से निपटना:** विमुद्रीकरण की घोषणा के पश्चात् नवम्बर में 255 मिलियन जनधन खातों में 642521 मिलियन रुपये जमा कराए गए थे।

आगे की राह

- बैंकों में उच्च जमाओं की उपलब्धता है, ऐसे में खाता-धारकों को **अत्यावश्यक ऋण उत्पाद उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** खाता-धारकों को बैंकिंग प्रणाली में एक क्रेडिट और लेन-देन रिकॉर्ड बनाने का अवसर देना उन्हें अनौपचारिक ऋणदाताओं के चंगुल से मुक्ति प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है।
- केंद्र और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), दोनों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि **बैंक में प्रथम बार खाता खुलवाने वाले व्यक्ति के साथ बैंक शाखा में उत्तम व्यवहार किया जाना चाहिए,** उन्हें शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी प्राप्त हो, वे अपने खाते के दुरुपयोग या धोखाधड़ी के परिणामों से अवगत हों और उन्हें इनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाए।
- नीति का **फोकस समावेशन की मात्रात्मकता से समावेशन की गुणवत्ता की ओर परिवर्तित** होना चाहिए। सफलता के मापकों में उपयोग और लेन-देन के लक्ष्यों की स्पष्ट परिभाषा सम्मिलित होनी चाहिए।
- गरीब परिवारों के मध्य **व्यापक अभियान प्रारम्भ** करना और उनमें **वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर** के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना ताकि वे इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकने वाले लाभों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों की पहचान कर उनसे लाभान्वित हो सकें।
- यह अनुशंसा की जाती है कि जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी और गति में वृद्धि की जाए ताकि विश्वास निर्माण एवं बैंकिंग लेन-देन में सुगमता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

2.2. निर्धनता एवं मानव विकास

(Poverty and Human Development)

2.2.1. मानव विकास सूचकांक

(Human Development Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान का सुधार हुआ है, जिससे यह **189 देशों में 130वें स्थान पर** पहुंच गया है।

VISION IAS

सूचकांक से संबंधित तथ्य

- दक्षिण एशिया में भारत का HDI मान क्षेत्र के **औसत मान 0.638 से ऊपर** है, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रमशः 136वें और 150वें स्थान पर हैं।
- 1990 से 2017 के मध्य भारत के HDI मान में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह **मान 0.427 से बढ़कर 0.640 हो** गया है। यह लाखों लोगों की निर्धनता को कम करने और **मध्यम मानव विकास श्रेणी** में स्थान प्राप्त करने में देश की उल्लेखनीय उपलब्धि का संकेतक है।
- भारत में **जीवन प्रत्याशा 57.9 वर्ष (1990) से बढ़कर 68.8 वर्ष (2017)** हो गई है।
- **PPP के** संदर्भ में भारत की **प्रति व्यक्ति आय** 1990 से 2017 के मध्य **1,733 डॉलर से बढ़कर 6,353 डॉलर** हो गई है।
- **स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्षों** में भी सुधार हुआ है तथा ये **7.6 वर्ष (1990) से बढ़कर 12.3 वर्ष (2017) हो** गए हैं।
- विकास का समान रूप से प्रसार नहीं हुआ है, बांग्लादेश की 15.7% और पाकिस्तान की 11.6% आय असमानता की तुलना में **भारत में 18.8% की दर से असमानता व्याप्त** है। वास्तव में, जब इसे असमानता के लिए संशोधित किया जाता है तो **भारत के HDI मान में 26.8% तक की गिरावट आती है और यह 0.468 के स्तर** तक पहुँच जाता है।

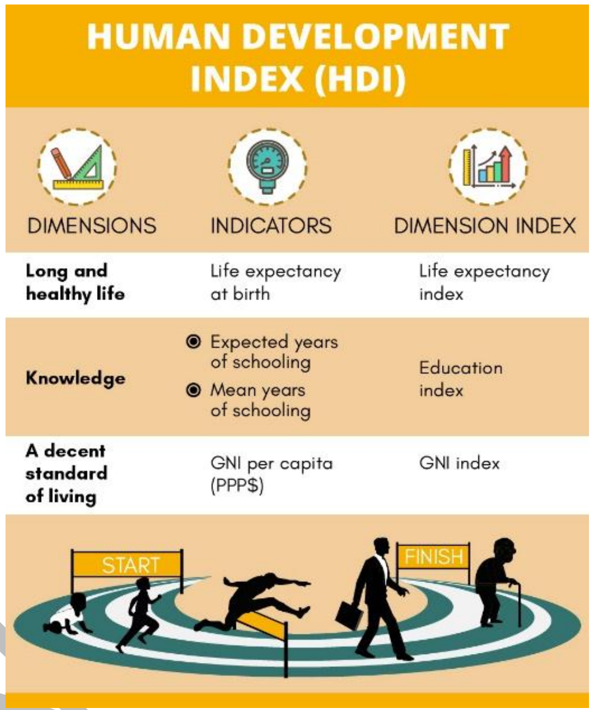

भारत के लिए परिणाम

- **अधिकांश सुधारों का लाभ सामाजिक पिरामिड के शीर्ष** पर स्थित लोगों को प्राप्त हुआ है, जबकि निचले स्तर पर विद्यमान लोगों को केवल निर्धनता से मुक्त किया गया है।
- **मध्यम वर्ग का विकास अपेक्षित स्तर से कम हुआ** है, जबकि छोटे एवं मध्यम उद्यम कृषि कार्यबल को विनिर्माण क्षेत्रक की ओर स्थानांतरित करने में विफल रहे हैं।
- **उच्च आर्थिक विकास के साथ असमानता भारत के लिए एक चुनौती** बनी हुई है।
- **भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कम सशक्त** हैं। उदाहरण के लिए, केवल 11.6 प्रतिशत संसदीय सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तथा 64 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं कम से कम माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं।
- **श्रम बाजार में 78.8 प्रतिशत पुरुष भागीदारी की तुलना में, महिला भागीदारी 27.2 प्रतिशत** है।

मानव पूंजी सूचकांक (Human Capital Index)

- हाल ही में **विश्व बैंक** द्वारा प्रथम **मानव पूंजी सूचकांक (HCI)** जारी किया गया था। यह मानव पूंजी की उस मात्रा का मापन करता है जिसे आज जन्म लेने वाले बच्चे द्वारा 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लिए जाने की अपेक्षा की जा सकती है। यह पूर्ण शिक्षा और पूर्ण स्वास्थ्य के मानदंड के सापेक्ष श्रमिकों की **आगामी पीढ़ी की उत्पादकता को दर्शाता** है।
- **मानव पूंजी सूचकांक:** इस सूचकांक के अनुसार यदि भारत में कोई बच्चा आज जन्म लेता है और यदि उसे पूर्ण शिक्षा व पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है तो वह **44 प्रतिशत उत्पादक** सिद्ध हो सकता है।
- **5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना:** भारत में जन्म लेने वाले 100 में से 96 बच्चों के 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की सम्भावना होती है।
- **विद्यालय के अपेक्षित वर्ष:** भारत में 4 वर्ष की आयु में विद्यालय में नामांकित होने वाले बच्चे से उसके 18वें जन्मदिन तक अनुमानत: 10.2 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पूर्ण कर लेने की अपेक्षा की जा सकती है।
- **स्वस्थ विकास (वे बच्चे जो ठिगनेपन से ग्रसित न हों):** प्रत्येक 100 बच्चों में से 62 बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित नहीं होते हैं, जबकि 100 बच्चों में से 38 बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित होते हैं। इसलिए उनके समक्ष संज्ञानात्मक और शारीरिक सीमाओं के सृजन का खतरा बना रहता है। ये सीमाएं उन्हें आजीवन प्रभावित कर सकती हैं।

मानव पूंजी में सुधार हेतु रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- **सामाजिक निवेश में सुधार:** मूलभूत कौशलों के अतिरिक्त उच्च संज्ञानात्मक और सामाजिक-व्यवहार कौशलों को विकसित करने हेतु मानव पूंजी, विशेष रूप से प्रारंभिक बाल्यवस्था शिक्षा में निवेश करना।
- **सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना:** कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार के नियमों में सुधारों द्वारा पूरित एक प्रत्याभूत सामाजिक न्यूनतम आय (सार्वलौकिक आधारिक आय/सार्वभौमिक बुनियादी आय) और सामाजिक बीमा को सुदृढ़ करना, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज के विकास के लिए अत्यावश्यक है।
- सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए बड़े शहरों में संपत्ति कर, चीनी या तंबाकू पर उत्पादन शुल्क, कार्बन करों आदि के अधिरोपण द्वारा मानव पूंजी विकास और सामाजिक सुरक्षा के सार्वजनिक वित्तपोषण हेतु **राजकोषीय स्थान (fiscal space) का सृजन करना।**
- फर्मों द्वारा अपने लाभ को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाने वाली कर अपवंचन तकनीकों के उन्मूलन के द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के लिए **कराधान नीति का अनुकूलन** और कर प्रशासन में सुधार करना।

2.2.2. निर्धनता एवं साझी समृद्धि 2018

(Poverty and Shared Prosperity 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने वैश्विक निर्धनता पर अपनी रिपोर्ट **'पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2018: पीसिंग टुगेदर द पॉवर्टी पज़ल'** जारी की है। विश्व बैंक ने अपने इस रिपोर्ट में निर्धनता के मापन हेतु कुछ नए मापक सुझाए हैं।

निर्धनता के नए मापक

एक जटिल व बहुआयामी समस्या के रूप में निर्धनता के विषय में समझ को विस्तारित करने और लोगों के ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए जो अभावग्रस्त तो हैं लेकिन जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका है, विश्व बैंक ने निर्धनता के नए मापक प्रस्तुत किये हैं।

- 2011 के PPP में व्यक्त **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.20 डॉलर और 5.50 डॉलर की नई उच्चतर निर्धनता रेखाएं (हायर पावर्टी लाइन्स)।** इन रेखाओं का मान क्रमशः निम्न और उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में सामान्य निर्धनता रेखा से निकाला गया है। ये उच्च मान वाली निर्धनता रेखाएं इन आय स्तरों वाले देशों में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाले सामाजिक आकलनों को दर्शाती हैं।
- **सामाजिक निर्धनता रेखा (Societal Poverty Line: SPL)-** यह वस्तुतः **निरपेक्ष IPL (अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा) और ऐसी निर्धनता रेखा का संयोजन है जो प्रत्येक देश के माध्य आय स्तर के सापेक्ष होती है।** यह दर्शाती है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता की मौद्रिक परिभाषा, किसी समाज में समग्र आय के साथ भिन्न-भिन्न होती है।
- **निर्धनता का व्यक्तिगत स्तर-** किसी परिवार में विभिन्न आयु वर्गों और पुरुष व महिला सदस्यों के मध्य असमानता का आकलन करना। एक सामान्य दृष्टिकोण एक परिवार के सभी सदस्यों की निर्धनता के स्तर को परिवार की निर्धनता के स्तर के समान निरूपित करता है। हालाँकि, यह परिवार के सदस्यों के मध्य निर्धनता के संभावित विभेदों को प्रकट नहीं करता है, परन्तु यह मापन इस समस्या के समाधान में सहायक है।

भारत में निर्धनता मापन (Poverty Measurement in India)

निर्धनता को परिभाषित करने तथा एक निर्धनता रेखा निर्धारित करने हेतु भारत में संचालित अध्ययन:

- **निर्धनता रेखा पर कार्यकारी समूह (1962):** इसने एक इकाई के रूप में पांच सदस्यों के एक परिवार का चयन किया। इसने निर्धनता रेखा को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये (1960-61 के मूल्यों पर) पर निर्धारित किया।
- **डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में निर्धनता रेखा पर कार्य बल (1979):** इस कार्य बल ने वर्ष 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने निर्धनता रेखा को वस्त्र, आश्रय, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसी **गैर-खाद्य मदों पर व्यय की सम्बंधित मात्रा के साथ,** ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी की औसत प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर पर निर्धारित किया।
- **प्रो. डी. टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह (1993):** इस समूह ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1993 में प्रस्तुत की। इसने पूर्ववर्ती कार्य बल (1979) द्वारा परिभाषित राष्ट्रीय स्तरीय ग्रामीण और शहरी निर्धनता रेखाओं को राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखाओं में विभाजित किया।

VISION IAS

- **प्रो. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह (2009):** इस विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 2009 में योजना आयोग के समक्ष अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत कीं। इसने भावी निर्धनता रेखाओं हेतु एक आधार के रूप में उपभोग व्यय के एकसमान संदर्भ अवधि (Uniform reference period: URP) अनुमानों का प्रयोग करने वाली पूर्ववर्ती पद्धतियों के विपरीत उपभोग व्यय के मिश्रित संदर्भ अवधि (Mixed Reference Period: MRP) आधारित अनुमानों का प्रयोग करने की अनुशंसा की।
- **डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह (2012):** इसने निर्धनता स्तरों के अनुमान हेतु एक वैकल्पिक पद्धति प्रदान की तथा यह परीक्षण किया कि क्या निर्धनता रेखाओं को केवल उपभोग बास्केट और क्रय-शक्ति समता के संदर्भ में ही निर्धारित किया जाना चाहिए।
- **नीति आयोग कार्य बल:** नीति आयोग ने भी अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत एक निर्धनता रेखा निर्धारित करने हेतु चार विकल्प प्रस्तुत किए हैं। इसके सुझावों के कुछ अन्य प्रमुख बिंदु हैं:
  - सबसे निचले स्तर पर मौजूद (अति निर्धन) 30% जनसंख्या की प्रगति की समय-समय पर निगरानी करना।
  - पोषण, आवासन, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत् और कनेक्टिविटी जैसे निर्धनता के विशिष्ट घटकों के साथ प्रगति का आकलन करना।
  - नीति आयोग ने तेंदुलकर समिति द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखा का समर्थन किया जिसने निर्धनता अनुपात 21.9% निर्धारित किया था, जबकि रंगराजन समिति ने एक अपेक्षाकृत उच्च निर्धनता अनुपात 29.5% निश्चित किया था।
  - ऐसी किसी भी प्रकार की आलोचना कि 'यदि तेंदुलकर समिति द्वारा निश्चित निर्धनता रेखा को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनेक निर्धन वंचित रह जाएंगे', का खंडन करने हेतु नीति आयोग ने यह भी रेखांकित किया कि इसका प्रयोग पात्रता हेतु निर्धनों की पहचान करने की बजाय केवल निर्धनता उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु किया जाएगा।
  - पात्रता हेतु सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझाए गए सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।
- **उपर्युक्त दृष्टिकोणों के विरुद्ध आलोचना के विभिन्न बिंदुओं में शामिल हैं-** उपभोग स्तरों के लिए अनुचित समायोजन प्रक्रिया, निर्धनता रेखा में मूल्य परिवर्तन को प्रस्तुत करने हेतु एक अपस्फीतिकारक के रूप में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग और एकसमान अनुप्रयोग, समय बढ़ने के बावजूद निश्चित उपभोग बास्केट का उपयोग, रिकॉल अवधि पर विवाद आदि।

2.2.3. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक-2018

(Multidimensional Poverty Index-2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, 2018, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा जारी किया गया।

MPI 2018 के मुख्य निष्कर्ष

2018 के वैश्विक MPI में कुल 105 देशों को सम्मिलित किया गया है। इन देशों में वैश्विक जनसंख्या का 75 प्रतिशत भाग या 5.7 बिलियन लोग निवास करते हैं।

- **105 देशों के कुल 1.34 बिलियन लोग (अर्थात् इन देशों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या का 23.3%) बहुआयामी रूप से निर्धन** हैं । वे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मानकों यथा स्वच्छ जल, स्वच्छता, पर्याप्त पोषण या प्राथमिक शिक्षा जैसी सुविधाओं के अभाव में कम-से-कम एक-तिहाई अतिव्यापी वंचनाओं से ग्रसित हैं।
- **बहुआयामी निर्धनता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सघन** है; विश्व स्तर पर शहरी क्षेत्रों के 0.2 बिलियन लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
- **भारत** में 271 मिलियन लोग 2005-06 तथा 2015-16 के मध्य निर्धनता से बाहर आ गए, किन्तु फिर भी **विश्व के बहुआयामी निर्धनता में रहने वालों लोगों की सर्वाधिक संख्या** (364 मिलियन लोग) भारत में ही है। हालांकि 10 वर्षों में भारत अपनी निर्धनता की दर को 55% से घटाकर 28% के स्तर पर ले आया है।

VISION IAS

MPI में निम्नलिखित की माप की जाती है:

- **निर्धनता की व्यापकता (incidence):** जनसंख्या का वह अनुपात जो MPI के अनुसार निर्धन है (जो भारित संकेतकों के कम से एक-तिहाई से वंचित हैं)।
- **निर्धनता की औसत गहनता:** वंचनाओं का वह औसत भाग जिसका अनुभव लोगों द्वारा एक ही समय में किया जाता है।
- **MPI वैल्यू:** MPI मान, जिसकी रेंज शून्य से एक तक होती है, की गणना निर्धनता की औसत गहनता को निर्धनता की व्यापकता से गुणा करके की जाती है। यह किसी देश के निर्धनों द्वारा महसूस की जाने वाली वंचनाओं के कुल सम्भावित वंचनाओं से अनुपात को दर्शाता है। यहाँ कुल सम्भावित वंचनाओं का आशय है- वे वंचनाएँ जिनका अनुभव तब किया जाता है जब समाज के सभी व्यक्ति निर्धन और सभी संकेतकों में वंचना से ग्रस्त होते हैं।
- जब कोई व्यक्ति कम से कम एक तिहाई आयामों में वंचित होता है तब उसकी पहचान एक बहुआयामी निर्धन (अथवा 'MPI' निर्धन') के रूप में की जाती है।

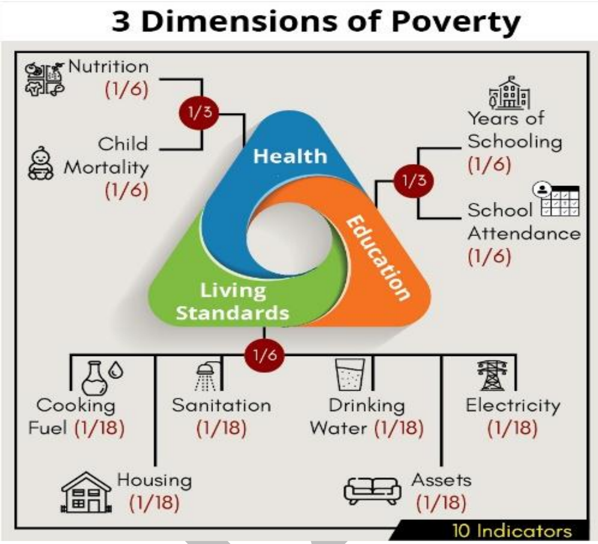

MPI आय निर्धनता से किस प्रकार बेहतर है?

- विश्व बैंक के अनुसार, 2011 की क्रय शक्ति समता के सन्दर्भ में **वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का मान 1.90 डॉलर** निर्धारित किया गया है। आय लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सक्षम बनाती है परन्तु व्यवहारिक स्तर पर हम देखते हैं कि यह सदैव आय निर्धनता का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
- इस परिप्रेक्ष्य में आय 'साध्य' की प्राप्ति हेतु 'साधन' है और यहाँ साध्य स्वयं मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष फोकस साध्य पर है।

MPI 2018 में नया क्या है?

नए वैश्विक MPI में मूल MPI के दस संकेतकों में से पांच में परिवर्तन किया गया है: पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आवास और परिसम्पत्तियां।

- **पोषण की नयी सीमा** में आयु के लिए BMI (बॉडी मॉस इंडेक्स) और बच्चों के लिए स्टंटिंग (ठिगनेपन) के साथ-साथ सामान्य से कम वजन (अंडरवेट) को भी सम्मिलित किया गया है।
- **बाल मृत्यु दर** के लिए इस बात पर भी विचार किया जाता है कि क्या परिवार में साक्षात्कार की तिथि के पूर्व पांच वर्षों में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है।
- **स्कूली शिक्षा के वर्षों के** लिए पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा के स्थान पर अब छह वर्षों की स्कूली शिक्षा आवश्यक है।
- यदि किसी परिवार के घर की फर्श प्राकृतिक सामग्री से बनी हो या छत तथा दीवारें प्राकृतिक एवं कच्ची सामग्री से निर्मित हों, तो उसे **आवासीय संकेतक** से वंचित माना जाता है।
- अंततः **परिसम्पत्ति संकेतक** में अब कंप्यूटरों और पशु-वाहनों का स्वामित्व भी सम्मिलित है।
- **MPI 2018 को संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए संशोधित** किया गया है। MPI दर्शाता है कि SDG 1,2,3,4,6,7 और 11 से सम्बन्धित वंचनाएं वस्तुतः निर्धन व्यक्तियों के जीवन से संबद्ध हैं।
  - यदि लोग भारित संकेतकों में से एक-तिहाई संकेतकों में वंचित हैं तो वे MPI निर्धन हैं। MPI उन लोगों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो एक साथ कई SDGs में पिछड़े हुए हैं।

MPI की सीमाएं:

- संकेतकों में **आउटपुट** (जैसे- स्कूली शिक्षा के वर्ष) और **इनपुट** (जैसे- खाना पकाने के ईंधन), दोनों सम्मिलित हैं। साथ ही, इसमें स्टाक और प्रवाह संकेतक दोनों सम्मिलित हैं। एक स्टॉक संकेतक को समय के किसी निश्चित बिंदु पर मापा जाता है, और संभव है कि यह अतीत के संग्रहण का परिणाम हो। इसके विपरीत, एक प्रवाह संकेतक की माप प्रति इकाई समय में की जाती है। सर्वेक्षण में सभी आयामों के लिए प्रवाह संकेतक नहीं होते हैं।

VISION IAS

- यद्यपि MPI संकेतकों का चयन यथासम्भव विभिन्न देशों के मध्य तुलनात्मकता को सुनिश्चित करने के क्रम में किया गया था तथापि दो कारणों से संकेतकों की तुलनात्मकता अभी भी अपूर्ण है:
  - जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, पोषण के मामले में प्रयुक्त सर्वेक्षणों में सूचना भिन्न-भिन्न होती है।
  - यहाँ तक कि यदि वे एक ही सूचना एकत्रित करते हैं तो कुछ निश्चित संकेतकों पर न्यूनतम स्वीकार्य मानकों पर (जैसे-जीवन स्तर के मामले में) संस्कृतियों के अनुसार आंकड़े काफी भिन्न हो सकते हैं।
- हालाँकि MPI अनुभव की गयी निर्धनता की गहनता को सम्मिलित करने हेतु हेडकाउंट अनुपात से परे चला जाता है, किन्तु **यह निर्धनता की गंभीरता का मापन नहीं** करता है- अर्थात् यह नहीं मापता है कि प्रत्येक संकेतक में वंचनाओं की निर्दिष्ट सीमा से निर्धन लोग औसतन कितने दूर हैं। न ही यह निर्धन जनसंख्या के मध्य असमानता की माप करता है कि निर्धनों के मध्य किस रूप में वंचना का वितरण व्याप्त है।

MPI निर्धनता अनुमानों और कई देशों के 1.90 डॉलर/प्रति दिन निर्धनता आकलन के मध्य इतनी विसंगतियां क्यों हैं?

- MPI आय-निर्धनता माप का पूरक है। यह विभिन्न वंचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से मापता है।
- हालाँकि, व्यवहार में MPI और 1.90 डॉलर/प्रतिदिन वाले निर्धनता मापन में **एक स्पष्ट सम्बन्ध** है, फिर भी **कई देशों में इन आकलनों में भिन्नता** है।
- इसके **संभावित कारणों में सार्वजनिक सेवाओं और साथ ही साथ आय को बेहतर परिणामों,** जैसे कि अच्छे पोषण, में परिवर्तित करने की क्षमताओं में भिन्नता का होना हो सकता है।
- वास्तव में भिन्नता का तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रीय निर्धनता संख्या या MPI की गणना गलत है– **ये केवल निर्धनता की भिन्न-भिन्न अवधारणाओं के मापन** हैं।
- इसके साथ ही, जिस प्रकार राष्ट्रीय निर्धनता मापों को राष्ट्रीय परिदृश्य को अधिक सटीकता से प्रतिबिम्बित करने हेतु (MPI के विपरीत) डिजाइन किया जाता है और बहुधा ये 1.90 डॉलर की माप से अत्यंत उपयोगी अर्थों में भिन्न होती हैं, संभव है कि उसी प्रकार कुछ देश अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप एक ऐसा राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक तैयार करना चाहें जो उनके सन्दर्भ में वैश्विक MPI का पूरक हो।
- इन मापों के मध्य सम्बन्ध और उनके नीतिगत प्रभाव एवं प्रणालीगत सुधार भावी शोध की प्राथमिकताएं हैं।

2.3. सामाजिक सुरक्षा

(Social Security)

2.3.1. न्यूनतम बुनियादी आय

(Minimum Basic Income)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में देश में न्यूनतम बुनियादी आय (MBI) को लागू किए जाने की मांग उठी है।

आय सहायता: राष्ट्रीय उदाहरण

- **मध्य प्रदेश शर्त रहित नकद अंतरण परियोजना** में 6000 से अधिक लाभार्थियों को वर्तमान सब्सिडी के अतिरिक्त आय सहायता प्रदान की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण

- फिनलैंड के **"*Perustulokokeilu*" (बेसिक इनकम एक्सपेरिमेंट)** के अंतर्गत 25 से 58 वर्ष की आयु के बेरोजगार लोगों के चयनित पूल को बिना किसी शर्त के आय प्रदान की गयी थी।
- ब्राजील में '*Bolsa Familia*' वस्तुतः "निर्धनता उन्मूलन" संबंधी एक कार्यक्रम है जिसमें एक निश्चित आय स्तर से नीचे आय प्राप्त करने वाले परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है, बशर्ते वे अपने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसी शर्तों को पूरा करते हों।

VISION IAS

न्यूनतम बुनियादी आय (MBI) की अवधारणा:

- न्यूनतम बुनियादी आय **समाज कल्याण** से संबंधित एक व्यवस्था है जो परिवारों को कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर एक बुनियादी आय की गारंटी देती है। यह **सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI)** से भिन्न योजना है। UBI सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से, बिना किसी जीविका साधन की जांच या कार्य की आवश्यकता वाली एक शर्त रहित आवधिक नकद हस्तांतरण योजना है। इस प्रकार एक सीमा तक MBI एक **सशर्त UBI या एक अर्द्ध UBI (लक्षित) है।**

इस विचार (अवधारणा) के गुण क्या हैं?

- **सामाजिक न्याय और समानता:** एक न्यायपूर्ण समाज में ऐसे साधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय प्रदान की जा सके।
- **चयन की स्वतन्त्रता:** भारत में गरीबों को आर्थिक निर्णयकर्ताओं के स्थान पर सरकार की कल्याणकारी नीतियों की विषय-वस्तु माना जाता है। MBI के तहत उन्हें एजेंट के रूप में देखा जाता है और उन्हें उनकी इच्छानुसार कल्याणकारी व्यय का उपयोग करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।
- **निर्धनता उन्मूलन:** आर्थिक सर्वेक्षण (2016-17) के अनुसार, यदि आय वर्ग के शीर्ष 25% लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए तो आय अंतरण निर्धनता को 0.5% के स्तर तक ला सकता है (GDP की लगभग 4% से 5% की लागत पर)।
- **MBI में ग्रामीण तनाव को कम करने की क्षमता है:** उदाहरणस्वरूप, यह दीर्घकालिक ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम कर सकती है क्योंकि इससे बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।
- **बेहतर सामाजिक विकास:** मध्य प्रदेश में प्रायोगिक अध्ययनों से पता चला है कि अनुपूरक आय से पोषक तत्वों के सेवन, स्कूलों में प्रवेश और बालिकाओं की उपस्थिति, शौचालय निर्माण आदि में सुधार हो सकता है।
- **वित्तीय समावेशन:** यह ग्रामीण आय में वृद्धि और बैंक खातों के उपयोग को प्रोत्साहित कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
- **अन्य लाभों** में प्रशासनिक दक्षता, लिंग-समानता (परिवारों के स्थान पर व्यक्तियों को लाभार्थी मानना) श्रम बाजार के आघातों और श्रम बाजार के लचीलेपन के विरुद्ध बीमा आदि सम्मिलित हैं।

चुनौतियाँ:

- **बुनियादी आय की परिभाषा:** आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त 'बुनियादी आय' की सर्वसम्मत परिभाषा तय करना कठिन है। तेंदुलकर समिति की 33 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा के अनुसार यह 12,000 रुपये प्रतिवर्ष है। इसमें GDP के वर्तमान 4-4.5% के सब्सिडी भार की तुलना में GDP का 11-12% खर्च होगा।
- **राजकोषीय चुनौतियाँ:** कुल राजकोषीय लागत 2 कारकों पर निर्भर होगी: (i) योजना का कवरेज और (ii) वर्तमान सब्सिडियों/योजनाओं के प्रतिस्थापन का स्तर। इसके अतिरिक्त, मध्यम अवधि का राजकोषीय जोखिम, मौजूदा सब्सिडी में कठिनाई, धनी लोगों से अधिक कर राजस्व प्राप्त करने पर विरोध का सामना और बढ़ते हुए उपभोग से मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि की संभावना जैसी चुनौतियाँ भी हैं।
- **नकद बनाम जिंस दुविधा:** आय सहायता प्रदान करते समय, यह माना जाता है कि लाभार्थी अपने विवेक का बुद्धिमता से उपयोग करेंगे। हालाँकि, इसमें नकदी के दुरुपयोग (व्यसनों एवं हानिकारक वस्तुओं की खरीद में), **महिलाओं और बच्चों की सुभेद्यता में वृद्धि** (क्योंकि परिवारों में धन का नियंत्रण पुरुषों के पास होता है), प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ का **मुद्रास्फीति से सुरक्षित न होना** जैसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं।
- **लक्षित बनाम सार्वभौम:** इन नकद अंतरण योजनाओं द्वारा प्रस्तावित 'लक्ष्यीकरण' की तुलना में 'सार्वभौमिकता' सेवाओं के कुशल वितरण की कुंजी है। लाभार्थियों की पहचान से सम्बन्धित मुद्दों जैसे कठोर लक्ष्यीकरण की अपनी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए आसानी से पहचाने जाने योग्य मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है अन्यथा लीकेज के सन्दर्भ में इसे श्रेष्ठतर नहीं माना जा सकता है।
- **बुनियादी आय, राज्य की क्षमता का विकल्प नहीं है:** विकसित देशों में, नकद अंतरण वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को पूरकता प्रदान करते हैं और इन्हें स्वास्थ्य व शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधानों के अतिरिक्त अलग से प्रदान किया गया है। भारतीय संदर्भ में, MBI के पक्ष में अधिकांश तर्क, वर्तमान सामाजिक सुरक्षा हस्तक्षेपों की अक्षमताओं पर आधारित हैं और इन हस्तक्षेपों को प्रत्यक्ष नकद अंतरण से विस्थापित करने का प्रयास करते हैं।

VISION IAS

- नकद अंतरण के द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के बिना सेवाओं की मांग पैदा करने का प्रयास किया जाता है, यह गरीबों को निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर बनाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के निजीकरण से पहुंच या उपलब्धता की समस्या हो सकती है (जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में) और गरीब व वंचित वर्ग बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने से छूट सकते हैं।

- **कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी आना** और निरंतर प्रयास के माध्यम से कौशल विकास एवं नियोजनीयता में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन में कमी आना।
- **कार्यान्वयन की चुनौतियाँ:** नकद अंतरण की सफलता बैंकिंग प्रणाली के विस्तार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच पर निर्भर है।

2.3.2 भारत में बीमा क्षेत्रक

(Insurance Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लॉयड्स ऑफ़ लंदन की एक रिपोर्ट ***"अ वर्ल्ड एट रिस्क- क्लोजिंग द इंश्योरेंस गैप"*** के अनुसार **गहरी पैठ के बावजूद भारत में बीमा अंतराल बढ़ा है।**

भारत में बीमा क्षेत्रक

- भारत में **बीमा अंतराल** वर्ष 2012 में 19.7 बिलियन डॉलर था जो बढ़कर 2018 में **27 बिलियन डॉलर** हो गया है। हालाँकि, गैर-जीवन बीमा पैठ वर्ष 2012 में GDP का 0.7 प्रतिशत ही थी, जो मामूली वृद्धि के बाद 2018 में **0.9 प्रतिशत** हो गई है।
- भारतीय बीमा बाजार में व्यापार के विशाल अवसर विद्यमान हैं। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी **भारत वर्तमान में विश्व के कुल बीमा प्रीमियम के 1.5 प्रतिशत से भी कम और विश्व के जीवन बीमा प्रीमियम** के लगभग 2 प्रतिशत हिस्से के लिए ही उत्तरदायी है।
- लगभग 360 मिलियन पॉलिसियों के साथ भारत का जीवन बीमा क्षेत्रक विश्व में सर्वाधिक विशाल है। पॉलिसियों की कुल संख्या के मामले में अगले पांच वर्षों में 12-15 प्रतिशत की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से वृद्धि होने की आशा है।
- बीमा उद्योग की 2020 तक अपनी पैठ में पांच प्रतिशत तक की वृद्धि करने की योजना है।
- बीमा में निवेश में वृद्धि के लिए भारत ने बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को भी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है।

- **बीमा अंतराल (Insurance gap):** यह बीमा कवर द्वारा संरक्षित संपत्तियों के मूल्य से कुल परिसंपत्तियों के मूल्य को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल है।
- **बीमा पैठ (Insurance penetration):** यह किसी विशेष वर्ष में देश या उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद से कुल बीमित प्रीमियम का अनुपात है। यह 2016-17 में 3.49% था।
- 'पैठ' सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में कुल प्रीमियम के मूल्य को प्रदर्शित करती है जबकि 'अंतराल' बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं की गई कुल लागत को मापता है।

बीमा की भूमिका

- **सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करता है:** बीमा वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा व्यापार और मानव जीवन में अनिश्चितताओं से सम्बंधित जोखिम को कम करता है।
- **वित्तीय संसाधन उत्पन्न करता है:** यह प्रीमियम एकत्र करके कोष का सृजन करता है जिसे आगे सरकारी प्रतिभूतियों और स्टॉक में निवेश किया जाता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सहायता करता है जिससे पूंजी निर्माण होता है।
- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देता है:** यह घरेलू बचत को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह उत्पादक निवेशों (विशेष रूप से लंबी अवधि की निवेश आवश्यकताओं वाले) हेतु पूंजी प्रदान करता है। यह क्षति को सहने में सक्षम बनाता है तथा वित्तीय स्थिरता और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इनके परिणामस्वरूप आर्थिक संवृद्धि और विकास को बल मिलता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार:** IRDA के विनियम एक न्यूनतम व्यवसाय स्तर को ग्रामीण क्षेत्रों में और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु सम्पादित करने का प्रावधान करते हैं।

VISION IAS

बीमा हेतु आरम्भ की गई सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme: NHPS):** आयुष्मान भारत के अंतर्गत 100 मिलियन से अधिक सुभेद्य परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल हेतु 5,00,000 रुपये तक का कवरेज प्रदान करने के लिए NHPS की शुरुआत की गई है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के माध्यम से सभी निर्धन परिवारों को सम्मिलित करके अधिकार विहीन वर्गों को बीमा लाभ की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के तहत परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या उसे चोट लगने पर मूलभूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** 60 करोड़ मूल खातों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने और इन खातों के माध्यम से सूक्ष्म बीमा एवं असंगठित क्षेत्रक पेंशन योजनाओं की सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इससे कम आय वाले समूहों की आर्थिक सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** किसानों को उनकी फसल को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के विरुद्ध फसल बीमा प्रदान करती है।

बीमा क्षेत्रक में चुनौतियां

- **जागरुकता का निम्न स्तर:** भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने चिकित्सा व्यय को वित्त पोषित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा का उपयोग नहीं करता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह मानता है कि स्वास्थ्य बीमा एक उपयुक्त निवेश नहीं है और इसलिए वे ऐसे बीमा उत्पादों को खरीदने से बचते हैं।
- **निम्नस्तरीय वितरण:** बड़े शहरों के बाहर वितरण निम्नस्तरीय है। देश में ऐसे विशाल भाग मौजूद हैं जिनकी सामान्य बीमा तक पहुंच सीमित है। बीमाकर्ताओं और वितरकों द्वारा छोटे शहरों में उपस्थिति नहीं बनाई जाती है क्योंकि यह अलाभकारी है।
- **उत्पाद नवाचार का अपेक्षाकृत कम होना:** यद्यपि जोखिम को कम करने के लिए अनेक आवश्यक उत्पाद उपलब्ध हैं तथापि बीमा उत्पाद पोर्टफोलियो में अंतराल विद्यमान हैं जो बड़े जोखिमों को गैर-बीमाकृत छोड़ देते हैं।
- **मूल्य निर्धारण:** बीमाकर्ता बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं भले ही इससे व्यक्तियों हेतु बीमा के मूल्य निर्धारण में विकृति उत्पन्न होती हो।
- **प्रभावकों द्वारा उत्पन्न धारणा:** एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती मीडिया और प्रभावकों द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रायः जीवन बीमा उद्योग को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया जाता है और इसलिए उपभोक्ता जीवन बीमा उद्योग पर संदेह करते हैं।

आगे की राह

- **जागरुकता को बढ़ावा देना:** बीमा के लाभों के विषय में जनता के मध्य जागरुकता का अधिकाधिक प्रसार करना आवश्यक है। यह वीडियो, सोशल मीडिया, विज्ञापनों, अभियानों के आयोजन आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
- **वितरण के अनेक चैनल:** यह व्यापक डेटाबेस का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए सफलता का एक प्रमुख निर्धारक है। होम लोन, कंपनियों में म्यूचुअल फंड निवेश, बैंक क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसे संबद्ध वित्त उत्पादों के साथ बीमा को जोड़ना जीवन बीमा हेतु नए चैनल हैं।
- **विशाल अदोहित बाजार:** मध्यम वर्ग के लोगों में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों की तुलना में अधिक जागरुकता है। भारत में जनसांख्यिकीय और समष्टि अर्थशास्त्रीय रूप से विविधतापूर्ण कारक मौजूद हैं। अतः प्रत्येक वर्ग को लक्षित करने के लिए बीमा प्रणालियों को देश के अन्य कार्यक्रमों के साथ संरेखित करना होगा।
- **बेहतर विनियमन:** यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक नीतियां निर्मित की जा सकती हैं कि बीमा कंपनियां लाभप्रदता की तुलना में बीमा लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** क्रॉस-सेल करने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करने हेतु हितधारकों को इंटरनेट और अन्य तकनीकी विकल्पों का लाभ उठाना होगा। उनके लिए अनुरोधों को संसाधित करना, दावों के निपटान की प्रक्रिया, शिकायतों का समाधान और भुगतान को ऑनलाइन करना आसान और सस्ता भी होगा।

2.4. चक्रीय अर्थव्यवस्था

(Circular Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019** में, NITI आयोग के CEO ने कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में अगले 5-7 वर्षों में 1.4 करोड़ रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

VISION IAS

चक्रीय (वर्तुल) अर्थव्यवस्था क्या है?

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था** उत्पादन और उपभोग का वह मॉडल है जिसमें यथासंभव समय तक **वर्तमान सामग्रियों और उत्पादों को साझा करना, पट्टे पर देना, पुन: उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण** करना सम्मिलित होता है। इस प्रकार, उत्पादों के जीवन चक्र में वृद्धि होती है।
- इसके अंतर्गत पारंपरिक, **रैखिक आर्थिक मॉडल** का त्याग किया जाता है, जो **टेक-मेक-कंज्यूम-थ्रो अवे (take-make-consume-throw away) पैटर्न** पर आधारित है।
- यह अर्थव्यवस्था व्यापक रूप से सस्ती, आसानी से सुलभ सामग्रियों एवं ऊर्जा पर निर्भर होती है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के कार्यान्वियन में बाधाएं

- **आर्थिक बाधाएं:**
  - **सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्यताओं** का कीमत निर्धारण के समय ध्यान नहीं रखा जाता है;
  - कच्चे माल की कीमतें अस्थिर होती हैं और कम कीमतों पर वैकल्पिक, अच्छी गुणवत्ता वाले द्वितीयक संसाधन प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं;
  - इन मॉडलों को **विकसित करना कठिन** होता है, क्योंकि अधिकांश निवेशक अभी भी अर्थव्यवस्था के रैखिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करते हैं।
  - तकनीकी या ICT ज्ञान रखने वाले **योग्य पेशेवरों** की कमी।
- **संस्थागत बाधाएं:**
  - अनेक कंपनियों के लक्ष्य अभी भी **अल्पकालिक मूल्य सृजन पर केंद्रित** हैं, जबकि चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल दीर्घकालिक मूल्य सृजन का मॉडल है।
  - **GDP सूचकांक में सामाजिक और पर्यावरणीय बाह्यताओं पर विचार नहीं किया जाता है**, जिससे इन दोनों क्षेत्रों में मूल्य सृजन हतोत्साहित होता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता

- **उपभोक्तावाद में वृद्धि:** बढ़ती घरेलू आय के साथ युग्मित मजबूत आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता व्यय में वृद्धि हुई है।
- **संसाधनों की भारी मांग:** शहरीकरण के कारण घरेलू संसाधनों के निष्कर्षण में वृद्धि से भूमि, वन, वायु और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की वर्तमान दर पर भारत की संसाधन आवश्यकता 2030 तक लगभग 15 बिलियन टन होने का अनुमान है। इसलिए आर्थिक विकास को संसाधनों से पृथक करने की तत्काल आवश्यकता है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से साकार किया जा सकता है।
- **आयात निर्भरता:** दुर्लभ मृदा खनिजो जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के **संकुचित होते भंडार, तकनीकी बाधाओं आदि** के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भारत की निर्भरता।
- **अपशिष्ट का सृजन:** पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप संसाधन निष्कर्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, उपभोग से लेकर उत्पाद के नष्ट होने तक, उक्त उत्पाद के जीवन चक्र के सभी चरणों में बड़े पैमाने पर अपशिष्टों का सृजन होता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ

- **ग्रीनहाउस गैस का अपेक्षाकृत निम्न उत्सर्जन:** इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर अग्रसर होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वर्तमान स्तर के सापेक्ष 2030 तक आधा हो सकता है।
- **अपेक्षाकृत कम नकारात्मक बाह्यताएं -** चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का पालन करने से भूमि उपयोग, मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाह्यताओं और साथ ही विषाक्त पदार्थों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन का भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है।
- **आर्थिक संवृद्धि की संभाव्यता में वृद्धि:** उत्पादों और सामग्रियों को अधिक कार्यात्मक बनाकर और आसानी से वियोजित और पुन: उपयोग करके सस्ते उत्पादन के साथ नई चक्रीय गतिविधियों से हुई राजस्व वृद्धि GDP में भी वृद्धि करने में सक्षम है।
- **रोजगार वृद्धि -** विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल का विकास प्रवेश-स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक स्थानीय रोजगारों और अर्ध-कुशल नौकरियों का सृजन कर सकता है। निम्नलिखित के माध्यम से नई नौकरियों का सृजन होगा:
  - पुनर्चक्रण और मरम्मत के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि,
  - नवाचार प्रक्रियाओं और नवीन व्यापार मॉडल के कारण नए व्यवसायों में वृद्धि

VISION IAS

- **अस्थिरता में कमी और सुरक्षित आपूर्ति:** अधिक पुनर्चक्रित आगतों का उपयोग किया जायेगा, जिससे कंपनियों को कच्चे माल की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिल सकेगी।

आगे की राह

- देश में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए **कानून की आवश्यकता** है। कई देशों ने **संधारणीय विकास** के लिए नए प्रतिमान के रूप में चक्रीयता की केंद्रीयता को मान्यता प्रदान की है।
- **विनिर्माण चरण में शून्य प्रभाव, शून्य दोष** (Zero Effect, Zero Defect) जैसी नीतियों, **उपभोग चरण में राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना** और **निपटान चरण में विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमों** को यदि उचित रूप से प्रयुक्त किया जाए, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के ताने-बाने में चक्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने हेतु आदर्श नीति हो सकते हैं।
- चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में रूपान्तरण सुनिश्चित करना नियामकों, नीति निर्माताओं, कंपनियों सहित **मुख्य हितधारकों के बीच व्यापक सहकार्यता** प्रयासों की मांग करता है। साथ ही वित्तीय संस्थानों को भी चक्रीय व्यापार मॉडल अपनाने के लिए काम करने की आवश्यकता होगी।
- **ग्रीन बॉण्ड, म्युनिसिपल बॉण्ड, SDG-अलाइन्ड बॉण्ड जैसे** नवाचार युक्त वित्तपोषण साधनों के माध्यम से इन नए अवसरों को साकार करने के लिए **पर्याप्त वित्तपोषण** की आवश्यकता होगी।

2.5. ब्लू इकोनॉमी

(Blue Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्या के नैरोबी में हाल ही में सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कांफ्रेंस का आयोजन किया गया।

ब्लू इकोनॉमी के बारे में

- विश्व बैंक के अनुसार, ब्लू इकोनॉमी का आशय **महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित रखते हुए आर्थिक संवृद्धि, बेहतर आजीविका** और रोजगार के लिए समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग करने से है।
- इसमें महासागरों के साथ **प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अनेक क्षेत्र शामिल** हैं, जैसे- मत्स्यपालन, खनिज, नौवहन व बंदरगाह अवसंरचना, समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्री नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, समुद्री प्रशासन एवं शिक्षा आदि।

ब्लू इकोनॉमी का महत्व

- **आर्थिक महत्व:**
  - महासागरों से तेल व गैस संसाधनों का 30 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है।
  - 90 प्रतिशत वस्तु व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है।
  - महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। लगभग 60 मिलियन लोग मत्स्य-पालन और जलीय-कृषि में संलग्न हैं।
  - निकेल, कोबाल्ट, मैंगनीज और रेयर अर्थ मेटल्स (दुर्लभ मृदा धातुओं) के निष्कर्षण के लिए पॉली-मेटालिक नॉड्यूल्स (बहु-धात्विक पिंडों) और पॉली-मेटालिक (बहु-धात्विक) सल्फाइड्स का समुद्रतल से खनन।
- **पर्यावरणीय महत्व:**
  - मैंग्रोव और अन्य वानस्पतिक महासागरीय पर्यावास, जीवाश्म ईंधनों से निकलने वाली 25 प्रतिशत अतिरिक्त CO_2 अर्थात् ब्लू कार्बन का प्रच्छादन करते हैं।
  - बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से तटीय समुदायों का संरक्षण।
  - एक संधारणीय ब्लू इकोनॉमी वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों-2030, पेरिस जलवायु समझौते-2015 और संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन-2017 के अंतर्गत अभिव्यक्त विभिन्न प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में सहायता कर सकती है।

VISION IAS

भारत एक ब्लू इकोनॉमी के रूप में:

भारत, हिंद महासागर क्षेत्र में **'सागर' (SAGAR) (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं संवृद्धि)** की भावना को बढ़ावा देकर ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। भारत द्वारा प्रारम्भ की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

- **सागरमाला परियोजना:** सागरमाला पहल विकास के निम्नलिखित तीन आधारों पर केंद्रित है:
  - उचित नीति और संस्थागत हस्तक्षेप के माध्यम से **बंदरगाह आधारित विकास** का समर्थन करना और इसे सक्षम बनाना।
  - आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों की स्थापना समेत **बंदरगाह अवसंरचना** में वृद्धि।
  - परिवहन (सड़कों, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय मार्गों सहित) के लिए नई लाइनों/लिंकेज को विकसित करके **आंतरिक भागों से कुशल निकासी व्यवस्था।**
- **तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ):** सभी समुद्र तटवर्ती राज्यों को सम्मिलित करते हुए सागरमाला पहल के अंतर्गत 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।
  - CEZs एक या अधिक तटीय जिलों के समूह वाले स्थानिक आर्थिक क्षेत्र होते हैं जो उस क्षेत्र के बंदरगाहों से मजबूत कड़ियों के साथ संबद्ध होते हैं।
  - CEZ नियोजित आर्थिक कॉरिडोर की सहक्रियाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है।
- **संसाधन अन्वेषण:** हाल के दिनों में भारत ने अपना ध्यान हिंद महासागर के संसाधनों के अन्वेषण की दिशा में केंद्रित किया है। उदाहरण के लिए, भारत ने 75,000 वर्ग कि.मी. हिंद महासागर के सागर नितल का अन्वेषण किया है और यह संसाधनों के खनन के लिए प्रौद्योगिकियों (जैसे- दूरस्थ रूप से संचालित वाहन) को विकसित कर रहा है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा:** भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ सहयोग कर रहा है और एक सुरक्षित, संरक्षित व स्थिर हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) को सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को 'निवल सुरक्षा प्रदाता' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भारत IOR में अमेरिका, जापान जैसी अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भी सहयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर, QUAD इत्यादि।

ब्लू इकोनॉमी के लिए चुनौतियाँ

- **सागरीय क्षेत्रों के निकट असंधारणीय विकास:** तटीय विकास, वनोन्मूलन एवं खनन जैसी गतिविधियों के कारण अधिकतर समुद्री एवं तटीय पर्यवासों व परिदृश्य का भौतिक परिवर्तन तथा उनका विनाश हुआ है।
  - FAO का अनुमान है कि लगभग 57 प्रतिशत मत्स्य-भंडारों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा चुका है और अन्य 30 प्रतिशत मत्स्य-भंडारों का या तो अतिरेक उपभोग किया जा रहा है या वे समाप्त किए जा चुके हैं या उनकी पुनः प्राप्ति की जा रही है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** धीमी गति से होने वाले घटनाक्रमों, जैसे- समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक तीव्रता से व निरंतर होने वाले मौसमी घटनाक्रमों (यथा- चक्रवात), दोनों का समुद्री अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन का महासागरीय प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, जैसे- समुद्र के तापमान, अम्लता और प्रमुख महासागरीय धाराओं में परिवर्तन आदि।
- **भू-राजनीतिक मुद्दे:** विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर क्षेत्र आदि के बीच भू-राजनीतिक संघर्ष और UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कमज़ोर करना, विभिन्न देशों को ब्लू इकोनॉमी की पूर्ण संभाव्यता को प्राप्त करने से रोकता है।
- **अनुचित व्यापार व्यवहार:** कई बार मत्स्य-पालन हेतु किये गए समझौतों के कारण विदेशी प्रचालकों को देश के EEZ क्षेत्रों में पहुंच की अनुमति मिल जाती है। ये प्रचालक राष्ट्रीय हितधारकों को मत्स्य-पालन सम्बन्धी कुछ विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रचालकों द्वारा मत्स्य-पालन संबंधी निर्यात-राजस्व का विनियोजन कम हो पाता है। इस तरह दीर्घकाल में इन संसाधनों के राष्ट्रीय उपयोग की संभावना कम हो जाती है।
- **अन्य गैर-पारंपरिक खतरे:** रक्षा और सुरक्षा संबंधी खतरे, जैसे- पायरेसी व आतंकवाद और इनके साथ-साथ प्राकृतिक आपदाएँ भी ब्लू इकोनॉमी के लिए चुनौती खड़ी करती हैं (इनके कारण छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्र विशेष रूप से असुरक्षित हैं)।

VISION IAS

आगे की राह

- सभी साझा प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय निवेशों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग से पूर्ण किया जाना चाहिए। ब्लू बांड, बीमा आदि लिखतों के उपयोग पर भी विचार किया जा सकता है।
- महासागरीय संसाधनों, आधुनिक मत्स्य-पालन तकनीकों व तटीय पर्यटन के सतत उपयोग में प्रशिक्षण एवं कौशल विकास द्वारा **तटीय समुदायों की क्षमता का विकास** किया जा सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान करना और उनके प्रति अनुकूल बनना**, ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से एक अनिवार्य घटक है।
- **UNCLOS जैसे अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन** सम्पूर्ण विश्व में ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने में एक आवश्यक पहलू है। यह एक कानूनी फ्रेमवर्क निर्धारित करता है जिसके भीतर रहकर ही महासागरों और समुद्रों की सभी गतिविधियों को पूरा करना होता है। इन गतिविधियों में महासागर एवं उनके संसाधनों का संरक्षण व संधारणीय उपयोग भी शामिल है।

VISION IAS

3. राजकोषीय नीति एवं संबंधित तथ्य (Fiscal Policy And Related News)

3.1. राजकोषीय नीति

(Fiscal Policy)

3.1.1. स्वतंत्र राजकोषीय परिषद

(Independent Fiscal Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष **एन. के. सिंह** ने राजकोषीय नियमों को प्रवर्तित करने और केंद्र के राजकोषीय समेकन पर नियंत्रण रखने हेतु 'राजकोषीय परिषद' जैसे एक संस्थागत तंत्र का समर्थन किया है।

राजकोषीय प्रबंधन से संबधित मुद्दे

- **दोषपूर्ण बजटीय पूर्वानुमान:** बजट में प्राय: **राजस्व अनुमानों को वास्तविकता से अधिक** (वित्त वर्ष 1998 से 20 वर्षों में 15 बार) और **व्ययों को वास्तविकता से कम** (वित्त वर्ष 1998 से 20 वर्षों में 12 बार) **व्यक्त** किया जाता है। 2017 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर प्रशासन में **पारदर्शिता की कमी** के साथ-साथ **अति-महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यों** ने कर अधिकारियों को लक्ष्य पूरे करने के लिए 'अनियमित' और 'अनुचित' तरीकों का आश्रय लेने हेतु प्रेरित किया है।
- **सीमित कर उछाल (Limited Tax Buoyancy):** नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तीव्र संवृद्धि आमतौर पर कर संग्रह में तीव्र वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। जबकि, भारत में, **कर उछाल का कोई स्थिर पैटर्न नहीं** है, इसलिए यहाँ कर राजस्व का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है।
- **रचनात्मक लेखांकन (Creative Accounting):** इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे को रचनात्मक लेखांकन के उपयोग से भी समझा जाता है। उदाहरणार्थ- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों पर समग्र सब्सिडी बिल और बकाया धनराशि के एक भाग का विस्तारण करना (रोलिंग ओवर) तथा विनिवेश प्रक्रिया में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) के माध्यम से विनिवेशित हिस्सेदारी (divested stakes) को खरीदना।
    - इस प्रकार के "रचनात्मक" लेखांकन से हेडलाइन राजकोषीय घाटे में तो कमी आई है, लेकिन इससे भारत का **'सार्वजनिक ऋण-GDP अनुपात'** कम नहीं हुआ है। यह स्थिति भारत की समष्टिगत आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- **अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का उपयोग (Use of Extra Budgetary Resources: EBRs):** वर्षों से, सरकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए (सरकार की) **EBRs,** (जैसे- सरकार के स्वामित्व वाले उद्यमों, यथा- भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक आदि की निधियों) **पर निर्भरता में वृद्धि** हुई है, लेकिन यह रियल टाइम राजकोषीय घाटे की संख्या में प्रकट नहीं होती है। उदाहरण के लिए, 2018-19 के बजट में उल्लिखित संपूर्ण पूंजीगत व्यय के 61.4% हिस्से को EBRs के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है। यह 2016-17 में इस माध्यम से किए गए 54% वित्तपोषण की तुलना में अधिक है।
- **केंद्र और राज्यों के लिए समान राजकोषीय समेकन नियमों की अनुपस्थिति:**
    - विभिन्न प्रकार उपकर और अधिभार, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है, समग्र विभाज्य राजस्व का असंगत हिस्सा बन रहे हैं। यह राजकोषीय संघवाद और वित्तीय हस्तांतरण की प्रक्रिया की भावना के विरूद्ध है।
    - **अनुच्छेद 293 (3),** राज्य सरकारों की बाजार उधारियों पर एक संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है, जबकि केंद्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
    - राज्यों को अपने वित्त का प्रबंधन करने में बाधाएं आती हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उनके घाटे को नियंत्रित किया जता है और यह केंद्र के अनुमोदन के बिना राज्यों की ओर से कोई बॉण्ड जारी नहीं कर सकता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के लक्ष्यों का गैर-अनुपालन:** वर्ष 2003 में जब FRBM अधिनियम को अधिनियमित किया गया था तब से, इसमें निर्धारित घाटे के लक्ष्यों की प्राप्ति में अब तक चार बार विराम की स्थिति उत्पन्न हुई हैं और कई ऐसे अवसर उत्पन्न हुए हैं जहां लक्ष्यों की उपेक्षा कर दी गई हैं।

VISION IAS

- **राजकोषीय लोकलुभावनवाद:** राजनीतिक दलों/वर्गों में राजकोषीय नीति को अधिकाधिक विस्तार देने की प्रवृत्ति होती है, जो भविष्य की सरकारों के लिए वित्तीय भार में वृद्धि करती है, जिसके हानिकारक दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, जैसे - किसानों की ऋण माफी; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की कर माफी आदि।
- **निगरानी हेतु निम्न स्तरीय संस्थागत अवसंरचना:** CAG ने FRBM अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत की है, लेकिन इस रिपोर्ट में केवल कार्योत्तर (पोस्ट-फैक्टो) मूल्यांकन को शामिल किया गया है।

राजकोषीय अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **निवेश में सुधार करने के लिए:** विगत वर्षों में लिए गए घरेलू ऋणों के बढ़ने से नए निवेश को वित्तपोषित करने में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। यदि ऋण असंधारणीय हो जाता है, तो उसके भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) का जोखिम बढ़ जाता है, जिसके कारण क्रिसिल (CRISIL), स्टैंडर्ड एंड पुअर (Standard & Poor), मूडीज (Moody's) आदि एजेंसियों द्वारा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को कम किए जाने का जोखिम भी बढ़ जाता है।
- **निजी क्षेत्रक के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाना:** चूँकि बाजार में निवेश करने के बजाए सरकार को अधिक धनराशि उधार दी जाती है, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्रक में निवेश प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जिससे औद्योगिक और पूंजीगत संपत्ति की वृद्धि की गति मंद हो जाती है तथा रोजगार की अत्यधिक क्षति होती है।
- **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना:** अत्यधिक सरकारी ऋण से मुद्रास्फीति में वृद्धि और वास्तविक ब्याज दरों में कमी हो सकती है। यह लोगों को स्वर्ण और रियल एस्टेट में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो खराब आर्थिक तरलता और काले धन की समस्या का कारण बन सकता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत प्रभाव:** इससे भविष्य की पीढ़ियों को सरकार द्वारा लिए गए ऋण को समाप्त करने हेतु बढ़े हुए करों का भुगतान करना होगा।
- **संवैधानिक आवश्यकता:** संविधान के **अनुच्छेद 292** में कानून के रूप में राजकोषीय उत्तरदायित्व की परिकल्पना की गई है जो सरकार को ऋण पर ऊपरी सीमा अधिरोपित करने के लिए बाध्य करती है।

स्वतंत्र राजकोषीय परिषद के प्रकार्य

- केंद्र और राज्य सरकारों के लिए **बहु-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान** तैयार करना।
- **सार्वजनिक ऋण के एक संधारणीय स्तर को परिभाषित करना।**
- केंद्र सरकार की उधारियों और राजकोषीय प्रदर्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करना।
- सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का उल्लंघन करने से पूर्व परिषद से भी परामर्श अवश्य करना चाहिए।

स्वतंत्र राजकोषीय परिषद (IFC) के लाभ

- बजट घोषणाओं और पूर्वानुमानों का IFC द्वारा मूल्यांकन यह संकेत देगा कि सरकारी अनुमान कितने वास्तविक हैं। यह प्रक्रिया भारतीय राजनीति में **प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद पर प्रतिबंध** का कार्य करेगी और **सरकार की संसद के प्रति वित्तीय जवाबदेही को बढ़ाएगी।**
- स्वस्थ राजकोषीय प्रथाओं के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना अंततः प्रणाली में **पारदर्शिता का समावेश करेगी**, **घरेलू और विदेशी निवेशकों के मध्य विश्वास उत्पन्न** करेगी तथा नीतिगत परिणामों में सुधार करेगी।
- यह सरकार के भीतर **उचित प्रकटीकरण** और बेहतर लेखांकन प्रथाओं **की संस्कृति को बढ़ावा** देगा।
- विश्व भर में अधिकांश राजकोषीय परिषदें **कानून निर्माताओं को 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' दायित्वों के माध्यम से अनुशासित करने में सक्षम हैं**। सरकारों को कम-से-कम राजकोषीय परिषद के विचारों से विचलन के कारणों को बताए जाना आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से ज्ञात होता है कि राजकोषीय परिषद, सार्वजनिक वित्त से संबंधित बहस की गुणवत्ता में सुधार करती है और इसके प्रतिफल में इससे, **राजकोषीय अनुशासन के अनुकूल सार्वजनिक राय निर्मित करने में सहायता मिलती है।**
- एक संस्थागत राजकोषीय परिषद वस्तुतः वित्त आयोग और वस्तु एवं सेवा कर परिषद के साथ **सहयोग बढ़ाएगी**।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, स्वतंत्र राजकोषीय परिषदें अब राजकोषीय नीति निर्धारकों के विवेक का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से राजकोषीय ढांचे की अभिकल्पना का अनिवार्य अंग हैं। स्वतंत्र राजकोषीय परिषद संघीय राजव्यवस्था संबंधी राजकोषीय प्रक्रियाओं में यथा आवश्यक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकती है।

VISION IAS

3.1.2. भारतीय सांख्यिकी प्रणाली

(Indian Statistical System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकारी निकायों, स्वतंत्र थिंक टैंक और निजी अभिकर्ताओं सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले **आँकड़ों की विश्वसनीयता एवं सांख्यिकी** को लेकर विरोधाभास एवं वाद-विवाद दृष्टिगत हुए हैं।

भारत में सांख्यिकी संरचना के बारे में

- स्वतंत्रता-पूर्व ही भारत में **प्रो. पी. सी. महालनोबिस** के नेतृत्व में आधुनिक सांख्यिकीय प्रणाली ने अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था। पी. सी. महालनोबिस को **'भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के जनक' के रूप में जाना जाता** है।
- 1999 में **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** का सृजन किया गया तथा आधिकारिक सांख्यिकी की समग्र श्रृंखला का निरीक्षण करने हेतु **2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC)** की स्थापना की गई।
  - इस मंत्रालय के **दो विंग** हैं, एक **सांख्यिकी** से संबंधित तथा दूसरा **कार्यक्रम कार्यान्वयन** से संबंधित। सांख्यिकी विंग को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) के नाम से जाना जाता है, जो **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** और **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** से मिलकर बना है।
- यद्यपि भारत वर्षों से विश्वसनीय आर्थिक सांख्यिकी प्रकाशित करता रहा है, किन्तु हाल ही में **108 अर्थशास्त्रियों और सामाजिक विशेषज्ञों** के एक समूह ने महत्वपूर्ण आँकड़ों के प्रकाशन को **'राजनीतिक हस्तक्षेप'** से स्वतंत्र करते हुए भारत में सांख्यिकीय संगठनों की **"संस्थागत स्वतंत्रता"** एवं अखंडता की पुनर्बहाली की मांग की है।

भारत में प्रमुख सांख्यिकी संस्थान	
एजेंसी	**सांख्यिकी**
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)	GDP, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), ऊर्जा सांख्यिकी, अवसंरचना सांख्यिकी, राष्ट्रीय आय लेखांकन, उद्योगों के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण का संचालन, शहरी नॉन-मैनुअल कर्मचारियों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), मानव विकास सांख्यिकी, लिंग आधारित सांख्यिकी, आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना।
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)	मुख्यतया विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर देशव्यापी स्तर पर किए जाने वाले घरेलू सर्वेक्षणों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) से आंकड़ों को संग्रहित करता है। इसके अतिरिक्त, यह ग्रामीण और शहरी कीमतों, फसल सांख्यिकी से संबंधित आंकड़ों का भी संग्रहण करता है।

भारतीय सांख्यिकी से संबन्धित सामान्य मुद्दे

- **आँकड़ों के स्रोत का सरलता से उपलब्ध न होना:** उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादों के मूल्य मंडियों या खुदरा संपर्क केंद्रों (रिटेल टच पॉइंट्स) पर आधारित होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के आँकड़े अंतिम नहीं भी हो सकते हैं तथा आँकड़ों के जारी किए जाने के पश्चात् भी उनमें परिवर्तन किया जाता हैं।
- **भुगतान एवं भत्तों से संबंधित आँकड़ों जैसे महत्वपूर्ण राजकोषीय आँकड़ों की अनुपलब्धता।**
- **क्षमता निर्माण:** सांख्यिकीय एजेंसियों के मानव और संगठनात्मक संसाधनों में 1980 के दशक से कोई स्पष्ट सुधार नहीं हुए हैं। बदलती आँकड़ा आवश्यकताओं और आँकड़ा रख-रखाव प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने हेतु आंतरिक संरचना के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

भारतीय सांख्यिकी की सफलता की कहानी- RBI

- भारतीय रिजर्व बैंक के **मौद्रिक एवं बैंकिंग आँकड़े** संभवत: देश भर में बेहतर एवं विश्वसनीय माने जाते हैं।
- यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन आंकड़ो को RBI द्वारा निर्मित संरचनाओं का अनुपालन करने वाली संस्थाओं के विनियमित समूह से प्राप्त किए जाते हैं।
- बैंकों द्वारा खातों की प्रस्तुति को यह सुनिश्चित करने हेतु समरूप बनाया गया है कि परिभाषाओं में कोई अस्पष्टता न रहें, इस प्रकार आंकड़ों में कोई दोहराव नहीं होता है।

VISION IAS

- विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न संकेतकों की **परिभाषाओं और मानदंडों में असंगतता** के कारण आंकड़ों के मध्य अंतराल में और अधिक वृद्धि होती है।
- **वृहत असंगठित क्षेत्र:** यह सभी तीन क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विस्तृत है। इससे संबंधित सटीक आँकड़े प्राप्त करना सदैव समस्या का विषय बना रहता है और आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में प्रॉक्सी डेटा का उपयोग करना पड़ता है।
- **नकदी आधारित लेखांकन के कारण राजकोषीय आँकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता का अभाव।**
- **राजकोषीय आंकड़ों की सतत दीर्घकालिक श्रृंखला का अभाव:** उदाहरण के लिए, व्यापार संबंधी आँकड़े इस तथ्य पर आधारित होते हैं कि रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाती है। जहाँ भुगतान संतुलन (BOP) के संबंध में RBI के आँकड़े स्पष्ट होते हैं (क्योंकि ये किसी विशेष समयावधि के दौरान प्रणाली में विदेशी मुद्रा के आगमन एवं निर्गमन की जानकारी प्रदान करते हैं), वहीं वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आँकड़े परिवर्तित होते रहते हैं और कई बार प्राप्त किए गए निष्कर्ष भी भिन्न होते हैं।
- **समयान्तराल मुद्दा:** उदाहरण के लिए, CMIE और NSSO दोनों को आँकड़े संकलित करने में महीनों का समय लग जाता है, इसका अर्थ है कि ये किसी विशेष समयबिंदु पर आँकड़े एकत्रित नहीं करते हैं।
- **आँकड़ों के राजनीतिकरण** ने किसी दल विशिष्ट के प्रदर्शन को अनुकूल बनाने हेतु सांख्यिकीय गणना में वृद्धि या कमी को बढ़ावा दिया है, ऐसे आंकड़े अन्य महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में उच्च संवृद्धि और निम्न रोजगार के मध्य विचलन।
- **संस्थानों की स्वायत्तता का क्षरण -** हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोजगार संबंधी आँकड़ों को गुप्त बनाए जाने से संबंधित मुद्दे पर त्यागपत्र दे दिया गया था।

निहितार्थ

- **देश के आधिकारिक आंकड़ों पर विश्वास की कमी का व्यापक होना -** विशेष रूप से GDP संवृद्धि और रोजगार/बेरोजगारी के संबंध में।
- **निवेशक और उद्योग -** ये देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित पूर्वानुमानों के अभाव के कारण प्रभावित होते हैं।
- **अप्रभावी नीतिगत प्रतिक्रिया -** उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा प्रदत्त गलत आँकड़ों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णयों में प्राय: विचलन उत्पन्न हो जाता है। इससे सरकार के **विकासात्मक प्रयास प्रभावित** होते हैं।
- **सार्वजनिक जवाबदेहिता का अभाव -** क्योंकि इच्छुक हितधारकों की आँकड़ों तक पहुँच नहीं होती है। यह नीति के क्रियान्वयन में बाधा भी उत्पन्न करता है।
- **सार्वजनिक संवाद पर प्रभाव -** आँकड़ों के सृजन हेतु सांख्यिकीय अखंडता महत्वपूर्ण होती है। इन आंकड़ों का प्रयोग आर्थिक नीति-निर्माण में किया जाता है तथा ये ईमानदार और लोकतांत्रिक सार्वजनिक संवाद को जन्म देने के लिए आवश्यक हैं।

"आधिकारिक सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति" का प्रारूप

- **मुख्य (कोर) सांख्यिकी:** यह प्रारूप नीति राष्ट्रीय महत्व के कुछ आँकड़ों पर मुख्य सांख्यिकी के रूप में ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC)** को मुख्य सांख्यिकी का विनियमन और लेखांकन करने तथा अन्य आधिकारिक आँकड़ों में सुधार करने हेतु केंद्र सरकार को परामर्श हेतु पुनर्गठित किया जाएगा।
- सांख्यिकीय लेखांकन हेतु NSC के अधीन "**राष्ट्रीय सांख्यिकीय मूल्यांकन तथा आकलन संगठन**" की स्थापना की जाएगी।
- नीतिगत मामलों पर NSC को दिशा-निर्देश देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में "**राष्ट्रीय सांख्यिकीय विकास परिषद**" की स्थापना की जाएगी।
- **अखिल भारतीय भारतीय सांख्यिकी सेवा:** वर्तमान में कई सांख्यिकीय संवर्ग हैं जैसे कि भारतीय सांख्यिकी सेवा, राज्य सांख्यिकी सेवाएँ और अन्य ग्रुप-A के सांख्यिकी पद या संवर्ग।

सांख्यिकी प्रणाली का पुनर्गठन

- हाल ही में, सरकार द्वारा **केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)** तथा **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)** का विलय कर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत एक **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** के गठन का निर्णय किया गया है।

लाभ

- यह कदम मंत्रालय के प्रशासनिक और समग्र समन्वय में महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की भागीदारी के साथ प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करेगा।
- मौजूदा NSSO के डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन (DPD) का नया नाम **डेटा क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन (DQAD)** होगा। इसका कार्य सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों तथा गैर-सर्वेक्षण स्रोतों, यथा- आर्थिक जनगणना तथा प्रशासकीय आंकड़ों (विभिन्न विभागों या निकायों द्वारा प्रदत्त) की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- हालांकि, इस प्रकार की आशंका की जा रही है कि इससे **NSSO की स्वायत्तता में कमी हो सकती है**। पूर्व में NSSO द्वारा MoSPI के एक संबद्ध कार्यालय रूप में कार्य किया जा रहा था, जिसके कारण इसे मंत्रालय से पूर्णतः पृथक एक विधिक पहचान प्राप्त थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सांख्यिकीय कार्यों के सभी तकनीकी पहलुओं पर नज़र रखता था, जैसे कि - कौन से सर्वेक्षण किए जाने हैं, इन्हें कब और कैसे संपन्न किया जाना चाहिए आदि। NSSO तथा CSO के विलय के पश्चात्, NSSO की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी तथा NSSO पर NSC का नियंत्रण नहीं रह जाएगा।
- सांख्यिकी (आंकड़ों) से संबंधित स्वतंत्र निगरानी होनी चाहिए तथा उसे स्वतंत्र रूप से इनपुट प्रदान किए जाने चाहिए। हाल ही में, **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद** ने **सामाजिक विज्ञान में प्रभावी नीतिगत अनुसंधान नामक** एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस प्रकार, स्वतंत्र अनुसंधान के लिए विश्वसनीय और तटस्थ समष्टिगत सांख्यिकीय आंकड़ों तक समयबद्ध पहुंच की आवश्यकता होती है।
- **रंगराजन समिति की अनुशंसाओं** के अनुसार, NSO को सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पुनः इसे एक स्वतंत्र निकाय के अंतर्गत कार्य करना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी हो, न कि सरकार के प्रति। ऐसे निकाय को संवैधानिक दर्ज़ा देकर उक्त भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। ऐसे कदम के बिना, **सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाए रखना** कठिन हो जाएगा।

आगे की राह

- सरकार को **आधिकारिक सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति** के प्रारूप पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
- **जब भी राष्ट्रीय लेखांकनों के आधार को अपडेट किया जाए** {जैसा कि **अवधारणात्मक परिवर्तन, सांख्यिकीय परिवर्तन** (जैसे पद्धति को उन्नत बनाना) या आधार वर्ष के सन्निकट किए गए नए सर्वेक्षणों के परिणामों को समाविष्ट करने के लिए किया जाता है} तो उस स्थिति में तुलनीय आँकड़े प्रदान करने के लिए पुरानी श्रृंखला को नियमित रूप से नई श्रृंखला से लिंक किया जाना चाहिए।
- NSC को अतिशीघ्र पुनर्गठित किया जाना चाहिए और पर्याप्त संसाधनों के साथ इसे स्वतंत्र निगरानीकर्ता के रूप में सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। NSC को आधिकारिक सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी एकमात्र एजेंसी होना चाहिए तथा इसे केवल संसद को रिपोर्ट करना चाहिए। दीर्घावधि में NSC को एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- रियल टाइम के आधार पर **आँकड़ों को प्रसारित करने में जल्दीबाजी करने की अपेक्षा विलंब करना और अंतिम संख्या प्रदान करना बेहतर** होगा भले ही इसके अंतर्गत कुछ अंतराल विद्यमान हो। इससे नए आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते समय सन्दर्भ या समीक्षा में परिवर्तन की शर्मिंदगी से बचाव होगा।
- भारत की राजकोषीय आँकड़ा प्रणाली को **'सूचना'-संघवाद** के ढांचे में विकसित किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत संघीय शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य सहयोग, समन्वय और प्रतिस्पर्धा, अत्याधुनिक राजकोषीय आँकड़ा प्रणाली का निर्माण कर सकें।

3.1.3. भारत में GDP आकलन

(Gdp Estimation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भारत की नई GDP श्रृंखला और इसकी आकलन पद्धति को लेकर विवाद चर्चा में रहा।
- हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने यह उल्लेख किया था कि 2011-12 और 2016-17 के मध्य देश की संवृद्धि को लगभग 2.5% तक अधिमूल्यांकित (वास्तविकता से अधिक) किया गया।

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बनाम सकल मूल्य वर्धित (GVA)

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक विशिष्ट अवधि के दौरान देश में उत्पादित **सभी अंतिम आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य** होता है।
    - घरेलू राज्यक्षेत्र से तात्पर्य **देश के राजनीतिक सीमा-प्रदेश** से है, जिसमें उसका प्रादेशिक समुद्र, देश के निवासियों द्वारा संचालित वाणिज्यिक पोत आदि सम्मिलित होते हैं। साथ ही इसमें विदेश में स्थित **देश के दूतावास और वाणिज्य दूतावास** भी सम्मिलित होते हैं।
- GVA वस्तुतः अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य संवर्धन की माप है; अर्थात् **GVA = आर्थिक उत्पादन (Economic output) - आगत (Input)**।
- **GVA क्षेत्रक विशिष्ट होता है जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों के GVA के योग से GDP की गणना की जाती है**, जिसमें करों को जोड़ा जाता है और सब्सिडी को घटाया जाता है।
- GDP सहित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संकलन के लिए **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** उत्तरदायी है।

भारतीय GDP श्रृंखला में किए गए परिवर्तन

वर्ष 2015 में, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश की GDP की गणना हेतु एक संशोधित पद्धति प्रस्तुत की।

- **NSSO** के **2011-12** के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (EUS) से ही असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों के अभिग्रहण हेतु आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था।
- **राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (सिस्टम ऑफ़ नेशनल एकाउंट्स: SNA), 2008 की अनुशंसाओं का समावेश:**
    - **आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य संवर्धन (GVA)** और निवल मूल्य वर्धित (NVA) का मूल्यांकन;
    - नई गणना को अधिक उपभोक्ता-केंद्रित बनाने के लिए, कारक लागत पर GDP के बजाय **बाजार कीमतों पर GDP** को **हेडलाइन GDP मानना;** तथा
    - लेखाओं का रख-रखाव करने वाले **गैर-निगमित उद्यमों** (unincorporated enterprises) को अर्ध-निगम (quasi-corporations) मानना।
- **MCA21 डेटाबेस का समावेशन:** खनन, विनिर्माण और सेवा संबंधी कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए।
    - पहले **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण** का उपयोग करके उद्यमों के योगदान का मूल्यांकन किया जाता था।
- **वित्तीय क्षेत्रक का व्यापक समावेश:** शेयर दलालों, शेयर बाजारों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स एवं पेंशन फंड्स के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जैसे नियामक निकायों का समावेश।
    - पूर्व के अनुमानों में मुख्य रुप से वाणिज्यिक बैंकों और **NBFCs** को सम्मिलित किया जाता था।
- **इफेक्टिव लेबर इनपुट (ELI) पद्धति का अंगीकरण:** पूर्व में यह माना जाता था कि सभी श्रेणियों के श्रमिक समान योगदान देते हैं। नई पद्धति विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को उनकी उत्पादकता के आधार पर भारांश प्रदान **करके विभेदक श्रम उत्पादकता के मुद्दे का समाधान करती है।**
- **हालिया सर्वेक्षणों और जनगणनाओं के परिणामों का उपयोग:** नवीनतम सर्वेक्षणों के वर्तमान आंकड़ों को GDP की गणना में सम्मिलित किया गया है, जैसे - कृषि संगणना 2010-11; अखिल भारतीय पशुधन गणना, 2012; अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 2013 आदि।

नई श्रृंखला अपनाने के लाभ

- भारत **अपने GDP अनुमान (प्राक्कलन) को संख्यात्मक रुप से सुधारने** में सफल रहा है।
- इससे भारत की **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार आएगा और विदेशों से प्राप्त होने वाले निवेश में वृद्धि होगी।**
- इससे भारत को **IMF में अपने लिए बड़ा कोटा निर्धारित करने संबंधी** दावा करने में भी सहायता मिलेगी।

VISION IAS

- कोटा वस्तुतः IMF में देश के अंशदान, फंड तक पहुंच तथा ऋण संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने हेतु मताधिकार को निर्धारित करता है।
- वर्तमान कोटा सूत्र GDP (50%), खुलापन (30%), आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार (5%) का भारित औसत है।

भारत में GDP आकलन से संबंधित समस्याएं

भारत की नई GDP श्रृंखला की सटीकता को लेकर चिंता देश में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के साथ विरासत में मिली उन समस्याओं से उपजी है जिनका या तो समाधान नहीं किया गया था या जो **2014-15** में आधार वर्ष में परिवर्तन के दौरान और जटिल हो गई थीं।

- **अस्थिर संशोधन:** GDP के समग्र आंकड़ों में किए गए संशोधनों (अग्रिम अनुमानों और संशोधित अनुमानों के मध्य) को अधिकांशतः वास्तविक से अधिक दर्शाए जाते हैं। यह GDP आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, अस्थिर संशोधन प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर निर्णय लेने वाले नीति निर्माताओं के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का अधिमूल्यांकन:** नई GDP श्रृंखला में माना गया है कि अनौपचारिक विनिर्माण (अर्ध-निगम) क्षेत्रक ने औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र की समान दर से वृद्धि की है। इसने संभवत: नई श्रृंखला में अनौपचारिक क्षेत्रक की संवृद्धि को बढ़ा हुआ प्रदर्शित किया है।
- **अपस्फीतिक कारकों (Deflators) का उपयोग:**
  - अपस्फीतिक के रुप में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रकों (विशेषकर सेवाओं) के लिए अनुपयुक्त है।
  - वर्तमान में, सकल मूल्य वर्धित (GVA) की गणना के लिए आउटपुट (उत्पादन) और इनपुट (आगत) का उनकी संबंधित कीमतों के साथ अपस्फीतिक के आधार पर गणना करने के बजाय, सामान्य उत्पाद अपस्फीतिक (common output deflator) का उपयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पूर्व की विधि में यह माना जाता था कि इनपुट और आउटपुट कीमतें एक ही दिशा में अग्रसर रहती हैं और इस प्रकार यह विचलन की स्थिति उत्पन्न करती थी। उदाहरणार्थ- जब तेल की कीमतें कम होती हैं और इनपुट मुद्रास्फीति में गिरावट हो रही हो तथा आउटपुट मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी रहे, तो उस स्थिति में संवृद्धि के अधिमूल्यांकन की प्रवृत्ति पाई जाती थी।

MCA-21 डाटाबेस

- यह ई-गवर्नेंस संबंधी एक पहल है जिसे वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था। यह राष्ट्रीय खातों की गणना करने के लिए कंपनियों को उनके वित्तीय परिणामों को **इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने तथा कॉर्पोरेट खातों की अग्रिम फाइलिंग** करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह अधिक **सूक्ष्म दृष्टिकोण** अपनाने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे- प्रत्येक कंपनी के तुलन-पत्र के आंकड़ों पर ध्यान देना और उसमें मुद्रास्फीति का समायोजन करने के बाद उस क्षेत्रक के प्रदर्शन की समग्र गणना प्राप्त करना।
- इसमें **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का वॉल्यूम इंडेक्स और उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज: ASI) का प्रतिष्ठान-आधारित डाटासेट** भी सम्मिलित हैं।

GDP अपस्फीतिक

- **GDP मूल्य अपस्फीतिक** दो भिन्न वर्षों के मूल्य स्तरों का अनुपात होता है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों (कीमतों) में मुद्रास्फीति को दर्शाता है।
- GDP अपस्फीतिक = [चालू कीमतों (2018) पर सांकेतिक GDP/स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011) पर वास्तविक GDP] × 100
- मात्रात्मक रुप से, उत्पादन में संभवतः सुधार नहीं भी हो सकता है, जबकि कीमतों में मुद्रास्फीति के कारण संवृद्धि दर उच्चतर प्रतीत हो सकती है।
- GDP अपस्फीतिक एक वर्ष से दूसरे वर्ष में वास्तविक GDP की तुलना करना संभव बनाता है।

- **MCA21 डेटाबेस का उपयोग:** अपरीक्षित कॉर्पोरेट डेटाबेस **MCA-21** का उपयोग और नई **GDP** श्रृंखला के अंतर्गत गणना के लिए राष्ट्रीय लेखाओं में इसके उपयोग का तरीका विवादास्पद है।

VISION IAS

- MCA-21 डेटाबेस में **राज्य-वार विवरणों का भी अभाव** है। इसने **राज्य-स्तरीय GDP के आकलन को विकृत कर दिया है।** इन परिवर्तनों का **राज्यों की उधार लेने की सीमा** (FRBM अधिनियम, 2003 द्वारा प्रदत्त अधिदेश के अनुरुप GSDP का 3%) और **वित्त आयोग द्वारा राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण** पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
  - दिल्ली, केरल और कर्नाटक जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों के GSDP में और अधिक वृद्धि देखी गई, परिणामतः उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक उधार लेना संभव हुआ।
  - बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उन्हें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पूरा करने के लिए व्यय कम करने हेतु विवश होना पड़ा।
  - इससे वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला निधि हस्तांतरण प्रभावित होगा, क्योंकि राजकोषीय निष्पादन और आय अंतराल दोनों इस सूत्र में सम्मिलित हैं।

आय अंतराल किसी राज्य की प्रति व्यक्ति **GSDP** और प्रति व्यक्ति उच्चतम आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति **GSDP** के मध्य अंतर का मापन करता है।

- **प्रतिष्ठान आधारित दृष्टिकोण से उद्यम आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण:** नई GVA पद्धति ने आंकड़ों का संग्रह प्रतिष्ठानों (या कारखानों) से उद्यमों (या फर्मों) की ओर स्थानांतरित कर दिया है। "विनिर्माण फर्मों" के रुप में वर्गीकृत उद्यमों में हुए समग्र मूल्य संवर्धन को विनिर्माण GVA की गणना में सम्मिलित किया गया है। लेकिन, फर्मों की गतिविधियाँ कारखानों की तुलना में बहुत अधिक विविधतापूर्ण हैं (उदाहरण के लिए, संभव है कि कुछ सहायक फार्मों का केवल परिवहन जैसी सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित हों) और इसलिए इन्हें विनिर्माण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
- **प्रशासनिक मुद्दे:** पारदर्शिता और GDP डेटाबेस के प्रभावी अंकेक्षण की कमी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) की **अपर्याप्त निगरानी** की ओर संकेत करती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के लिए उत्तरदायी है।

आगे की राह

- **MCA21** डेटाबेस सहित **मौजूदा डेटा स्रोतों** को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में जोड़ने से पूर्व भली-भांति **प्रमाणित** किया जाना चाहिए।
- **नए डेटा स्रोतों और कार्यपद्धतियों** का पता लगाया जा सकता है, जैसे GDP के व्यय-आधारित अनुमानों के आकलन के लिए लेनदेन-स्तरीय GST डेटा का उपयोग करना।
- **प्रतिष्ठान आधारित दृष्टिकोण से उद्यम आधारित दृष्टिकोण** की ओर स्थानांतरण तभी सफल होगा जब MCA21 डेटाबेस में किसी फर्म की गतिविधियों की समस्त जानकारी उचित ढंग से उपयुक्त क्षेत्रकों में अलग-अलग वर्गीकृत होगी।
- कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक **पारदर्शिता और बेहतर डेटा प्रसार मानकों** से आधिकारिक GDP आंकड़ों की विश्वसनीयता में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है। **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) का हालिया विलय CSO द्वारा NSSO की पारदर्शी डेटा पद्धतियों के अंगीकरण** में सहायता कर सकता है।
- आंतरिक नीति निर्माण के लिए संवृद्धि दर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे, यदि हम संवृद्धि दर का अधिमूल्यांकन करते हैं तो संभव है कि हम एक चक्रीय दृष्टिकोण से ब्याज दरों को अत्यधिक उच्च रखें। इससे अवरुद्ध या स्थिर संवृद्धि की अवधि में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, व्यक्त की गई चिंताओं के पीछे निहित व्यापक संदेश को समझना एवं तदनुसार GDP आकलन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाना महत्वपूर्ण है।

3.1.4. मध्यम आय पाश

(Middle Income Trap: MIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC) के एक सदस्य ने सचेत किया है कि भारत संरचनात्मक मंदी की दिशा में बढ़ रहा है और शीघ्र ही ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका की भांति 'मध्यम आय पाश' की स्थिति में फंस सकता है।

मध्यम आय पाश क्या है?

- मध्यम आय पाश (मिडिल इनकम ट्रैप: MIT) पद सामान्यत: उन देशों को संदर्भित करता है जिन्होंने **तीव्र संवृद्धि प्राप्त की है और शीघ्रता से मध्यम आय वाले देश** का दर्जा (1,000 डॉलर से 12,000 डॉलर के मध्य प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ) प्राप्त कर लिया, किन्तु विकसित देशों के स्तर तक पहुँचने और उच्च आय स्तर वाले देशों का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस आय सीमा को पार करने में विफल रहे हैं। MIT एक अपेक्षाकृत नवीन संकल्पना है और पहली बार इसका उल्लेख 2007 में विश्व बैंक की रिपोर्ट में किया गया था।

VISION IAS

- मध्यम आय पाश में फंसे देश विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के मामले में कम आय एवं कम मजदूरी वाली अर्थव्यवस्थाओं और उच्च-कौशल नवाचारों के मामले में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ रहते हैं।
- मध्यम आय पाश संकल्पना के साथ अपेक्षाकृत **अधिक स्थायी मंदी जनित संवृद्धि संबद्ध** होती है जिसके प्रत्यक्ष (जैसे - आय हानि) के साथ-साथ अप्रत्यक्ष (जैसे - सामाजिक संघर्ष), दोनों प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
- वैश्विक मंदी के कारण, विशेषतः दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे - थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया आदि), अफ्रीका (जैसे- दक्षिण अफ्रीका) और लैटिन अमेरिका (जैसे- ब्राजील) के अनेक देश वर्तमान में मध्यम आय पाश के संकट का सामना कर रहे हैं। मध्यम आय से उच्च आय की दिशा में उनका संक्रमण अवरुद्ध हो गया है।

किसी देश के मध्यम आय पाश से ग्रसित होने के कारण

- **विकास रणनीतियों को परिवर्तित करने में असमर्थ होना:** यदि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को उचित समय पर कम-लागत युक्त श्रम और पूंजी की आवश्यकता वाली संसाधन-संचालित संवृद्धि से उत्पादकता-संचालित संवृद्धि की दिशा में परिवर्तित नहीं कर पाता है, तो वह मध्यम आय पाश में फंस सकता है।
    - मजदूरी में वृद्धि और लागत प्रतिस्पर्द्धा में गिरावट के कारण पारंपरिक निर्यात में पूर्व की भांति सुगमता से वृद्धि नहीं की जा सकती।
    - इसके अतिरिक्त, निर्यात संवृद्धि नई प्रक्रियाओं को अपनाने और नए बाजारों की खोज पर निर्भर करती है। इसके लिए निर्यातकों को वैश्विक अर्थव्यवस्था की गुणवत्ता, कीमत और उपभोक्ता की पसंद संबंधी पक्षों को समझने की आवश्यकता है, जोकि एक दक्षतापूर्ण कार्य है।
- **मध्यम वर्ग की आबादी में असमान आय वितरण और गतिहीनता:** विकासशील देशों में धन-संपदा के मामले में असमानता और आय का पदानुक्रमिक वितरण घरेलू माँग में कमी करता है। इसके परिणामस्वरूप, गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। यह निम्न स्तरीय जीवनयापन करने वाले परिवारों के मध्यम आय वर्ग में स्थानांतरण की गति को मंद कर देता है। ध्यातव्य है कि मध्यम वर्ग गुणवत्तायुक्त और विभेदित उत्पादों हेतु अधिक भुगतान करने के लिए तैयार रहता है।
- **तेजी-मंदी चक्र की बारंबारता और चक्रीय प्रकृति की उधारी:** लैटिन अमेरिका के कई मध्यम-आय वाले देश, पण्य वस्तुओं में तेजी के दौरान ऋण आधारित संवृद्धि-संकट-रिकवरी के चक्र से गुज़रे हैं। इस **स्टॉप-गो साइकिल** ने उन्हें कई बार तीव्र संवृद्धि प्राप्त करने के बावजूद उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने से रोका है। यह पूर्वी एशिया के सफल देशों यथा जापान, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की स्थिति के विपरीत है, जो लगभग विगत 50 वर्षों से उच्च संवृद्धि को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।

भारत मध्यम आय पाश में क्यों फंस सकता है?

- **वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया:** अतिवैश्वीकरण (जिसने चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे राष्ट्रों को प्रारंभ में ही अभिसरण से लाभ पहुँचाया) ने **उन्नत देशों में प्रतिक्रिया** को उत्पन्न किया। इस प्रतिक्रिया को वर्ष 2011 के पश्चात् बढ़ते संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार - GDP अनुपात में कमी के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि अभिसरण करने वाले (आर्थिक वृद्धि की दौड़ में शामिल) नए देशों को पूर्व की भांति व्यापार अवसर उपलब्ध नहीं होंगे।
- **अप्रभावी संरचनात्मक परिवर्तन:** सफल विकास के लिए दो प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होती है: 1) निम्न उत्पादकता से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में संसाधनों का स्थानांतरण और 2) तीव्र उत्पादकता वृद्धि की क्षमता रखने वाले क्षेत्रों के लिए संसाधनों के बड़े भाग का नियोजन। हालांकि, भारत जैसे विलंबित अभिसरण करने वाले देशों में, 'अपरिपक्व अनौद्योगिकीकरण' **(आर्थिक गतिविधियों के निचले स्तर पर और विकास प्रक्रिया के आरंभिक चरण में ही विनिर्माण के चरम पर पहुँचने की प्रवृत्ति)** चिंता का एक प्रमुख कारण है।
- **मानव पूँजी प्रतिगमन:** नए संरचनात्मक परिवर्तन के लिए उपयुक्त मानव पूँजी की उपलब्धता कम हुई है जिससे रूपांतरण अधिक खर्चीला बन गया है। इसका कारण यह है कि नई तकनीक के प्रयोग हेतु न केवल कुशल मानव पूँजी की आवश्यकता होती है बल्कि उनके निरंतर सीखते रहने की भी आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं के विपरीत, निम्न आय वाले देशों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापक शैक्षणिक उपलब्धि अंतराल विद्यमान है।
- **जलवायु परिवर्तन प्रेरित कृषि संकट:** कृषि उत्पादकता जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति और कृषि से आधुनिक क्षेत्रों की ओर मानव पूंजी का स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि हुई है साथ ही मौसम की चरम स्थितियां बारम्बार घटित होने वाली परिघटना बन गई हैं। यह विशेष रूप से भारत के लिए व्यापक संकट उत्पन्न करता है क्योंकि यहां कृषि वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है।
- **निजी उपभोग में गिरावट, स्थायी निवेश में मंद गति से वृद्धि और मन्दित निर्यात** के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी उत्पन्न हुई है और भारत की मध्यम आय पाश के प्रति सुभेद्यता बढ़ गई है।

VISION IAS

मध्यम आय पाश से सुरक्षा

- **उत्पादन के क्षेत्र में विविधता से विशेषज्ञता की ओर स्थानांतरण:** विशेषज्ञता ने मध्यम-आय वाले एशियाई देशों को इकॉनमी ऑफ़ स्केल (अधिक उत्पादन के कारण अधिक वित्तीय लाभ) का लाभ उठाने और उच्च मजदूरी से संबंधित हानियों की लागत को प्रतिसंतुलित करने में सहायता प्रदान की है (उदाहरणार्थ- दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग)।
  - नई प्रौद्योगिकियों में निवेश का उच्च स्तर और नवाचार-अनुकूल नीतियाँ विशेषीकृत उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए **दो** व्यापक आवश्यकताएं हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - सुदृढ़ सामाजिक-सुरक्षा जाल और कौशल-पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने से उस पुनर्गठन प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है जो विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करती है।
- **उत्पादकता-आधारित संवृद्धि की दिशा में स्थानांतरण:** मध्यम-आय वाले देशों में सकल कारक उत्पादकता संवृद्धि के लिए शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षा से तृतीयक शिक्षा स्तर तक) में व्यापक परिवर्तनों की आवश्यकता है, ताकि श्रम बल को श्रम बाजारों की मांग के अनुसार कौशल प्रदान किया जा सके। ऐसी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का सृजन करने के लिए दीर्घकालिक नियोजन और निवेश की आवश्यकता होती है।
- **पेशेवर प्रतिभाओं के लिए अवसर:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक गतिशील होते जा रहे पेशेवर प्रतिभाओं के महत्वपूर्ण समूह को आकर्षित करने और उन्हें निरंतर नियोजित रखने के लिए भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों को पेशेवरों के लिए आकर्षक जीवन शैली उपलब्ध कराने वाले सुरक्षित और रहने योग्य शहरों का विकास करना होगा।
- **प्रभावी प्रतिस्पर्द्धा के समक्ष विद्यमान बाधाओं को दूर करना:** दिवालियापन संबंधी कानूनों, कठोर कर नियमों, बौद्धिक संपदा विनियमों के सीमित प्रवर्तन, अपूर्ण सूचना प्रसार, भेदभाव आदि के कारण उत्पन्न होने वाले अवरोधों को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- **विकेंद्रीकृत आर्थिक प्रबंधन:** त्वरित निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु अधिकाधिक शक्तियों को स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- घाटे और ऋण को सीमित करने वाले लोचशील राजकोषीय ढाँचे के माध्यम से **समष्टिगत आर्थिक स्थिरता बनाए रखना** और विश्वसनीय मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण वाली मौद्रिक नीति द्वारा समर्थित विश्वसनीय विनिमय दर तंत्र एक दीर्घकालिक संवृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र का प्रभावी पुनर्गठन, विनियमन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान NPA संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
- समाज के निर्धन वर्गों के साथ ही मध्यम वर्ग को भी लक्षित करने वाले **सामाजिक कार्यक्रमों के उन्मुखीकरण में परिवर्तन** मांग-संचालित संवृद्धि को आगे बढ़ाएगा। उदाहरणार्थ - शहरों में पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कम कीमत पर आवास, ऐसे कार्यक्रम जो नए स्नातकों के लिए रोजगार के उचित अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हों, सुरक्षा, शहरी परिवहन और हरित क्षेत्र आदि सार्वजनिक मदों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

3.2. संसाधन जुटाना

(Resource Mobilisation)

3.2.1. अप्रत्यक्ष करारोपण - वस्तु और सेवा कर के 2 वर्ष

(Indirect Taxation- 2 YEARS OF GOODS & SERVICES TAX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सबसे बड़े कर सुधार के रुप में, **वस्तु और सेवा कर (GST)** द्वारा अपने परिचालन के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए हैं। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 को संसद के एक विशेष सत्र में की गई थी।

GST और इसकी वर्तमान संरचना के बारे में

- GST **एक गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है और इसे अंतिम उपभोग बिंदु पर आरोपित किया जाता है।**
- GST एक व्यापक कर है जिसके अंतर्गत **उत्पाद शुल्क, VAT, सेवा कर और विलासिता कर जैसे 17 अप्रत्यक्ष करों** को समाविष्ट किया गया है।
  - **GST में समाविष्ट नहीं किए गए कर:** मूल सीमा शुल्क, डंपिंग रोधी शुल्क, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मानव उपभोग के अल्कोहल पर VAT, स्टाम्प शुल्क, संपत्ति कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाया जाने वाला), वृत्ति कर आदि।

- वर्तमान में GST प्रत्येक उत्पाद **(पेट्रोलियम उत्पाद, अल्कोहल, रियल एस्टेट और विद्युत को छोड़कर)** पर **5, 12, 18** और **28 प्रतिशत** के चार स्लैबों के आधार पर आरोपित किया जाता है।
    - पिछले वर्ष कर दरों में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुओं पर GST की दर शून्य है।
    - इसके अतिरिक्त, ऑटोमोबाइल, विलासिता (लक्ज़री) और सिन या डीमेरिट गुड्स पर उपकर (cess) आरोपित किया गया है।
- सरकार का मानना है कि इसको **संग्रहित** करना अपेक्षाकृत आसान है और यह **कर अपवंचन में कमी** लाता है। दूसरी तरफ, ग्राहकों द्वारा इसे **आसानी से समझा** जा सकता है और यह उनके कर के भार को कम करता है। साथ ही, उद्योगों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि करों का कोई **प्रपाती प्रभाव (cascading effect)** न हो तथा **कर कानूनों, प्रक्रियाओं और कर दरों में एकरुपता** स्थापित हो।

GST से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

GST परिषद

- यह अनुच्छेद **279 (A)** के तहत एक **संवैधानिक निकाय** है। यह GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसाएं प्रदान करती है।
- **केंद्रीय वित्त-मंत्री** द्वारा इसकी अध्यक्ष की जाती है तथा **अन्य सदस्यों** में केंद्रीय वित्त राज्य-मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री (मिनिस्टर्स इन-चार्ज ऑफ़ फाइनेंस) शामिल होते हैं।

GSTN

- वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) **कंपनी अधिनियम** की धारा 8 के तहत शासित, एक **गैर-लाभकारी कंपनी** है।
- इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य मुख्यतया GST के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को **सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं** उपलब्ध करवाना है।

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म

- सामान्यतः वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा GST का भुगतान किया जाता है। परन्तु, कुछ मामलों में कर का भुगतान करने का उत्तरदायित्व क्रेता पर होता है। इसे ही रिवर्स चार्ज कहा जाता है।
- यह केवल कुछ विशिष्ट मामलों में ही प्रवर्तनीय है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यवसायी द्वारा उस आपूर्तिकर्ता से वस्तु एवं सेवा का क्रय किया जाता है, जो GST के भुगतान हेतु पंजीकृत नहीं है अथवा आयात के मामले में।

GST कम्पोजिशन स्कीम

- इस योजना के तहत पंजीकृत करदाता द्वारा अपने टर्नओवर पर एक लघु कर (1%, 5% या 6%) का भुगतान किया जाता है।
- यह करदाताओं के लिए बोझिल प्रशासनिक प्रक्रिया को कम करता है, परन्तु अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियों को उनके उत्पाद के विक्रय को कठिन बना देता है, क्योंकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स हेतु अर्ह नहीं होते।

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक- वे बिल)

- यह GST व्यवस्था के तहत प्रयुक्त एक दस्तावेज है, जिसे वस्तुओं के राज्य के भीतर अथवा अंतर्राज्यीय परिवहन या लदान से पूर्व जनरेट (जारी) किया जाता है।

GST की सफलता

GST **भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत पुनर्संरचना** को चिन्हित करता है। यह व्यापार करने के तरीकों (व्यापार के औपचारिकीकरण में वृद्धि) को पुनर्परिभाषित करता है, वस्तुओं और सेवाओं (कई छोटे व विखंडित बाजारों को प्रतिस्थापित करके एक एकल बाजार का निर्माण करता है) हेतु बाजार का विस्तार करता है तथा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था (एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था) में व्यापक सुधार करता है।

- **कर अनुपालन:**
    - **कंपोजिशन स्कीम** के द्वारा GST ने छोटे व्यापारियों के **कर अनुपालन में सफलतापूर्वक वृद्धि** की है। वर्तमान में, 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे डीलर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें कम अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है।

VISION IAS

- अब कर जमा करने से लेकर रिटर्न फाइल करने तक एकल ऑनलाइन प्रणाली विद्यमान है जिसने लेन-देन को अधिक पारदर्शी बना दिया है।
- GST का **सेल्फ-पुलिसिंग मैकेनिज्म** कर अपवंचन रोकने और कर के दायरे का विस्तार करने में सहायता करता है।
  - **इनपुट टैक्स क्रेडिट** का निर्बाध प्रवाह केवल तभी संभव है जब किसी व्यवसाय के सभी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा GST का भुगतान किया जाए। इसलिए प्रत्येक व्यवसाय यह सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ताओं ने GST का भुगतान किया हो, ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त कर सकें।
  - ऐसे मामलों में जिनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा GST का भुगतान नहीं किया जाता है, वहां कर भुगतान का भार खरीददार (जिसे **रिवर्स चार्ज** कहा जाता है) पर आरोपित कर सरकार सभी व्यवसायों को GST में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है।

GST व्यवस्था में हुए हालिया परिवर्तन

- **GSTN में परिवर्तन:** वर्तमान में GSTN के तहत केंद्र को 24.5% तथा राज्यों (संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी सहित) को भी 24.5% इक्विटी प्राप्त है। शेष 51% इक्विटी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों को प्राप्त है।
  - पुनर्गठित GSTN में सरकार को 100% स्वामित्व प्राप्त होगा जो केंद्र (50%) तथा राज्य सरकारों (50%) के मध्य समान रूप से वितरित होगा।
- **वस्तु एवं सेवा कर अपील अधिकरण की स्थापना:** यह एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो राज्यों एवं केंद्र के मध्य प्रत्यक्ष कर विवादों में मध्यस्थता करेगा।
- **MSME क्षेत्रक को राहत**
  - **वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रारंभिक उच्च छूट सीमा।**
  - **मौजूदा कम्पोज़िशन स्कीम हेतु टर्नओवर सीमा में वृद्धि।**
  - **लघु सेवा प्रदाताओं हेतु कम्पोज़िशन स्कीम।**
- **निर्यात में वृद्धि करने हेतु उपाय:** निर्यातकों को अपने मुद्रशीर्ष (letter heads) पर एक साधारण वचन-पत्र (letter of undertaking) प्रस्तुत करके कर के भुगतान के बिना निर्यात करने का एक विकल्प प्रदान कर राहत/छूट दी गई है।
- **GST दरों में परिवर्तन:** GST परिषद द्वारा 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। अब केवल लक्ज़री और समाज के लिए हानिकारक वस्तुएं, जैसे- तम्बाकू, शराब आदि 28% के कर स्लैब में शामिल हैं।

- **राजस्व आधार:** विगत दो वर्षों के दौरान GST की मदद से सरकार के राजस्व आधार में लगभग 85% (65 लाख से 1.2 करोड़ तक) का विस्तार हुआ है।
- **राजस्व संग्रहण और उत्प्लावकता (Buoyancy):** GST से पूर्व की व्यवस्था की तुलना में GST राजस्व में सापेक्षिक उत्प्लावकता निम्नलिखित दो कारकों का परिणाम है: 1) GST की रुपरेखा जिसने अप्रत्यक्ष कराधान के उद्देश्य से कच्चे माल से लेकर खुदरा बिक्री तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एकीकृत किया। 2) सेवाओं पर करापात (tax incidence) GST से पूर्व की व्यवस्था के 14% के स्तर से बढ़कर GST के पश्चात् की व्यवस्था में 18% हो गया।
- **करों को युक्तिसंगत बनाना**
  - वर्तमान में, लगभग **97.5% वस्तुएं 18% या निम्न GST स्लैब** में सम्मिलित हैं। यह VAT व्यवस्था के अंतर्गत कर दरों की तुलना में अत्यधिक कम है जहां मानक VAT दर 14.5% और उत्पाद शुल्क 12.5% (कई मामलों में अतिरिक्त बिक्री कर और उपकर भी आरोपित होते थे) था।
  - बेहतर राजकोषीय प्रणाली में मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन पर कर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए। यह गंतव्य आधारित कर है जिसे अंतिम उपभोग बिंदु पर संग्रहित किया जाता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला की पुनर्संरचना:** GST ने भौतिक आपूर्ति श्रृंखला की लागत (परिवहन, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री आदि के कारण लागत) कम करने का अवसर प्रदान किया है।
  - एकीकृत कर और ऋण की आसान उपलब्धता ने कच्चे माल की खरीद लागत को कम कर दिया है।
- **ई-वे बिल का प्रचलन:** ई-वे बिल का प्रचलन वस्तुओं की आवाजाही के लिए **'डेवलपमेंटल पुलिसिंग मॉडल'** से **'सेल्फ-डेक्लरेशन मॉडल'** में परिवर्तन का प्रतीक है।

VISION IAS

- यह प्रत्येक राज्य के लिए **पृथक 'पारगमन पास (transit pass)' की आवश्यकता को समाप्त करके** वस्तुओं के अबाध आवागमन को संभव बनाता है।
- सरकार ने इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु ई-वे बिल प्रणाली में कई परिवर्तन किए हैं, उदाहरणार्थ- **पिन कोड के आधार पर दूरी की स्वचालित गणना और एक चालान के आधार पर कई बिलों के सृजन को रोकना।**

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान से संबंधित फ्रंट-एन्ड सेवाओं से लेकर राज्यों के लिए बैकएंड IT मॉड्यूल (जिसमें रिटर्न का संसाधन, अंकेक्षण, मूल्यांकन, अपील आदि सम्मिलित हैं) का डिजिटलीकरण किया गया है।
    - कर संग्राहक और करदाता के मध्य के **अंतराल (इंटरफ़ेस) को कम** करता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।
    - औपचारिक-अनौपचारिक, राज्य विशिष्ट उत्पादन, निर्यात के राज्य-वार वितरण एवं वस्तुओं/सेवाओं की उत्पत्ति के बिंदु तथा अन्य आर्थिक **आकड़ों से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले मात्रात्मक आंकड़े बे**हतर नीति निर्माण और अभिशासन को संभव बनाते हैं।
    - प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निर्यात के साथ उच्च सहसंबंध होता है। GST आंकड़ों के उपयोग से **GDP अनुमान में काफी सुधार** हो सकता है।
- **सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाता है:** GST परिषद, सहकारी संघवाद के एक सफल उदाहरण के रुप में उभरी है और इसकी कार्यप्रणाली राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रही है।

विद्यमान चुनौतियाँ

- **GST से दायरे से बाहर मदों की सूची:** पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस), डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF), मद्य एवं रियल एस्टेट आदि (जिनका अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 35-40% का योगदान हैं) अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं।
- **विभिन्न कर स्लैबों से युक्त जटिल GST संरचना:**
    - **4 भिन्न-भिन्न कर दरें,** कर अनुपालन को सरल बनाने के अंतिम लक्ष्य को कमजोर करती हैं और दक्षता संबंधी लाभों में भी कमी करती हैं। यह वैश्विक रुप से स्वीकार्य एकल **GST** की पद्धति के साथ असंगत है।
    - **कई दरों को प्रशासित करना** चुनौतीपूर्ण कार्य है, जैसे- उत्पादन, वितरण और उपभोग के प्रत्येक चरण में उत्पादों को छूट प्राप्त, उच्च और निम्न कर स्लैब में वर्गीकृत करने संबंधी लेखा परीक्षा की उच्च लागत तथा विवादों की स्थिति में लंबे समय तक चलने वाली मुक़दमेबाज़ी।
- **डिजिटल अवसंरचना और आंकड़ों की गोपनीयता:**
    - **GST** के कार्यान्वयन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिटिंग और **केंद्रीय रुप से प्रबंधित किए जाने वाले पंजीकृत व्यापारियों का सामान्य डेटाबेस बनाने** के लिए **वृहत स्तर पर पंजीकरण** की आवश्यकता होती है। यह **GST** से संबंधित **IT** परिदृश्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अभी तक राज्य पृथक-पृथक डेटाबेस रखते थे।
    - **तकनीकी खामियां,** उदाहरणार्थ- बार-बार वेबसाइट के बाधित (क्रैश) होने के कारण ई-वे बिल को लागू करने में देरी हुई थी।
- **मुनाफाखोरी रोधी मानक:**
    - **केंद्रीय GST** कानून के प्रावधानों के अनुसार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने हेतु उद्योगों द्वारा कीमतों में कमी करना और **GST** के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले निवल लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को प्रदान करना आवश्यक बनाता है। किन्तु इन विनियमों के क्रियान्वयन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
    - नकली खरीद (mock purchases) और परिसर की जांच, तलाशी लेने तथा चालानों की जाँच करने के संबंध में कर अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग संभव है।

आगे की राह

- **GST के कर आधार के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों**, विशेष रुप से ATF एवं प्राकृतिक गैस, रियल एस्टेट और विद्युत को सम्मिलित किया जाना चाहिए। रियल एस्टेट को सम्मिलित करने से भूमि बाजार को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे प्रत्यक्ष कर के रुप में राजस्व लाभ में वृद्धि होगी और साथ ही अपेक्षाकृत अधिक लेन-देनों से संबंधित सूचना की रिपोर्टिंग की जा सकेगी।
- यद्यपि अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं, तथापि **छूट की एक लघु सूची के साथ मॉडल रेट वाले** एक आदर्श GST संरचना की प्राप्ति हेतु सरकार को प्रयास करने चाहिए।
    - **विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार** राष्ट्रीय मूल्य वर्धित कर वाले 115 देशों में **भारतीय GST दर** दूसरी सर्वाधिक उच्च कर प्रणाली है। यह अत्यधिक जटिल संरचना है, जिसमें पांच प्रमुख कर दरें, अनेक छूट, एक उपकर तथा स्वर्ण हेतु एक विशेष दर शामिल हैं।

VISION IAS

- छोटे व्यापारियों के मध्य बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करके **कम्पोज़िशन स्कीम** के राजस्व प्रदर्शन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कम्पोज़िशन डीलरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले **रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म** पर अतिरिक्त शुल्क का आरोपण एक महत्वपूर्ण गैर-अपवंचन उपाय हो सकता है।
- **GST रिफंड्स** को स्वीकृति प्रदान करने तथा उन्हें संशाधित करने के लिए एक एकल प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया है। इससे निर्यातकों हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकेगा। यह एकल कर कार्यालय केंद्र और राज्य GST अंशों के प्रतिदायों का आंकलन एवं उनकी जांच करेगा तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

- सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को मध्यम अवधि में प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए, राजनीतिक लागतों से ऊपर उठकर सोचना होगा।
- यद्यपि, GST अपनी आरम्भिक अवधि में हैं, तथापि एक सकारात्मक अवधारणा के रूप में इसका आरम्भ हुआ है जहाँ सभी हितधारकों के लाभ सुस्पष्ट हैं। इसलिए GST को वास्तविक रूप से सफल बनाने हेतु प्रणाली को स्थिर करने, अनिश्चितताओं के निराकरण तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा अनुपालन को सुविधाजनक बनाने एवं कर आधार में विस्तार करने हेतु सरकारी प्रयास आवशयक हैं।

3.2.2. प्रत्यक्ष करारोपण

(Direct Taxation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा कहा गया है कि विगत कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

संबंधित अन्य तथ्य

- **प्रत्यक्ष कर क्या है?**
  - ये ऐसे कर हैं जिनका भुगतान **करदाता द्वारा सीधे सरकार को** किया जाता है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत कराधान का भार और उसका प्रभाव एक ही इकाई/व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे दूसरे इकाई/व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
  - इसे एक **प्रगतिशील कर** के रूप में जाना जाता है क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति या इकाई की आय बढ़ती है उसकी कर देयता का अनुपात बढ़ता जाता है।
  - **उदाहरण-** आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि।
- **प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** द्वारा शासित किया जाता है। CBDT, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह की प्रवृत्ति

- विगत चार वित्तीय वर्षों में दायर किए गए रिटर्नों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात (Direct Tax-GDP ratio) 5.98% तक की वृद्धि हुई है। यह विगत 10 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।
- इसके अतिरिक्त, 2014-2018 की अवधि के दौरान आयकर रिटर्न दायर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी 65% की वृद्धि हुई है।
- **उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात** में वृद्धि अर्थव्यवस्था में **कर उछाल (Tax-Buoyancy)** में सुधार को प्रदर्शित करती है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि के कारण

- **प्रगतिशील अर्थव्यवस्था:** विगत कुछ वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय के स्तर में सुधार देखा गया है और अर्थव्यवस्था के 'मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था' में हुए संक्रमण के परिणामस्वरूप कर आधार में वृद्धि हुई है।
- **वस्तु और सेवा कर (GST):** वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाओं को अपने वार्षिक कारोबार को प्रकट करना अनिवार्य हो गया है। इसने प्रत्यक्ष कर चोरी पर नियंत्रण स्थापित किया है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग:** कर विभाग द्वारा डिजिटल रूप से एकत्रित सूचनाओं के उपयोग में वृद्धि से कर संग्रह दक्षता में वृद्धि हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कर चोरी की जाँच करने में भी सहायक है।

VISION IAS

- **प्रतिदाय (रिफंड) की बाधारहित प्राप्ति:** छोटे और मध्यम करदाताओं को आसानी से कर का रिफंड प्राप्त हो रहा है। इससे देश की कराधान प्रणाली के प्रति करदाता के विश्वास में वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप कर संग्रहण में भी वृद्धि हुई है।
- **विमुद्रीकरण:** विमुद्रीकरण ने बैंकों में जमा नकदी से जुड़ी अनामिकता को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार इस तरह की जाँच में वृद्धि हुई है कि क्या जमा की गई धनराशि जमाकर्ता की आय के अनुरूप है।
- **सरकारी पहलों** ने प्रत्यक्ष कर संग्रह की दर को प्रभावी बनाने में भी योगदान दिया है। इन पहलों में सम्मिलित हैं;
    - **आय घोषणा योजना:** यह टैक्स डिफॉल्टर्स को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपनी आय का खुलासा करने का अवसर प्रदान करती है।
    - **आयकर सेतु:** यह एप्प उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष करों की विभिन्न बारीकियों को समझने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने, TDS स्टेटमेंट की जांच करने आदि में सहायता करती है।
    - **प्रोजेक्ट इनसाइट:** यह योजना करदाता की आय और उसके व्यय के मध्य विसंगतियों का पता लगाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर उच्च मूल्य वाले लेन-देनों पर नजर रखेगी।
    - **आधार को स्थायी खाता संख्या (PAN)** और बैंक खातों से जोड़ने के कारण निगरानी तंत्र में वृद्धि हुई है।
    - नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए **अरबिंद मोदी** की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है।

कर उछाल (Tax Buoyancy)

- इसका परिकलन किसी दिए गए वर्ष के लिए कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि की सांकेतिक GDP में हुई वृद्धि से अनुपात के रूप में किया जाता है।
- यह GDP में संवृद्धि के सापेक्ष कर राजस्व संग्रहण की अनुक्रियात्मकता और दक्षता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

क्राउडिंग आउट प्रभाव

- यह इस विचार की व्याख्या करता है कि सरकारी उधार की बड़ी मात्रा वास्तविक ब्याज दर को बढ़ाती है। इससे व्यक्तियों और छोटी कंपनियों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन या लगभग असंभव हो जाता है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्व

- **उच्च कर उछाल:** यह ऋण बाजार से सरकारी ऋण के अपेक्षित स्तर को जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मापक है। उच्च कर उछाल का अर्थ यह है कि **सरकार द्वारा कम ऋण प्राप्त किया जाएगा**, ब्याज दरों को कम रखा जाएगा और **कॉरपोरेट कंपनियों के लिए भी निम्न दरों पर ऋण प्राप्त करने की संभावना** बनी रहेगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में **क्राउडिंग आउट प्रभाव** कम होगा।
- **राजकोषीय स्थिति:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में **राजकोषीय विवेक** से समझौता किए बिना शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रकों पर सरकार की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाती है।
- **मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को बनाए रखना:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में अनुकूलतम ब्याज दरों को बनाए रखने में सहायता करती है, जो बदले में मुद्रास्फीति दबाओं का सामना करने में सहायता करती है।
- **अपेक्षाकृत कम अप्रत्यक्ष कर:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह वस्तु एवं सेवा कर दरों में कमी के लिए राजकोषीय संभावनाओं का सृजन करके निर्धनों पर कर के भार को कम कर सकता है।

3.2.3. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि

(National Investment and Infrastructure Fund: NIIF)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, यह दृष्टिगत हुआ है कि NIIF (राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि) अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने हेतु विभिन्न दृष्टिकोण (उपागम) अपनाने में संलग्न है।

NIIF के बारे में

- NIIF भारत का **प्रथम सॉवरेन वेल्थ फंड** है। यह **ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और अवरुद्ध** अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश हेतु इच्छुक **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य** का सृजन करने का प्रयास करता है।
- यह निधि केवल **व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार्य उन परियोजनाओं** में निवेश करेगी जो वापस प्रतिफल का भुगतान कर सकती हैं।
- NIIF **40,000 करोड़ रुपये** की नियोजित राशि के साथ SEBI के तहत **श्रेणी II के वैकल्पिक निवेश कोष** के रूप में पंजीकृत है।
- यह एक **क्वासी-सॉवरेन (अर्ध-संप्रभु) वेल्थ फंड** है, जिसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार के पास है और शेष हिस्सेदारी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ऑथोरिटी, टेमासेक और HDFC समूह जैसे बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास है।

VISION IAS

- इसका संचालन एक पूर्णकालिक CEO वाले व्यावसायिक निकाय के रूप में किया जाता है। लेकिन, **वित्त मंत्री** की अध्यक्षता वाली **शासी परिषद** द्वारा इसकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

NIIF द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपागम

- **विभिन्न प्रकार के कोषों के माध्यम से निवेश**
  - **मास्टर फंड:** इसके द्वारा मुख्य रूप से सड़क, बंदरगाह, विमानपत्तन, विद्युत आदि मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों में परिचालनात्मक परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है।
  - **फंड ऑफ़ फंड्स:** उच्च ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी कोष प्रबंधकों के साथ मिलकर निवेश करने तथा उन्हें उनके कोष में निवेश करने के लिए और अधिक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाने हेतु।
  - **रणनीतिक कोष:** क्षेत्रकों की एक व्यापक रेंज की ऐसी परियोजनाओं/कंपनियों में वृद्धि और विकास चरण के निवेश पर लक्षित जिनका आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व है तथा मध्यम से लेकर दीर्घावधि में जिनके भारत के विकास प्रक्षेपवक्र से लाभान्वित होने की संभावना है।
- **परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण:** गैर-राजस्व उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों को राजस्व के स्रोतों में परिवर्तन के माध्यम से।
- **सॉवरेन फंड्स का दोहन:** अन्य देशों से भारत में धन के प्रवाह में वृद्धि के माध्यम से। उदाहरणार्थ -
  - भारत में बंदरगाहों, टर्मिनलों, परिवहन और लॉजिस्टिक व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) के साथ साझेदारी करना।
  - भारत और UK द्वारा **ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड** नामक एक संयुक्त UK-इंडिया फंड की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य भारत में ग्रीन अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाना है।
- **अवसंरचना में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करना:** NIIF के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग करके ऐसा किया जा रहा है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-
  - भारत में मध्यम-आय वर्ग हेतु और अधिक वहनीय आवासों के निर्माण हेतु एक निवेश मंच के तहत HDFC के साथ साझेदारी की गई है।
  - IDFC से IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को अधिग्रहीत किया गया है।

NIIF का महत्व

- चूंकि इसका कार्यान्वयन विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है, अतः इसके संसाधनों का कार्यचालन और प्रबंधन व्यावसायिकता और रणनीतिक दीर्घकालिक विज़न के आधार पर किया जा रहा है।
- इससे विभिन्न अवरुद्ध परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके प्रतिफल में, इससे कंपनियों को अपना बकाया ऋण कम करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार बैंक के बैड लोन्स को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था के समग्र प्रोत्साहन में सहायता मिलेगी।
- इसने अपना व्यवसाय संचालन करने हेतु एक पृथक दृष्टिकोण अपनाया है और IFCI (1948), IDFC (1997) और यहां तक कि 1987 में स्थापित वर्तमान संकटग्रस्त IL&FS जैसे पूर्व में सृजित ऐसे कई संस्थानों की तुलना में यह अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है।

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund)

- यह एक ट्रस्ट या कंपनी या निगमित निकाय या सीमित दायित्व वाली भागीदारी के रूप में किसी भी निजी रूप से एकत्रित निवेश निधि को संदर्भित करता है, जो भारत में किसी भी नियामकीय संस्था के अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती हैं।
- AIFs को सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 2 (1) (b) में परिभाषित किया गया है। इसकी परिभाषा में उद्यम पूंजी निधि, हेज फंड, निजी इक्विटी फंड आदि सम्मिलित हैं।

सॉवरेन वेल्थ फंड

- इसमें देश की अर्थव्यवस्था और नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए निवेश के उद्देश्य से पृथक रखे गए, देश के आरक्षित भंडार से प्राप्त धन का संग्रह किया जाता है।
- सॉवरेन वेल्थ फंड हेतु वित्तपोषण केंद्रीय बैंक के आरक्षित भंडार से प्रदान किया जाता है। यह आरक्षित भंडार बजट और व्यापार अधिशेष के परिणामस्वरूप और प्राकृतिक संसाधनों के निर्यात से उत्पन्न राजस्व से संग्रहित होता है।

VISION IAS

3.2.4. कर अपवंचन को नियंत्रित करने हेतु किए गए उपाय

(Steps Taken To Curb Tax Evasion)

3.2.4.1. पूँजीगत लाभ कर

(Capital Gains Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मॉरीशस और सिंगापुर स्थित कंपनियों के माध्यम से भारत में किए गए निवेशों से प्राप्त पूँजीगत लाभ 1 अप्रैल (2 वर्ष की रियायती अवधि के समाप्त होने के उपरांत) से पूर्णतया कर योग्य हो गए हैं।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- भारत ने आक्रामक निगम कर परिहार को रोकने के लिए वर्ष 2016 में (दोनों देशों के मध्य संपन्न) **दोहरा कराधान परिहार समझौतों (Double Tax Avoidance Agreements: DTAA)** में संशोधन किया था।
- इन कर संधियों में खामियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण इन दोनों देशों के माध्यम से भारत में होने वाले निवेश से प्राप्त लाभ पर न तो भारत में और न ही उस देश में (जहाँ निवेश करने वाली इकाई स्थित थी/है) कोई कर आरोपित किया जाता था।
- अब मॉरीशस और सिंगापुर आधारित किसी इकाई को भारत में किसी कंपनी में शेयरों की बिक्री करते समय यहां पूँजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा।

DTAA क्या है?

- दो अलग-अलग देशों में एक ही घोषित परिसंपत्ति पर दोहरे कराधान से बचने के उद्देश्य से DTAA संधि को अपनाया जाता है।
- DTAA के माध्यम से दोहरे कराधान से सुरक्षा प्राप्त होती है। पुनः, इसके माध्यम से एक देश को निवेश के उद्देश्य से आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। विदेशों में अर्जित आय को निवासी देश में कर से छूट प्रदान करके या उस सीमा तक क्रेडिट प्रदान करके छूट प्रदान की जाती है जिस सीमा तक करों का पहले ही विदेश में भुगतान किया जा चुका है।
- **भारत द्वारा 88 देशों के साथ DTAA** किया गया है, परन्तु वर्तमान में 85 ही प्रभावी हैं।

पूँजीगत लाभ कर

- चल या अचल पूँजीगत परिसंपत्तियों से प्राप्त कोई भी आय **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत पूँजीगत लाभ के अंतर्गत कर योग्य है।
- 'पूँजीगत परिसंपत्ति' की बिक्री से होने वाला कोई भी मुनाफा या लाभ पूँजीगत लाभ होता है। इस लाभ या मुनाफे को आय माना जाता है और इसलिए इस पर उस वर्ष में कर आरोपित किया जाता है जिसमें पूँजीगत संपत्ति का हस्तांतरण किया जता है। इसे **पूँजीगत लाभ कर** कहा जाता है। यह अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।
- पूँजीगत लाभ तब लागू नहीं होता है जब कोई परिसंपत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है क्योंकि ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं किया जाता है, बल्कि हस्तांतरण किया जाता है। हालांकि, यदि उत्तराधिकर में प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसंपत्ति को बेचा जाता है, तो उस स्थिति में पूँजीगत लाभ कर आरोपित किया जायेगा।
- **अल्पकालिक पूँजीगत पिरसंपत्ति:** 36 महीने या उससे कम अवधि तक स्वामित्वाधीन परिसंपत्ति अल्पकालिक पूँजीगत पिरसंपत्ति होती है। भारत में किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध एक कंपनी में इक्विटी या अधिमानी शेयरों, प्रतिभूतियों (ऋणपत्र, बॉण्ड, सरकारी प्रतिभूतियां), इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉण्ड जैसी परिसंपत्तियों को यदि 12 महीने से कम समय तक स्वामित्व में रखा गया हो तो उन्हें अल्पकालिक परिसंपत्ति माना जाता है।
- **दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति:** 36 से अधिक महीनों (भूमि, भवन जैसी अचल संपत्ति अर्थात् रियल एस्टेट के लिए 24 महीने की अवधि होती है) तक स्वामित्व में रखी गई परिसंपत्ति दीर्घकालिक पूँजीगत परिसंपत्ति होती है। दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ 20% की दर से कर योग्य होता है।

VISION IAS

3.2.4.2. आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण

(Base Erosion And Profit Shifting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर अपवंचन (tax evasion) को रोकने हेतु **OECD की परियोजना का कार्यान्वित करने हेतु एक बहु-पक्षीय अभिसमय के अनुसमर्थन** को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अभिसमय के बारे में

- **आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (base erosion and profit shifting: BEPS) को रोकने हेतु कर संधि संबंधी उपायों के क्रियान्वयन हेतु बहुपक्षीय अभिसमय** पर 2017 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसे 1 जुलाई, 2018 से कार्यान्वित किया गया।
- यह **बहुपक्षीय अभिसमय** BEPS से निपटने हेतु **OECD/G20 परियोजना** का एक परिणाम है।
- इसके द्वारा संधियों **के दुष्प्रयोग तथा BEPS रणनीतियों के माध्यम से राजस्व हानि** को रोकने हेतु भारत द्वारा की गयी संधियों में परिवर्तन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जहाँ लाभ उत्पन्न करने वाली सारभूत आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो और मूल्य का सृजन हो रहा हो, वहां मुनाफे पर कर आरोपित किए जा सकें।
- यह अभिसमय संधियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सभी हस्ताक्षरकर्ताओं को संधि से संबंधित न्यूनतम मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाता है तथा BEPS पैकेज के अंतर्गत सहमत दोहरे कराधान को समाप्त करता है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS)

- यह **कर परिहार (Tax Avoidance)** की ऐसी रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनके माध्यम से लाभ को निम्न कर या शून्य कर वाले स्थानों पर कृत्रिम रुप से स्थानांतरित करने हेतु कर नियमों की खामियों और त्रुटियों से लाभ उठाया जाता है। इसके परिणामस्वरुप न्यूनतम या लगभग शून्य (जीरो) कॉर्पोरेट कर का भुगतान किया जाता है।
- 20 देशों के प्राधिकार के अधीन OECD द्वारा कर संधियों को संशोधित करने, नियमों को कठोर बनाने तथा **BEPS परियोजना** के तहत सरकारी कर संबंधी सूचनाओं के अधिक-से-अधिक साझाकरण पर विचार किया गया तथा 2015 में एक कार्य-योजना जारी की गई।
- BEPS परियोजना में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
    - **कर राजस्वों में वृद्धि** करना, जिसकी BEPS के कारण पूर्व में कमी हो गई थी। विशेष रुप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों से प्राप्त होने वाले कॉर्पोरेट आय कर पर अत्यधिक निर्भरता के कारण विकासशील देशों के लिए BEPS का विशिष्ट महत्व है।
    - समान परिस्थितियों में व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करा कर घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की कंपनियों को **एकसमान अवसर** उपलब्ध कराना। BEPS से होने वाली कर बचत के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू कंपनियों पर बढ़त प्राप्त हो जाती है क्योंकि घरेलू कंपनियों के पास ऐसी किसी रणनीति को लागू करने के उपायों की कमी हो सकती है।
    - **दोहरे कराधान को रोकना।**

3.3. ऋण और इसके समाधान

(Debt and its Resolution)

3.3.1. सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र

(Status Paper on Government Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2017-18 के लिए **'सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र'** के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र का कुल ऋण **31 मार्च 2014 के 47.5% से घटकर 2017-18 में 46.5%** रह गया।

VISION IAS

सरकारी ऋण

- **सरकारी देयताओं** को व्यापक रूप से भारत की संचित निधि के सापेक्ष ऋण (जिसे सार्वजनिक ऋण के रूप में परिभाषित किया जाता है) और लोक लेखा में देयताओं (जिन्हें अन्य देयताएं कहा जाता है) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक ऋण GDP का 41% है, जबकि अन्य देयताएं GDP का 5.5% है।
- सार्वजनिक ऋण को आगे **आंतरिक ऋण** (GDP का 38.2%) और **बाह्य ऋण** (GDP का 2.9%) में वर्गीकृत किया जाता है।
- **आंतरिक ऋण** में **विपणन योग्य ऋण** (GDP का 32.9%) और **गैर-विपणनयोग्य ऋण** (GDP का 5.3%) सम्मिलित होता है।
  - विपणन योग्य ऋण में नीलामी के माध्यम से जारी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल, दोनों सम्मिलित होते हैं।
  - राज्य सरकारों और चुनिंदा केंद्रीय बैंकों को जारी किए गए मध्यवर्ती ट्रेजरी बिल (14 दिनों की ITB), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियां आदि गैर-विपणन योग्य आंतरिक ऋण का भाग होती हैं।
- **अन्य देयताओं** में भविष्य निधि, आरक्षित निधियां और जमाएं, अन्य लेखाओं आदि के कारण उत्पन्न देयताएं सम्मिलित हैं।

सरकारी ऋण को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है?

- **निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है:** राजकोषीय समेकन की अनुपस्थिति में चूक का जोखिम बढ़ जाता है और इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में कमी कर दी जाती है। निवेशकों के विश्वास में कमी के न केवल भारत में **FDI/FII** के प्रवाह में कमी होगी, बल्कि भविष्य में ऋण लेना भी महंगा हो जाएगा।
- **ऋण संवृद्धि प्रभावित होती है:** चूंकि बाजार में निवेश के बजाय सरकार को अधिक धन उधार दिया जाता है, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्र बाहर हो जाता है जिससे औद्योगिक और पूँजीगत परिसंपत्ति की वृद्धि धीमी हो जाती है और रोजगार की संभावित हानि होती है।
- **वाणिज्यिक बैंकों का राजकोषीय नियंत्रण:** जब सरकार अधिक उधार लेती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों (**GSecs**) की अधिक खरीद के लिए विवश करती है। जब वाणिज्यिक बैंक **GSecs** में अधिक निवेश करता है (जहां वह वाणिज्यिक ऋणों से कम ब्याज अर्जित करता है) तो इससे निजी क्षेत्र के लिए पूंजी की उपलब्धता कम हो जाती है और बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होती है।
- **मुद्रास्फीति:** बहुत अधिक सरकारी ऋण से मुद्रास्फीति हो सकती है और वास्तविक ब्याज दरों में कमी आ सकती है। यह लोगों को स्वर्ण और अचल संपत्ति में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कमज़ोर आर्थिक तरलता और काले धन की समस्या बढ़ जाती है।
- **विनिमय दर संबंधी जोखिम:** विदेशी प्रतिभूतियों के सापेक्ष घरेलू प्रतिभूतियों की घटती मांग (खराब क्रेडिट रेटिंग के कारण) के परिणामस्वरूप विनिमय दर में अत्यधिक गिरावट हो सकती है और डॉलर के सापेक्ष घरेलू मुद्रा को कमजोर कर सकती है। इससे आयात अधिक महंगा हो जाएगा और आगे मुद्रास्फीति अधिक तीव्र हो जाएगी।
- **समिति की अनुशंसाएं: एन.के. सिंह** की अध्यक्षता वाली FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) की समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि 2023 तक केंद्र और राज्यों के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात क्रमशः **40%** और **20%** होना चाहिए। यह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है।
- **अंतर-पीढ़ीगत समता:** इससे अंतर-पीढ़ीगत समता को क्षति पहुँच सकती है क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों को सरकारी ऋण का निपटान करने के लिए बढ़े हुए करों का भुगतान करना होगा।

जहां कल्याणकारी उपायों और पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास में व्यय करके संवृद्धि और समग्र मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी उधारी आवश्यक है, वहीं देश की दीर्घकालिक समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के लिए उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात बेहतर नहीं होता है।

क्या राजकोषीय समेकन ने केंद्र सरकार के लिए कार्य किया है?

- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटा (GFD) 2011-12** के **5.9%** से घटकर **2017-18** में **3.5%** रह गया।
- **बाजार से अधिक ऋण की प्राप्ति:** सरकार ने आय और व्यय संबंधी अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए **RBI** (**RBI** से ऋण लेना मुद्रास्फीतिकारी होता है क्योंकि इससे मुद्रा के संचलन में वृद्धि हो जाती है) पर अपनी निर्भरता को कम किया है। यह स्थिति बाज़ार योग्य ऋण की अधिक हिस्सेदारी से स्पष्ट होती है।
- **बाजार आधारित ब्याज दरों को अपनाना:** सरकार ने बाजार उधारी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य असमानता को दूर करने और निजी क्षेत्र को बाहर होने से रोकने हेतु प्रशासित ब्याज दरों के बाजार दरों के साथ समरूपता स्थापित करने की दिशा में भी प्रगति की है।

VISION IAS

- **ब्याज दरों की अस्थिरता कम करना:** भारत में लगभग 98% सार्वजनिक ऋण स्थायी ब्याज दरों पर अनुबंधित है, जो ऋण पोर्टफोलियो को ब्याज दर की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करता है और ब्याज भुगतान के संदर्भ में बजट को निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है।
- **ऋण संधारणीयता में वृद्धि:** केंद्र का IP-RR अनुपात (राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान) 2000 के दशक के लगभग 52% से घटकर 2017-18 में 35.3% रह गया। भारत में ऋण की दीर्घकालिक संधारणीयता का कारण बड़े पैमाने पर घरेलू बचत के माध्यम से वित्तपोषण किया जाना, बड़े पैमाने पर निश्चित ब्याज दरों जैसे साधनों का उपयोग करना और वृहत घरेलू संस्थागत निवेशक आधार द्वारा समर्थित होने रहे हैं।

ऋण की संधारणीयता के लिए केंद्र सरकार की रणनीति

सरकार की ऋण प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए सरकार के लिए कम लागत पर धन जुटाना है कि ऋण का स्तर संधारणीय बना रहे, ऋण संरचना स्थिर बनी रहे और वित्तीय स्थिरता का व्यापक उद्देश्य पूरा हो।

- **एक समर्पित निकाय -** संस्थागत रूप से, सरकार ने भारत के बाह्य (वित्त मंत्रालय द्वारा प्रबंधित) और घरेलू ऋण (RBI द्वारा प्रबंधित), दोनों को के मध्य समन्वय स्थापित हेतु एक सांविधिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA)** की स्थापना का निर्णय लिया है। इस दिशा में पहला कदम 2016 में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के भीतर एक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) की स्थापना था।
- **मध्यम-अवधि ऋण प्रबंधन रणनीति (MTDS) -** आगामी 3 वर्षों (2018-19 से 2020-21 तक) में लागू की जाने वाली यह रणनीति तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित है:
  - **कम लागत का ऋण:** लंबी अवधि के बंधपत्र जारी करना, बेहतर निवेशक संबंध और उधारी से संबंधित कैलेंडर की अग्रिम अधिसूचना।
  - **जोखिम का शमन:**
    - **मुद्रा जोखिम -** घरेलू G-Sec बाजार में विदेशी निवेशकों की पहुंच में सुधार लाकर घरेलू और विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो का उपयुक्त मिश्रण करना।
    - **विस्तारण (रोल-ओवर) जोखिम -** रोल-ओवर जोखिम कम करने के लिए परिपक्वता को 10-वर्षीय परिपक्वता बकेट से 10-14 वर्षीय परिपक्वता बकेट तक बढ़ाने की सूचित रणनीति।
    - **जिंस (कमोडिटी) मूल्य जोखिम -** स्वर्ण की कीमतों से सम्बद्ध एक वैकल्पिक निवेश साधन प्रदान करके भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के लिए **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB)** योजना का शुभारंभ किया गया।
    - **ब्याज दर जोखिम -** हालाँकि फ्लोटिंग रेट बांड (FRB), इंफ्लेशन इंडेक्स्ड बॉण्ड (IIB) और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड जैसे साधन को विभिन्न निवेशकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया हैं तथापि जोखिम सीमित करने में उनका योगदान निम्न ही बना रहा है।
- **बाजार का विकास:** इसके माध्यम से ऋण की कीमत का निर्धारण कुशलता से हो सकेगा।

रोल-ओवर जोखिम (Roll-over Risk)

- यह ऋण के पुनर्वित्तपोषण से जुड़ा जोखिम है।
- सामान्यत: रोल-ओवर जोखिम का देशों और कंपनियों द्वारा तब सामना किया जाता है जब ऋण या अन्य ऋण दायित्व (जैसे बंधपत्र) परिपक्व होने वाले होते हैं और उन्हें नए ऋण में परिवर्तित करने या रोल-ओवर की आवश्यकता होती है।
- यदि इस बीच ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है तो ऋण का उच्च दरों पर पुनर्वित्तपोषण करना पड़ेगा और भविष्य में अधिक ब्याज प्रभाव वहन करना होगा; या बंधपत्र निर्गमन की स्थिति में ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना होगा।

राज्यों की ऋण स्थिति

राज्यों का कुल ऋण में वृद्धि होती रही है जो 2017-18 में बढ़कर 24% हो गया है तथा 2018-19 में 24.3% होने का अनुमान है।

राज्यों की बकाया देयताएं में वृद्धि हुई हैं

- **बढ़ता व्यय:** UDAY बंधपत्र जारी करने, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लागू होने, ब्याज भुगतान में वृद्धि, ऋण माफी जैसे लोकलुभावन उपायों आदि के कारण।

VISION IAS

- **बढ़ता ऋण:** 12वें वित्त आयोग (FC) के बाद से राज्यों की बाजार उधारी में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, रोजकोषीय रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उच्च निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं है।
- **घटती प्राप्तियां:** चूंकि कर प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा करना पड़ता है, अतः केन्द्रीय करों के बजाय कई उपकर, अधिभार इत्यादि आरोपित किया जा रहा है। इससे राज्यों का राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है।

राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए कदम

- **राज्य के सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार** (राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात)।
  - राज्य के राजस्व व्यय की हिस्सेदारी कुल व्यय का 80% है।
  - केंद्र से राज्यों को (14वें FC के बाद) "शर्तमुक्त निधि (अनटाइड फंड्स)" की मात्रा में वृद्धि के बाद भी, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना पर राज्यों का व्यय स्थिर बना हुआ है।
- केंद्र से राज्यों (14वें FC द्वारा उपयोग नहीं किया गया) को कर हस्तांतरण में एक मानदंड के रूप में **"राजकोषीय अनुशासन" का पुनर्समावेशन**।
- अनुच्छेद 293 के अंतर्गत राज्य की बाजार उधारी के अनुमोदन के लिए **अधिक कठोर, अराजनीतिक और पारदर्शी मानदंड**।
- राज्य प्रभाग योजना (राज्य की उधारी के लिए स्वीकृति) और बजट प्रभाग (जो FRBM अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है) के मध्य **बेहतर समन्वय**।
- **पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं** का प्रचलन ताकि राज्य के सार्वजनिक ऋण (जैसे कि SPSUs/ जारी की गई गारंटियों के माध्यम से बजट से इतर किये जाने वाले व्यय) को कम करके न आंका जाए।

3.3.2. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

(National Financial Reporting Authority: NFRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (NFRA)** के क्षेत्राधिकारों, शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करने वाले नियमों को अधिसूचित किया गया।

NFRA क्या है?

- इसे **लेखा-परीक्षण व्यवसाय और लेखांकन मानकों** की देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्ण-कालिक सदस्य और नौ अंश-कालिक सदस्य शामिल हैं।
- इसके अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक **खोज-सह-चयन समिति** के माध्यम से होगी।

NFRA की आवश्यकता क्यों हुई?

- निगमों की धोखाधड़ी की जाँच करने में **इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)** की हालिया विफलता ने एक स्वतंत्र नियामकीय निकाय NFRA की स्थापना पर बल दिया।
- NFRA, **कंपनी अधिनियम 2013** द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक था किन्तु विगत पांच वर्षों से इसके प्रावधानों को अधिसूचित नहीं किया गया था।

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)

- यह एक संसदीय अधिनियम अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
- यह **कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत है।
- इसके द्वारा चार्टर्ड लेखा-परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, योग्य चार्टर्ड लेखा-परीक्षकों को पंजीकृत किया जाता है तथा प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इत्यादि जारी किए जाते हैं।
- यह छोटी सूचीबद्ध कंपनियों (NFRA नियम 2018 के तहत अधिसूचित संस्थाओं को छोड़कर) के लेखा-परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) की जांच करता है।
- यह NFRA के लिए अनुशंसात्मक कार्य भी करता है।

VISION IAS

इंटरनेशनल फ़ोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स (IFIAR)

- यह अफ्रीका, उत्तरी अमरीका, दक्षिण अमरीका, एशिया, ओशिनिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करने वाले **52 अधिकार क्षेत्रों का एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा विनियामक है।**
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक हितों को पूरा करना और **वैश्विक स्तर पर लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके निवेशकों के संरक्षण में वृद्धि करना** है।
- **यह विकसित होते लेखापरीक्षा परिवेश** के ज्ञान को और स्वतंत्र लेखापरीक्षा विनियामकीय गतिविधियों के व्यावहारिक अनुभव को **साझा करता है।**

NFRA नियम 2018 के बारे में

- यह प्राधिकरण सरकार द्वारा निर्दिष्ट **बैंकों, बीमा कंपनियों, विद्युत कंपनियों** और अन्य संस्थाओं **के लेखा-परीक्षकों** की निगरानी करेगा।
- NFRA निम्नलिखित संस्थाओं के लेखा-परीक्षकों की जांच करेगा:
  - सूचीबद्ध इकाइयाँ, गैर-सूचीबद्ध इकाइयाँ जिनकी चुकता पूंजी (paid-up capital) 500 करोड़ रुपये से अधिक है या जिसका वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये से अधिक है।
  - ऐसी इकाइयाँ जिनका कुल ऋण, डिबेंचर या जमा पूंजी 500 करोड़ रुपये से कम न हो।
- यह नियम NFRA को गलती करने वाले लेखा परीक्षकों या लेखा-परीक्षा कंपनियों को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाता है। साथ ही NFRA किसी लेखा परीक्षक (ऑडिटर) की सेवाओं को **चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम के तहत स्थापित क्वालिटी रिव्यू बोर्ड** को भी संदर्भित कर सकता है।

NFRA का महत्व

- NFRA के गठन के साथ, भारत अब **इंटरनेशनल फ़ोरम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स (IFIAR)** का सदस्य बनने की पात्रता प्राप्त कर ली है।
- यह लेखा-परीक्षकों के स्व-विनियमन से उनकी स्वतंत्र निगरानी की ओर एक स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के अनुरूप है।
- NFRA, ICAI के कार्यकारी तंत्र को सुदृढ़ बनाएगा क्योंकि यह इस बात के लिए अधिक आश्वासन प्रदान करता है कि अनुचित आचरण को दंडित किया जाएगा। इससे **ICAI की कार्यात्मक विश्वसनीयता और अधिक सुदृढ़ होगी।**
- प्रौद्योगिकी में बढ़ती चुनौतियों हेतु **कौशल विकास के लिए एकनिष्ठ ध्यान दिए जाने** की आवश्यकता है। अब ICAI मौजूदा और भावी सदस्यों को शिक्षित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने पर अधिक ध्यान देने में सक्षम हो सकेगा।
- इसके अतिरिक्त, NFRA का देश की मौजूदा **कॉर्पोरेट प्रशासन व्यवस्था** पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3.3.3. दिवाला और दिवालियापन संहिता

(Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की संवैधानिकता को यथावत बनाए रखने का निर्णय दिया है।

इस निर्णय से संबंधित अन्य तथ्य

- IBC के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि कंपनी के परिसमापन या इसकी बिक्री की स्थिति में, **परिचालनात्मक लेनदारों के बकायों का स्थान वित्तीय लेनदारों के बाद आता है** जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि लेनदारों के इन दोनों वर्गों के मध्य एक बुद्धिमत्तापूर्ण विभेद स्थापित किया जा सके **तो यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।** वित्तीय ऋणों के पुनर्भुगतान से अर्थव्यवस्था और बैंकों में पूंजी के अंतर्वाह में वृद्धि होती है; परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाएं अन्य उद्यमियों को धन उधार देने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार परिचालनात्मक लेनदारों की तुलना में वित्तीय लेनदारों का सापेक्षिक महत्व अधिक होता है।

VISION IAS

- इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिवालियापन मामले को वापस लेने की अनुमति के लिए सीमा निर्धारित करना विधायिका के दायरे में आता है। साथ ही, इस अधिनियम में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) / राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के माध्यम से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) के स्वेच्छाचारी या एक पक्षीय निर्णयों को रद्द करने का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है।

IBC 2016: मुख्य विशेषताएं						
कॉरपोरेट्स एवं सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) के लिए **वित्तीय संकट की शीघ्र पहचान और समाधान** स्पष्ट और तीव्र प्रक्रिया	**2 विशिष्ट समाधान प्रक्रियाएं:** • नए सिरे से आरंभ करना • दिवालियेपन का शोधन	**अधिनिर्णयन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी के लिए) और ऋण वसूली अधिकरण (व्यक्तियों और असीमित भागीदारी फर्मों के लिए)	**सूचनाओं की उपयोगिताएं:** दिवालियापन और दिवाला कार्यवाही में उपयोग करने हेतु वित्तीय जानकारी को संसाधित करना।	**दिवालियापन पेशेवर (IPs):** दिवाला शोधन प्रक्रिया (IRP) के वाणिज्यिक पहलुओं का प्रबंधन	**दिवालियापन पेशेवर एजेंसियाँ:** दिवालियापन पेशेवरों के लिए पेशेवर मानकों तथा आचार संहिताओं का का विकास करना।	**नियामक:** दिवालियापन पेशेवरों (IPs), दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों (IPAs) एवं सूचना उपयोगिताओं के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड।

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के अंतर्गत चरणों का क्रम

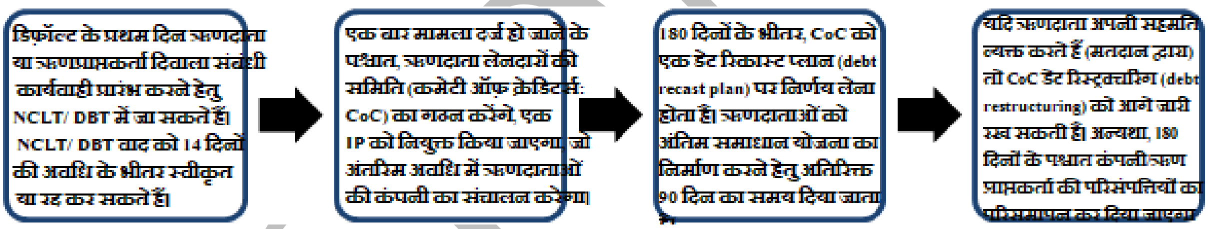

दिवाला और दिवालियापन संहिता की सफलताएं

- **आशाजनक शुरुआत:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) द्वारा 1322 मामलों को स्वीकार किया जा चुका है। 4452 मामलों का स्वीकृति-पूर्व अवस्था में ही निपटान किया जा चुका है।
- **स्वीकृति-पूर्व अवस्था में समाधान:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT) के सम्मुख लेनदारों की याचिका दायर होने के बाद कई देनदार स्वीकृति-पूर्व अवस्था में ही भुगतान करना आरंभ कर देते हैं ताकि दिवालियापन की कार्यवाही संचालित न हो सके। यह इंगित करता है कि IBC ने वार्ता, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से न्यायालयों के बाहर सफलतापूर्वक समाधान को गति प्रदान की है। इससे न्यायपालिका प्रणाली के कार्यभार में कमी होगी।
- **बड़े खातों का समाधान:** जून 2017 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने IBC के अंतर्गत 12 बड़े खातों (5000 करोड रुपए से अधिक बकाया ऋण वाले और बैंकों की कुल गैर निष्पादनशील परिसंपत्तियों के 25% भाग के लिए उत्तरदायी) के तत्काल समाधान की अनुशंसा की थी।
    - टाटा स्टील द्वारा 36400 करोड़ की पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भूषण स्टील के सफल समाधान ने बैंकों को कुल ऋण के लगभग 75% भाग की पुनर्प्राप्ति में सहायता की।

धारा 29A विलफुल डिफाल्टर, प्रवर्तकों/एक वर्ष से अधिक समय तक गैर-निष्पादित ऋण धारण करने वाले कंपनी प्रबंधन या अयोग्य निदेशकों को समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित करती है। पहले, चूक करने वाले प्रवर्तक भी समाधान प्रक्रिया में भाग ले सकते थे जो उन्हें कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने और साथ ही साथ अपनी ऋण देयता कम करने में सक्षम बनाती थी।

- **समाधान में कम समय लगना:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के आंकड़ों के अनुसार, समाधान और परिसमापन परिणाम के लिए लगने वाला औसत समय 270 दिन की अधिकतम समयसीमा के भीतर होता है। वर्ष 2015 में किए गए विश्व बैंक के अनुमान की तुलना में यह महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें यह कहा गया था कि समाधान में लगने वाली औसत समय अवधि 4.3 वर्ष होती है।
- **पुनर्प्राप्ति में होने वाली क्षति में कमी:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय ऋणदाता के लिए पुनर्प्राप्ति की दरों में निरपेक्ष आधार पर सुधार हुआ है।
  - विश्व बैंक की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट 2015 के अनुसार ऋण पुनर्प्राप्ति की दर भारत में 1 डॉलर पर लगभग 27 सेंट्स के आस-पास और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों में लगभग 1 डॉलर पर लगभग 70 सेंट्स थी।
- **ऋण बाजार पर कानून का प्रभाव:** परिचालनात्मक लेनदार, संहिता को अपने दावों की धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रभावी साधन मानते हैं। पहले परिचालनात्मक लेनदारों (जिनमें मुख्य तौर पर विक्रेता और कर्मचारी सम्मिलित होते हैं) के लिए दीवानी मुकदमे और देनदार के विरुद्ध न्यायालय में समापन कार्यवाही आरम्भ होने के अतिरिक्त अपनी बकाया राशि को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं था।
- **धारा 29(A) का प्रभाव:** धारा 29(A) के समावेशन के बाद कंपनियां खतरे के निशान को पार नहीं करने और राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (NCLT) को संदर्भित किए जाने की स्थिति उत्पन्न होने से बचने के लिए भुगतान कर रही हैं। इससे संभावित डिफाल्टर्स पर निवारक प्रभाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्हें दिवालियापन और दिवाला अधिनियम (IBC) की कार्यवाही शुरू होने पर कंपनी के प्रबंधन में अपनी स्थिति छिन जाने का भय होता है।
- **एकसमान और सार्वभौमिक अनुप्रयोग:** IBC के सामान्य ढांचे को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य समाधान योजनाओं जैसे कि रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (SDR) योजना, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ़ स्ट्रेस्ड एसेट्स (S4A) इत्यादि को वापस ले लिया है। इसने देश भर में दिवालियापन प्रक्रिया को सुसंगतता प्रदान की है।
- **रियल एस्टेट में पारदर्शिता:** 2017 में संशोधन ने घर खरीददारों के साथ वित्तीय लेनदारों के समान व्यवहार करने की अनुमति प्रदान की है। यह घर खरीददारों के हितों की रक्षा करेगा, जो वित्तीय संस्थाओं की तुलना में बिल्डरों को अधिक पूंजी का योगदान करते हैं किन्तु समाधान योजना में अभी तक इनका कोई मत नहीं होता था।
- **परिणाम तटस्थता पर ध्यान केंद्रित होना:** दिवालियापन और दिवाला संहिता (IBC) पुनरुद्धार और परिसमापन दोनों को फर्म पर दबाव को दूर करने के माध्यमों के रूप में देखती है और निर्णय को कंपनी के लेनदारों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ देती है। यह IBC के लागू होने से पूर्व के विश्व में प्रचलित विचार प्रणाली से मौलिक विस्थापन का संकेत देती है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम या कंपनी अधिनियम जैसे कानूनों में एक परिणाम के रूप में परिसमापन के प्रति सामान्य विमुखता थी, जिससे विलंब और अनिर्णय की स्थिति बढ़ जाती थी।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचनात्मक बाधाएं:** IBC की वर्तमान संरचना एवं क्षमता के माध्यम से ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि तथा कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमाओं में उत्पन्न होने वाले मुकदमों से निपटना कठिन होगा।
- **मूलभूत मुद्दे:** IBC एक नया कानून है और इसका न्यायशास्त्र अभी विकास की अवस्था में है; साथ ही आरम्भिक मामलों में अधिक समय लग रहा हैं क्योंकि न्यायालयों द्वारा धारा 29(A) की वैधता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का अभी निपटान किया जा रहा है।
- **परिसमापन के विरुद्ध पूर्वाग्रह का भाव:** यह इस धारणा पर आधारित है कि IBC का उद्देश्य दबावग्रस्त कम्पनियों का पुनरुद्धार कर उनका समाधान करना है और परिसमापन IBC प्रक्रिया की असफलता को प्रदर्शित करता है। IBC संशोधन द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवश्यक न्यूनतम मत को कम (75% से 66%) करना भी इस पूर्वाग्रह को दर्शाता है। वर्तमान में जारी अनेक मामलों में समाधान योजना का प्रस्तुतिकरण और उनकी मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारित 270 दिनों से अधिक समय तक बने रहना जारी है। यह IBC की मूल भावना के विरुद्ध है जो दबावग्रस्त कम्पनियों के लिए परिणाम के रूप में परिसमापन को पुनरुद्धार या पुनर्गठन के समान मानती है।

VISION IAS

* **परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियां:**
  * IBC के अंतर्गत परिसमापक, ऋणदाताओं से ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण (यदि ऋणप्राप्तकर्ता ऋण का पुनर्भुगतान करने में विफल रहता है तो परिसम्पत्ति को बेचने का अधिकार होगा) त्यागने की अपेक्षा करता है। इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने को कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है।
  * विगत जांचों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर एजेंसी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा परिसंपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया को विलंबित करती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उलझी हुई संपत्ति कई खरीददारों को आकर्षित नहीं करती है।
  * कॉरपोरेट ऋण प्राप्तकर्ता के जटिल भूमि स्वामित्व पैटर्न परिसमापन के समक्ष अन्य चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। कई मामलों में परिसमापन लागत उपलब्ध परिसम्पत्तियों से अधिक होती है।
* **छोटी कंपनियों को छूट प्रदान करना:** छोटी कंपनियों के प्रमोटरों को धारा 29A के अंतर्गत अयोग्यता से छूट प्रदान की जाती है; अन्यथा ये कम्पनियाँ बोलीदाताओं की अनुपस्थिति में सीधे परिसमापन में चली जाएंगी। लोगों द्वारा बड़ी कंपनियों पर फोकस करने के बावजूद, छोटी कम्पनियाँ भी दिवालिया कंपनियों की सूची में प्रभावी रूप से विद्यमान होती हैं। छोटी कंपनियों को दिया गया विशेष दर्जा इन्हें अपना आकार बड़ा करने के लिए हतोत्साहित करने वाला एक अन्य कारक हो सकता है।
* **सीमापार दिवाला कानून के संबंध में स्पष्टता का अभाव:** भारत ने अभी तक **यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ (UNCITRAL) के सीमापार दिवाला मामलों पर मॉडल कानून** को नहीं अपनाया गया है और इसलिए उसे सीमापार दिवाला कार्यवाही को प्रशासित करने के लिए एकल देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों की आवश्यकता होती है।
  * जून 2018 में भारत सरकार द्वारा सीमापार दिवाला कानून को IBC में जोड़ने हेतु एक प्रारूप जारी किया गया है।

निष्कर्ष

* विदेशी निवेशकों को परिसंपत्ति निवेश के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए दबावग्रस्त परिसंपत्ति में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए तत्काल नीतिगत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं की अनुपस्थिति में परिसंपत्तियों का मूल्यांकन प्रभावित होगा, जिससे बैंकों और अन्य लेनदारों को और अधिक घाटा होगा।
* एक उचित रूप से अभिकल्पित IBC को "वित्तीय रूप से दबावग्रस्त" कंपनियों और "आर्थिक रूप से दबावग्रस्त" कंपनियों के मध्य अंतर करना चाहिए।
  * जब किसी कंपनी के अपेक्षित लाभों का वर्तमान मूल्य उस कम्पनी की परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य से कम होता है, तो उस कम्पनी को आर्थिक रूप से दबावग्रस्त माना जाता है। ऐसी कंपनी का लाभकारी ढंग से परिसमापन किया जा सकता है ।
  * इसके विपरीत, यदि कोई कंपनी आर्थिक रूप से दबावग्रस्त नहीं है, लेकिन केवल अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो यह वित्तीय रूप से दबावग्रस्त है। ऐसी फर्म की परिसम्पत्तियों को यदि कार्यशील इकाई के रूप में एकजुट रखा जाता है जो ऐसी फर्म की परिसम्पत्तियाँ अधिक मूल्यवान होती हैं। इसलिए, इस प्रकार की इकाई को अनिवार्य रूप से पुनर्संरचित किया जाना चाहिए।
* 2 वर्ष का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी, भले ही इसका विकास अभी जारी है तथापि IBC पर्याप्त रूप से सफल सिद्ध हुआ है और भारत की अशोध्य ऋणों की समस्या का समाधान करने का मुख्य सूत्र-साधन बना हुआ है।

3.4. डिजिटल अर्थव्यवस्था

(Digital Economy)

* वर्तमान में, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वार्षिक रूप से लगभग 200 अरब डॉलर {2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) का 8 प्रतिशत} आर्थिक मूल्य का सृजन हो रहा है। यह आर्थिक मूल्य मौजूदा डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से सृजित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (IT-BPM), डिजिटल संचार सेवाएं (दूरसंचार सहित), ई-कॉमर्स, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण इत्यादि शामिल हैं।
* McKinsey की साझेदारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा 2025 में डिजिटल अर्थव्यवस्था से लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक मूल्य सृजित किया जा सकता है, जिनमें आधे अवसर विविध क्षेत्रों में नवीन डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किए जायेंगे।

VISION IAS

- गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) द्वारा किए गए **"डिजिटल पेमेंट्स 2020"** शीर्षक नामक अध्ययन के अनुसार, भारत में 2020 तक डिजिटल भुगतान का मूल्य लगभग 500 बिलियन डॉलर (2016 में 50 बिलियन डॉलर) से अधिक हो जाएगा। **उल्लेखनीय है कि** भुगतान उद्योग में पहुँच और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए भुगतान क्षेत्र की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

3.4.1. भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

(Digital Payment System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणाली: विजन 2019-2021'** प्रकाशित किया गया है। इसका मुख्य विषय 'उच्च डिजिटल और अल्प नकदी समाज (हाइली डिजिटल एंड कैशलाइट सोसाइटी)' के निर्माण हेतु 'असाधारण (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त' बनाना है।

पृष्ठभूमि

- RBI का यह अनुमान है कि दिसंबर 2021 तक डिजिटल लेन-देन की मात्रा में लगभग चार गुणा वृद्धि (लगभग 8,707 करोड़) होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में व्यापक वृद्धि हुई है, जो खुदरा भुगतान में हुई मात्रात्मक वृद्धि और RTGS प्रणाली जैसी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार अवसंरचना (SIFMIs) में हुई मूल्यात्मक वृद्धि के कारण परिलक्षित हुई है।
- इसके अतिरिक्त, कुछ **नई चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं** जिनसे निपटने के लिए नई रणनीतियों तथा नवाचार, साइबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सुरक्षा व प्रतिस्पर्द्धा आदि पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

संबंधित तथ्य

- **सुभाष चन्द्र गर्ग** के नेतृत्व में गठित अंतरमंत्रालयी समिति ने "भुगतान एवं निपटान प्रणाली विधेयक 2018" का मसौदा प्रस्तुत किया है। इसका उद्देश्य एक **स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (Payment Regulatory Board: PRB)** का गठन करना है।
- **भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का महत्व**
    - **शक्तियों को RBI से PRB में हस्तांतरित करना:** इस विधेयक के अंतर्गत, भुगतान उद्योग से संबंधित आवश्यक मूलभूत परिवर्तनों को प्रस्तावित गया है। चूँकि यह देखा गया है कि केन्द्रीय बैंक का ध्यान केवल प्रणालीगत महत्व (systemic importance) के मुद्दों पर ही केन्द्रित होता है तथा उनका मुख्य लक्ष्य वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना है।
    - **क्षमता में सुधार करना:** क्योंकि PRB द्वारा केवल दो प्रकार के दस्तावेजों, नियमों और आदेशों, को जारी किया जायेगा, अतः दस्तावेजों की बहुलता में कमी आएगी।
    - **RBI की आवश्यक शक्तियों को पुनः बहाल करना:** यह विधेयक RBI को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह PRB को किसी मौद्रिक नीति से संबंधित महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार करने के लिए निर्देशित कर सके।
    - **विश्वास के स्तर में सुधार:** एक स्वतंत्र नियामक, प्रयोक्ताओं एवं निवेशकों के मध्य विश्वास उत्पन्न करेगा।
    - **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** एक सुदृढ़ भुगतान नियामक, भारत में डिजिटल लेन-देन (वर्तमान में लगभग 90 मिलियन) को प्रोत्साहित करेगा।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, RBI द्वारा अपने विजन दस्तावेज का प्रयोग करते हुए भारत में भुगतान प्रणालियों के सुनियोजित विकास को दिशा प्रदान की गई है। अंतिम दस्तावेज, यथा- विजन 2018 में निम्नलिखित को सुगम बनाया गया था:

- कागज़ आधारित समाशोधन के प्रयोग में निरंतर कमी;
- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) और कार्ड आधारित लेनदेन जैसे खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के विशिष्ट खंडों (individual segments) में निरंतर वृद्धि;
- मोबाइल बैंकिंग के लिए पंजीकृत ग्राहकों के आधार में वृद्धि करना;
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) तथा भारत QR (BQR) जैसे नवीन उत्पादों को बाज़ार में लांच करना;
- स्वीकार्य अवसंरचना में पर्याप्त वृद्धि करना;
- भुगतान प्रणालियों में 'आधार' के प्रयोग में वृद्धि करना।

VISION IAS

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- RBI ने NEFT तथा RTGS के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर लगने वाले प्रभार को समाप्त कर दिया है तथा बैंकों को इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है।
- लकी ग्राहक योजना तथा डिजीधन व्यापार योजना।
- BHIM ऐप तथा QR कोड की शुरुआत।
- **डिजीधन** के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु **डिजी वार्ता** का प्रारंभ किया गया है। इसका एक अन्य उद्देश्य BHIM के बारकोड आधारित मर्चेंट पेमेंट मोड की लोकप्रियता में वृद्धि करना है।

विजन 2021 दस्तावेजः एक परिचय

- विजन 2021 के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि भारत के पास **अत्याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ विद्यमान** हैं जो न केवल सुरक्षित और जोखिम रहित हैं बल्कि प्रभावी, तीव्र तथा वहनीय भी हैं।
- यह 36 पहलों के माध्यम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, इन पहलों को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ संबद्ध किया जा सकता है:
    - **प्रतिस्पर्द्धा**: भुगतान प्रणाली संबंधी परिदृश्य के अंतर्गत, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (विनियामकीय सैंडबॉक्स) का निर्माण, नए भागीदारों को अधिकृत करना, USSD आधारित भुगतान प्रणाली, अंतर्नियामक एवं अन्तःनियामक समन्वय सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना।
    - **लागत प्रभाविता**: अंतर्गामी सीमापारीय विप्रेषण मार्गों (भुगतान हेतु प्रयुक्त माध्यमों) तथा उन पर अधिरोपित प्रभारों की समीक्षा, अंतर-संचालनीयता तथा प्रक्रिया हेतु क्षमता निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी सिद्ध होना।
    - **सुविधा:** कभी भी और कहीं भी एकाधिक भुगतान प्रणाली विकल्पों की उपलब्धता के साथ अपेक्षाकृत अधिक मुक्त पहुंच, 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना, कार्ड संबंधित योजनाओं के लिए राष्ट्रीय निपटान सेवाएं तथा घरेलू कार्डों की संभावनाओं एवं उपयोग को व्यापक बनाना इत्यादि।
    - **विश्वास:** सुरक्षा संबंधी दोषों के निवारण हेतु भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा के प्रति 'गैर-समझौतावादी' दृष्टिकोण तथा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (चेक के महत्वपूर्ण अंशों का इलेक्ट्रोनिक प्रेषण) के विस्तार में वृद्धि जैसे उपायों से ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करना।

महत्व

- विजन 2021 दस्तावेज डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा आम जनता एवं फिनटेक कंपनियों में विश्वास बहाल करने हेतु एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
- यह अपेक्षाकृत छोटे शहरों तथा ग्रामीण भारत में असिस्टेड सेगमेंट (वे क्षेत्र जहां लोग किसी की सहायता से भुगतान करते हैं) में डिजिटल विनिमय के प्रसार को बढ़ाने में सहायता करेगा।
- GDP के सापेक्ष डिजिटल तथा समग्र भुगतान के परिणामों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में इस दस्तावेज में स्पष्टता को अपनाया गया है। इससे सभी हितधारकों द्वारा किए गए कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी।
- बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के साथ, विभिन्न उद्योग अपने ग्राहकों को अनुकूलतम कीमतों पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। यह तकनीक और प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा देगी, अंततः जिससे अंतिम उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी।

विजन 2021 के अपेक्षित परिणाम

- खुदरा भुगतान की प्रतिशतता के रूप में कागज़-आधारित समाशोधन की मात्रा में और अधिक कमी।
- संपूर्ण देश में कार्ड स्वीकृति संबंधी अवसंरचना के परिनियोजन में वृद्धि।
- नकदी की मांग में कमी तथा GDP की प्रतिशतता के रूप में चलन में मौजूद नकदी में कमी करना।
- मोबाइल आधारित भुगतान संबंधी लेन-देन को और अधिक सुगम बनाना।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के मूल्य निर्धारण (प्राइसिंग) में कम से कम 100 आधार बिन्दुओं तक की कमी करना।
- प्रणालियों की सुरक्षा तथा ग्राहक केन्द्रीयता जो तकनीकी खराबी में कमी, व्यावसायिक गिरावट में कमी तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु टर्न अराउंड टाइम (TAT) में सुधार के रूप में परिलक्षित होती है।
- भुगतान क्षेत्र में संवर्द्धित स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा।

VISION IAS

बाली फिनटेक एजेंडा

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से **बाली फिनटेक एजेंडे** को लांच किया गया है।
- **फिनटेक** (वित्तीय तकनीक) का उपयोग ऐसी तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण एवं प्रयोग में सुधार कर उसे स्वचालित (ऑटोमेटिक) बनाती है।
- मूल रूप से, फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यवसाय के स्वामियों तथा उपभोक्ताओं को कंप्यूटर एवं स्मार्टफ़ोनों में प्रयुक्त विशेषीकृत सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम का उपयोग कर अपने वित्तीय परिचालनों, प्रक्रियाओं तथा जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने हेतु किया जाता है।
- बाली फिनटेक एजेंडा 12 नीतिगत तत्वों का एक समुच्चय है जिन्हें वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) में होने वाली त्वरित प्रगति का लाभ उठाने में सदस्य देशों की सहायता करने हेतु निर्मित किया गया है। साथ ही, इसका उपयोग जोखिमों को कम करने हेतु भी किया जाता है।
- EY के फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स, 2017 के अनुसार, भारत में फिनटेक अभिग्रहण दर विश्व में **द्वितीय** सर्वाधिक है।
- भारत में सर्वाधिक युवा जनसंख्या होने के कारण, यहाँ फिनटेक विशेष रूप से लाभदायक है। इसके अतिरिक्त, यहाँ स्मार्टफ़ोनों के प्रयोग में व्यापक वृद्धि (2014 के 53% से बढ़ कर 2018 में 64%) की संभावना अभिव्यक्त की गयी है।
- भारत में वित्तीय सेवा बाज़ार का अभी तक पूर्ण दोहन नहीं किया गया है। यहाँ 40% जनसंख्या को बैंकों तक किसी भी प्रकार की पहुँच प्राप्त नहीं है तथा लगभग 80% वित्तीय लेन-देन नकद में संचालित होता है। इस कारण भारत में फिनटेक स्टार्टअप के लिए व्यापक अवसर विद्यमान हैं। वे विभिन्न खंडों (segments) में अपना व्यापक विस्तार कर सकते हैं।
- **फिनटेक के आधार स्तंभ:**
  - विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थान
  - सरकार तथा विनियामक
  - निवेशक
  - वित्तीय संस्थान
  - इन्क्युबेटर, उत्प्रेरक तथा नवाचार संबंधी प्रयोगशालाएँ
  - तकनीकी सेवा प्रदाता
  - प्रयोक्ता
  - स्टार्ट-अप

आगे की राह

- विनियमन के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने हेतु, RBI को अन्य क्षेत्रकों के विनियामकों, यथा- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) इत्यादि के साथ सहयोग करके विनियमन के समक्ष आने वाली बाधाओं के निवारण करने के साथ-साथ प्रणाली को संचालकों एवं ग्राहकों के लिए सुगम बनाना चाहिए।

3.5. अन्य वित्त संबंधी तथ्य

(Other Finance Related News)

3.5.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

(Insider Trading)

सुर्ख़ियों में क्यों?

SEBI ने **टी. के. विश्वनाथन** समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया व्यापार) को रोकने के एक तंत्र का निर्धारण किया है।

पृष्ठभूमि

- **इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?** यह प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है।
- **यह अवैध क्यों है?** चूंकि सूचनाओं का प्रकटीकरण प्राय: मूल्य संवेदनशील होते हैं**,** इसलिए इनसाइडर बड़ा व्यापारिक लाभ कमाने के लिए सदैव बेहतर स्थिति में होते हैं। चूंकि यह अन्य निवेशकों के लिए अनुचित होता है अतः बाजार में भरोसा और विश्वास बनाए रखने के लिए अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के आधार पर व्यापार करना अवैध है।

VISION IAS

- **इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध:** भारत में**, सेबी अधिनियम, 1992** के अंतर्गत निर्मित **सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 1992** का उद्देश्य प्रतिभूतियों के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग के खतरे पर अंकुश लगाना और इसे रोकना है। **कंपनी अधिनियम 2013** भी इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रकरण:** 2016-17 में बाजार विनियामक द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में की गई जांचों की संख्या पिछले वर्ष के 12 मामलों से बढ़कर 34 हो गई।

इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करने हेतु SEBI का तंत्र

- **प्रवर्तकों का उत्तरदायित्व:** कंपनी के प्रवर्तक यदि किसी 'वैध' उद्देश्य के बिना कंपनी के संबंध में कोई अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) रखते हैं तो उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराने का निर्णय लिया गया है। इस सन्दर्भ में कार्यवाही उनकी अंशधारिता की स्थिति से निरपेक्ष रहते हुए की जाएगी।
- **इनसाइडर को परिभाषित करना:** इसमें तीन तत्व सम्मिलित हैं यथा वह व्यक्ति एक प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी संस्था होना चाहिए; व्यक्ति कंपनी से संबद्ध या संबद्ध होने वाला समझा जाना चाहिए; इस प्रकार के संबंध के आधार पर UPSI प्राप्त करना।
- **वैध उद्देश्य:** यह निर्दिष्ट किया गया है कि "वैध उद्देश्य" पद के अंतर्गत इनसाइडर द्वारा व्यवसाय के साधारण क्रम के दौरान UPSI को साझा किया जाना सम्मिलित होगा, बशर्ते कि इसे विनियमों के प्रतिबंधों से बचने या टालने के उद्देश्य से साझा न किया गया हो।
- **डिजिटल डेटाबेस:** निदेशक मंडल द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नामों के एक संरचित डिजिटल डेटाबेस को बनाकर रखा जाए जिनके साथ जानकारी साझा की जाती हैं।

इनसाइडर ट्रेडिंग से निपटना चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों है?

- **श्रमबल का अभाव:** कॉरपोरेट शासन पर कोटक समिति की रिपोर्ट के अनुसार, SEBI में छह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए केवल एक कर्मचारी ही उपलब्ध है, जबकि अमेरिकी प्रतिभूति बाजार नियामक 'सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन' में प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए लगभग एक कर्मचारी उपलब्ध होता है।
- **विकसित होती प्रौद्योगिकी:** दूसरी समस्या यह है कि निरंतर विकसित होती प्रौद्योगिकी और संचार के आधुनिक साधनों पर निगरानी रखना कठिन हो गया है। यह नियामक के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर निगरानी रखने में जटिलता को बढ़ाते हैं।
- **शिथिल कार्यान्वयन:** निर्मित नियमों और इनके वास्तविकता रूप में क्रियान्वयन के मध्य अंतर विद्यमान है जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

3.5.2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

(Credit Rating Agencies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सेबी (SEBI) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL&FS) की बिगड़ती क्रेडिट प्रोफाइल के विषय में निवेशकों को समय पर चेतावनी देने में विफल रहने पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) के लिए **प्रकटीकरण मानदंडों को कठोर बना दिया है।**

संबंधित अन्य तथ्य

- रेटिंग एजेंसियों को अब रेटिंग की जाने वाली **कंपनी की तरलता की स्थिति का प्रकटीकरण** करना आवश्यक होगा और साथ ही **परिसंपत्ति-देयता असंतुलन की भी जांच करनी** होगी। इससे **कंपनी के विषय में समय पर जानकारी उपलब्ध** हो सकेगी। इसमें चलनिधि निवेश या नकद शेष, चलनिधि कवरेज अनुपात, अप्रयुक्त क्रेडिट लाइनों की उपलब्धता और ऋण दायित्व की पूर्ति के लिए नकदी प्रवाहों की पर्याप्तता जैसे मानदण्ड समाविष्ट होंगे।
- यदि **कंपनी द्वारा अपने ऋण** से निपटने हेतु **अतिरिक्त धन की अपेक्षा की जाती है तो** CRAs को उसके **स्रोत और औचित्य** का प्रकटीकरण करने की भी आवश्यकता होगी।
- **पारदर्शिता को बढ़ावा देने** और बाजार को रेटिंग के प्रदर्शन के सर्वोत्कृष्ट आकलन हेतु सक्षम बनाने के लिए CRAs **को विभिन्न रेटिंग श्रेणियों में ऐतिहासिक औसत रेटिंग संक्रमण दरों के विषय में जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए।** इससे निवेशक CRAs द्वारा निर्धारित रेटिंग के ऐतिहासिक प्रदर्शन को समझ सकेंगे। संक्रमण दर ऐसे उदाहरणों को इंगित करती है जब क्रेडिट रेटिंग किसी निर्दिष्ट अवधि में परिवर्तित हुई हो।

VISION IAS

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से संबंधित मुद्दे

- **हितों का संघर्ष:** भारत में CRA सबंधी विनियम वर्तमान में केवल जारीकर्ता-भुगतान मॉडल (issuer-pays model) को मान्यता प्रदान करते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत रेटिंग एजेंसियां 'रेटिंग ओपीनियन' प्रदान करने के लिए बॉण्ड और ऋण लिखतों के जारीकर्ताओं पर शुल्क प्रभारित करती हैं। इस प्रकार, इस मॉडल में **अंतर्निहित हित-संघर्ष विद्यमान** है।
    - हित-संघर्ष का एक और उदाहरण गैर-रेटिंग सेवाएं हैं। उदहारणस्वरूप, रेटिंग एजेंसियों द्वारा कई बार जिन जारीकर्ताओं के लिए रेटिंग प्रदान की जाती हैं, वे उन्हें जोखिम परामर्श, निधि अनुसंधान और सलाहकार सेवाएं भी प्रदान करती हैं।
- **रेटिंग शॉपिंग (Rating shopping):** यह जारीकर्ता को ऐसी रेटिंग एजेंसियों के चयन की ओर उन्मुख करता है जो या तो उच्चतम रेटिंग प्रदान करती हैं या जिनके पास वांछित रेटिंग प्रदान करने से संबंधित सर्वाधिक सरल मानदंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण से यह पद्धति बिना जारीकर्ता की सहमति के किसी रेटिंग को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान नहीं करती है।
- **कम प्रतिस्पर्द्धा:** भारत के क्रेडिट रेटिंग बाज़ार में अल्पाधिकार प्रतिस्पर्द्धा (oligopolistic Competition) विद्यमान है। इसमें किसी भी नई एजेंसी को प्रवेश करने हेतु अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा की कमी के कारण CRAs का जारीकर्ताओं से अपेक्षाकृत दीर्घकालिक, सुस्थापित संबंध बना रहता है जिससे उनकी स्वतंत्रता बाधित हो सकती है।
- **निम्नस्तरीय रेटिंग गुणवत्ता:** प्राय: सीमित जानकारी पर रेटिंग प्रदान कर दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि जारीकर्ता कुछ निर्धारक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता है तो रेटिंग मुख्य रुप से सार्वजनिक सूचनाओं के आधार पर की जा सकती है। कई रेटिंग एजेंसियों के पास पर्याप्त मात्रा में कार्यबल उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरुप निम्न स्तरीय रेटिंग गुणवत्ता को बढ़ावा मिलता है।
- **रेटिंग समिति की स्वतंत्रता:** वर्षो से, रेटिंग समिति की सदस्यता बाहरी विशेषज्ञों से रेटिंग एजेंसी के कर्मचारियों से स्थानांतरित हो गई है। इससे उनकी स्वतंत्रता के विषय में चिंताएं बढ़ गई हैं।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियां) विनियमन, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को भारत में संचालित होने वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- भारत में कार्य संचालन करने के लिए सभी क्रेडिट एजेंसियों का SEBI के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- SEBI में **सात** क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ पंजीकृत हैं। ये हैं: CRISIL, ICRA, CARE, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, SMERA, इन्फोमेरिक्स और ब्रिकवर्क्स।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व

- ये खुदरा और संस्थागत निवेशकों को ऐसी **जानकारी** प्रदान करती हैं जो उन्हें यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि उधारकर्ता उनकी देनदारियों को पूरा कर पाएगा अथवा नहीं।
- ये निवेशकों, ग्राहकों आदि को किसी **संगठन की शक्ति और स्थिरता** के विषय में समग्र जानकारी प्राप्त करने में सहायता करती हैं। परिणामस्वरूप इस उपलब्ध जानकारी के आधार पर वे बेहतर निर्णय करने में सक्षम होते हैं।
- ये एजेंसियाँ किसी विशेष देश में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर का परिमाण निर्धारित करके **निवेशकों और सरकारों के बीच विश्वास का निर्माण करने** में भी सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सरकारों को सॉवेरन क्रेडिट रेटिंग दी जाती है जो सम्बंधित देशों के आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को उजागर करती है।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (CRAs) उधारकर्ताओं के पूल में वृद्धि कर **द्वितीयक बाजार को सुदृढ़ करने** में सहायता करती हैं।
- क्रेडिट रेटिंग बेहतर छवि बनाए रखने की इच्छा के कारण कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के मध्य अनुशासन सुनिश्चित करती है।

VISION IAS

संबंधित तथ्य

- सेबी (SEBI) द्वारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) हेतु **विस्तृत प्रकटीकरण मानदंडों** को प्रस्तुत किया गया है।
- इसने एक **"डिफ़ॉल्ट की संभाव्यता" तंत्र** की स्थापना की है, जिसके तहत रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिसम्बर 2019 तक जारीकर्ताओं (जिन्हें वे रेटिंग प्रदान करते हैं) हेतु डिफ़ॉल्ट की संभाव्यता का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है।
- इसने डिफ़ॉल्ट का पता लगाने और उसकी समयबद्ध पहचान करने हेतु **एकसमान मानक परिचालन प्रक्रिया के सूत्रीकरण** का भी प्रावधान किया है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सुझाव

- **हितों के संघर्ष को समाप्त करना:** पूर्ववर्ती "सब्सक्राइबर पे (subscriber pays)" मॉडल को पुनः अपनाना, जिसमें निवेशक द्वारा रेटिंग के लिए भुगतान किया जाना एक संभावित दृष्टिकोण हो सकता है।
- **विनियामकों की भूमिका:** उन्हें समग्र क्रेडिट रेटिंग ढांचे में व्यापक निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु **अपने विनियमों की समीक्षा** करनी चाहिए तथा **उचित रीति से उन्हें संशोधित** करना चाहिए।
    - **वित्त मंत्रालय** द्वारा विनियमों के प्रवर्तन तथा CRAs के विरुद्ध विनियामकों द्वारा की गई कार्रवाई के मूल्यांकन के संदर्भ में संबंधित विनियामकों से **एक तथ्यात्मक रिपोर्ट** प्रस्तुत करने की मांग की जानी चाहिए।
- विशेष रुप से आवश्यक क्षमता एवं विशेषज्ञता वाले स्टार्ट-अप्स सहित और अधिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु CRA की पंजीकरण संबंधी सीमा को कम करके रेटिंग एजेंसियों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह निवेशकों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करेगा।
- **रेटिंग की गुणवत्ता में सुधार करना:**
    - सेबी को एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले वर्तमान रेटिंग मॉडल की पूर्वानुमेय क्षमता (predictive ability) का भी आकलन करना चाहिए। **हाई-टेक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग** तकनीकों में निवेश करने की भी आवश्यकता है।
    - सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **सभी प्रकार की रेटिंग का प्रकटीकरण:** क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) से उसकी प्रेस विज्ञप्ति में उसी **उधारकर्ता** को अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा प्रदान की गई विभिन्न रेटिंग को भी संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इससे "रेटिंग शॉपिंग" को हतोत्साहित करने में सहायता मिल सकती है।
- **CRAs के लिए कानूनी सुरक्षा**: रेटिंग प्राप्त करने वाली कम्पनियों की ओर से रेटिंग में गिरावट को रोकने के लिए CRAs के विरुद्ध वाद दायर किए जाने की घटनाएँ देखी गई हैं। विनियामक को ऐसे कानून तैयार करने पर विचार करना चाहिए जिससे CRAs को वाद दायर किए जाने के भय से मुक्त रहते हुए अपनी रेटिंग संबंधी राय व्यक्त कर सकें।
- **रेटिंग एजेंसियों का नियमित रूप से चक्रानुक्रम (रोटेशन):** जारीकर्ता और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मध्य दीर्घकालिक संबंधों के नकारात्मक परिणामों से बचने हेतु रेटिंग एजेंसियों का अनिवार्य रूप से चक्रानुक्रम करना।
    - इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेस (IL&FS) संकट जैसे **प्रमुख डिफ़ॉल्ट मामलों की पुनरावृत्ति को कम करने में सहायता** मिलेगी।

VISION IAS

4. बैंकिंग और मौद्रिक नीति (Banking and Monetary Policy)

भूमिका

- बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है। ये भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि को त्वरित करने तथा उसकी निरन्तरता को बनाए रखने हेतु एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। 1970 के दशक के पश्चात् से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन जुटाने और देश के सुदूरवर्ती भागों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में अग्रणी रहे हैं। वर्तमान में बैंकों से भिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अन्य इकाइयां बैंकिंग क्षेत्र के कुछ प्रमुख कार्य संपादन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं।
- **बैंकिंग क्षेत्र द्वारा निष्पादित कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं:**
    - विभिन्न व्यक्तियों से **बचतों को जुटाना एवं उनका निवेश करना,** लेन-देन संबंधी लागतों को नियंत्रित करना तथा उन परियोजनाओं में निवेश करना जो उच्च प्रतिफल को सुनिश्चित करती हैं व जिससे आर्थिक वृद्धि संभव होती है।
    - पूँजी के प्रदाता के रूप में ये मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाएं इस संबंध में प्रभावशाली तरीके से निगरानी रख सकती हैं तथा निर्देशित कर सकती हैं कि **कंपनियों को किस प्रकार पूँजी का प्रयोग करना चाहिए तथा संसाधनों का कैसे अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करना चाहिए।**
    - बैंक नवाचारी परियोजनाओं के विविधिकृत पोर्टफोलियो में निवेश करके व्यक्तिगत कंपनियों, उद्योगों, देशों आदि से **संबंधित जोखिमों का शमन करने में सहायता करते हैं।**
    - ये भुगतान करने और प्राप्त करने की व्यवस्था करके **अर्थव्यवस्था में लेनदेनों को सुविधाजनक** बनाते हैं।
- **बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सामना किए जा रहे कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं:**
    - **परिसंपत्ति की निकृष्ट गुणवत्ता-** विगत दशक में, जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक तीव्र गति से विकास कर रही थी, तब बैंक उच्च प्रतिफल प्राप्ति हेतु क्षमता से अधिक ऋण प्रदान कर रहे थे। हालांकि, वैश्विक आर्थिक संकट, सरकारी प्रोत्साहन और ऋण प्रदान करने की निम्नस्तरीय प्रथाओं के कारण बैंकिंग क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निकृष्ट परिसम्पत्तियों (bad assets) के संचय में वृद्धि हुई है।
    - अर्थव्यवस्था में विभिन्न जोखिमों से निपटने हेतु **बैंक प्रशासन और उनकी क्षमता।**
    - बैंक द्वारा ग्राहकों को **मौद्रिक नीति संचरण का अभाव।**
    - **बैंक समेकन बनाम बैंक विविधिकरण (Niche Banks)।**

4.1. परिसंपत्ति गुणवत्ता

(Asset Quality)

4.1.1. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी

(Decline in NPAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की मात्रा में कमी आई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, **वर्ष 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र** (घरेलू स्तर पर संचालन), विशेष रुप से सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों, **के प्रदर्शन में सुधार** दृष्टिगत हुआ है।
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs)** का सकल गैर-निष्पादन अग्रिम (GNPA) अनुपात मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के मध्य 11.5 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत हो गया था जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) में **यह 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.9 प्रतिशत** हो गया।
- **SCBs का पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (CRAR)** मार्च 2018 और दिसंबर 2018 के मध्य **13.8 प्रतिशत से बढ़कर 14.0 प्रतिशत** हो गया। यह सुधार मुख्यतः PSBs के CRAR में वृद्धि के कारण हुआ था।
- हालांकि, दिसंबर 2018 में **गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का GNPA अनुपात** विकृत होकर 6.5 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2018 में 6.1 प्रतिशत था।

VISION IAS

दबावग्रस्त परिसंपत्तियां (Stressed Assets)

यह एक व्यापक पद है जिसमें गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs), पुनर्गठित ऋण तथा रिटन ऑफ़ एसेट्स (written off assets) सम्मिलित होती हैं।

- **पुनर्गठित ऋण (Restructured Loans):** ये ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण होते हैं जिन्हें पुनर्भुगतान की अवधि में वृद्धि करके, ब्याज कम करके अथवा इक्विटी में परिवर्तन करके पुनर्गठित किया जाता है।
- **रिटन ऑफ़ एसेट्स (Written off Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां/ऋण जिनकी गणना बकाया राशि के रुप में नहीं की जाती है, लेकिन शाखा स्तर पर वसूली के प्रयास जारी रहते हैं। यह कार्य बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस बुक में सुधार करने हेतु किया जाता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA)

ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया (अतिदेय) हो, NPAs कहलाते हैं। कृषि/संबंधित गतिविधियों हेतु लिए गए ऋणों के मामले में NPA अल्प अवधि की फसल (ब्याज का भुगतान 2 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) और लंबी अवधि की फसलों (ब्याज का भुगतान 1 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो) के लिए अलग-अलग होता है।

- बैंकों द्वारा NPAs को **अवमानक (Substandard)**, **संदिग्ध (Doubtful)** और **हानि (Loss) परिसंपत्तियों** के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।
    - **अवमानक परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी रहती हैं।
    - **संदिग्ध परिसंपत्तियां:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं।
    - **हानि परिसंपत्तियां:** इसे 'न वसूला जा सकने वाली' और इतने कम मूल्य की परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है कि बैंक-ग्राह्य परिसंपत्ति के रुप में इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, हालांकि इसका कुछ रक्षित या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है।

उच्च NPA के कारण

ऋण प्राप्तकर्ता (उधारकर्ता) संबंधी कारण

- घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी - उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मांग में कमी।
- जानबूझकर लिए गए ऋण का भुगतान न करना (Wilful default)।
- उधारकर्ताओं द्वारा ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित प्रयोजनों के इतर अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग करना।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति।
- अस्थिर कच्चे माल की कीमतें और विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता न होना जैसे कारक कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करते हैं।

बैंकों से सम्बंधित कारण

- उधार देने संबंधी निम्नस्तरीय कार्यविधियां। कभी-कभी बैंकों द्वारा खराब क्रेडिट रिकॉर्ड वाले उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। इन मामलों में ऋण न लौटाने (डिफ़ॉल्ट) की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है।
- बैंकों के पास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने की अपर्याप्त क्षमता अर्थात् निम्नस्तरीय क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली का होना।
- नियमित रुप से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का अभाव।

अन्य बाह्य कारक:

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र की आर्थिक स्थिति।
- रिकवरी न्यायाधिकरणों का अप्रभावी होना।
- सरकारी नीतियों में परिवर्तन- उदाहरणार्थ किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मानव शक्ति का उपयोग करना बैंकों की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित करता है।
- प्रशासनिक बाधाएं – अनुमतियाँ और अन्य अनापत्तियाँ प्राप्त करने में विलम्ब होने से परियोजनाओं की लागत को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करते हैं।

NPA में कमी के कारण

- सरकार ने अपनी **4R रणनीति** के अंतर्गत व्यापक कदम उठाए हैं। इस **4R रणनीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:**
    - **पारदर्शी रुप से NPAs की पहचान करना (Recognising)-**
        - **एसेट क्वालिटी रिव्यू** और **संयुक्त ऋणदाता फोरम** के माध्यम से।

VISION IAS

- बैंकों को अब उधारकर्ता से **कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI)** संख्या प्राप्त करने और सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRICL) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

○ दबावग्रस्त खातों का **समाधान और उनसे मूल्य की पुनर्प्राप्ति (Resolving and recovering)**-

- नए **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)** को अधिनियमित किया गया है। इसके तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने पर कॉर्पोरेट देनदार के कामकाज के प्रबंधन का अभिग्रहण करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक को सशक्त बनाने हेतु **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** में संशोधन।
- **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002** को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसमें संशोधन किया गया है।
- **प्रोजेक्ट साक्षात: बाजार-आधारित** दृष्टिकोण के माध्यम से NPA की समस्या का समाधान करने हेतु।

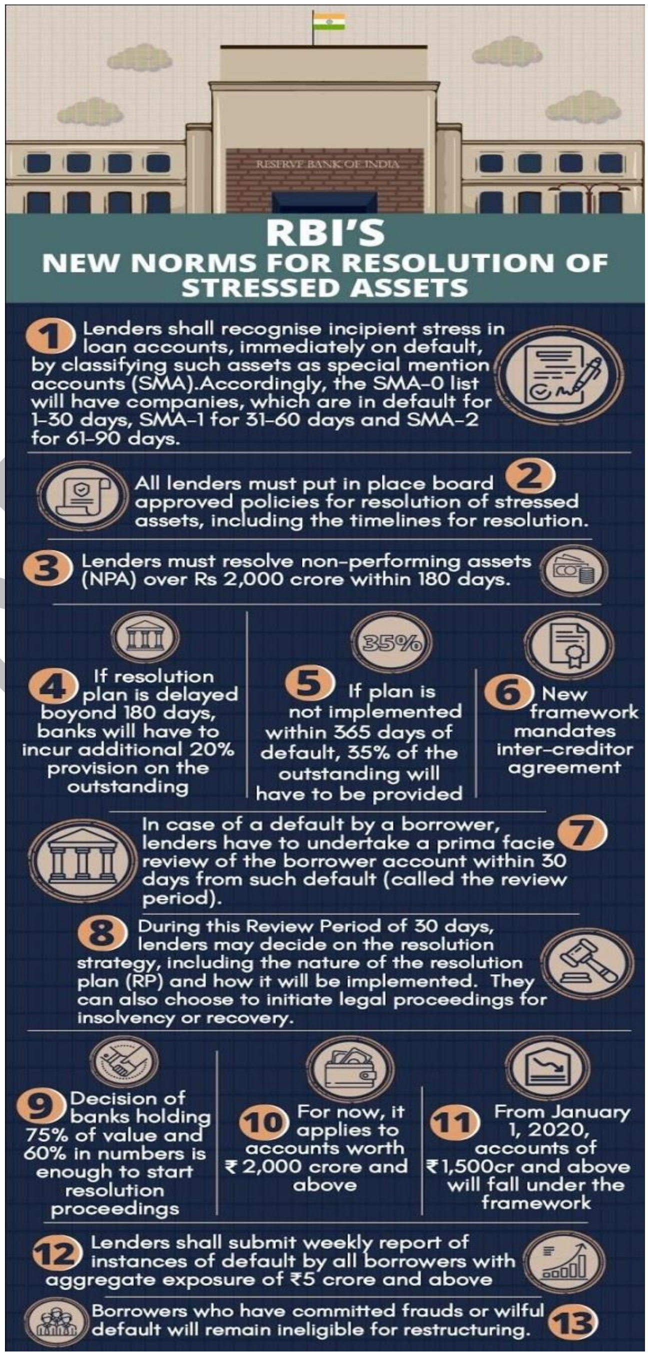

○ **पुनर्पूंजीकरण (Recapitalising)**-

- भारत सरकार ने सरकार द्वारा पूंजी के निवेश और बैंकों द्वारा बाजारों से पूंजी जुटाने के माध्यम से अक्टूबर 2017 में **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये** के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की।
- **बैंकिंग प्रणाली में मौजूद जमा (मांग और सावधि जमा दोनों) की वृद्धि** में तेज़ी आयी है, जिससे 2018-19 में कुल जमाओं में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

○ उत्तरदायी और पारदर्शी प्रणाली के निर्माण हेतु **बैंकों और वित्तीय परिवेश तंत्र में सुधार**।

- **मिशन इन्द्रधनुष, 2015** के अंतर्गत **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों** (PSBs) का कायाकल्प करने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs) सुधार एजेंडे** के अंतर्गत **PSBs** ने वसूली पर ध्यान केंद्रित करने हेतु दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्षेत्रों का निर्माण किया है एवं 250 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण खातों की निगरानी का कार्य विशेष निगरानी एजेंसियों को सौंपा है।
- **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018:** इसे **आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के** अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- बैंकों और गैर-बैंकों के मध्य **रेगुलेटरी आर्बिट्राज (regulatory arbitrage)** को दूर करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक द्वारा NBFCs के लिए SCBs के अनुरुप विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है।
- बढ़ते NPAs के कारण सरकारी बैंकों के वित्त में तेजी से कमी के परिणामस्वरुप, विगत वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों को **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)** के अंतर्गत रखा गया था।

- "सुदृढ़" बैंकों द्वारा कमजोर बैंकों के खातों पर भारित दबाव को अवशोषित करने के कारण **बैंकों के विलय** को भी NPA की समस्या का समाधान करने के एक तरीके के रुप में देखा जाता है।

NPA में कमी के निहितार्थ

- **बैंकों के लिए**
  - यह बैंकों की **लाभप्रदता** और उनके पास उपलब्ध **निधियों की तरलता** को बढ़ाता है, क्योंकि परिसंपत्तियों पर प्राप्त होने वाले वार्षिक प्रतिफल (रिटर्न) में वृद्धि होती है तथा साथ ही ऋण के रुप में प्रदान की गई राशि की प्राप्ति से इनका पुनः उपयोग कुछ रिटर्न अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के लिए भी किया जा सकता है। उपलब्ध साख में वृद्धि से बैंक तेजी से विकास कर सकते हैं।
  - RBI द्वारा प्रस्तावित दरों में कटौती को ग्राहकों तक पहुँचाने हेतु बैंकों के लिए **मौद्रिक नीति के संचरण** में तीव्रता आती है।
  - बैंक लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को सरलता से ऋण प्रदान कर सकते हैं। एक उद्यमी मध्यम वर्ग की समृद्धि के लिए भारत की प्रमुख संभाव्यता SMEs में निहित है।
- **उधारकर्ताओं के लिए**
  - NPA में कमी होने पर बैंक कुछ उत्पादों पर ब्याज दरों को कम कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरुप **पूंजी की लागत** में कमी आएगी, जिससे विभिन्न व्यवसायों को आर्थिक रुप से व्यवहार्य बनाया जा सकेगा।
- **समग्र अर्थव्यवस्था के लिए**
  - प्रतिभूति बाजार से ऋण की अधिक उपलब्धता होने के कारण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी जो देश में रोजगार सृजन और विकास में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा।

इसमें और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है?

- **जोखिमों को प्रबंधित करके:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में अभी भी पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। अभी भी अधिनियमित सुधारों का प्रभावी रुप से अनुपालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइबर जोखिमों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार** और परियोजना से NPA संबंधी जोखिम को कम करने के लिए परियोजना की निगरानी। परियोजना मूल्यांकन के लिए उल्लेखनीय रुप से अधिक मात्रा में घरेलू विशेषज्ञता को सृजित किया जा सकता है।
- **पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाना:** न्यायालय से बाहर सम्पन्न पुनर्गठन प्रक्रिया और दिवालियापन प्रक्रिया दोनों को त्वरित और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **पूंजी निवेश: सरकार द्वारा बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी का एकमुश्त निवेश किया जाना चाहिए अर्थात् इस प्रकार की पूंजी को कई किश्तों में उपलब्ध कराना** उपयोगी सिद्ध नहीं होता है।

4.1.2. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

(Non-Banking Financial Companies : NBFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों को यह अनुमति प्रदान की है कि वे RBI के तहत पंजीकृत 'गैर-जमा स्वीकार्य प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण NBFCs' और राष्ट्रीय आवास बैंक के तहत पंजीकृत 'आवास वित्त कंपनियों (HFCs)' द्वारा जारी बॉण्ड्स को आंशिक ऋण संवर्द्धन (Partial Credit Enhancement: PCE) प्रदान कर सकते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- ऋण संवर्द्धन का अर्थ **कॉर्पोरेट बॉण्ड्स की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करना** है। उदाहरण के लिए, यदि बॉण्ड की रेटिंग BBB की जाती है तो ऋण संवर्द्धन (जो मूल रूप से किसी अन्य इकाई द्वारा पुनर्भुगतान का आश्वासन है) इसमें AA की रेटिंग तक सुधार कर सकता है। ऐसा बॉण्ड हेतु अतिरिक्त आश्वासन या प्रत्याभूति (गारंटी) प्रदान करने के लिए किया जाता है।
- यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब NBFCs और HFCs ने सरकार और नियामकों से **बाजार में विश्वास की बहाली सुनिश्चित करने का** अनुरोध किया है।

NBFCs के सम्बन्ध में वर्तमान समस्याएं

- **विभिन्न नियामकीय निकाय: RBI** सभी **NBFCs** को नियंत्रित नहीं करता है। **NHB** (नेशनल हाउसिंग बैंक), **SEBI**, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (**IRDAI**) जैसे अन्य संस्थान भी (**NBFC** के प्रकार के आधार पर) इनके विनिमयन में सम्मिलित हैं।
- **ऋण तक पहुंच में कठिनाइयां**

VISION IAS

- ब्याज दर चक्र का व्युत्क्रमण हो रहा है क्योंकि **अब ब्याज दरें घरेलू स्तर पर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही हैं।** RBI ने हाल के महीनों में ब्याज दरों में निरंतर बढ़ोतरी की है।
- एक अन्य प्रमुख मुद्दा NBFC के परिचालन में **परिसंपत्ति-दायित्व विसंगति** है क्योंकि ये फर्में बाजार से लघु अवधि अर्थात् 3 या 5 वर्षों के लिए धन उधार लेती हैं और अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए लगभग 10 से 15 वर्ष के लिए उधार देती है। इसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें NBFCs को अल्प अवधि में गंभीर तरलता की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- म्यूचुअल फंड वाणिज्यिक दस्तावेजों और ऋणपत्रों के माध्यम से NBFCs के लिए सबसे बड़े वित्त प्रदाता हैं। **IL&FS संकट के बाद ये निवेशक ऋण देने के लिए अनिच्छुक हो रहे हैं।**

- **ऋण प्रदान करने का अपेक्षाकृत जोखिमयुक्त प्रतिरूप:**
  - बैंकों के विपरीत NBFCs उधार देने के दौरान अपेक्षाकृत कम सतर्क होती हैं। उदाहरण के लिए NBFCs ने बड़े और सूक्ष्म ऋणों के अपने पोर्टफोलियो में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। इस प्रकार के ऋणों में क्रेडिट हिस्ट्री (अतीत के ऋण सम्बन्धी रिकॉर्ड) व मापदंडों का अभाव तथा ऐतिहासिक रूप से उच्च NPA का जोखिम होता है।
  - असुरक्षित ऋण खंड NBFCs क्षेत्रक में भी बढ़ रहा है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) द्वारा पुनर्भुगतान में अक्षमता (डिफ़ॉल्ट) का कैस्केडिंग प्रभाव**: हाल ही में IL&FS के ग्रेड में कमी के बाद पुनर्भुगतान में उसकी अक्षमता (डिफ़ॉल्ट) ने समस्त **NBFC** क्षेत्रक के लिए तरलता संकट (liquidity crunch) की स्थिति उत्पन्न कर दी है।
- **विलंबित परियोजनाएं:** अवरुद्ध वैधानिक अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण में समस्याएँ, पर्यावरणीय स्वीकृति इत्यादि विभिन्न कारणों से **NBFCs** द्वारा वित्त पोषित कई अवसंरचना परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इससे अनेक NBFCs की वित्तीय स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।

NBFCs के संबंध में

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) **कंपनी अधिनियम, 1956** के अंतर्गत पंजीकृत वह कंपनी है जो ऋणों और अग्रिमों, सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयरों/स्टॉकों/बांडों/ऋणपत्रों/प्रतिभूतियों या इसी प्रकार की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, लीजिंग, क्रय-अभिक्रय (Hire purchase), बीमा व्यवसाय या चिट व्यापार के व्यवसायों में संलग्न होती हैं।
- **इनमें** ऐसी कोई भी **संस्था शामिल नहीं** होती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु (प्रतिभूतियों के अतिरिक्त) का क्रय या विक्रय, कोई भी सेवा प्रदान करना अथवा अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण करना हो।
- **प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण NBFCs:** जिन **NBFCs** की परिसंपत्तियों का आकार **500** करोड़ या उससे अधिक हो उन्हें प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण **NBFCs** माना जाता है। उदाहरण, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**PFCL**), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (**RECL**), **IL&FS** इत्यादि।
- **बैंकों और NBFCs के मध्य अंतर**:
  - NBFCs **मांग जमाएं स्वीकार नहीं कर सकती हैं** (किन्तु कुछ NBFCs सावधि जमा स्वीकार कर सकती हैं और इन्हें जमा स्वीकार करने वाली **NBFCs** कहा जाता है)।
  - बैंकों के विपरीत, **किसी भी NBFC पर CRR लागू नहीं होता है** जबकि **15%** का निम्न **SLR** केवल जमा लेने वाली **NBFCs** पर लागू होता है।
  - **NBFCs भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग नहीं होती हैं** और स्व-आहरित चेक जारी नहीं कर सकती हैं।
  - **NBFCs** को **कंपनी अधिनियम, 1956** के अंतर्गत और बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस मिलता है।
  - **NBFCs** के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा (Deposit insurance facility) उपलब्ध नहीं होती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) संकट

VISION IAS

- हाल ही में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी **'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)'**, जो एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल (डिफॉल्टर) रही है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) जटिल कार्पोरेट संरचना** वाला एक विशाल समूह है जो संपूर्ण विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण करता है, जैसे कि भारत की चेनानी-नाशरी सड़क सुरंग परियोजना। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग परियोजना है और इसमें देश के कारपोरेट ऋण बाजार से कई बिलियन डॉलर धन का निवेश किया गया है।

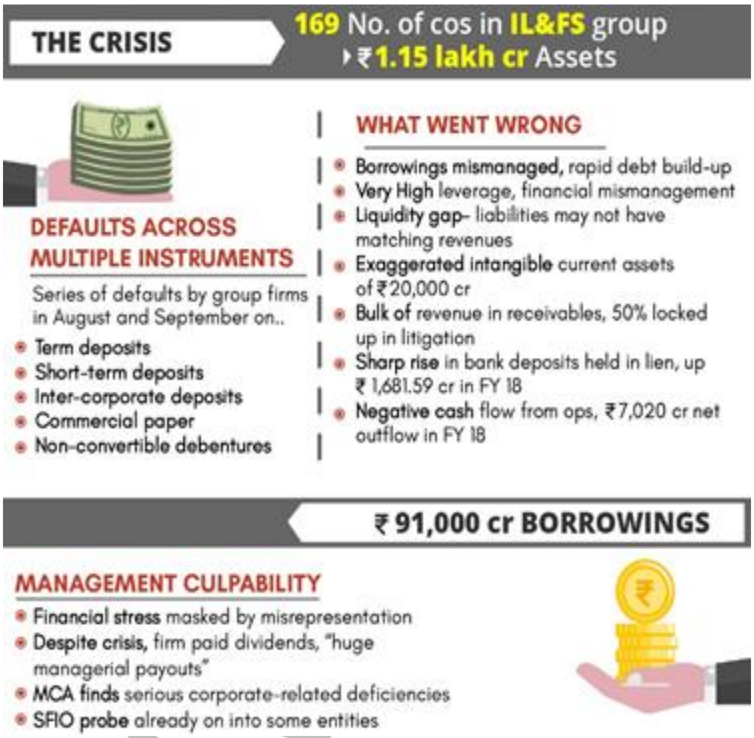

- 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) **प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार्य कोर निवेश कंपनी (Systematically Important Non-Deposit Core Investment Company: CIC-ND-SI)** है, अर्थात् 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' (IL&FS) में उत्पन्न किसी प्रकार का संकट न केवल इक्विटी और ऋण बाजारों को प्रभावित करेगा बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व की अनेक महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को भी स्थगित कर सकता है।
- LIC, HDFC और SBI जैसे कई प्रमुख कॉरपोरेट, बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, इत्यादि 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज' समूह में शेयरधारक हैं।

NBFC क्षेत्रक के लिए आगे की राह

- **बेहतर नियामकीय व्यवस्था: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग** (FSLRC) की सम्पूर्ण क्षेत्र में जोखिम-कटौती की निगरानी करने की शक्तियों से सुसज्जित निकाय बनाने की अनुशंसा कार्यान्वित की जानी चाहिए।
- **समय पर परियोजना स्वीकृति:** विशेष रूप से आधारभूत परियोजनाओं के लिए समय पर स्वीकृति सुनिश्चित करना, इन परियोजनाओं की लागत मुद्रास्फीति कम करने के लिए आवश्यक है। अन्य क्षेत्रों में **"प्लग एंड प्ले"** उपागम का विस्तार करना एक संभावित समाधान हो सकता है।
- **RBI के लिए सुझाव:**
    - RBI द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी **उन परिसंपत्तियों को प्रत्याभूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिन्हें बैंकों द्वारा खरीदा जा सके।**
    - RBI को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के **अंतर्गत बैंकों पर लगाए गए ऋण प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए**। साथ ही RBI को उन्हें NHB को उधार देने की अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करना चाहिए।
    - RBI संपार्श्विक (collateral) के आधार पर पुनर्वित्त प्राप्त करने के **लिए म्यूचुअल फंडों के लिए स्पेशल विंडो भी प्रारम्भ कर सकता है।**
    - इस समय राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और स्थिरता के लिए इस क्षेत्रक की विभिन्न समस्याओं को हल करने हेतु **समन्वित और परामर्शदायी दृष्टिकोण** महत्वपूर्ण है।

हाल में उठाए गए कदम

- **IL&FS संकट के लिए:**
    - **प्रबंधन में परिवर्तन**: पूर्व निदेशक मंडल को हटाने के लिए सरकार द्वारा **NCLT** (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में याचिका

दायर करने के बाद छह नए निदेशकों द्वारा IL&FS के बोर्ड को प्रतिस्थापित कर दिया गया।

- **जाँच**: सरकार ने गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO) को भी संकट की जाँच करने का आदेश दिया है।

- **तरलता बढ़ाने के लिए**
  - **तरलता कवरेज अनुपात में 2% तक छूट**: इसका अर्थ है कि बैंकों के पास अब अपने जमा आधार का 2% अतिरिक्त भाग उधार देने के लिए उपलब्ध होगा।
  - **खुले बाजार की संक्रियाएं**: बाद में RBI ने भी बाजार से सरकारी बॉण्ड्स को खरीदकर अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि की।
  - **परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण मानदंडों में छूट देना**: RBI ने NBFCs को अनुमति दे दी है कि वे छह महीने तक अपने पास रखने के बाद पांच वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले अपने ऋणों को बेच सकते हैं या उन्हें प्रतिभूतिकृत कर सकते हैं (पहले उन्हें ऐसा करने के लिए कम से कम एक वर्ष तक इन परिसंपत्तियों को अपने पास रखना पड़ता था)।

4.2. मौद्रिक नीति संचरण

(Monetary Policy Transmission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड ने बचत बैंक खाता जमाओं और अल्पकालिक ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रेपो दर से सम्बद्ध की घोषणा की है। इससे तेज मौद्रिक संचरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- **मौद्रिक संचरण** उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति संकेतों (जैसे- रेपो दर) के प्रभावों को व्यवसायों और घर-परिवारों तक पहुँचाने के लिए उन्हें वित्तीय प्रणाली के माध्यम से संचारित किया जाता है।
- भारत में, RBI द्वारा नीतिगत दरों में किया गया परिवर्तन, बैंकों की आधार दरों में नियमित रूप से परिलक्षित नहीं होता है। हालांकि, दरों में बढ़ोत्तरी को तुरंत संचारित कर दिया जाता है, जबकि RBI द्वारा दरों में की गयी कटौती के साथ ऐसा नहीं देखा जाता है। इससे पता चलता है कि मौद्रिक संचरण में एक अंतराल विद्यमान है।
- भारत के लिए उपलब्ध अनुभवजन्य साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मौद्रिक नीति की कार्रवाईयां उत्पादन पर 2-3 तिमाहियों के अंतरालों पर और मुद्रास्फीति पर 3-4 तिमाहियों के अंतरालों पर अनुभव की जाती हैं और इनका प्रभाव 8-12 तिमाहियों तक बना रहता है।

अप्रभावी मौद्रिक नीति संचरण से संबद्ध चिंताएं

- **इसके कारण RBI अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में असमर्थ रहता है-** मुद्रास्फीति, संवृद्धि जैसे विभिन्न मापदंडों को विनियमित करने की दिशा में अंतराल बना रहता है।
- **आर्थिक स्थिति नियंत्रण से बाहर रहती है-** जिससे विकास में गतिरोध होने के कारण देश को रोजगार की क्षति व बेरोजगारी की दर में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।
- **महंगाई कम साधन-संपन्न लोगों को अधिक क्षति पहुँचाती है-** क्योंकि महंगाई का सर्वाधिक बोझ गरीब लोगों पर पड़ता है। इसे कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की ओर बढ़ने की दिशा में एक विफलता माना जाता है।
- **निवेशकों के लिए नकारात्मक संकेत-** जो अन्यथा इसके ब्याज सम्बन्धी अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के कारण भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं।
- **व्यावसायिक चक्र में अनिश्चितताएं-** जहां प्रमुख कंपनियां पूर्वानुमानित नीतिगत चक्र के साथ निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती हैं।
- **राजकोषीय नीति की अक्षमता-** जिससे सरकारी प्रोत्साहन, जैसे- सब्सिडी, ब्याज अनुदान आकर्षक नहीं रहते क्योंकि बैंक नीतिगत संकेतों के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं।

सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर (MCLR) प्रणाली

- **MCLR** एक बैंक की उस न्यूनतम ब्याज दर को संदर्भित करती है, जिसके नीचे वह RBI द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर उधार नहीं दे सकता है। इस प्रकार, यह बैंक के लिए एक आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है।
- **आधार दर (बेस रेट)** की गणना निधियों की लागत, प्रतिफल की न्यूनतम दर (अर्थात् लाभ सीमा या लाभ), परिचालन व्यय और नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की लागत पर आधारित होती है जबकि MCLR निधियों की सीमांत लागत, टेनर प्रीमियम, परिचालन व्यय और नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने की लागत पर आधारित होती है।
- **MCLR के अंतर्गत सीमांत लागत की गणना:** सीमांत लागत को निम्नलिखित कारकों के आधार पर प्रभारित किया जाता है- विभिन्न प्रकार की जमाओं के लिए ब्याज दर, उधार, निवल संपत्ति (नेट वर्थ) पर प्राप्त रिटर्न आदि। इसलिए, MCLR मुख्य रूप से निधियों की सीमांत लागत और विशेष रूप से जमा दरों और रेपो दरों द्वारा निर्धारित की जाती है।

भारत में मौद्रिक संचरण में अंतराल के कारण

- **बैंकों पर अति निर्भरता:** भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बैंकों का स्पष्ट प्रभुत्व है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा बाजारों (कॉर्पोरेट बॉण्ड्स, वाणिज्यिक पत्र, इक्विटी आदि) की भागीदारी यहाँ कम है। इसलिए, अधिकांश सार्वजनिक बचतों को बैंकों में जमा कराने का प्रचलन है, जिससे रेपो दर पर बैंकों की निर्भरता कम हो जाती है।
- **बैंक निधियों का अवरुद्ध होना:**
  - **दोहरा वित्तीय दबाव -** सरकारी प्रतिभूतियों (वैधानिक तरलता अनुपात: SLR) और आरक्षित नकदी निधियों (नकद आरक्षित अनुपात: CRR) में बैंकों के पैसों (निधियों) के अवरुद्ध होने के कारण उनपर दबाव बना रहता है।
  - **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण-** यह बैंकों पर प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने के लिए अतिरिक्त भार आरोपित करता है।
- **गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (NPAs) में वृद्धि:** बैंकों के तुलन पत्रों में NPAs में वृद्धि के कारण वे (बैंक) कम ब्याज दरों की पेशकश करने में असमर्थ हो जाते हैं।
- **MCLR प्रणाली का उप-इष्टतम प्रदर्शन:** चूँकि आधार दर मौद्रिक नीति संकेतों को वांछित गति और परिमाण पर संचारित करने के लिए पर्याप्त रूप से लोचशील नहीं थी, इसलिए RBI ने अप्रैल 2016 में सीमांत लागत-आधारित उधारी दर (MCLR) को आरम्भ किया था। हालांकि, जनक राज समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, संचरण-
  - विभिन्न उधारी श्रेणियों के मध्य असमान था।
  - मौद्रिक नीति चक्रों पर विषम था – तंगी (धन अभाव) की अवस्था के दौरान उच्च स्तर पर और प्रचुरता के दौरान निम्नस्तर पर था – भले ही ब्याज दर प्रणाली चाहे जो रही हो।

आगे की राह

- **बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर प्रणाली की ओर स्थानांतरण की आवश्यकता** - आंतरिक बेंचमार्क आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्थाएँ बैंक ऋणों के मूल्य निर्धारण पर लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट (LIBOR) जैसी वैश्विक प्रथाओं से सुसंगत नहीं हैं।
- PSL मानदंडों के माध्यम से बैंक ऋण पर आरोपित बाधाओं को कम करना।
- सरकार द्वारा 'प्रशासित ब्याज दर' बचत योजनाओं को हतोत्साहित करना।
- बैंकों की NPAs की समस्या को हल करने हेतु ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के उपयोग से दिवाला प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

4.3. बैंक समेकन

(Bank Consolidation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय यह लिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को **"समामेलित या एकीकृत"** करके एक नई इकाई के रूप में भारत का **तीसरा सबसे बड़ा बैंक** बनाया जाएगा।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- **वर्ष 1991 में गठित नरसिम्हन समिति** ने भारतीय बैंकों के पुनर्गठन हेतु अनुशंसा करते हुए कहा कि 3-4 बड़े बैंकों को वैश्विक बैंकों तथा 8-10 छोटे बैंकों को राष्ट्रीय पहचान प्राप्त बैंकों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।
- **वर्ष 2014 में पी.जे. नायक समिति** ने सुझाव दिया था कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्रक के कुछ बैंकों का निजीकरण या विलय कर देना चाहिए।
- वर्ष 2017 में, सरकार ने SBI के पांच सहयोगी बैंकों और तत्पश्चात भारतीय महिला बैंक (BMB) का भी **SBI के साथ "विलय"** किये जाने को स्वीकृति प्रदान की थी।
- पिछले वर्ष, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय प्रस्तावों की जांच-पड़ताल हेतु वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में **वैकल्पिक तंत्र पैनल (Alternate Mechanism Panel)** का गठन किया था।
    - समामेलन (विलय) की योजना तैयार करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों को वैकल्पिक तंत्र के समक्ष रखा जाएगा।
    - वैकल्पिक तंत्र द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर रिपोर्ट प्रत्येक तीन महीने में मंत्रिमंडल को भेजी जाएगी।
    - वैकल्पिक तंत्र बैंकों को समामेलन प्रस्तावों की जांच करने के लिए भी निर्देशित कर सकता है।
    - वैकल्पिक तंत्र इनको सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सूचना या इनपुट प्राप्त करेगा।

समेकन के पक्ष में तर्क

- **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों की अत्यधिक संख्या (PSB):** वर्तमान में भारत में 21 PSB विद्यमान हैं जो प्राय: एक दूसरे के व्यापार को प्रभावित करते हैं।
- **NPA की समस्या का समाधान करना:**
    - भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2018 के 15.6% से बढ़कर मार्च 2019 तक 16.3% हो जाएगा।
    - समेकन को कमजोर बैंकों के खातों पर तनाव को कम करने वाले "सुदृढ़" बैंकों के माध्यम से NPA की समस्या दूर करने के उपाय के रूप में देखा जा रहा है।
- **व्यापार में वृद्धि:** ग्राहक आधार में, बाजार पहुंच में, तथा ग्राहकों को अधिक सेवाएं या उत्पाद प्रदान करने से समेकन में पर्याप्त वृद्धि होगी।
- **वैश्विक बैंक:** समेकन वैश्विक रूप से मजबूत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय संस्थान बनाने में सहायता करेगा। वर्तमान में भारतीय बैंक अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में छोटे हैं।
- **लागत में कटौती:** समेकन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिचालन लागत में कमी आ सकती है, क्योंकि:
    - सभी दोहरे परिचालन एवं अतिरिक्तताएं युक्तियुक्त हो जाएंगी (उदाहरण के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनेक अतिव्यापी शाखाओं का स्थानांतरण और समापन)।
    - दीर्घावधि में अतिरिक्त श्रमशक्ति को हटाया जा सकता है।
- **संवर्धित भौगोलिक पहुंच:** उदाहरण के लिए, विजया बैंक की दक्षिण भारत में अधिक पहुँच है जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक का पश्चिमी भारत में मजबूत आधार है। इसका अर्थ प्रस्तावित नई इकाइयों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए व्यापक पहुंच होगी।
- **अधिक पूंजी और तरलता:**
    - विलय से पूंजी आधार बढ़ेगा तथा तरलता में वृद्धि होगी, जिससे BASEL III के मानदंडों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
    - इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बार-बार पुनर्पूंजीकरण के सरकार के बोझ में भी कमी आएगी।
- **संवर्धित मानव संसाधन:** विलय से बड़े पैमाने पर विशेषज्ञता की उपलब्धता हो सकती है और इससे अक्षमता को कम करने में भी सहायता मिलेगी जो छोटे बैंकों में एक सामान्य बात है।
- **कर्मचारी कल्याण:**
    - विलय से इनमें से किसी भी बैंक में नौकरियों की कोई हानि नहीं होगी और बैंकों के किसी कर्मचारी की सेवा-शर्तें उनकी वर्तमान सेवा-शर्तों के प्रतिकूल नहीं होंगी।
    - बैंकों के कर्मचारियों के मध्य पारिश्रमिक में व्याप्त असमानता कम हो जाएगी और सेवा शर्तें एक समान हो जाएंगी।

VISION IAS

समेकन के विरुद्ध तर्क

- **कॉर्पोरेट शासन परिप्रेक्ष्य के लिए बाधा:**
  - बैंकों का विलय एक निकृष्ट संकेत प्रेषित करता है कि वर्चस्वशाली शेयरधारक (अर्थात् सरकार) द्वारा लिए गए निर्णय अल्पसंख्यक शेयरधारकों को प्रभावित कर सकते हैं।
  - कमजोर बैंकों के साथ सुदृढ़ बैंकों के बलात विलय के कारण सुदृढ़ बैंकों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए इस घोषणा के कारण बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयर मूल्य में तीव्र गिरावट आई।
- **अभिशासन सुधारों को कार्यान्वित किए बिना अर्थहीन:** जब तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समग्र कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होंगे, नई इकाई को ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विलय केवल अस्थायी राहत दे सकता है, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अशोध्य ऋणों (bad loans) और कुशासन जैसी समस्याओं का वास्तविक उपचार नहीं करता है।
- **वित्तीय समावेशन में बाधा:** समेकन के माध्यम से विलय की जा रही इकाइयों की अतिव्यापी शाखाएं बड़े पैमाने पर बंद हो सकती हैं।अधिकांश बैंकों के पास सेवाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्राहकों का बड़ा आधार मौजूद है और विलय से विकेंद्रीकरण का विचार नष्ट हो जाएगा।
- **सुव्यवस्थित जोखिम**: इस धरणा पर वैश्विक सहमति है कि ऐसे बैंक जो "इतने बड़े होते हैं कि विफल नहीं हो सकते हैं" (too big to fail) वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर जोखिम का स्रोत हैं और समेकन ऐसे परिदृश्य का कारण बन सकता है।
- **विरोध:** कर्मचारी यूनियनों एवं शेयरधारकों के हितों की पूर्ति करना अवरोध उत्पन्न कर सकता है।
- **कार्य संस्कृति का भिन्न होना:** विषम मानव संसाधन संबंधी प्रथाओं को संरेखित करना भी नए प्रबंधन के लिए चुनौती उत्पन्न करेगा।
- **प्रौद्योगिकी का सुमेलन:** यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वर्तमान में विभिन्न बैंक भिन्न-भिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों पर परिचालनरत हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट औचित्य:**
  - बैंकों के बीच समेकन प्रक्रिया मुख्यतः सहक्रियाशीलता, दक्षता, लागत बचत और वृहद पैमाने की मितव्ययिता द्वारा संचालित होनी चाहिए।
  - भविष्य की संभावित लागतों के विरुद्ध लागत तर्कसंगतता, अतिरिक्त व्यापार इत्यादि जैसे लाभों का आकलन करके बैंकों के विलय का मूल्यांकन करना आवश्यक है।
- **गैर-आरोपण:**
  - विलय वाणिज्यिक हितों पर आधारित होना चाहिए और राजनीतिक रूप से अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।
  - यद्यपि PSBs सरकार द्वारा प्रवर्तित होते हैं किन्तु उन्हें उनके संबंधित व्यावसायिक बोर्डों द्वारा संचालित किया जाता है। बैंक से संबंधित निर्णयन इन बोर्डों को करना चाहिए।
- **दोहरा अभिशासन सुधार:**
  - राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता।
  - PSBs पर RBI की अधिक नियामकीय शक्ति।
- **स्वस्थ इकाई का निर्माण:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन विलयों से ऐसी इकाई का निर्माण न हो जो विलय पूर्व मजबूत मूल बैंक की तुलना में कमजोर हो।
- **मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण:** छोटे बैंकों के मानव संसाधन को नई प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी और वातावरण से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **"गैर-जोखिम पूर्ण" विफलताओं की अनुमति देना:** असफलता 'मुक्त बाजार' का अनिवार्य पहलु है, इसलिए कभी-कभी हमें ऐसे उपायों की भी आवश्यकता होती है जो बैंकों को व्यवस्था सम्बन्धी आघात पहुंचाए बिना सुरक्षित रूप से विफल होने की अनुमति प्रदान करें।

4.4. विभेदीकृत बैंक/आला बैंक

(Differential Banks/ Niche Banks)

4.4.1. लघु वित्त बैंक

(Small Finance Banks: SFB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया आंकड़ों से ज्ञात होता है कि लघु वित्त बैंकों द्वारा किए जाने वाले **ऋण वितरण तथा जमा प्राप्ति** से संबंध मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

VISION IAS

	भुगतान बैंक	लघु वित्त बैंक
कौन प्रोन्नत कर सकता है	प्रीपेड कार्ड जारीकर्ता, दूरसंचार कम्पनियाँ, NBFCs, बिजनस कॉरेस्पोंडेंट, सुपरमार्केट चैन, कॉर्पोरेट्स, रियलटी क्षेत्र (Realty sector) से संबंधित सहकारी समितियाँ तथा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSUs)	वित्तीय क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति/पेशेवर, NBFCs, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ, स्थानीय क्षेत्र बैंक
अनिवार्य शर्तें	कम से कम 100 करोड़ रूपये की न्यूनतम पूँजी। सरकारी बांड्स में कम से कम 75% जमा रखना। अन्य बैंकों में कम से कम 25% जमा रखना। कम से कम 26% निवेश भारतीयों द्वारा किया गया हो। निवल संपत्ति के 500 करोड़ रूपये से अधिक होने पर सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। उन क्षेत्रों में जहाँ बैंक नहीं हैं, वहाँ इनकी कम से कम 25% शाखाएँ होनी चाहिए। पूर्ण रूप से नेटवर्क और प्रौद्योगिकी आधारित होना चाहिए। एक खाते में केवल 1 लाख रुपये (जमा करने की उच्चतम सीमा) ही जमा किए जाने चाहिए।	कम से कम 100 करोड़ रूपये की पूँजी होनी चाहिए। 75% ऋणों का वितरण प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं, वहाँ इनकी कम से कम 25% शाखाएँ होनी चाहिए। रिज़र्व आवश्यकताओं को बनाए रखना। व्यक्तियों तथा समूहों को दिए जाने वाले ऋणों को अपनी निवल संपत्ति के क्रमशः 10% तथा 15% तक सीमित रखना चाहिए। बिजनस कॉरेस्पोंडेंट का नेटवर्क चाहिए।
क्या कर सकते हैं	इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन आदि की बिक्री कर सकते हैं। ग्राहकों को बिलों के भुगतान संबंधी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ATM तथा व्यवसाय संपर्की (बिजनेस कोरस्पोंडेंट) नियोजित कर सकते हैं। किसी अन्य बैंक के बिजनस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं।	ग्राहकों को विदेशी मुद्रा (FOREX) की बिक्री कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन की बिक्री कर सकते हैं। एक पूर्ण बैंक के रूप में प्रतिस्थापित हो सकते हैं। संपूर्ण देश में विस्तार कर सकते हैं। RBI की स्वीकृति के पश्चात् ही पूर्ण बैंक के रूप में रूपांतरण हो सकते हैं।
क्या नहीं कर सकते	क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। सीमा पार से विप्रेषित धन का प्रबंधन एवं संचलन नहीं कर सकते हैं। NRI से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं।	बड़े ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं। अनुषंगी कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। परिष्कृत/जटिल (sophisticated) वित्तीय उत्पादों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं।

लघु वित्त बैंकों (SFB) बारे में

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों के विपरीत, ये **ऐसी निजी वित्तीय संस्थाएं** हैं जिनका उद्देश्य परिचालन क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- इनके द्वारा उन वर्गों जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच (unbanked sections) नहीं है, जैसे- **लघु किसान, सूक्ष्म व्यावसायिक उपक्रम, अति सूक्ष्म तथा लघु उद्योग** और **असंगठित क्षेत्र की कंपनियाँ** आदि के जमा को स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने जैसी आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है।
- भारत में **कार्यरत कुछ लघु वित्त बैंकों** में उज्जीवन SFB, जनलक्ष्मी SFB, इक्विटास SFB, AU SFB, कैपिटल SFB आदि सम्मिलित हैं।

- इसकी अनुशंसा **RBI द्वारा गठित नचिकेत मोर समिति** द्वारा ऋणों तक पहुंच को अधिक व्यापक बनाने हेतु एक **विभेदीकृत बैंकिंग प्रणाली** के रूप में की गई थी। इसकी घोषणा **2014 के वार्षिक बजट** में की गयी थी।
- वर्तमान में, SFB की उपलब्ध राशि सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की **कुल जमा राशि का 0.2%** है तथा भारत में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा **वितरित किए जाने वाले ऋणों के 0.6% ऋण** SFB के द्वारा प्रदान किए गए हैं।

लघु वित्त बैंकों की आवश्यकता

- **जनसंख्या के एक बड़े भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभेदीकृत बैंकिंग:** बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनसंख्या के मामले में विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहाँ लगभग 20 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास बैंक खाते नहीं हैं तथा उनमें से अधिकांश लोग नकदी या अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं पर निर्भर हैं। इसलिए, SFB द्वारा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित एक बड़ी आबादी तक वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
- **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करना:** सुविधाओं से पुर्णतः वंचित तथा अंशतः वंचित भाग पर केन्द्रित होने के कारण SFB प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **महिलाओं का वित्तीय समावेशन:** अधिकाँश लघु वित्त बैंक, पूर्व में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों के रूप में कार्यरत थे। उनका मुख्य कार्य महिलाओं को ऋण सुविधा प्रदान करना था। इनके बैंक के रूप में परिवर्तित होने से महिला ग्राहकों को पूर्ण बैंकिंग समाधानों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, विविध निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों के माध्यम से लघु वित्त बैंक महिलाओं तक पहुँच स्थापित करते हैं तथा उनमें वित्तीय नियोजन एवं बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता के प्रति समझ विकसित कर सकते हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** वर्तमान समय में, SFBs "आय में सुधार" के सामान्य मापदंडों से आगे बढ़ कर सकारात्मक सामाजिक प्रभावों के अन्य सूचकों जैसे ग्राहक रोज़गार संबंधी विशेषताएं, शहरी एवं ग्रामीण बाज़ारों के मध्य ग्राहकों का वितरण तथा महिलाओं की भागीदारी की ओर अग्रसर हैं। SFB केवल बैंकिंग समाधान प्रदान करने हेतु ही कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने ग्राहकों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ता भी प्रदान कर रहे हैं। RBI के अनुसार, लघु बैंक जनसंख्या के इस हिस्से के लिए बचत को संरक्षित करने के एक साधन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

लघु वित्त बैंकों (SFB) से संबंधित विनियम

- ये **गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा गतिविधियों के प्रचालन हेतु अनुषंगी कंपनियां स्थापित नहीं कर** सकते।
- इनके लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी संबंधी सीमा **100 करोड़** रुपये निर्धारित की गयी है।
- ऐसे बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रवर्तक (प्रमोटर) का **न्यूनतम प्रारंभिक योगदान** कम से कम 40% होना चाहिए, जिसे परिचालन आरम्भ होने की तिथि से 12 वर्षों की अवधि के अंदर क्रमिक रूप में घटाकर 26% किया जा सकता है।
- इसके द्वारा समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का **75% भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के लिए अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसकी **25% शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में स्थापित** होनी चाहिए।
- किसी एकल व्यक्ति और समूह को प्रदान किया जाने वाला ऋण कुल पूंजीगत निधियों के क्रमशः **10% और 15% से अधिक नहीं** होना चाहिए।
- इनके द्वारा **भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के पश्चात्** म्यूचुअल फंड इकाइयों, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों आदि के वितरण संबंधी **वित्तीय सेवाएं** प्रदान की जा सकती हैं।
- ये मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक के सभी विवेकपूर्ण मानदंडों और विनियमों के अधीन होंगे। उदाहरण के लिए: **नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखना।**
- **भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति** के पश्चात् ये एक **पूर्ण बैंक** के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

विभेदीकृत बैंक

- ये विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने हेतु **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग संस्थान हैं।**
- इन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य **वित्तीय समावेशन और भुगतान को बढ़ावा देना है।**
- विभेदीकृत बैंकों हेतु **2015 में लाइसेंस** जारी किए गए थे|
- इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है: **भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक।**

VISION IAS

4.4.2. भारतीय डाक भुगतान बैंक

(India Post Payments Bank: IPPB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री द्वारा 1 सितम्बर 2018 को **भारतीय डाक भुगतान बैंक (IPPB) का शुभारम्भ** किया गया जिनके द्वारा ग्राहकों को डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

IPPB के बारे में

- IPPB को सरकार की **100% इक्विटी के साथ डाक विभाग के तहत एक सार्वजनिक कम्पनी** के रूप में निगमित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित किया जाता है।
- **इसका परिचालन 30 जनवरी 2017 को जयपुर और रांची में दो प्रायोगिक शाखाओं की स्थापना के साथ किया गया।**
- इसका मुख्य फोकस 2018 के अंत तक अपनी सभी **155 लाख डाकघर शाखाओं** को भारतीय डाक भुगतान बैंक सेवाओं से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना है। यह ग्रामीण स्तर पर प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ देश के **सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क** का निर्माण करेगा।
- इसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली **सेवाओं के अंतर्गत** बचत एवं चालू खाते, धन अंतरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बिल एवं उपयोगिता बिलों का भुगतान, उद्यम एवं व्यापारिक भुगतान आदि शामिल होंगे।
    - यह **तीन प्रकार के बचत खातों,** यथा- रेगुलर, डिजिटल और बेसिक पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान कर सकता है।
    - यह प्रत्येक लेन-देन के लिए 15-35 रुपए के शुल्क पर **डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा** प्रदान करेगा। डोरस्टेप बैंकिंग की सीमा 10,000 रुपये है।
    - यह तृतीय पक्ष को वित्तीय सेवाओं, जैसे- **बीमा, म्यूचुयल फंड्स, पेंशन, क्रेडिट कार्ड और विदेशी मुद्रा तक भी पहुंच** प्रदान करेगा।
    - यह **ATM डेबिट कार्ड प्रदान नहीं** करेगा, इसके स्थान पर यह अपने ग्राहकों को **QR कोड-आधारित बायोमीट्रिक कार्ड प्रदान करेगा।** इस कार्ड में ग्राहक का खाता नंबर अंतःस्थापित (embedded) होगा और ग्राहक को अपने खाते तक पहुंचने के लिए अपना खाता नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - IPPB के द्वारा ऋण, निवेश और बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए कई वित्तीय संस्थानों से भागीदारी की गयी है।

भुगतान बैंकों का प्रदर्शन

- आदित्य बिड़ला पेमेंट्स बैंक (ABPB), वोडाफोन एम-पेसा सहित कई भुगतान बैंकों ने इस व्यवसाय परिदृश्य में आर्थिक मॉडल को अव्यवहार्य बना देने वाले अप्रत्याशित विकास को उद्धृत करते हुए अपने परिचालन बंद कर दिए हैं।
- अब तक, 11 लाइसेंस प्राप्त प्रतिभागियों में से केवल 4 भुगतान बैंक प्रचालनरत हैं।
- हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी **'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति 2017-18'** नामक शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में, केंद्रीय बैंक ने उल्लेख किया कि भुगतान बैंकों के समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में 2016-17 और 2017-18 के दौरान निवल घाटे की स्थितियाँ (निवल हानियाँ) परिलक्षित हुई हैं।
- भुगतान बैंकों **को परिसंपत्ति और देयता पक्ष दोनों के संबंध में कठोर नियमों का सामना करना पड़ता है।** परिसंपत्तियों के संबंध में, भुगतान बैंकों को किसी भी प्रकार की ऋण-प्रदायगी पर पूर्ण प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। वहीं देयता पक्ष के संबंध में, भुगतान बैंक 1 लाख रुपए से अधिक जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, पूंजी आवश्यकता संबंधी सीमा को अत्यधिक रखा गया है अर्थात् जोखिम भारित परिसंपत्तियों का 15% निर्धारित किया गया है।
- भुगतान बैंकों को **उच्च परिचालन व्यय के कारण घाटे का सामना करना पड़ता है** क्योंकि इन बैंकों के लिए प्रारंभिक अवसंरचना की स्थापना हेतु अत्यधिक मात्रा में **पूंजीगत व्यय किया जाता है।** दूसरी ओर, इन्हें लाभ अल्प मात्रा में प्राप्त होती है तथा इकॉनमी

VISION IAS

ऑफ स्केल के बिना इन बैंकों द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखना कठिन हो जाता है।

- भुगतान बैंक के एजेंटों को उत्पाद की विशेषताओं, नियम एवं शर्तों और इसके लाभों **के संबंध में सीमित प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
- अंतिम ग्राहक और एजेंट दोनों में उत्पाद के विषय में **जागरूकता का निम्न स्तर।**
- भुगतान बैंक मॉडल को सफल बनाने हेतु सुदृढ़ अवसंरचना, विशाल पूँजी आधार और नेटवर्क वाले सार्वभौमिक बैंकों और दूरसंचार कंपनियों दोनों को समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

विश्लेषण

IPPB के समक्ष विभिन्न मुद्दे और चुनौतियां विद्यमान हैं, अर्थात्:

- **शुल्क और प्रतिबंध:** 80 भिन्न-भिन्न प्रकार के शुल्क और प्रतिबंध (डोरस्टेप डिलीवरी, लेन-देन, निकासी और जमा आदि पर नकदी प्राप्ति करने हेतु आरोपित शुल्क सहित) विद्यमान हैं जो इसके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के समक्ष चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार के कुछ प्रावधानों को निरस्त करने से आधार आधारित KYC प्रमाणीकरण कठिन हो गया है। अंतिम उपयोगकर्ता ग्रामीण आबादी के पास औपचारिक वित्तीय परिवेश का भाग बनने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अभाव हो सकता है।
- **IPPB को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कर्मचारियों द्वारा डाक विभाग (DoP) के कार्य के साथ संतुलन बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि IPPB से संबंधित गतिविधियों से डाक विभाग (DoP) का कार्य प्रभावित न हो। साथ ही, डाक विभाग (DoP) के कर्मचारियों को डिजिटल परिचालनों हेतु प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए, उन्हें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (NDLM)/प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान (PMDISHA) के साथ संबद्ध किया जा सकता है।
- **डाकघरों में सीमित श्रमशक्ति:** ग्राहकों को ग्रामीण डाकघरों से नकद निकासी में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन डाकघरों का प्रबंधन एक या दो व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है जिनके पास बहुत कम मात्रा में नकदी उपलब्ध होती है।
- **सीमित पहुँच:** IPPB **अभी ATM कार्ड प्रदान करने में असमर्थ** हैं। इसके फलस्वरूप ग्राहक **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- **निजी भुगतान बैंकों से प्रतिस्पर्धा:** आदित्य बिड़ला, एयरटेल, जियो और पेटीएम जैसे निजी भुगतान बैंकों से प्रतिस्पर्धा। उदाहरण के लिए, इनकी बचत खाते पर प्रदान की जाने वाली 4% की ब्याज दर की समीक्षा की जाने की आवश्यकता है जो अन्य भुगतान बैंकों की तुलना में निम्न है।
- **तकनीकी मुद्दे:** प्रत्येक लेन-देन के लिए ग्राहक के फिंगरप्रिंट को UIDAI के डाटाबेस से मेल खाना (मैचिंग) आवश्यक है। अत: समस्या यह है कि UIDAI ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह 100% बायोमीट्रिक मैचिंग सुनिश्चित नहीं कर सकता है।
- **सीमित आकर्षण:** शहरी ग्राहकों के लिए, विशेषकर उन ग्राहकों के लिए जिन्हें निजी बैंकों द्वारा अधिक सेवाओं सहित डिजिटल खाते, 6 प्रतिशत तक ब्याज दर और UPI जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है।
  - यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनके द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करने की संभावना भी कम है, क्योंकि **जन-धन योजना** द्वारा पहले से ही पूर्ण बैंकों के अंदर **रुपे डेबिट कार्ड** सहित जीरो बैलेंस खाते की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।
- **डाक विभाग की निम्नस्तरीय स्थिति:** डाक विभाग की वित्तीय स्थिति ख़राब बनी हुई है, क्योंकि वर्ष 2016-17 में इसका वित्तीय घाटा दोगुना हो गया है और देश में विगत पांच वर्षों में केवल 55 नए डाकघर ही स्थापित किए गए हैं।
- **आय के स्रोत (निर्वाह) संबंधी मुद्दे:** चूँकि IPPB द्वारा न तो ऋण प्रदान किया जा सकता है और न ही क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, इसलिए इसकी आय के प्रमुख स्रोत लेनदेन शुल्क (न की ब्याज दरें) होते हैं। अत: जब तक इनके द्वारा अपेक्षाकृत निम्न लागत पर कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तब तक आय संबंधी मुद्दे नियत बने रहेंगें।

VISION IAS

हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद IPPB की स्थापना से प्राप्त होने वाले विविध लाभों को समझने की आवश्यकता है:

- डाक विभाग और IPPB को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वंचित जनसंख्या के लिए आसानी से उपलब्ध न होने वाली सरकारी योजनाओं और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने हेतु मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। IPPB का उद्देश्य वाणिज्यिक हितों को प्रोत्साहित करने के स्थान पर लोक सेवा होगी।
- हालाँकि कई अन्य बैंक और वित्तीय संस्थान भी इसी दिशा में कार्यरत हैं, परन्तु IPPB की क्षमता यह है कि डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों, बचत एजेंटों और अन्य फ्रेंचाइजीज़ की सहायता से IPPB का USP जन समान्य को अत्याधुनिक बैंकिंग और भुगतान सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होगा। इस प्रकार IPPB के जन समान्य के लिए सर्वाधिक पहुँच वाला, वहनीय और विश्वसनीय बैंक बन कर उभरने की आशा है। इसका आदर्श वाक्य है– **"प्रत्येक ग्राहक खास, प्रत्येक लेन-देन अहम और प्रत्येक जमा विशिष्ट"।**
- यदि नए भुगतान बैंक सफल होते हैं तो ये संपूर्ण ग्रामीण भारत में तेजी से नए वित्तीय समावेशन के युग की शुरुआत कर सकते हैं।

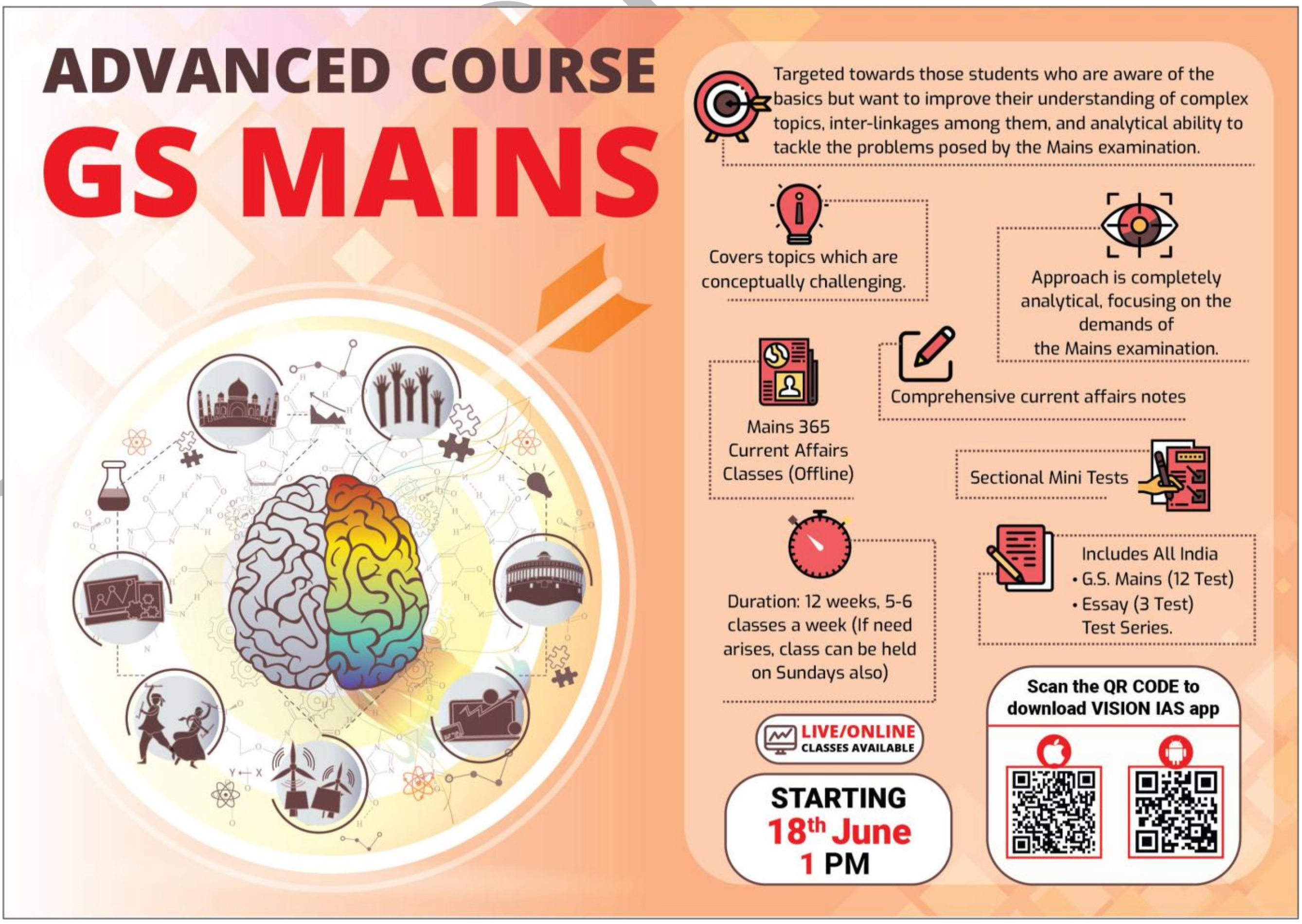

5. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

5.1. पूँजी खाता उदारीकरण

(Capital Account Liberalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI के डिप्टी-गवर्नर ने पूँजी खाता उदारीकरण के संबंध में भारत की नीतियों की समीक्षा करने के पक्ष में तर्क दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान पूँजी नियंत्रण

- पूँजी नियंत्रण वस्तुतः घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी पूँजी के अंतःप्रवाह और बहिर्प्रवाह को नियंत्रित करने हेतु सरकार, केंद्रीय बैंक या अन्य नियामकीय निकायों द्वारा अपनाए गए किसी भी उपाय को संदर्भित करता है।
- वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले कुछ नियंत्रण इस प्रकार हैं-
  - घरेलू प्रतिभूतियों के लिए FPI की अधिकतम सीमा का निर्धारण (विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा में भिन्नता विद्यमान है)।
  - बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ECBs) और मसाला बॉण्ड के लिए एक साथ अधिकतम सीमा का निर्धारण।
  - निवेशकों पर बीमा फ़र्म, एन्डाउमेन्ट और पेंशन फ़ंड आदि में उनकी निवेश सीमा द्वारा आरोपित प्रतिबंध।
  - अंतर्निहित निवेश की परिपक्वता पर प्रतिबंध।
  - यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध कि केवल अपेक्षाकृत उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले उधारकर्ता ही ECBs तक पहुँच प्राप्त करें।

पूँजी खाता उदारीकरण के बारे में

- **विदेशी मुद्रा लेन-देनों** को व्यापक रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: चालू खाता लेन-देन और पूँजी खाता लेन-देन।
  - **चालू खाता** वस्तुतः निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी विप्रेषण और हस्तान्तरण सहित देश के चालू लेन-देनों को संदर्भित करता है।
  - **पूँजी खाता** वस्तुतः परिसंपत्तियों और देनदारियों के निवल परिवर्तन को अभिलेखित करता है जिसमें विदेशी ऋण और उधारी, बैंकों की विदेशी मुद्रा जमा, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बाह्य बॉण्ड्स, भारत में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) आदि सम्मिलित होते हैं।
- **मुद्रा परिवर्तनीयता** वस्तुतः वैश्विक एक्सचेंज में किसी देश की मुद्रा का स्वर्ण अथवा किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तन (की सुगमता) को संदर्भित करता है। यह देश में पूँजी के अंतर्वाह और पूंजी के बहिर्वाह हेतु निर्धारित सीमा को इंगित करती है। इस संदर्भ में-
  - **चालू खाता** के अंतर्गत भारतीय रुपये को व्यापारिक उद्देश्यों से प्रचलित बाजार दरों पर किसी भी विदेशी मुद्रा में एवं किसी भी मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - **पूँजी खाता परिवर्तनीयता** का तात्पर्य उस सुगमता से है जिससे विदेशी निवेशक भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियां, जैसे- बॉण्ड्स, इक्विटी आदि खरीद सकेंगे और भारतीय नागरिक विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियां खरीद सकेंगे।
- 1990 के दशक के प्रारंभ में उत्पन्न आर्थिक संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल **कुछ सप्ताह के आयात के भुगतान हेतु ही शेष रह गया** था। अतः भारत द्वारा अपनी विदेश व्यापार नीति में सुधार किए गए और 1994 में **चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता** की अनुमति प्रदान कर दी गई। हालांकि, उस समय **पूँजी खाते** को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाया गया।
- विगत दशक से सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा उन विधियों और मानदंडों के निर्धारण का प्रयास किया जा रहा है जिनके माध्यम से पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया जा सके।

पूँजी खाता परिवर्तनीयता हेतु गठित समितियाँ (1997, 2006)

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रमशः 1997 और 2006 में **एस. एस. तारापोर** की अध्यक्षता में पूँजी खाता परिवर्तनीयता पर समितियों का गठन किया गया था।
- इस समिति द्वारा पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का समर्थन किया गया। इसने चरणबद्ध ढंग से और कुछ पूर्वापेक्षाओं के अधीन इसे लागू करने की अनुशंसा की थी।

VISIONIAS

- **इस हेतु कुछ पूर्वापेक्षाएँ इस प्रकार हैं-**
  - राजकोषीय स्थिरता- निम्न राजकोषीय घाटा;
  - मूल्य स्थिरता- निम्न मुद्रास्फीति;
  - वित्तीय संस्थानों और बाज़ारों की स्थिरता; एवं
  - गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों में कमी।

पूँजी खाता उदारीकरण के पक्ष में तर्क

- **वित्तीय दक्षता प्रदान करना-** एक पूर्ण परिवर्तनीय पूँजी खाता वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल देता है जिससे इस क्षेत्र में अधिक विशेषज्ञता और नवोन्मेषी पहलों को आकर्षित किया जा सकता है।
- **अपेक्षाकृत अधिक विदेशी पूँजी को आकर्षित कर सकता है-** विदेशी पूँजी कल्याण और अवसंरचना निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास में घरेलू बचत की पूरक के रूप में सहायता कर सकती है।
- **निवेश हेतु उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि-** निवासियों को अपने निवेश और उपभोग संबंधी निर्णयों को वैश्विक ब्याज दरों और व्यापार योग्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतों पर आधारित करने का अवसर प्राप्त होता है, जो उनके हितों और कल्याण में वृद्धि कर सकता है।
- **प्रतिस्पर्धी अनुशासन में सुधार-** पूर्ण परिवर्तनीय पूँजी खाता पोर्टफोलियो के विविधीकरण हेतु विश्व बाजार का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। यह जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से बचतकर्ताओं और निवेशकों, दोनों को उनकी परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य के संरक्षण में सहायता प्रदान करता है।
- **चालू खाते के अनुपूरण में सहायता-** पूँजी नियंत्रण, विशेषतः चालू खाते के परिवर्तनीय होने की स्थिति में, अधिक प्रभावी नहीं होते हैं क्योंकि चालू खाता लेन-देन प्रच्छन्न पूँजी प्रवाह (disguised capital flows) के विभिन्न मार्गों का निर्माण करते हैं।
- **परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य-** पूँजीगत नियंत्रण घरेलू वित्तीय स्थितियों को बाह्य वित्तीय घटनाक्रमों से संरक्षित करने हेतु अपनाया जाता है। इसके बावजूद भी, विगत समय में बाह्य वित्तीय घटनाक्रमों का प्रभाव व्यापक पूँजी नियंत्रण अपनाने वाले देशों में भी निरंतर बढ़ रहा है। साथ ही नियंत्रणों से बच निकलने की लागत में कमी आई है और बाह्य बाजारों में परिसंपत्ति धारण करने के प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पूँजी नियंत्रण निरंतर निष्प्रभावी होता जा रहा हैं।

पूँजी खाता उदारीकरण के विपक्ष में तर्क

- **घरेलू बचतों का बहिर्प्रवाह-** पूँजी खाता उदारीकरण के कारण घरेलू बचतों का बहिर्प्रवाह होता है परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अनिवार्यताओं का वित्तपोषण करने की राज्य की क्षमता में कमी आ सकती है।
- **कर अपवंचन को प्रोत्साहन-** नतीज़तन अधिकारियों की घरेलू वित्तीय गतिविधियों, आय और धन-संपत्ति पर कर आरोपित करने की क्षमता का ह्रास होगा।
- **अर्थव्यवस्था को समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता के प्रति अधिक सुभेद्य बनाना-** पूँजी खाता उदारीकरण से पूंजी की अल्पकालिक गतिशीलता की अस्थिर प्रवृत्ति, पूंजी के व्यापक बहिर्वाह के जोखिम और संबद्ध नकारात्मक बाह्यताओं के कारण अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
- **मौद्रिक नीति के प्रभाव में कमी-** ब्याज दरों में प्रत्याशित अल्पकालिक परिवर्तन के फलस्वरूप मौद्रिक नीति की प्रभाविता में कमी होगी, जिससे अन्य परस्पर संबंधित प्रतिकूल प्रभावों में वृद्धि हो सकती है।
- पूँजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के परिणामस्वरूप उच्च पूँजी अंतर्वाह उत्पन्न होगा, जिसके कारण, वृद्धिमान वास्तविक विनिमय दर संसाधनों को **व्यापार योग्य से गैर-व्यापार योग्य क्षेत्रकों (जैसे निर्माण, आवास, होटल और पर्यटन आदि) की ओर प्रतिस्थापित करेगी** और यह सब तब होगा जब बाह्य देनदारियों में भी वृद्धि हो रही होगी ("**डच डिजीज प्रभाव**")।
- **फाइनेंसियल बबल्स (financial bubbles) की उत्पत्ति-** विशेष रूप से अनियंत्रित विदेशी उधारी द्वारा वित्तपोषित अचल संपत्ति और इक्विटी बाजार में अत्यधिक तर्कहीन निवेश के माध्यम से।

आगे की राह

- पूँजी प्रवाह से संबद्ध **संवृद्धि/दक्षता और स्थिरता** संबंधी दुविधा के आलोक में, भारत की प्राथमिकता **अस्थिरता से बचने के पक्ष** में रही है। इस प्रकार के दृष्टिकोण द्वारा न केवल वित्तीय प्रणाली बल्कि समग्र विकास प्रक्रिया को भी स्थिरता प्रदान की गई है। समसामयिक घटनाक्रमों के आलोक में दक्षता और स्थिरता के सापेक्ष महत्व की **निरंतर समीक्षा** करने की आवश्यकता है।
- इस बात का अनुभव करते हुए कि संवृद्धि के आवेगों को विदेशी पूँजी से अनुपूरित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूँजी खाते का उदारीकरण **उचित, क्रमिक और सतर्क रीति** से तथा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप हो।

VISION IAS

5.2 चालू खाता घाटा

(Current Account Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने और रुपये की कीमत में हो रही गिरावट को रोकने के लिए, सरकार द्वारा हाल ही में डॉलर (अर्थात् निवेश) को आकर्षित करने और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को दूर करने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा की गई है।

पृष्ठभमि

- हालांकि, यह चिंताजनक स्थिति में नहीं पहुंचा है तथापि 2018-19 के लिए चालू खाता घाटा GDP का 2.4% होने का अनुमान है, जो 2017-18 के 1.8% के स्तर से अधिक है।
- लगातार बढ़ते चालू खाता घाटे का कारण विरूपित होता व्यापार घाटा है, जो विगत दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और पण्य-निर्यात में गिरावट के कारण व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।
- हालांकि, विप्रेषण की वृद्धि में तेजी ने बिगड़ते चालू खाता घाटे को प्रतिसंतुलित करने में योगदान दिया है।

चालू खाता घाटे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने विशेष रूप से अधिक डॉलर आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

- **डॉलर को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम**
    - बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECBs) जुटाने के लिए और अधिक कंपनियों को सक्षम बनाना।
    - विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा किसी इकाई के कॉर्पोरेट बांड में निवेश की 20 प्रतिशत की सीमा को हटाना।
    - 2018-19 में जारी किए गए मसाला बॉण्ड को विदहोल्डिंग टैक्स से छूट प्रदान करना।
- **एक्जिम बैंक का पुनर्पूंजीकरण**
    - हाल ही में, कैबिनेट ने भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है।
    - साथ ही, कैबिनेट ने बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है।
    - **लाभ:** यह बैंक को पूँजी पर्याप्तता में वृद्धि करने तथा अभिवर्द्धित सक्षमता के साथ भारतीय निर्यात को समर्थन प्रदान करने में समर्थ बनाएगा।

मसाला बॉण्ड्स के बारे में

- विदेशी पूंजी बाजार में निवेश के लिए भारतीय रुपये में जारी किए जाने वाले बॉण्ड को मसाला बॉण्ड कहते हैं।
- ये बॉण्ड सीधे भारतीय मुद्रा के साथ युग्मित होते हैं। इसलिए मुद्रा जोखिम या विनिमय दर जोखिम सीधे निवेशकों पर होता है।

विदहोल्डिंग टैक्स

यह वह राशि है जिसे एक नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से रोक कर रखता है और सरकार को उसका सीधे भुगतान करता है। किसी गैर-निवासी द्वारा धारित प्रतिभूति से प्राप्त होने वाली आय (ब्याज और लाभांश) और साथ ही देश के गैर-निवासियों को भुगतान की जाने वाली किसी अन्य आय पर लगाया जाने वाला कर भी विदहोल्डिंग टैक्स कहलाता है।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)

- इसे **भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** के वित्तपोषण, उसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए 1982 में संसद के एक अधिनियम के तहत शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह बैंक मुख्य रूप से भारत से निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, जिसमें भारत से विकासात्मक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीददारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक सहायता देना भी सम्मिलित है।

एक्जिम बैंक की महत्वपूर्ण पहल

- **रियायती वित्त पोषण योजना (CFS)-** इसके तहत सरकार विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाइयों का समर्थन कर रही है।
- **GRID (ग्रास रूट्स इनीशिएटिव एंड डेवलपमेंट) इनीशिएटिव-** इसमें जमीनी स्तर की पहलों, विशेष रूप से निर्यात क्षमता वाली इकाइयों, को बढ़ावा देने के लिए **वित्तीय सहायता** शामिल है। साथ ही यह इन इकाइयों को उनके उत्पाद पर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने और उनके निर्यात को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रदान करता है।

विदेश नीति और व्यापार में एक्जिम की भूमिका

- **विदेश व्यापार में सुधार:** बैंक देश में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निर्यातकों, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों

VISION IAS

के हित में विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं में सम्मिलित होकर विभिन्न वित्तीय, विपणन और तकनीकी पहलुओं से सम्बंधित सहायता प्रदान करता है।

- **भारत का बढ़ता प्रभाव:** एक्जिम बैंक वर्तमान में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और CIS में 62 देशों को सम्मिलित करते हुए 233 ऋण व्यवस्थाएँ (लाइन ऑफ क्रेडिट: LOCs) आरम्भ कर चुका है। ये LOCs भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए लगभग 22.86 बिलियन डॉलर की क्रेडिट प्रतिबद्धताओं के साथ उपलब्ध हैं।
- **कुछ अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं:** एक परियोजना विकास कोष की स्थापना कर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान की भूमिका को एकीकृत करने तथा न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के साथ सामान्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से ब्रिक्स बैंक के साथ सहयोग के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है।

स्वैप सुविधा

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्थायी तरलता सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए 5 बिलियन डॉलर की डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा की शुरुआत की है।
- स्वैप के तहत कोई बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचेगा और साथ ही स्वैप अवधि की समाप्ति पर अमेरिकी डॉलर की समान राशि को खरीदने के लिए सहमति देगा।
- **स्वैप सुविधा का लाभ**
  - **बैंकों द्वारा ब्याज कम करना-** बैंकों की बैलेंस शीट दोहरे वित्तीय दबाव के कारण ख़राब स्थिति में थी, स्वैप सुविधा के कारण बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी जिससे ग्राहकों को घरों, कारों आदि के लिए सस्ते ऋण प्राप्त हो सकेंगे।
  - **RBI के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाएगा-** स्वैप सुविधा के लिए बोली के बाद मौजूदा 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिज़र्व में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि होगी। यह हॉट मनी के बहिर्वाह और भुगतान संकट के संतुलन से निपटने में भारत की क्षमता में सुधार करेगा।
  - **रुपये के बढ़ते मूल्य को नियंत्रित करेगा-** क्योंकि रुपये की आपूर्ति में वृद्धि होगी। इससे भारतीय निर्यातकों को मदद मिलेगी।
  - **गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) पर वित्तीय तनाव को कम करेगा-** NBFCs से लिये जाने वाले ऋण की मात्रा भी बढ़ सकती है।

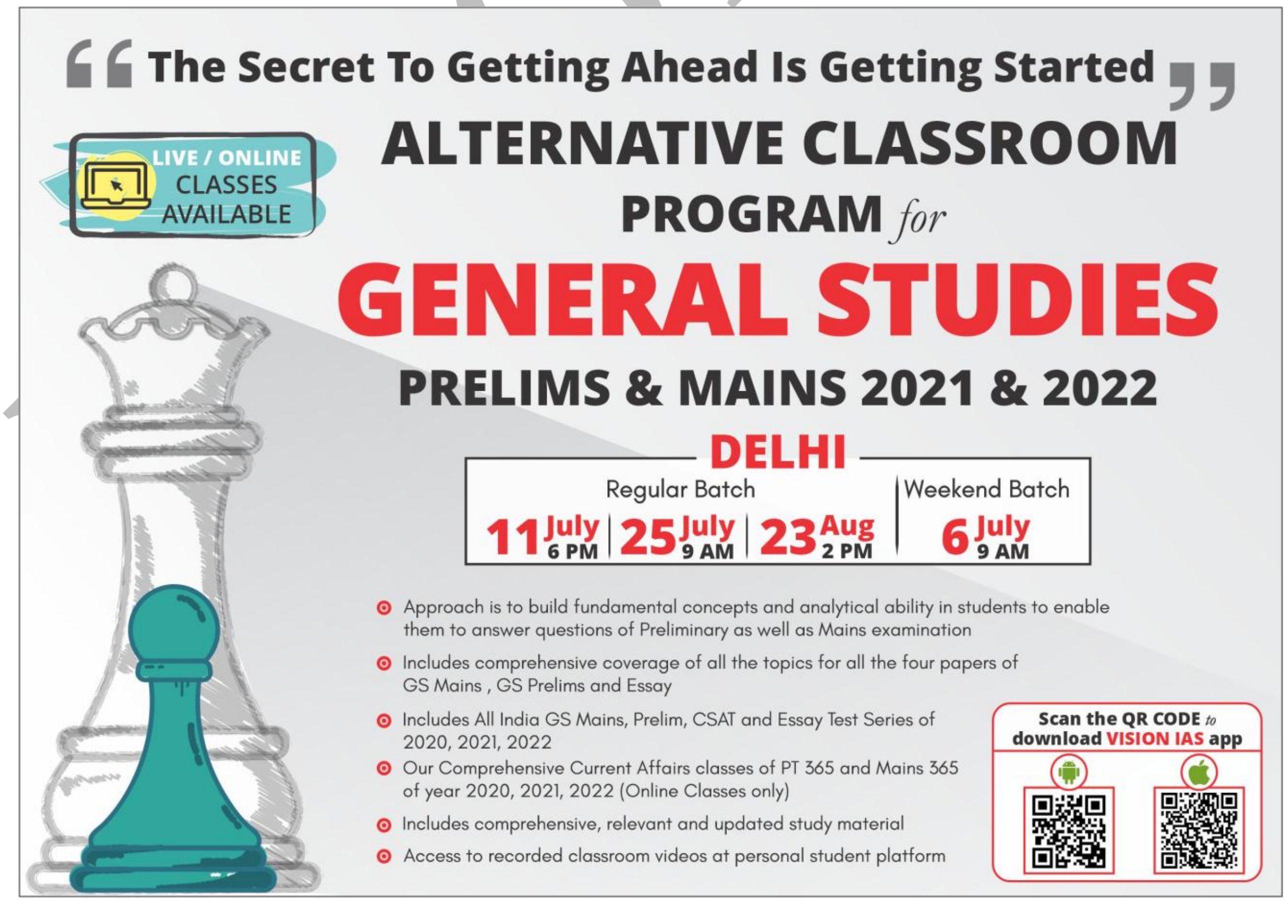

6. कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Corporate Governance)

6.1. शेल कंपनियाँ

(Shell Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और कर अपवंचन के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 4 लाख शेल कंपनियों की पहचान की गई और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत में शेल कंपनियों को **कंपनी अधिनियम, 2013** या **किसी अन्य विधान के अंतर्गत** परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, कुछ कानून धन शोधन जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायता कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रुप से शेल कंपनियों को लक्षित करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016; धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 और कंपनी अधिनियम 2013, इत्यादि।
- कंपनी अधिनियम की धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) द्वारा किसी कंपनी को अपने रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है यदि कंपनी अपने निगमित होने के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय आरम्भ करने में विफल रहती है अथवा तीन वर्षों से कंपनी द्वारा परिचालन नहीं किया गया हो।
- इस कार्य बल (टास्क फ़ोर्स) का गठन वर्ष 2017 में राजस्व सचिव तथा कारपोरेट मामलों के सचिव की सह-अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन शेल कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अनियमितताओं या कदाचारों से प्रभावी ढंग से और समग्र रूप से निपटने हेतु किया गया था। इसके द्वारा की गई **अनुशंसाएँ**:
    - कार्यबल ने ऐसे **18 प्रमुख मानदंडों** को सूचीबद्ध किया है जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या कोई कंपनी धन शोधन या विनियामक अंतरपणन (रेगुलेटरी आर्बिट्रेज) का लाभ उठाने के लिए निर्मित की गई है। (चित्र देखें)।
    - इसने अनुशंसा की है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय को कंपनियों के उन वित्तीय विवरणों की जांच करनी चाहिए, जिनका विमुद्रीकरण के बाद **बेहिसाबी नकदी** प्रवाह हेतु दुरूपयोग किया गया था।
    - इसके अतिरिक्त, इसने उन दशाओं में भी निगरानी बनाए रखने का सुझाव दिया है जब किसी कंपनी के ऋणों में **असामान्य रूप से वृद्धि या कमी हुई हो** या जब 10 प्रतिशत से अधिक अशोध्य ऋण बट्टे खाते में लिखा गया हो या किसी साझेदारी फर्म में निवेश में 100 प्रतिशत या उससे अधिक की बढ़ोत्तरी हुई हो।

शेल कंपनियां

- शेल कंपनियों का अर्थ सामान्यतः ऐसी कंपनियों से है **जिनका सक्रिय व्यापारिक संचालन नहीं होता या जिनके पास पर्याप्त परिसंपत्ति नहीं होती** है।
- कार्यबल द्वारा की गयी व्याख्या के अनुसार एक शेल कंपनी मानक ज्ञापन (memorandum) या संस्था के अंतर्नियम (articles of associations) के माध्यम से निगमित की जाती है। इसके शेयरधारक और निर्देशक निष्क्रिय होते हैं और इन्हें **निष्क्रिय छोड़** दिया जाता है। इन्हें बाद में छल-कपट तरीके से बंद करने के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है।
- विक्रय लेन-देन के पश्चात्, निष्क्रिय शेयरधारक द्वारा सामान्यतः अपने शेयरों को क्रेताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है और तथाकथित निर्देशकों द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है या कंपनी को छोड़ दिया जाता है।

शेल कंपनियों से निपटने के लिए अन्य सरकारी उपाय

- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत **गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय** द्वारा विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा चिह्नित की गई शेल कंपनियों एवं उनकी अनुषंगी कंपनियों का एक **व्यापक डिजिटल डाटाबेस** तैयार किया गया है।
- क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (REIC) और केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) फोरमों के अंतर्गत विभिन्न कानून परिवर्तन एजेंसीयों के मध्य **आसूचना साझा तंत्र** को क्रियान्वित किया गया है।
- **लेखापरीक्षकों से संबंधित मुद्दे:** अवैध लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने तथा गड़बड़ियों के प्रकटीकरण संबंधी मुद्दों को न उठाने के कारण लेखापरीक्षकों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है।
    - MCA द्वारा **लेखा परीक्षा संस्थानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों** पर TERI के अध्यक्ष अशोक चावला की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाले एक विशेषज्ञ पैनल की अनुशंसाओं का परीक्षण कर रही है।
- बजट 2018-19 में सरकार द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 276CC के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। इस धारा के प्रावधानों के अनुसार, यदि 3000 रुपए से अधिक कर देयता वाला व्यक्ति नियत समय में आय-विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह कारावास और अर्थदण्ड का पात्र होगा। ज्ञातव्य है कि शून्य आय प्रदर्शित करने वाली लगभग 3 लाख निष्क्रिय कंपनियों द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा था।

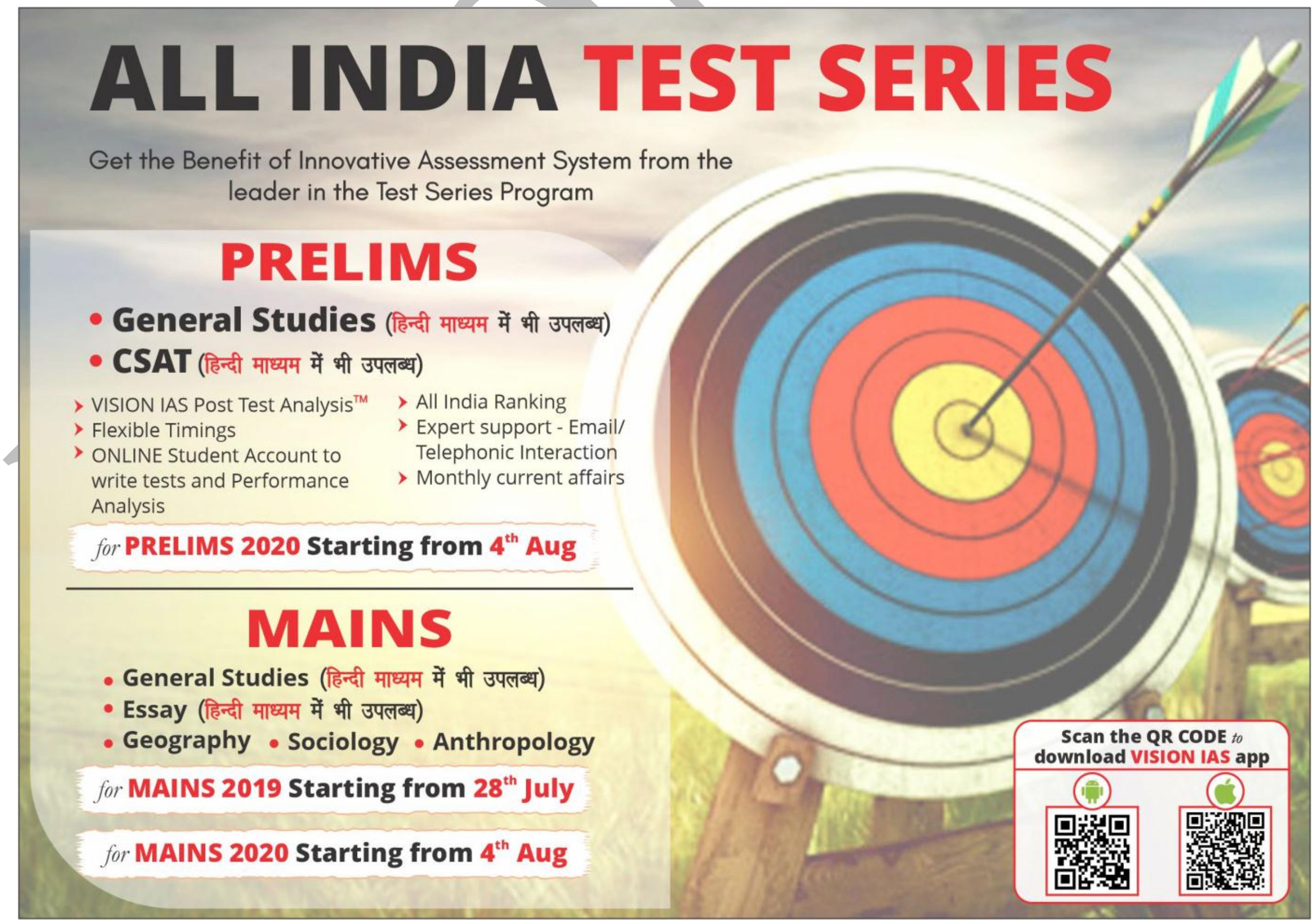

7. कृषि और संबद्ध क्षेत्र (Agriculture And Allied Sector)

भूमिका

- कृषि (जिसमें पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि सम्मिलित हैं) भारत की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह रोजगार के स्रोत के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्रक बना हुआ है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 17% है।

भारतीय कृषि से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **निम्न कृषि उत्पादकता:** भारत की फसल उत्पादकता अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों की तुलना में कम है।
- **नीतिगत मुद्दे:** केंद्र और राज्यों के मध्य कृषि से संबंधित मुद्दों पर नीतिगत सामंजस्य का अभाव है।
- **अप्रभावी कृषि विपणन:** सुदृढ़ एवं प्रभावी विपणन सुविधाओं की अनुपस्थिति के कारण किसानों को अपनी कृषि उपज के विक्रय हेतु बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा वो इसे अत्यधिक कम कीमतों पर बेचने के लिए विवश होते हैं।
  - कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) अधिनियम ने व्यापारियों के समूहीकरण (cartelization) की अनुमति प्रदान की है। इन समूहों के प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यापारी कृषि उपजों की फार्मगेट कीमतों को कम बनाए रखते हैं।
- **आगत संबंधी चुनौतियां:** विगत वर्षों में आगत लागत में वृद्धि होने से कृषि आय में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उत्पादकता और क्रय शक्ति में भी कमी आई है।
- **अप्रभावी MSP संरचना:** केवल 6% किसानों को ही MSP का लाभ प्राप्त होता है और शेष 94% बाजारों पर निर्भर रहते हैं।
- **बड़ी संख्या में कृषक कृषि कार्यों का त्याग करना चाहते हैं-** 18 राज्यों के 5,000 कृषक परिवारों के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 76% किसान कृषि की अपेक्षा किसी अन्य कार्य को अपनाने की इच्छा रखते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** चरम मौसमी परिघटनाओं की अधिकता मृदा अपरदन, कीटों के प्रकोप, फसल की विफलता आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।
- **मूल्य श्रृंखला सहित सक्षमकारी अवसंरचना का अभाव:** कोल्ड स्टोरेज सहित वेयरहाउस और कृषि-प्रसंस्करण केन्द्रों की संख्या में कृषि उत्पादन की तुलना में धीमी गति से वृद्धि हुई है जिसके कारण खाद्य अपव्यय, किसान को अपनी उपज के लिए कम मूल्य की प्राप्ति, उत्पाद की डिस्ट्रेस सेल (मज़बूरी में की गयी बिक्री) जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **अनुसंधान और विकास में निम्न निवेश:** भारत में कृषि GDP का 1% से भी कम हिस्सा R&D पर व्यय किया जाता है।
- **बाजार में मंदी:** घरेलू और वैश्विक बाजार में कीमतों में भारी गिरावट, हस्तक्षेपकारी सरकारी नीतियों, जैसे कि अधिशेष आपूर्ति के बावजूद दालों जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध, वायदा कारोबार पर प्रतिबंध और स्टॉकहोल्डिंग सीमा निर्धारण आदि कारक अत्यधिक पैदावार के पश्चात् भी कृषि संकट को बढ़ा रहे हैं।
- **ग्रामीण संकट और किसान आत्महत्या:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट (2015) के अनुसार 8000 से अधिक किसानों और 4500 खेतिहर मजदूरों द्वारा आत्महत्या की गयी है।
- **कृषिगत NPA:** भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2016 में कृषि क्षेत्र का NPA 48,800 करोड़ रुपये था, जिसमें 23% की वृद्धि हुई तथा यह 2017 में बढ़कर 60,200 करोड़ रुपये हो गया। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:
  - **मानसून पर निर्भरता:** बार-बार सूखे से फसल नष्ट होने के कारण कृषि उत्पादकता अत्यधिक प्रभावित हुई है।
  - **बढ़ता ग्रामीण संकट:** अखिल भारतीय औसत वार्षिक ग्रामीण मजदूरी वृद्धि में गिरावट दर्ज की गयी है (ये जुलाई में 6.8% थी अक्टूबर में कम होकर 4.9% हो गयी)। साथ ही गैर-कृषि व्यवसायों की तुलना में कृषि व्यवसायों में तीव्र गिरावट देखी गई है।
  - **कृषि ऋण माफी से संबंधित मोरल हैजर्ड:** ऋण माफी की आकांक्षाएं किसानों को ऋण का भुगतान न करने (डिफ़ॉल्ट) की ओर प्रेरित करती हैं। साथ ही यह एक दूरगामी क्रमिक प्रभाव (डॉमिनो इफ़ेक्ट) भी उत्पन्न करता है, जिसके कारण विभिन्न राज्यों के किसान ऋण माफी की मांग करते हैं। ज्ञातव्य है कि **मोरल हैजर्ड** का आशय आसन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहनों के अभाव से है।
  - **ऋण की राशि का गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग करना:** किसान, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी युक्तियों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं और इसका उपयोग निजी उपयोग सहित अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए करते हैं।

VISION IAS

कृषि संकट से निपटने हेतु सुझाव

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु अशोक दलवाई समिति की अनुशंसाएं:

इस समिति ने 14 खंडों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसाएं की हैं-

- **भारत में कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना,** जो लाभ के सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके लिए निम्नलिखित कार्रवाइयों की अनुशंसा की गई है-
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समयबद्ध तरीके से **नीति आयोग के मॉडल लैंड लीजिंग अधिनियम का अनुकरण।**
  - कृषि भूमि स्वामित्वधारियों को प्रत्येक संभव कृषि संचालन को आउटसोर्स करने (जिसके माध्यम से कृषि की लागत को कम करने के साथ ही संसाधन उपयोग दक्षता और प्रभावी परिणाम, दोनों प्राप्त किये जा सकते हैं) के माध्यम से उनकी **प्रस्थिति को परिवर्तित कर उसे खेतिहर से खेत प्रबंधक के रूप में स्थापित** करने हेतु सक्षम बनाना। किसानों को सेवा प्रदाताओं के साथ किसी समूह जैसे कि ग्राम उत्पादक संगठन (VPOs), कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) आदि के रूप में लेन-देन करना चाहिए।
- **कृषि क्षेत्रक के योगदान को मौजूदा खाद्य और पोषण सुरक्षा से आगे विस्तारित करना-**
  - औद्योगिक उद्यमों जैसे कि रसायन, विनिर्माण, ऊर्जा, फाइबर, खाद्य, औषधि आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु और उन्हें समर्थन प्रदान करने हेतु कच्चे माल के रूप में संसाधनों को सृजित करना।
  - केवल कृषि गतिविधियों से कृषिगत एवं कृषकेतर गतिविधियों (प्राथमिक + द्वितीयक कृषि) की ओर स्थानांतरण।

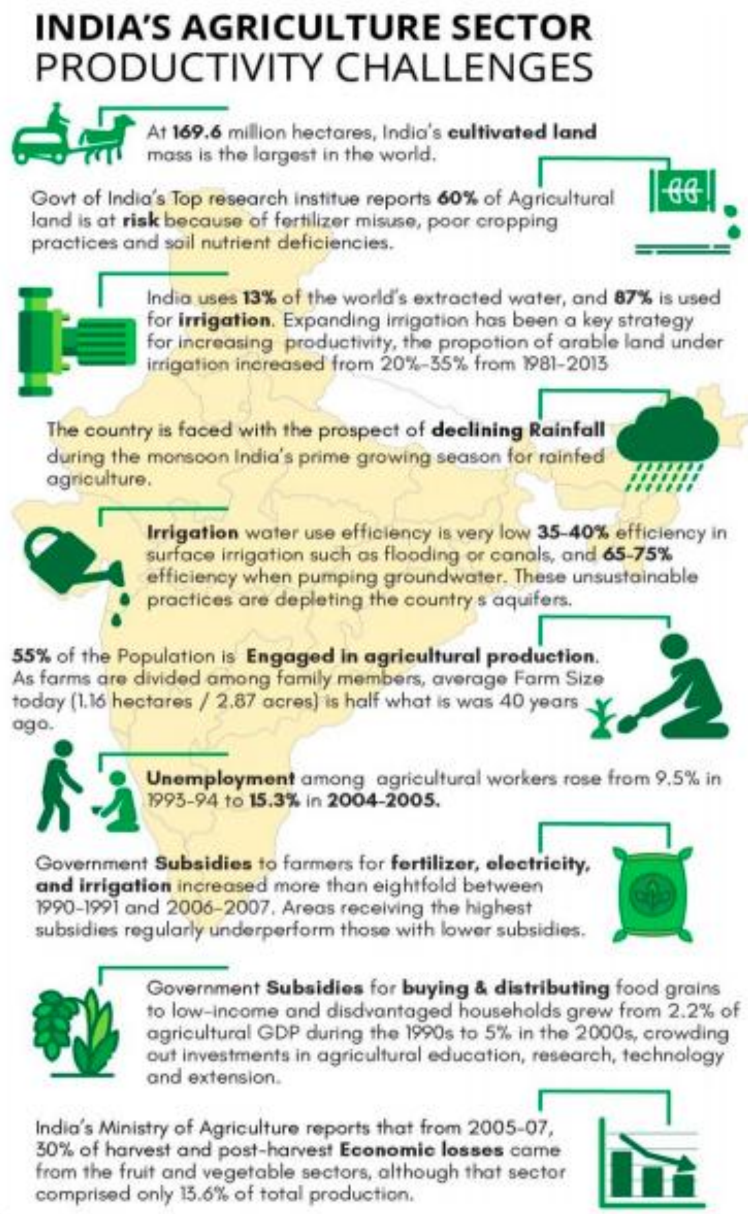

- **जल को मात्र इनपुट कारक के रूप में देखे जाने के बजाय उत्पादन के 'निर्धारक कारक' के रूप में देखा जा सकता है।** इसके लिए निम्नलिखित कार्यों को किए जाने की आवश्यकता होगी-
  - जल के अतिरिक्त स्रोतों का निर्माण- 2022-23 तक 8 से 9 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र (AIBP, MGNREGA आदि योजनाओं के माध्यम से) के अंतर्गत शामिल करना।
  - प्रति वर्ष 2 से 2.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाकर जल का कुशल उपयोग करना।
  - रिचार्ज के माध्यम से भूमिगत जल और इसकी संधारणीयता को बनाए रखना।
  - 'न्यूनतम प्रतिरोध कार्यप्रणाली" के आधार पर फसल संरेखण करना। इसका आशय कृषि जलवायविक आधार पर फसल/उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देने से है। यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है लेकिन आवश्यक नहीं है कि सभी के द्वारा इसका चयन किया जाए, परन्तु यह एक ऐसा विकल्प है जो सभी किसानों के लिए अधिक स्वीकार्य हो सकता है।
- **'फार्म टू फोर्क' दृष्टिकोण को उलट कर 'फोर्क टू फार्म' दृष्टिकोण का निम्नलिखित तरीके से अंगीकरण करना-**
  - किसानों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के आधार के रूप में उपज के मौद्रीकरण को अपनाना।

- कृषि-लॉजिस्टिक्स (भंडारण और परिवहन), कृषि-प्रसंस्करण और विपणन के उन्नयन एवं सामंजस्य द्वारा मौद्रीकरण की संभावनाओं को अधिकतम बनाना।
- GrAMs, वैकल्पिक थोक बाजारों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में APMCs) और निर्यात बाजारों को शामिल करते हुए नई बाजार संरचना को अपनाना।
- कृषि मूल्य प्रणाली (AVS) को कृषि और बाजारों के मध्य एक कड़ी के रूप में प्रोत्साहित करना।

- **कृषि के सभी चरणों में जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपनाना-**
  - **उत्पादन के पूर्व और पश्चात् के चरणों में**
    - देश भर में कर्नाटक में अपनाए गए प्रौद्योगिकी मंच की तर्ज पर मौसम संबंधी सलाहकार सेवाओं को अपनाना।
    - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खेती के कवरेज को एक मानदंड के रूप में अपनाना।
- **बाजार सम्बन्धी जोखिम-**
  - कीमत और मांग के पूर्वानुमान हेतु एक संस्थागत तंत्र की स्थापना।
  - एक आयात-निर्यात शुल्क संरचना को अपनाना, जो किसान-उत्पादकों के लाभ के लिए घरेलू बाजार के व्यवहार के अनुरूप हो तथा उसे सहायता प्रदान करे।
- **संस्थागत व्यवस्था में सुधार/केंद्रीय कृषि मंत्रालय में आमूल चूल परिवर्तन:** निम्नलिखित के माध्यम से -
  - नए पहलुओं जैसे कि कृषि-रसद, पूंजी निर्माण के लिए निवेश, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि पर ध्यान केंद्रित करने हेतु मंत्रालय के कुछ विभागों को पुनर्गठित करना।
  - जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों के माध्यम से त्रिस्तरीय योजना और समीक्षा तंत्र को स्थापित करना।
  - किसानों की आय को दोगुना करने, व्यापार नीति, बजटीय आवंटन और किसानों के कल्याण की स्थिति की समीक्षा करने हेतु नीतिगत ढांचे की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की 'नीति और नियोजन समिति' की स्थापना करना।
- **किसानों, पट्टेदार किसानों और बंटाईदारों (sharecroppers) को शामिल करने के लिए 'किसान' की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाना।** साथ ही किसानों की पहचान करने और उन्हें सरकार की कृषि संबंधी सहायता-प्रणाली का लाभ उठाने हेतु पात्रता प्रदान के लिए एक ऑनलाइन एवं वार्षिक रूप से प्रमाणित डेटाबेस विकसित करना।

7.1. कृषि संगणना

(Agriculture Census)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय द्वारा 10वीं कृषि संगणना 2015-16 जारी की गई।

2010-11 की कृषि संगणना की तुलना में 2015-16 की अस्थायी कृषि संगणना के प्रमुख निष्कर्ष

विवरण	2015-16	2010-11	टिप्पणियाँ
कृषि जोतों (ऑपरेशनल होल्डिंग) की कुल संख्या	146 मिलियन	138 मिलियन	5.33% की वृद्धि (हिस्सेदारी: SC- 11.91%, ST- 8.72%)
कुल कृषि (जोत) क्षेत्र	157.14 मिलियन हेक्टेयर	159.59 मिलियन हेक्टेयर	1.53% की कमी
कृषि जोतों का औसत आकार	1.08 हेक्टेयर	1.15 हेक्टेयर	कृषि जोत क्षेत्र के औसत आकार में कमी
कृषि जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी	13.87 %	12.79 %	महिला भागीदारी में वृद्धि
लघु (Small) और सीमांत (Marginal) जोत (0-2 हेक्टेयर)	86.21 %	84.97 %	कृषि जोत के बढ़ते विभाजन से खेती के अन्य मुद्दों के साथ-साथ किसानों में बढ़ता संकट
लघु-मध्यम (Small-medium) और मध्यम (Medium) कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	13.22 %	14.29%	
वृहत (Large) जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	0.57%	0.71%	

VISION IAS

कृषि क्षेत्र में हिस्सा			
लघु और सीमांत जोत (0-2 हेक्टेयर)	47.34%	44.31%	• कुल कृषि जोतों में वृहत जोतों का हिस्सा कम हुआ है जबकि लघु आकार की जोतों का हिस्सा बढ़ा है। • सामाजिक समूहों के अनुसार, SC का हिस्सा-8.61%, ST का हिस्सा-11.4% • कृषि जोत में महिलाओं का हिस्सा बढ़ रहा है जो एक सकारात्मक संकेत है।
लघु-मध्यम और मध्यम कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	43.61%	44.82%	
वृहत जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	9.04%	10.59%	
महिलाएँ	11.57%	10.36%	

भारत में भूमि से संबंधित मुद्दे तथा भूमि संसाधनों का अभाव:

- आंकड़ों से ज्ञात होता है कि **विगत 45 वर्षों में कृषि भू-जोतों की संख्या लगभग दोगुनी** (1970-71 में 71 मिलियन से 2015-16 में 146 मिलियन) **हो गई है,** जिसके परिणामस्वरूप खेतों के औसत आकार में 50% से अधिक की गिरावट आई है।
- यद्यपि 2010-11 और 2015-16 के बीच खेतों का और अधिक विखंडन हुआ है, **तथापि जोतों का असमान वितरण जारी है।**

भू-जोतों के विखंडन से जुड़ी समस्याएं

- **निम्न उत्पादन:** इससे कृषि परिचालनों में इकोनॉमी ऑफ़ स्केल प्राप्त करने और मशीनीकरण में निवेश करने की किसानों की क्षमता में अवरोध उत्पन्न होता है। इससे उत्पादकता में कमी आती है तथा इस प्रकार भूमि की क्षमता में गिरावट आती है।
- **निम्न कीमतें:** इसके अतिरिक्त इससे लघु एवं सीमांत किसानों के मध्य मोल-भाव की शक्ति में कमी आती है, क्योंकि उनके पास विपणन योग्य अधिशेष बहुत कम होता है और वे बाज़ार में कम कीमत प्राप्त करते हैं।
- **निम्न आय:** NSSO सर्वेक्षण (2012-13) के अनुसार, वर्ष 2012-13 में औसत कृषि आय लगभग 19,250 रुपये या 1600 रुपये प्रति माह थी।
- **ऋणग्रस्तता:** 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ऋणग्रस्तता और भूसंपत्ति के आकार के बीच एक व्युत्क्रम संबंध होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में, सीमांत भू-जोतों वाले 80% से अधिक कृषि में संलग्न परिवार ऋणग्रस्त हैं।
- **समावेशन का मुद्दा:** लघु और सीमांत किसान बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। इसका अर्थ है कि **सरकार के विस्तार कार्यक्रमों** के अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या तक नई तकनीकों और कृषि-सहायता योजनाओं का लाभ पहुंचाना एक **चुनौतीपूर्ण कार्य** है।
- समग्रतः यह किसानों को उत्पादन जोखिम, जलवायु जोखिम, कीमत जोखिम, उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम और नीति जोखिमों सहित **सभी प्रकार के कृषिगत जोखिमों से ग्रस्त बनाता** है।

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति, 2013 के प्रारूप की विशेषता

- तहसीलों, जिलों, क्षेत्रों और राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर **राष्ट्रीय भूमि उपयोग योजना निर्मित करना।**
- **सुभेद्य वर्गों** जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि हेतु **भूमि अधिकार।**
- **विवाद समाधान:** भूमि संबंधी विवाद समाधान के लिए उप-जिला स्तर पर एक प्राधिकरण और राज्य स्तर पर एक न्यायाधिकरण स्थापित करना।
- **भू-अभिलेखों का आधुनिकीकरण:** एक **"नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड"** और **"स्टेट अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड"** की स्थापना करना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** भूमि अधिकारों की प्राप्ति पर राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर भूमि अधिकार आयोग (Land Rights Commission: LRC) की स्थापना करना।

आगे की राह

- **भूमि के राज्य सूची का एक विषय होने** के कारण, राज्य प्रत्येक हितधारक से परामर्श करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल करने के लिए विशिष्ट विधिक सुधार कर सकते हैं।
- **अधिग्रहीत भूमि के उपयोग के विषय में विवरण तैयार करना:** लोगों को क्षितपूर्ति की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि के उपयोग के विषय में जानने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में, सरकार द्वारा सभी संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व, अवस्थिति और अभीष्ट उपयोग का विवरण प्रदान करने का संकल्प किया गया है।
- **भूमि संसाधनों और भूमि उपयोग की व्यापक सूची तैयार करना:** भूमि उपयोग के पैटर्न की प्रभावी पहचान करने हेतु प्रत्येक संपत्ति की अवस्थिति, उसके विस्तार, विधिक स्वामित्व, वर्तमान एवं योजनाबद्ध उपयोग आदि से संबंधित जानकारी सहित सूची तैयार की जानी चाहिए।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति** को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
- **खेतों के आकार को बढ़ाना:** यह कार्य लैंड पूलिंग (भूमि का समूहन), भूमि को पट्टे पर देने (लैंड लीजिंग) और संविदा-कृषि आदि जैसी विभिन्न विधियों को अपनाकर किया जा सकता है। यह सब उचित विधायी तंत्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
  - **लैंड पूलिंग** को भूमि पुनर्समायोजन या भूमि पुनर्गठन के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐसी भूमि अधिग्रहण रणनीति है जहां निजी रूप से धारित भूखंडों के स्वामित्व अधिकार एक नियुक्त एजेंसी को हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन भूखंडों की पूलिंग की जाती है। इस एजेंसी द्वारा पूल की गई भूमि के कुछ भाग का अवसंरचना के विकास और बिक्री के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पूल की गई भूमि के अंतर्गत सृजित नवीन भूखंडों के अधिकार मूल भूस्वामियों को उनकी मूल संपत्ति के निश्चित अनुपात में पुन: स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
- **अधिशेष भूमि का उपयोग:** इसका उपयोग जल और अपशिष्ट निपटान, आवास और परिवहन परियोजनाओं आदि जैसी सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही, भविष्य में उपयोग की जाने वाली अभीष्ट भूमि को इसकी आवश्यकता पड़ने तक की अवधि के लिए पारदर्शी बोली के माध्यम से किराए पर दे दिया जाना चाहिए।
- **मॉडल लैंड लीजिंग लॉ:** नीति आयोग ने पट्टेदारों के अधिकारों को निर्धारित करने और भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा करने हेतु **"मॉडल एग्रीकल्चर लीजिंग एक्ट, 2016"** का निर्माण किया है। भूमि सुधारों के लिए नीति आयोग के तहत एक **समर्पित प्रकोष्ठ** भी स्थापित किया गया है।

7.2. कृषि आगत

(Agricultural Inputs)

7.2.1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

(Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2019-20 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** के शुभारंभ की घोषणा की।

पी.एम. किसान (PM-KISAN) योजना के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले सभी लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को **आय सहायता** प्रदान करना।
  - अनुमानित कृषि आय के अनुरूप, बेहतर फसल और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि संबंधी इनपुट्स (आदानों) को खरीदने में **किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरकता प्रदान करना।**
- **लाभ:** इस योजना के अंतर्गत, देश भर के सभी **14.5 करोड़ किसानों** (उनके जोत के आकार को ध्यान में रखे बिना) को प्रति वर्ष **6,000 रूपये** का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की **पहचान करने का उत्तरदायित्व राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का होगा।**
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **ग्राम स्तर पर** पात्र लाभार्थियों की सूचियां प्रकाशित की जाएँगी।
- **अपवर्जन: उच्च आर्थिक स्थिति** वाले लाभार्थियों की कुछ **उच्च आय श्रेणियाँ,** जैसे- संस्थागत भूमि धारक, पूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक, विगत वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति आदि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगें।
  - अपवर्जन के उद्देश्य से **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार लाभार्थियों द्वारा की गयी स्व-घोषणा के आधार पर** लाभार्थी की पात्रता को **प्रमाणित कर सकती** है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए एक **समर्पित PM-KISAN पोर्टल** लॉन्च किया जाएगा।
- यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और इसे पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।**

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लाभ

- पहली बार, एक नीतिगत साधन के रूप में **मूल्य/कीमत** (इनपुट या आउटपुट) का उपयोग किए बिना **किसानों को प्रत्यक्षतः आय हस्तांतरित करने का प्रयास** किया गया है। इससे पहले, मुख्यतः कम कीमत युक्त आदान (इनपुट सब्सिडी) एवं उच्च उत्पादन (आउटपुट) मूल्य (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के प्रावधानों पर ही बल दिया जाता रहा है।

VISION IAS

- चूंकि ये लाभ किसी भी फसल के उत्पादन से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से भिन्न, **इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला आपूर्ति-मांग असंतुलन न्यूतनतम होगा।**
- अधिकांश **किसान ऋण प्राप्त करने के लिए अभी भी अनौपचारिक स्रोतों (यथा- स्थानीय आढ़ती, साहूकार आदि) पर निर्भर हैं।** खरीद केंद्रों (जैसे- गन्ने के मामले में) द्वारा भुगतान में अत्यधिक विलंब से आपात बिक्री की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में सुभेद्य किसान परिवारों को **सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करना उन्हें विशेष रूप से फसल कटाई के मौसम से पूर्व की आवश्यकताओं** को पूरा करने में सहयोग करेगा।
- यह **ऋण प्रक्रिया में सुधार** करेगा तथा **ग्रामीण उपभोग मांग को बढ़ावा देगा।**
- ऋण माफ़ी और सब्सिडी **की तुलना में नकद अंतरण की दक्षता अधिक है,** क्योंकि ये निर्धन परिवारों को आवश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ सीधे क्रय करने में सक्षम बनाते हैं तथा साथ ही उनके बाजार विकल्पों में वृद्धि करते हैं।
- न्यूनतम आय समर्थन से, कृषि में संलग्न परिवारों से संबंधित युवा **उद्यम प्रारंभ करने** या उच्च प्रशिक्षण लेने या अधिक आय प्रदान करने वाले गैर-कृषि कार्य करने के लिए प्रयास करने हेतु **प्रेरित हो सकते हैं।**

संकल्पना और कार्यान्वियन में समस्याएं

- **अपर्याप्त राशि:** पी.एम. किसान के अंतर्गत वार्षिक प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण (DIT) किसानों के वर्तमान आय स्तरों (औसत) का लगभग 5-8% ही होगा। इसके अतिरिक्त, यह राशि तेलंगाना (रायथू बंधु योजना) (Rythu Bandhu) और ओडिशा (कालिया) (KALIA) में आरम्भ की गई इसके समरूप योजनाओं की तुलना में कम है।
- **लाभार्थी चयन:** इस योजना के अंतर्गत, **परिवार (फैमिली) को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा रहा है,** जबकि अधिकांश अन्य सरकारी योजनाएं हॉउसहोल्ड (साझा रसोई का उपयोग करते हुए एक साथ रहने वाले लोगों का समूह) को इकाई मानती हैं। यह **पुनर्वर्गीकरण** एक प्रशासनिक चुनौती बन सकती है।
    - यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसे लाभार्थी किसान भी नकद लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो अपनी भूमि काश्तकार किसानों को पट्टे पर देना चाहते हैं या कुछ समय के लिए अपनी भूमि को परती रखना चाहते हैं।
- **कवरेज:** यह योजना काश्तकारों, बंटाईदारों आदि **भूमिहीन किसानों को सम्मिलित नहीं करती है।**
    - कई आदिवासी समुदाय भी **सामुदायिक किसानों** के रूप में और व्यक्तिगत अधिकारों के बिना भूमि पर खेती करते हैं और वे इस योजना से लाभान्वित होने से वंचित हो सकते हैं, जबकि वे सर्वाधिक सुभेद्य किसानों में से हैं।
- **भू-अभिलेखों का दोषपूर्ण तरीके से रखरखाव:** देश के अधिकांश भागों में, विशेष रूप से विरासत में मिली भूमि के मामले में, भूमि अभिलेख नियमित रूप से अद्यतित नहीं किए जाते, जिसके कारण लाभार्थियों का अपवर्जन हो सकता है।
    - कई राज्यों (जैसे- झारखंड, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) ने अभी भी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकृत नहीं किया है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंधित मुद्दे:** पूर्व में यह देखा गया है कि मजदूरी वितरण के मामले में खातों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण की प्रक्रिया विलंब की समस्या से ग्रस्त रही है (जैसे- मनरेगा)। साथ ही, ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना की पहुँच कमजोर है और इसमें अंतिम बिंदु तक संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका है।
    - **स्थानीय मूल्य वृद्धि के कारण** नकद अंतरण के प्रभाव क्षीण हो सकते हैं, भले ही उन्हें सामान्य मूल्य स्तर से अनुक्रमित किया गया हो।
- **कृषि पर प्रभाव:** नकद लाभ प्राप्ति का प्रलोभन, सदस्यों के मध्य परिवार के स्वामित्व वाली भूमि के विखंडन को और अधिक बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- **मौजूदा योजना में विद्यमान कमियों,** जैसे- भूमिहीन किसानों के अपवर्जन की समस्या का समाधान करना। लाभार्थियों की सरल पहचान और भूमि अभिलेख मिलान के लिए पर्याप्त संस्थागत अवसंरचना का सृजन करना।
- चूंकि कृषि राज्य सूची का एक विषय है, इसलिए केंद्र को उत्तरदायी नौकरशाही, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस, बाजार अवसंरचना और व्यापार सुगमता के माध्यम से **एक समर्थकारी परिवेश के निर्माण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना** चाहिए। फसली क्षेत्र निर्धारण से संबंधित प्रक्रियाओं एवं दावों के भुगतान पर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

VISION IAS

- किसानों को एक **व्यापक सामाजिक सुरक्षा पैकेज** प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा भी शामिल हो। जीवन बीमा कवर एवं 2 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना कवर वाली कालिया (KALIA) योजना इस संबंध में एक बेहतर उदाहरण है।
- इससे भविष्य में किसानों के लिए **न्यूनतम आधारभूत आय (MBI)** का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

7.2.2. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)

(Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना –'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PM-AASHA) को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली में** सीमित भौगोलिक पहुँच तथा फसल कवरेज (उदाहरण के लिए, इसमें तिलहन शामिल नहीं है) जैसी **विभिन्न कमियां विद्यमान** हैं। यह प्रणाली केवल वहीं सफल होती है जहाँ उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद की जाती है।
- इसके अतिरिक्त, प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतें MSP से भी कम हो गई हैं। इस कारण देश भर में किसानों में असंतोष बढ़ रहा है।
- PM-AASHA योजना का लक्ष्य **खरीद प्रणाली में व्याप्त अंतरालों को कम** करना, MSP प्रणाली से संबंधित मुद्दों का समाधान करना तथा किसानों को बेहतर प्रतिफल प्रदान करना है।

योजना के बारे में

इसमें MSP पर धान, गेहूं एवं अन्य अनाजों तथा मोटे अनाजों की सरकारी खरीद के लिए खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग की वर्तमान योजनाओं के पूरक के रूप में निम्नलिखित **तीन घटक** विद्यमान हैं:

- **मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS):** इसके तहत दालों, तिलहन तथा खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) के अतिरिक्त, FCI भी PSS के अंतर्गत फसलों की ख़रीद करेगा। खरीद के दौरान होने वाले व्यय और क्षति को केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- **मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS):** इसके अंतर्गत उन सभी तिलहन फसलों को सम्मिलित किया जाएगा जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है तथा केंद्र सरकार द्वारा MSP एवं वास्तविक बिक्री/ मॉडल मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। अधिसूचित अवधि के भीतर निर्धारित मंडियों में अपनी फसल बेचने वाले किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
- **निजी खरीद तथा स्टॉकिस्ट पायलट योजना (Pilot of Private Procurement and Stockiest Scheme- PPSS):** तिलहनों के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों में PPSS आरंभ कर सकते हैं जहाँ कोई निजी अभिकर्ता बाज़ार मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद कर सकता है। उस निजी अभिकर्ता को फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 15% तक के सेवा शुल्क के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

योजना का महत्व

- **गैर-लाभकारी कीमतों की समस्या के लिए अभिनव MSP-प्लस दृष्टिकोण:** इस योजना के तीन भिन्न-भिन्न घटक फसलों की **खरीद तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्था के मध्य अंतराल को कम** करेंगे। इस प्रकार ये किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता करेंगे।
- **फसल विविधीकरण को सुनिश्चित करना तथा मृदा एवं जल पर दबाव कम करना:** किसानों द्वारा बार-बार कुछ ही फसलों यथा धान, गेहूं तथा गन्ना उगाए जाने की वर्तमान प्रणाली के विपरीत, यह नई योजना फसल विविधीकरण को सुनिश्चित करेगी।
- **वर्धित MSP का किसानों की आय के रूप में बेहतर रूपांतरण:** इसे राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुदृढ़ खरीद तंत्र के माध्यम से किसानों की आय वृद्धि के रूप में रूपांतरित किया जाएगा।
- **संवर्द्धित वित्तीय प्रावधान:** केन्द्रीय एजेंसियों के लिए PSS के तहत किसानों से प्रत्यक्ष खरीद हेतु सरकार ने बैंक गारंटी के रूप में 16,550 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, जबकि PM-AASHA के लिए 15,053 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन किया गया है।
- यह **उत्पादकता में वृद्धि, कृषि लागत को कम** करने और बाजार संरचना सहित फसल कटाई पश्चात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एक **महत्वपूर्ण कदम** है।

VISION IAS

चुनौतियां

- **कृषि बाज़ारों में पारदर्शी रूप से कार्य होना चाहिए तथा सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पादक संघ (कार्टेल) को समाप्त करने हेतु आवश्यक रूप से कदम उठाए जाने चाहिए: भावांतर भुगतान योजना** के अंतर्गत PDPS को कार्यान्वित करने के मध्य प्रदेश के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि व्यापारियों द्वारा एक-दूसरे के साथ लामबंदी कर मंडी में मूल्य कम कर दिया जाता है। उनके द्वारा किसानों को कम मूल्यों पर अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया गया तथा सरकार से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त की गई।
- **PSS के लिए पूंजी उपलब्ध कराना केंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती** होगी चूँकि राज्य सरकारें इसे वित्तीय भार के रूप में देखती हैं। यदि सभी राज्य सरकारें NAFED/FCI के माध्यम से तिलहनों तथा दलहनों की खरीद प्रकिया संचालित करें तो इन एजेंसियों के पास पूँजी का अभाव हो जाएगा।
- **माल-गोदाम एवं भंडारण अवसंरचना संबंधी कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया है:** कई राज्य यथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा लगभग संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा संगठनों के पास पर्याप्त अवसंरचना के अभाव के कारण MSP पर धान की संतोषजनक मात्रा की खरीद करने हेतु असमर्थ हैं।

आगे की राह

- **E-NAM तथा अंतर-बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए:** केंद्र द्वारा मंडियों को आपस में संबद्ध कर प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देकर व्यापारियों की गुटबंदी को समाप्त किया जाना चाहिए तथा राज्यों द्वारा अग्र-सक्रियतापूर्वक नियामक सुधार किये जाने चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, एक **सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति बनाए** जाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, राज्यों द्वारा विधि निर्माण कर मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध कृषि एवं सेवा अधिनियम, 2018 सहित विभिन्न **बाजार सुधार** अपनाए जाने चाहिए।
- सफल कार्यान्वयन तथा प्रभावी निजी सहभागिता इस योजना की समग्र सफलता के महत्वपूर्ण साधन हैं। राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर निजी सहभागिता के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए।

7.3 कृषि बीमा

(Agricultural Insurance)

7.3.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वार्षिक रूप से निर्धारित 1,400 करोड़ रुपये की राशि में से वास्तव में केवल 8 करोड़ रूपये व्यय किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से कवर नहीं किए गए हैं। इसने PMFBY के कार्यान्वयन पर प्रश्न खड़े किए हैं।

PMFBY के कार्यान्वयन के समक्ष आने वाली अन्य चुनौतियाँ

- **विलंबित क्षतिपूर्ति:** कई राज्य सरकारें समय पर सब्सिडी प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रही हैं, क्योंकि इन प्रीमियमों का भुगतान करने में इस क्षेत्रक के लिए उनका बजट समाप्त हो जाता है। नतीजतन बीमा कंपनियां दावों के भुगतान में देरी करती हैं या भुगतान नहीं करती हैं।
- **प्रभारित उच्च प्रीमियम:** निजी कंपनियों द्वारा प्रभारित किए जा रहे प्रीमियम में वृद्धि हुई, जबकि इसमें कमी आने की अपेक्षा की गई थी क्योंकि उन्हें कम जोखिम वाले क्षेत्र आवंटित हैं।
- **आंकड़ों का अपर्याप्त संग्रह:** आंकड़ों में विसंगति के कारण कुछ राज्यों में बीमा संबंधी दावों का उच्च अनुपात चिंता का एक प्रमुख विषय है। इसके परिणामस्वरूप निपटान में प्रायः देरी होती है। बीमाकर्ताओं के अनुसार, विगत वर्षों में कई राज्यों द्वारा फसल कटाई प्रयोग (CCE) उचित रीति से नहीं किए गए।
- **निम्नस्तरीय प्रदायगी क्षमता:** बीमा कंपनियों द्वारा शिकायत निवारण और व्यक्तिगत भूखंडों में फसल हानि का आंकलन करने हेतु आवश्यक किसी भी जमीनी अवसंरचना की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही, PMFBY के संबंध में किसानों को जागरुक बनाने के लिए राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है।

- **किसानों के नामांकन में गिरावट:** वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2017 के बीच इस योजना में नामांकित होने वाले किसानों की संख्या **57.3** मिलियन से घटकर लगभग **48.5** मिलियन रह गई। इसमें लगभग **15** प्रतिशत की गिरावट आई है।
- **फसलों की अधिसूचना से संबंधित समस्याएं:** फसलों को अधिसूचित करने का उत्तरदायित्व राज्यों का है**,** किन्तु राज्यों के बीच प्रमुख फसलों के चयन में स्पष्टता की कमी और व्यापक विविधता व्याप्त है। इससे गैर-अधिसूचित फसलों की कृषि करने वाले किसान बीमा कवर से बाहर हो जाते हैं।

आगे की राह

- **अभिशासन**
  - ग्रामीण अवसंरचना के लिए वित्तपोषण में वृद्धि करके तथा प्रौद्योगिकी के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहित करके राज्य सरकारों की क्षमता को सुदृढ़ करना।
  - फसल बीमा की पहुँच में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है। फसल बीमा के लाभों पर अनिवार्य जागरुकता कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
  - समस्याग्रस्त किसानों को योजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करने हेतु एक शिकायत-निवारण प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।
  - उपज और मूल्य जोखिम को कवर कर बीमा प्रणाली को एकीकृत करने वाली नियामकीय अवसंरचना प्रतिभागिता में वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करेगी।
- **प्रौद्योगिकी और अवसंरचना**
  - PMFBY के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुदूर संवेदन, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण का उपयोग।
  - 360-डिग्री दृष्टिकोण जिसमें फसल बीमा योजना को सिंचाई विकास, मृदा संरक्षण और सार्वजनिक प्रणाली में सुधार सहित भूमि और जल प्रबंधन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए।
- **अन्य अनुशंसाएं**
  - इस कल्याणकारी कार्यक्रम में वृहत्तर प्रतिभागिता प्राप्त करने के लिए भूमि को पट्टे पर देने से संबद्ध कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। भूमि नीति को गतिशील होना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्रक में हो रहे रूपांतरण में बाधा न आए। यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है जिसके लिए इस क्षेत्र में उच्च उत्पादकता प्राप्त किए जाने हेतु सहकारी संघवाद की आवश्यकता है।
  - राजस्व और रोजगार को सुरक्षित करने तथा अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण हेतु महिला किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों को सम्मिलित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

PMFBY की विशेषताएं

- तत्कालीन दो योजनाओं- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और साथ ही संशोधित NAIS को प्रतिस्थापित करते हुए यह योजना 2016 में आरंभ की गई थी।
- किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों और तिलहनों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% की दर से **एकसमान प्रीमियम** का भुगतान करना पड़ता है।शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समान अनुपात में किया जाता है।
- **सरकारी सब्सिडी पर कोई अधिकतम सीमा आरोपित नहीं है,** इसलिए किसानों को बिना किसी कटौती के पूर्ण बीमाकृत राशि पर दावों का भुगतान किया जाता है।
- PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसली ऋण का लाभ लेने वाले **ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य** और **गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।**
- PMFBY के संचालन में **क्षेत्रवार दृष्टिकोण** को अपनाया गया है। इस प्रकार, किसी क्षेत्र विशेष के सभी किसानों को समान प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
- **उपज हानियों में सम्मिलित हैं-** प्राकृतिक आग और तड़ित, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, अंधड़, टाइफून, हरीकेन। बाढ़, जलप्लावन और भूस्खलन, सूखा, शुष्क अवधि, पीड़कों/रोगों के कारण जोखिम। **इसमें फसल कटाई के पश्चात् की हानियां भी सम्मिलित हैं।**
- इसमें हानि का आंकलन करते समय स्मार्ट फोन, ड्रोन जैसी **प्रौद्योगिकियों का अनिवार्य उपयोग** भी सम्मिलित है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए **सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं** (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि) और **निजी बीमा कंपनियों** को पैनल में सम्मिलित किया जाता है।

- हाल ही में, राज्यों को यह योजना कार्यान्वित करने के लिए अपनी बीमा कंपनियां स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
- **हाल ही में,** सरकार ने इस योजना के **परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में व्यापक रूप से संशोधन** किया है:
  - **दावों के निपटान में** निर्धारित निर्दिष्ट तिथि से दो महीने से अधिक की देरी के लिए **बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को 12% ब्याज का भुगतान** किया जाएगा।
  - **फसल कटाई पश्चात् हानियों में बेमौसम और चक्रवाती वर्षा के अतिरिक्त ओलावृष्टि का समावेशन।**
  - शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति तथा राज्य और जिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठों का सृजन।

7.3.2 कृषि ऋण माफी

(Farm Loan Waiver)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नव निर्वाचित राज्य सरकारों ने किसानों के लिए ऋण माफ़ी हेतु विभिन्न पैकेजों की घोषणा की है।

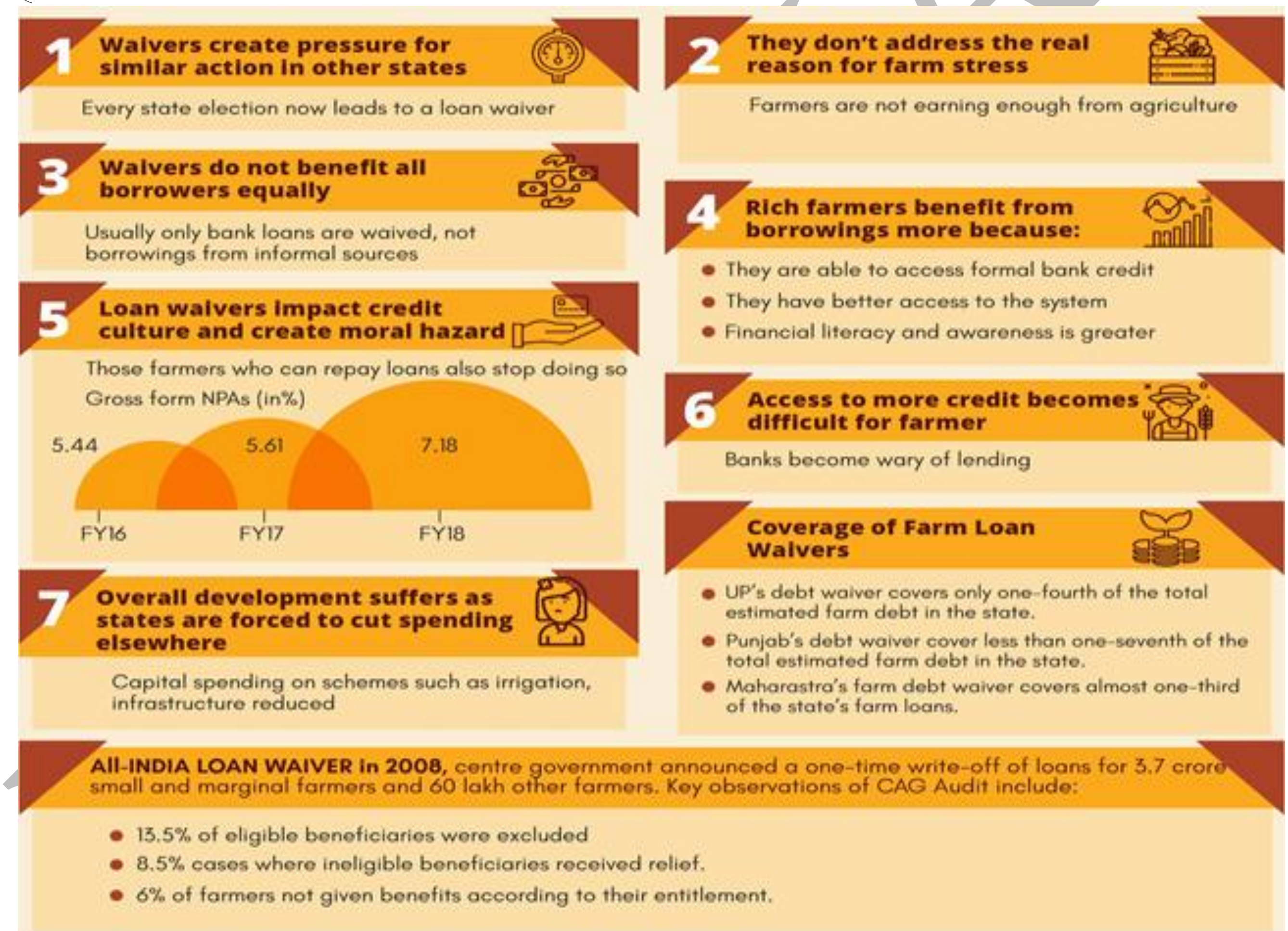

कृषि ऋण माफी से जुड़ी समस्याएं

कृषि ऋण माफी के समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रभाव: इसका सबसे आधारभूत प्रभाव यह है कि कृषि ऋण माफी बहुत ही सरल तरीके से ऋणों को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) में हस्तांतरित कर देती है। **ऋण माफी योजनाओं के समग्र मांग पर निम्नलिखित चार प्रभाव होंगे:**

- **निजी उपभोग पर प्रभाव:** कृषि ऋण माफी से कृषक परिवारों के निवल संपत्ति में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप निजी उपभोग में भी वृद्धि होती है। हालांकि, 2008-09 के "ADWDRS" {कृषि ऋण माफ़ी एवं ऋण राहत योजना (Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme)} पर विश्व बैंक के अध्ययन में पाया गया कि ऋण माफी प्रदान किए जाने के उपरांत भी उपभोग में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

- **सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रभाव:** ऋण माफ़ी में ऐसे व्यय सम्मिलित होतें हैं जिनसे मांग में वृद्धि नहीं होती (क्योंकि ये ऐसी देनदारियां होती हैं जो राज्यों के तुलन-पत्र में हस्तांतरण होती हैं) लेकिन राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (FRL) के लक्ष्यों (उच्च करों और / या कम व्यय) को पूरा करने के लिए की गई कार्रवाईयाँ मांग में कमी करेंगी।
- **क्राउडिंग आउट प्रभाव:** ऋण माफ़ी के कारण राज्यों को उच्च उधारी का सहारा लेना पड़ता है जिससे राजकोषीय भार में वृद्धि होती है। इससे क्राउडिंग आउट को बढ़ावा मिलता है। यह फर्मों द्वारा किए जाने वाले निजी व्यय की मात्रा को कम कर सकता है।
- **क्राउडिंग इन प्रभाव:** इससे बैंकों के तुलन-पत्र में सुधार आता है क्योंकि गैर-निष्पादित कृषि ऋणों को उनके बही खातों से हटा दिया जाता है। इसलिए वे निजी क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है।

आगे की राह

कृषि संकट के दीर्घस्थायी बने रहने का प्रमुख कारण यह है कि किसान अपनी उपज हेतु लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसका कारण बाजार विषमता और संस्थागत एवं अवसंरचनात्मक समर्थन के अभाव के परिणामस्वरूप मूल्य श्रृंखला के साथ व्याप्त असंबद्धता है।

ऋण माफी तो केवल तत्काल राहत पहुँचाने का एक साधन है। निर्बाध आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखलाओं तथा कृषि ऋण सुधारों के साथ-साथ कृषकों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत प्रदान करके कृषकों की **ऋण चुकाने की क्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।** इसे निम्नलिखित उपायों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

- **संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** भारतीय किसानों की सबसे महत्वपूर्ण बाधा उनकी कृषि जोतों के छोटे और अलाभकारी आकार हैं। इस समस्या को निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है:
  - **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)** के गठन और उनकी कार्यशीलता को प्रोत्साहित करके, क्योंकि FPOs किसानों को एकजुट करने वाले घटक के रूप में कार्य करते हैं जिससे किसानों को इसकी असंगठित प्रकृति से मुक्ति पाने में सहायता मिलती है।
  - **उपयुक्त भंडारण क्षमता के निर्माण पर सरकारी व्यय:** इसे या तो सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से या PPP मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। यह न केवल किसानों को उनकी उपज का भंडारण करने में सहायता करेगा, बल्कि उन्हें FPOs के माध्यम से गोदाम रसीद वित्त (warehouse receipt finance) के अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित तंत्र द्वारा संस्थागत वित्त की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।
  - सभी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा की उपलब्धता सुनिश्चित करके।
- **बेहतर निर्णय-निर्माण:** अधिकांश कृषि जिंसों के संबंध में असामान्य रूप से लंबी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सूचना प्रवाह की कमी के कारण, कृषि और बाजार अत्यधिक असंबद्ध रहते हैं।
  - आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर PPP के माध्यम से एक स्वतंत्र राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है। यह किसानों को फसल के चयन और फसल प्रथाओं से लेकर बुवाई और उसकी बिक्री करने तक उचित निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है।
    - यह प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के साथ-साथ लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इनपुट खरीद समर्थन को बढ़ाएगी, साथ ही लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मुक्त बाजार तंत्र की प्रभावकारिता को मजबूत करेगी।
- **कृषि ऋण सुधार**
  - वर्षा के अनियमित पैटर्न और इसके स्थानिक वितरण को ध्यान में रखते हुए फसल ऋण की अवधि को बढ़ाकर चार वर्ष तक करना। औद्योगिक ऋणों की भांति, वर्तमान में उद्योग के लिए उपलब्ध पुनर्संरचित और एकमुश्त निपटान के प्रावधान को कृषि ऋणों के लिए भी विस्तारित करना।
  - ऋण रियायतों और एकमुश्त निपटान की एक विशिष्ट, क्षेत्रवार और फसल-आधारित योजना यह सुनिश्चित करेगी कि क्रेडिट अनुशासन का उल्लंघन न हो।
  - कृषि ऋणों को दबाव से मुक्त करने हेतु योजना का पर्यवेक्षण करने वाले एक नियामक प्राधिकरण के साथ वैज्ञानिक आधार पर दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की गणना करने और उन्हें पुनर्संरचित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण करना। इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.3.3. वर्षा सिंचित कृषि के प्रति नीतिगत पूर्वाग्रह

(Policy Bias Against Rainfed Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **वर्षा सिंचित कृषि एटलस** जारी किया गया, जिसमें इंगित किया गया है कि सरकार की नीतियों में वर्षा सिंचित कृषि के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है।

VISION IAS

वर्षा सिंचित कृषि के संबंध में

- यदि किसी क्षेत्र के अधिकांश शुद्ध बोए गए भाग में निश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र को वर्षा सिंचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन प्रणालियों, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों की आजीविका के मध्य अंतर्संबंध स्थापित करता है।
- यह भारत के लगभग 180 जिलों में विस्तारित है और मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्र में केंद्रित होने के साथ ही सभी कृषि-जलवायविक क्षेत्रों में विद्यमान हैं। भारत के लगभग 61 प्रतिशत किसान वर्षा सिंचित कृषि पर निर्भर हैं और 55 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र वर्षा सिंचित खेती के अंतर्गत शामिल है।

इन क्षेत्रों का महत्व

- देश के खाद्य उत्पादन में वर्षा सिंचित क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में देश का **88 प्रतिशत दलहन और 40 प्रतिशत चावल** उत्पादित होता है।
- साथ ही ये क्षेत्र देश में **मवेशियों की 64 प्रतिशत आबादी** का भी भरण-पोषण करते हैं।

वर्षा सिंचित कृषि नेटवर्क का पुनरूद्धार

- 600 से अधिक सदस्यों के अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था। इसमें प्रख्यात शिक्षाविद, नीति निर्माता, किसान और नागरिक समाज के संगठन सम्मिलित हैं जो उत्पादक, समृद्ध और लचीली वर्षा सिंचित कृषि के लिए सार्वजनिक प्रणालियों, नीति और निवेश को प्रभावित करने का कार्य करते हैं।
- यह **वर्षा सिंचित कृषि एटलस** प्रकाशित करता है।

वर्षा सिंचित कृषि के साथ अंतर्निहित समस्याएं

- **किसानों की निम्न आय-** जहां सिंचित क्षेत्रों में किसान अपनी **60** प्रतिशत आय कृषि से अर्जित करते हैं, वहीं वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसान कृषि से संबद्ध गतिविधियों से केवल **20-30** प्रतिशत की आय अर्जित करते हैं।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों में अधिकांश लोग निर्धन हैं-** भारत के विभिन्न भागों में विस्तृत वर्षा सिंचित जिलों में सर्वाधिक निर्धन जिलें भी विद्यमान हैं।
- **निम्न फसल उपज-** जहां वर्षा सिंचित क्षेत्रों में औसत पैदावार लगभग **1.1** टन प्रति हेक्टेयर है, वहीं सिंचित क्षेत्रों में लगभग **2.8** टन प्रति हेक्टेयर है।
- **किसानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या-** विशेष रूप से शुष्क भूमि क्षेत्रों में।
- **पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर-** शुष्क भूमि क्षेत्रों का एक तिहाई भाग अत्यधिक निम्नीकृत है, जिसे खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां **500** mm से कम या **1,500** mm से अधिक वर्षा होती है और ये विभिन्न गंभीर जल प्रबंधन समस्याओं से ग्रसित हैं।

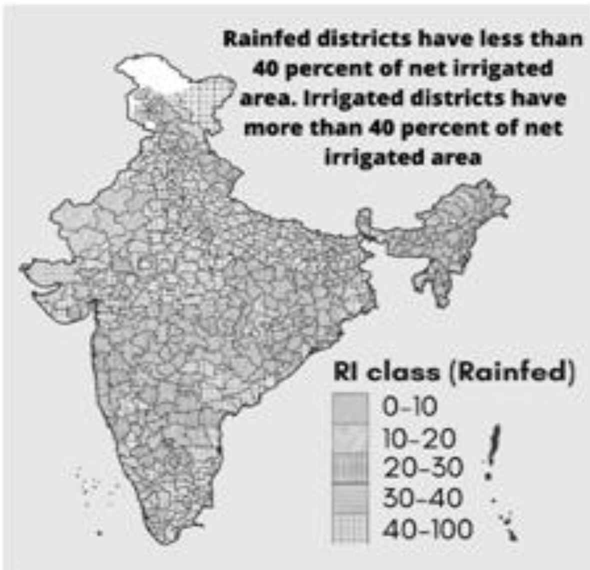

- **सरकारी नीतियां इन क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त सहायक नहीं हैं।**

महत्वपूर्ण सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर: NMSA)** - इसकी परिकल्पना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत उल्लिखित आठ में से एक मिशन के रूप में की गई है। इसके तहत मुख्य बल एकीकृत कृषि, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास-** यह उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से संबद्ध जोखिम को न्यून करने के लिए **एकीकृत कृषि पद्धति (IFS)** पर केंद्रित है।
  - इस प्रणाली के अंतर्गत, फसलों/सस्यन प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्यपालन, कृषि-वानिकी, मधुमक्खी पालन इत्यादि जैसी गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया है

VISION IAS

- यह किसानों को न केवल आजीविका बनाए रखने के लिए कृषि प्रतिफल अधिकतम करने, बल्कि फसल हानि के दौरान संबद्ध गतिविधियों से आय के अवसर के साथ सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का शमन करने में सक्षम बनाया जा सके।

सिंचित कृषि से संबंधित वर्तमान नीतियों के साथ समस्याएं

- **वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र से संबद्ध विशिष्ट योजनाओं का अभाव:** प्रमुख सरकारी योजनाएँ, जैसे- बीज और उर्वरक सब्सिडी से जुड़ी योजनाएँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि सिंचित क्षेत्रों के लिए तैयार की गई हैं और वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उन तक इनका विस्तार कर दिया गया है।
- **अन्य योजनाओं के विस्तार से वर्षा सिंचित खेतों पर नकारात्मक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, सरकारी योजना द्वारा अधिसूचित कई संकर बीजों को उच्च उपज देने के लिए प्रचुर मात्रा में पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार ये अधिकांश वर्षा सिंचित किसानों के लिए उपयोगी नहीं हैं। वाणिज्यिक उर्वरक पर्याप्त जल उपलब्धता के अभाव में मृदा को अक्रियाशील बना देते हैं।
- **अवसंरचना पर अपर्याप्त निवेश:** बड़े बांधों और नहरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रति हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए **5** लाख रूपये के निवेश की आवश्यकता होती है। जबकि वर्षा सिंचित भूमि में वाटरशेड प्रबंधन व्यय मात्र रु. **18,000-25,000** प्रति हेक्टेयर है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों से फसलों की कम खरीद: 2001-02 से 2011-12 तक** सरकार द्वारा गेहूं और चावल (सिंचित क्षेत्रों) पर रू. **5.4 लाख करोड़** व्यय किया गया। जबकि वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उपजाए जाने वाले मोटे अनाजों की इसी अवधि के दौरान केवल रू. **3,200 करोड़** की खरीद की गई।
- **स्थानीय विशेषज्ञता के उपयोग का अभाव:** सरकार के पास देशज बीजों या सब्सिडी वाले जैविक खादों को समान क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए आवश्यक तंत्र उपलब्ध नहीं है।

आगे की राह

- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए पृथक नीति की आवश्यकता:** वर्षा सिंचित क्षेत्र के किसानों को वही अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन सहायता देने की आवश्यकता है, जो सिंचित क्षेत्रों के किसानों को विगत कुछ दशकों (हरित क्रांति) के दौरान प्रदान की गयी है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता:** इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में दो फसल (एक वर्ष में) उगाई जा सकती हैं। इसलिए, **स्थानीय कृषि जलवायविक क्षेत्रों के लिए उपयुक्त** फसलों का वैज्ञानिक चयन किया जाना चाहिए।
- **'इनपुट-केन्द्रित' के बजाए 'आवश्यकता केन्द्रित' दृष्टिकोण को अपनाना:** दीर्घकाल में, प्रधानमंत्री-किसान योजना जैसी नकद प्रोत्साहन और आय सहायता योजनाएँ व्यापक खरीद की तुलना में बेहतर पहल हो सकती हैं।
- **पशुधन पर ध्यान देना:** पशुधन शुष्क पारितंत्रों का एक अनिवार्य घटक है। कृषि संबंधी अन्य कार्यों के लिए उपयोगी होने के अतिरिक्त पशु मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए अति आवश्यक खाद प्रदान करते हैं। संपूर्ण पशुधन सहायता प्रणाली 'दूध केंद्रित' होती हैं। शुष्कभूमि क्षेत्रों के अधिकांश किसानों के लिए पशु पालन के लिए व्यावहारिक रूप से कोई सहायता प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- वर्षा सिंचित कृषि में पर्याप्त निवेश का यहां रहने वाली विशाल और विविधतापूर्ण आबादी के पारिस्थितिकीय, सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव होगा।

7.4. कृषि विपणन

(Agricultural Marketing)

7.4.1. APMC के एकाधिकार को समाप्त करना

(Ending APMC Monopoly)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) के एकाधिकार को समाप्त करने और थोक बाजारों (मंडियों) के बाहर पशुधन सहित कृषि वस्तुओं में व्यापार की अनुमति देने के लिए **महाराष्ट्र, बिहार के पश्चात् दूसरा राज्य** बन गया है।

VISION IAS

APMC के सम्बन्ध में

- वर्तमान में कृषि वस्तुओं का विपणन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित APMC अधिनियम द्वारा प्रशासित होता है।
- कृषि वस्तुओं के साथ-साथ पशुधन भी इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है।
- किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री (कटाई के पश्चात) नीलामी के माध्यम से केवल APMC एक्ट के तहत अधिकृत मंडियों में ही हो सकती है (फार्म गेट अर्थात् खेत पर नहीं)।
- कृषि बाजारों में विसंगतियां दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल APMC अधिनियम, 2003 तथा **कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017** (मॉडल APLM अधिनियम) का प्रस्ताव दिया है।

मॉडल APLM अधिनियम, मॉडल APMC अधिनियम, 2003 से किस प्रकार भिन्न है?

- एक एकल शुल्क के भुगतान के द्वारा अंत:राज्यीय व्यापार की सुविधा उपलब्ध है।
- कृषिगत उत्पादों में ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहन।
- राज्य किसी भी बाजार स्थल को राष्ट्रीय महत्व का बाजार स्थल (MNI) घोषित कर सकता है।
- बाजार शुल्क अधिरोपण पर उच्चतम सीमा फलों एवं सब्जियों हेतु 2% (विक्रय मूल्य का) तथा खाद्यान्नों के लिए 1% निर्धारित है।
- सभी विनियामकीय शक्तियाँ राज्य के कृषि विपणन निदेशक के कार्यालय में निहित होंगी, जिसके द्वारा व्यापारियों एवं नवीन निजी अभिकर्ताओं को लाइसेंस भी जारी किया जायेगा। वर्तमान में ये शक्तियाँ मंडियों को प्राप्त हैं, जिनका प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है।

APMC में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **बाजार का विभाजन:** कृषि बाजार में **APMC का एकाधिकार** एकीकृत बाजारों की तुलना में **ग्राहकों की प्रतिस्पर्द्धा को कम करता है,** क्योंकि यह मंडियों की भौगोलिक सीमा, ग्राहकों की संख्या और ग्राहकों के क्षेत्रक विशिष्टता की पहुंच को सीमित कर देता है। इस प्रकार यह किसानों द्वारा अर्जित की जाने वाली आय को सीमित कर देता है।
- **उच्च स्थानिक मूल्य भिन्नता:** भारत में, किसी जिंस के उच्चतम मूल्य का उसके न्यूनतम मूल्य से अनुपात - जो मूल्य भिन्नता का एक मापक (आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16) है - अमेरिका से लगभग तीन गुना तक देखा गया है। यह इंगित करता है कि बाजार भलीभांति एकीकृत नहीं है और लॉजिस्टिक्स लागत उच्च है।
- **व्यावसायिक समूहन या कार्टेलाइजेशन:** व्यापारियों द्वारा मंडियों में कार्टेलाइजेशन, मंडियों में मूल्य-निर्धारण तन्त्र को बाधित करता है।
- **मध्यस्थता का उच्च स्तर:** अशोक दलवई समिति के अनुसार, किसानों को उपभोक्ता मूल्य का मात्र 15% से 40% हिस्सा प्राप्त होता है । संस्थागत ऋण बाजार की अनुपलब्धता (जिसके कारण किसान मध्यस्थों से अपनी फसल की बिक्री होने की शर्त पर उधार लेते हैं), भंडारण सुविधा की कमी, उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत किसान को प्राप्त होने वाले मूल्य और उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल्य के अंतर को और बढ़ा देती है। फलस्वरूप न तो किसानों को उच्च मूल्य प्राप्त हो पाता है और न ही उपभोक्ताओं को कम कीमत पर खाद्यान्न की प्राप्ति हो पाती है।
- **उच्च लाइसेंस शुल्क तथा APMC उपकर और कर:** किसानों और क्रेताओं दोनों पर लगायी गयी उच्च आढ़त (कमीशन) दर से कृत्रिम मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। इससे उपभोक्ता के लिए अंतिम लागत बढ़ जाती है परन्तु उसका लाभ किसान तक नहीं पहुंचता है।
- **बर्बादी (खराब भंडारण और परिवहन):** APMCs भंडारण और परिवहन सुविधाओं के रूप में किसी भी प्रकार का मूल्यवर्द्धन नहीं करता, जिसके कारण अत्यधिक क्षति होती है।

आगे की राह

- **बाजार अवसंरचना का सृजन:**
  - भौतिक एकीकरण: रेल-सड़क के विस्तार ने अमेरिका के कृषि बाजारों के परिदृश्य को ही परिवर्तित कर दिया है।
  - डिजिटल एकीकरण: ई-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। राज्य को एक एकल बाजार के रूप में मानने के स्थान पर, सम्पूर्ण देश को एक एकीकृत बाजार के रूप में देखा जाना चाहिए।
- **लक्षित बाजारों को परिवर्तित करना:** महाराष्ट्र और बिहार की भांति, अन्य राज्यों को भी उन कानूनों को संशोधित करना चाहिए जो किसानों को अपने उत्पादों को (विशेषकर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को) केवल स्थानीय मंडियों में ही बेचने के लिए बाध्य

VISION IAS

करते हैं। निजी क्षेत्रक-प्रोन्नत बाजारों (मंडियों) के लिए भूमि और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कुछ पूरक उपायों के प्रावधान करने की आवश्यकता है। किसान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधी बिक्री से अधिकतम लाभ अर्जित कर सकते हैं।

- **शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए परिवहन और भंडारण अवसंरचना:** वर्तमान समय में भारत में रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के माध्यम से मूल रूप से केवल फार्मास्यूटिकल और डेयरी उत्पादों का ही परिवहन होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में परिवहन और माल भाड़े में सब्सिडी इन उत्पादों की बेहतर उपलब्धता और आपूर्ति में सहायक होंगे। वर्तमान में **भारत की शीत भंडारण क्षमता** केवल 3.5 करोड टन है, जो आवश्यकता से 30-40 लाख टन कम है तथा इसे और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
- **राष्ट्रीय महत्व के बाजारों (MNI) की स्थापना:** वर्तमान में दिल्ली के आजादपुर में देश की एक मात्र MNI कृषि मंडी है। यह एशिया में सबसे बड़ी मंडी भी है। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के और बाजारों/मंडियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।
- **किसान उत्पादक संघ और सहकारी समितियों की स्थापना:** ये लघु और सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। ये उच्च मांग वाले राज्यों में 'अधिशेष' उत्पादन वाले क्षेत्रों से उपज की आपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष विपणन चैनल के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम का पुनर्गठन:** कॉर्पोरेट कम्पनियों को कृषि वस्तुओं के व्यापार में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, एक से अधिक आउटलेट वाले खुदरा व्यापारियों, बड़े डिपार्टमेंटल रिटेलरों इत्यादि को स्टॉकहोल्डिंग सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
- **वैकल्पिक विपणन विकल्प:** जैसे- अनुबंध खेती, किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations: FPOs) / सहकारी समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष विपणन, नेशनल कमोडिटी और डेरीवेटिव्स एक्सचेंज के माध्यम से कमोडिटी कारोबार। ई-RaKAM (डिजिटल स्पॉट ट्रेडिंग मार्केट), NSEL (जहाँ वस्तुओं की गोदाम रसीदों का कारोबार होता है) इत्यादि।
- **राष्ट्रव्यापी मूल्य प्रसार तंत्र:** वायदा बाजार आयोग (FMC) ने एक **ई-पोर्टल 'AGMARKNET'** की स्थापना की है। यह APMC बाजारों, किसान मंडियों, किसान विकास केन्द्रों (KVK), राज्य कृषि बोर्डों इत्यादि से जुड़े ई-पोर्टल पर रियल टाइम के थोक मूल्य प्रदर्शित करता है।

ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs) -

- केंद्र ने ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में मार्च 2019 तक मनरेगा के माध्यम से आधुनिकीकरण और अवसंरचना के विकास के लिए **1,878 ग्रामीण हाटों** की पहचान की है।
- इनका स्वामित्व स्थानीय निकायों (पंचायतों/परिषदों), राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभागों, सहकारी समितियों, विपणन बोर्डों/APMCs और निजी क्षेत्रक के पास है।
- GrAMs को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से जोड़ना। GrAMs को APMC अधिनियम के विनियमन से बाहर रखना।
- **महत्व**
  - यह **लघु और सीमांत किसानों** की बाजारों, विशेष रूप से eNAM के साथ **भागीदारी भी सुनिश्चित** करेगा।
  - कृषि एवं बागवानी उत्पादों में वृद्धि के साथ-साथ जागरूकता में वृद्धि, **ग्रामीण बाजारों में अत्यधिक उत्पादों के अंतर्वाहों में वृद्धि** करेगी। इसके अतिरिक्त, यह पशुधन आदि जैसे गैर-कृषि उत्पादों हेतु मार्ग भी प्रशस्त करेगा।
  - वर्तमान में **उपलब्ध अवसंरचना को उन्नत बनाकर** बड़ी संख्या में प्राथमिक ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना का परामर्श दिया गया है ताकि **निम्नलिखित दो सेवाएं** बेहतर ढंग से प्रदान की जा सकें:
  - उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य प्रत्यक्ष विपणन; और
  - किसानों के छोटे-छोटे समूहों के लिए संग्रहण प्लेटफॉर्म।

7.4.2. कृषि निर्यात नीति, 2018

(Agriculture Export Policy, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने तथा 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से** भारत सरकार ने हाल ही में कृषि निर्यात नीति, 2018 प्रस्तुत की है।

VISION IAS

कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य

- 2022 तक **कृषि निर्यात को दोगुना करना** और इसे वर्तमान के 30+ बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर से अधिक करना तथा उसके बाद अगले कुछ वर्षों में स्थिर व्यापार नीति के साथ इसे 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाना।
- अपनी **निर्यात बास्केट तथा निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने** के साथ ही शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देते हुए उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- नवीन, देशज, जैविक, स्थानिक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को **बढ़ावा** देना।
- बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने, बाधाओं से निपटने और सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिए **संस्थागत तंत्र** प्रदान करना।
- यथासंभव शीघ्रतापूर्वक वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करके विश्व **कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी को दोगुना करने** का प्रयास करना।
- विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने लिए किसानों को सक्षम बनाना।

वर्तमान कृषि व्यापार परिदृश्य

- मुख्य रूप से वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण विश्व कृषि व्यापार **विगत पांच वर्षों (2013-2017) में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है।**
- वैश्विक कीमतों में गिरावट तथा 2014-15 और 2015-16 के दौरान लगातार सूखा पड़ने के कारण **भारत के कृषि निर्यात में 5% CAGR** (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) की दर से कमी आयी है।
- 2007 से 2016 के मध्य चीन (8%), ब्राज़ील (5.4%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (5.1%) की तुलना में भारतीय **कृषि निर्यात में 9% की दर से वृद्धि देखी गयी।** हालाँकि **भारत से कृषि निर्यात** बहुत कम कृषि भूमि वाले देशों जैसे- थाईलैंड और इंडोनेशिया की तुलना में कम है। यह भारत में विद्यमान कृषि निर्यात की उच्च संभाव्यता को दर्शाता है।
- यद्यपि चावल जैसे कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, तथापि इसके **कुल कृषि निर्यात बास्केट का वैश्विक कृषि व्यापार में मात्र 2% से कुछ अधिक का ही योगदान है।**
- इसके अतिरिक्त भारत **वैश्विक कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला के निचले छोर पर** बना हुआ है**,** क्योंकि इसके अधिकांश निर्यात कम मूल्य पर, कच्चे या अर्द्ध-संसाधित रूप में और थोक में विपणित किए जाते हैं।
- भारत की कृषि निर्यात बास्केट में **उसकी उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि उपज की हिस्सेदारी** 15% है, जो अमेरिका के 25% और चीन के 49% की तुलना में कम है। भारत गुणवत्ता, मानकीकरण में एकरूपता के अभाव और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में होने वाले नुकसान को कम करने में अक्षमता के कारण बागवानी उत्पादों के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी उनका निर्यात करने में असमर्थ है।

कृषि निर्यात नीति फ्रेमवर्क (ढांचे) के तत्व

कृषि निर्यात नीति का विज़न: "भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपकरणों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना।"

इन नीतिगत अनुशंसाओं को निम्नलिखित दो व्यापक श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है: **रणनीतिक और परिचालनगत अनुशंसाएँ**

1. रणनीतिक अनुशंसाएँ	
नीतिगत उपाय	**स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था** • यह आश्वासन प्रदान करना कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और सभी प्रकार के जैविक उत्पादों को किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों की परिधि में नहीं लाया जाएगा। • संबंधित हितधारकों और मंत्रालयों के परामर्श से कुछ जिंसों की पहचान करना जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।
	APMC अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क को युक्तियुक्त बनाना • सभी राज्यों द्वारा उनके APMC अधिनियम से शीघ्र ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों को हटाने इत्यादि सहित कई प्रकार के सुधारों के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के क्षेत्रीय कार्यालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्ड और उद्योग संघों का एक पक्ष (एडवोकेसी फोरम) के रूप में उपयोग किया जाना। • राज्य सरकारों से बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए मंडी करों को मानकीकृत/तर्कसंगत बनाने का भी आग्रह किया जाएगा।

अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स समर्थन	• फ़सल कटाई से पूर्व और फ़सल कटाई के बाद की सुविधाएँ, भंडारण और वितरण, प्रसंस्करण सुविधाएँ, सड़कें और पत्तनों पर विश्व स्तर की निकासी बिन्दु अवसंरचना (एग्ज़िट पॉइंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) तेज गति से व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। • **मेगा फूड पार्क**, अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ और **एकीकृत शीतगृह भंडारण श्रृंखला (कोल्ड चेन)** का विकास करना। • **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्लस्टरों की** पहचान करना, पत्तनों पर शीघ्र ख़राब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी के साथ **समर्पित कृषि बुनियादी ढांचे के अंतर्देशीय परिवहन** लिंक का निर्माण करना।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण	• निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास करने हेतु **कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों को सम्मिलित करना।** किसानों की निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने तथा निर्यात संभावनाओं के विषय में किसानों के मध्य जागरुकता उत्पन्न करने के लिए **कृषि विज्ञान केंद्रों** को भी इस कार्य में शामिल किया जाएगा। • कृषि-खाद्य उत्पादन और व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावी एवं मानक तरीके से समाविष्ट करने वाली यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) / यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर (USDA) और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी (EFSA) जैसी **समान प्रकार की एजेंसियों** की दिशा में कार्य करना। • भारतीय उत्पादों द्वारा सामना की जाने वाली **सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी (SPS)** और **टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड (TBT)** जैसी प्रमुख बाधाओं के प्रति समग्र अनुक्रिया।
कृषि निर्यातों में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी	• कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **नोडल राज्य विभाग/एजेंसी** की पहचान करना। • राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यातों को **सम्मिलित करना।** • कृषि निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए **अवसंरचना और लॉजिस्टिक का विकास।** • संघ स्तर, राज्य स्तर और क्लस्टर स्तर पर **निर्यात का समर्थन करने के लिए संस्थागत तंत्र** विकसित करना। • **उद्योग निकायों/संघों** को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए **प्रोत्साहित करना** तथा अनुसंधान और विकास में उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

2. परिचालनगत अनुशंसाएँ		
क्लस्टर पर फोकस	• **चुनिंदा उपज (उपजों) के लिए ब्लॉक स्तर पर गांवों के क्लस्टर (समूह) के अंतर्गत** समूह उद्यम (उद्यमों) के तौर पर संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में छोटे व मध्यम किसानों की प्रभावी सहभागिता और संलग्नता के लिए **संस्थागत तंत्र स्थापित करना।** इससे कृषक समुदाय को वास्तविक लाभ प्राप्त करने में और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के माध्यम से अपनी आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगी। • इन क्लस्टरों का सफल कार्यान्वयन होने पर ये **कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZs) के तौर पर विकसित** हो सकेंगे जिससे इन समूहों को ऐसे क्षेत्रों से मूल्यवर्धन, सामान्य सुविधा निर्माण और उच्च निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी।	• **कृषि-निर्यात क्षेत्र (AEZ)** की अवधारणा को वर्ष 2001 में, निर्यात-आयात नीति (EXIM Policy) 1997-2001 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित किसी विशेष उपज/उत्पाद के सन्दर्भ में व्यापक विचार करना है ताकि निर्यातों को सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल का सृजन किया जा सके या उसे कहीं से प्राप्त किया जा सके तथा उसके प्रसंस्करण/पैकेजिंग प्रक्रियाओं की व्यवस्था की जा सके। • AEZ मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय और नीतिगत हस्तक्षेपों की देखरेख करने वाली केंद्र व राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के **अभिसरण पर फोकस** करता है। • वर्ष 2004-05 तक सरकार द्वारा कुल **60 AEZs** को अधिसूचित किया गया था। **2004 के बाद कोई नया AEZ स्थापित नहीं किया गया है।** सभी अधिसूचित AEZs ने अपनी 5 वर्षों की नियत अवधि को पूरा कर लिया है और अब इन्हें बंद कर दिया गया है।

VISION IAS

मूल्यवर्द्धित निर्यात को बढ़ावा	• **स्वदेशी वस्तुओं** के लिए उत्पाद विकास और मूल्यवर्धन। • मूल्यवर्धित **जैविक उत्पादों** को प्रोत्साहन। ○ जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग। ○ जैविक और देशज उत्पादों के लिए समान गुणवत्ता और पैकेजिंग मानकों का विकास। ○ **पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक उत्पाद** – 'अमूल' जैसी सहकारी समितियों का विकास। • नवीन बाजारों हेतु नए उत्पादों के विकास के लिए **अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों** को प्रोत्साहन। • **कौशल विकास।**
"ब्रांड इंडिया" का विपणन और संवर्धन	• जैविक, मूल्यवर्धित, देशज, GI, क्षेत्र-विशिष्ट और ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के लिए अलग-अलग वित्त की व्यवस्था करना।
निर्यात उन्मुख गतिविधियों और अवसंरचना विकास हेतु निजी निवेश को आकर्षित करना	• निजी निवेश से होने वाले लाभों में सम्मिलित हैं: बेहतर गुणवत्ता अनुपालन; निर्बाध लॉजिस्टिक हैंडलिंग; सुदूर बाजारों तक विस्तार आदि। • यह उम्मीद की जाती है कि **अवसंरचना विकास से फोकस राज्यों के कृषि निर्यातों को समर्थन** प्राप्त होगा। इसमें शामिल हैं: पैकहाउस, प्रसंस्करण अवसंरचना, निकास बिंदु अवसंरचना, एयर कार्गो सुविधाएँ और विदेश में अवसंरचना।
	• **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) और डिजिटलीकरण:** फार्म (खेत) स्तर पर – कृषकों के भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, **वाणिज्य विभाग में बाज़ार आसूचना कक्ष** और सूचना प्रसार के लिए पोर्टल, व्यापार प्रक्रियाएं एवं उनका सरलीकरण और शिकायत निवारण कक्ष।
	• **समुद्री प्रोटोकॉल का विकास:** दूरस्थ बाजारों के लिए **शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों** के संदर्भ में समुद्री **प्रोटोकॉल** को प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाना चाहिए। शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों के लिए जहाँ समय एक प्रमुख बाधा होती है, वहीं उनके निर्यात के लिए एक वांछित तापमान पर विशेष भंडारण, परिवहन और उचित हैंडलिंग की भी आवश्यकता होती है।
सुदृढ़ गुणवत्ता तंत्र की स्थापना	• घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए **एकल आपूर्ति श्रृंखला और मानकों** का निर्धारण एवं अनुरक्षण।
	• **SPS और TBT संबंधी अनुक्रिया तंत्र:** यह सुझाव दिया गया है कि वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के प्रतिनिधित्व वाले एक **संस्थागत तंत्र का निर्माण** किया जाए जो बाजार तक पहुँच हेतु भारत के निवेदन से संबद्ध मुद्दों से निपटे और व्यापारिक भागीदारों के भारतीय बाजार तक पहुँच स्थापित करने के निवेदनों की जांच करे तथा SPS और TBT व्यवधानों का शीघ्र निपटारा करे।
	• **अनुरूपता मूल्यांकन:** बहुत सारे आयातक देश भारत के निर्यात निरीक्षण एवं नियंत्रण प्रक्रियाओं को मान्यता नहीं देते हैं। भारतीय परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुरूपता मानकों की मान्यता का अभाव निर्यातकों और किसानों के लिए महंगा साबित होता है।
अनुसंधान एवं विकास	• **निजी उद्योगों के नेतृत्व** में होने वाले कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा **इसके साथ-साथ सरकार द्वारा अवसंरचना पर किया जाने वाला अधिक व्यय** ही कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, पैकेजिंग में नवाचार, उत्पादों की सेल्फ लाइफ में सुधार और आयातक देशों के रुचियों के अनुरूप उत्पादों को विकसित करने में अधिक से अधिक R&D को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
विविध	• **कृषिगत-स्टार्टअप फंड का निर्माण:** कृषिगत उत्पादों के निर्यात के लिए नए उद्यम शुरू करने हेतु उद्यमियों को समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

नीति के कार्यान्वियन में आने वाली चुनौतियां

- वैश्विक बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्ष **2022 तक 60 बिलियन डॉलर** के कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना **महत्वाकांक्षी प्रतीत** होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि **भारत के निर्यात बास्केट** में मुख्य रूप से मांस, समुद्री उत्पाद और बासमती चावल शामिल हैं, जिनकी मांग वैश्विक बाजार में स्थिर है या कम लोचशीलता वाली है।

VISION IAS

- जब कभी भी महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों (जैसे- आलू, प्याज, दालों आदि) की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो भारत आयातों को बढ़ा देता है। इससे स्थानीय उत्पादकों को बहुत हानि होती है। खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति को कम रखने के लिए सस्ते आयातों का समर्थन करते हुए **भारत सरकार सदैव "उपभोक्ता-समर्थक" रही है।**
- खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए **निर्यात शुल्कों में आकस्मिक वृद्धि करने और आयात शुल्कों में कमी करने** के कई उदाहरण हमारे समक्ष हैं। जब वर्ष 2016-17 में कीमतों में वृद्धि हुई थी तो केंद्र ने गेहूं पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत कटौती कर दी थी। इससे बाजार में ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से होने वाले आयातों की बहुतायत हो गयी थी। इसी तरह पाम ऑयल पर से आयात शुल्क हटाने से घरेलू तिलहन उत्पादक कृषकों को हानि पहुँची थी।
- गेहूं और चावल के लिए वर्तमान **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** घरेलू बाजार में भारत के खाद्यान्नों को काफी महंगा बना देता है। ऐसी स्थिति में भारत इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात नहीं कर पाता है।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) में विवाद** को भी अप्रासंगिक नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पहले से ही भारत पर कीमतों को कम रखने के लिए किसानों को अत्यधिक सब्सिडी देने का आरोप लगाया जा रहा है।

संबंधित तथ्य

UAE और सऊदी अरब ने अपनी **खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए भारत को एक आधार के रूप में उपयोग** करने का निर्णय किया था। कृषि निर्यात नीति के अनुरूप, फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट (खेत-से-पत्तन तक की परियोजना) विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजना के समान ही होगी परंतु यह केवल निगमित खेतों की शैली में होगा जिसमें फसलों को एक विशिष्ट बाज़ार को ध्यान में रखते हुए उत्पादित किया जाएगा।

7.4.3. भारत में खाद्यान्न प्रबंधन

(Food Grain Management In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा केंद्रीय पूल में रखा जाने वाला खाद्यान्न भंडार पिछले 6 वर्षों के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गया है। इसके मद्देनजर सरकार, गरीबी-रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न में वृद्धि करने की योजना बना रही है।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम ने 2022 तक 100 लाख टन भंडारण क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के क्रम में भंडारगृहों (silo) के निर्माण में तेजी लाने हेतु एक नया रोडमैप लागू किया है।

FCI के संबंध में

1965 में तीन मूल उद्देश्यों के साथ FCI की स्थापना (खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत) की गई थी:

- कृषि उपज विपणन समिति (APMC) द्वारा अधिकृत मंडियों में किसानों द्वारा खाद्यान्न विक्रय न कर पाने की स्थिति में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल की खरीद करके किसानों को प्रभावी मूल्य सहायता प्रदान करना।
- PDS की सहायता से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सब्सिडी पर खाद्यान्न वितरित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- आधारभूत खाद्यान्नों से सम्बन्धित बाजारों को स्थिर रखने के लिए रणनीतिक आरक्षित भंडार बनाए रखना।

भारत में खाद्यान्न प्रबंधन के बारे में

- **उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन भारतीय खाद्य निगम** (FCI) एक नोडल एजेंसी है जो खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन एवं भंडारण, सार्वजनिक वितरण और बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।
- FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से **असीमित आधार (ओपन एंडेड बेसिस) पर खाद्यान्नों की खरीद** (अर्थात्, किसानों द्वारा इसे विक्रय किए जाने वाले समस्त खाद्यान्न की खरीददारी) **करता है**, बशर्ते कि खाद्यान्नों की खरीददारी भारत सरकार के एकसमान गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा करती हो। FCI की ओर से राज्य सरकार की एजेंसियों (SGA) और निजी राइस मिलरों द्वारा भी खरीद की जाती है।

- खरीदे गए समस्त खाद्यान्न से केंद्रीय पूल का निर्माण होता है। खाद्यान्नों को अधिशेष वाले राज्यों से **वितरण हेतु उपभोग/अत्यधिक मांग वाले राज्यों** में तथा **बफर स्टॉक के निर्माण** एवं FCI के गोदामों में भण्डारित करने हेतु ले जाया जाता है।
- खाद्यान्नों का विक्रय FCI और राज्य सरकारों द्वारा **खुली बाजार बिक्री योजना** (OMSS) के तहत किया जाता है अर्थात् विशेष रूप से कम आपूर्ति/उपज वाले मौसम के दौरान खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने तथा खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में खुले बाजार की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से, पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाती है।
- **FCI की आर्थिक लागत के अंतर्गत MSP पर किये जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय की लागत, खरीद से सम्बन्धित व्यय** (जैसे श्रम और परिवहन शुल्क, गोदाम किराया) और **वितरण लागत** (माल ढुलाई, हैंडलिंग, भंडारण और ब्याज प्रभार, भंडारण आदि के दौरान हानि आदि) सम्मिलित हैं।
    - विभिन्न योजनाओं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सहित) के अंतर्गत **खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) के मध्य का अंतर FCI** की परिचालन हानि को दर्शाता है और इसकी **भारत सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है।**

अतिरिक्त बफर स्टॉक की समस्या क्यों है?

- त्रुटिपूर्ण फसल प्रतिरूप के कारण **खाद्यान्नों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होने**, MSP अधिक होने और राज्यों द्वारा खाद्य फसलों पर प्रदत्त अतिरिक्त लाभांश के कारण खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन तथा व्यवहार्य निर्यात निर्गम का अभाव।
- FCI और बफर मानदंड तय करने वाले उपभोक्ता मंत्रालय के मध्य **समन्वय की कमी**।
- **ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट/असीमित खरीद** अर्थात् किसानों, राज्य अभिकरणों आदि द्वारा आपूर्ति किए गए समस्त खाद्यान्न की खरीद करना।
- **स्वचालित निर्धारण मानक का अभाव (automatic liquidation rule):** सामान्यतः FCI को बफर स्टॉक से अधिक समस्त खाद्यान्न का खुले बाजार में विक्रय किया जाना चाहिए। किन्तु, ऐसा कोई नियम नहीं है और यह मंत्रालय के निर्देश पर ही निर्भर है।

भारत की खाद्य प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी समस्याएँ

- **बफर स्टॉक की अधिकता:** ओपन एंडेड/असीमित अनाज की खरीद के कारण अनाज भंडार में खाद्य सुरक्षा की निर्धारित आवश्यकता से भी अधिक वृद्धि हो गयी है। जून 2019 तक FCI और राज्य एजेंसियों द्वारा 76.1 मिलियन टन मुख्य खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का भण्डारण कर लिया गया था, जबकि इसकी निर्धारित आवश्यक मात्रा 61.1 मिलियन टन थी।
- **भंडारण की कमी:** भंडारण के लिए गोदामों की अपर्याप्त संख्या के कारण, खरीदे गए खाद्यान्न का एक भाग बाहरी ढेर के रूप में रखा जाता है ('कवर-एंड-प्लिंथ' प्रणाली)। इस खाद्यान्न के लिए वर्षा से होने वाली क्षति और चोरी जैसे उच्च जोखिम बने रहते हैं।
- **खाद्य मुद्रास्फीति:** सरकार द्वारा 75% से अधिक विपणन योग्य अधिशेष की खरीद कर ली जाती है। इस प्रकार ऐसे खाद्यान्न को भण्डारित किया जाना जो खुले बाजारों में बेचा जा सकता था, खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाता है।
- **खाद्यान्नों की निम्न गुणवत्ता और उच्च अपव्यय:** कीटों के प्रकोप, सूक्ष्मजीव संदूषण, उगने और पकने के कारण फसलों में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन आदि के कारण, खाद्यान्नों/फसलों की शेल्फ लाइफ नकारात्मक रुप से प्रभावित होती है। इरेडिएशन सुविधा का अभाव भी दीर्घकालिक भंडारण में बाधा उत्पन्न करता है।
- **सरकार के लिए उच्च लागत:** अतिरिक्त स्टॉक खरीददारी, परिवहन और संरक्षण का राजकोषीय भार 1 ट्रिलियन रुपये से अधिक है तथा यह खाद्य सब्सिडी बिल में भी वृद्धि करता है।
- **प्रतिचक्रीय खरीद नीति:** सूखे के दौरान जब उत्पादन कम होता है, सरकार किसानों से खाद्यान्न की खरीद और MSP को बढ़ा देती है। इससे खुले बाजार में खाद्यान्नों की आपूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **निजी व्यापार का सीमित होना:** भारत में खाद्यान्न प्रबंधन की वर्तमान व्यवस्था पर सरकार का एकाधिकार है। यह उत्पादन (क्योंकि शस्यन प्रतिरूप MSP से प्रभावित होता है) से लेकर भण्डारण (FCI) और विपणन (APMC) तक है।
    - पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक रूप से उच्च उत्पादक राज्यों में भी, FCI द्वारा **असीमित/ओपन एंडेड खरीद** के कारण निजी व्यापार हाशिए पर चला गया है।
    - इसके अतिरिक्त, **निजी स्टॉक रखने पर सीमाएं** और **अतिरिक्त राज्य लेवी (levies)** भी निजी भागीदारी को कम करते हैं।

VISION IAS

- **अप्रतिस्पर्धी निर्यात:** राज्य द्वारा किया गया अतिरिक्त करारोपण वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात को अप्रतिस्पर्धी बना देता है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) में वृद्धि और **खाद्य मुद्रास्फीति की रोकथाम करने के लिए निर्यात पर अधिकतम सीमा** आरोपित करने जैसी प्रतिक्रियात्मक नीतियों ने भारत के खाद्यान्न निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- **भ्रष्टाचार:** शांता कुमार समिति के अनुसार **40-60% PDS खाद्यान्नों को** FCI के गोदामों से **काला बाज़ार** में पहुँचा दिया जाता है। पंजाब गेहूं खरीद धांधली 2016 जैसे कई घोटाले हाल ही में प्रकाश में आए हैं।
- **FCI पर आर्थिक बोझ:** FCI गेहूं का क्रय लगभग 23 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत पर करता है, जिसे बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। हालांकि, वित्त मंत्रालय खाद्य सब्सिडी लागतों को नियंत्रण में रखने के लिए FCI को निरंतर आवश्यकता से कम प्रतिपूर्ति करता है और परिणामस्वरूप इसे वाणिज्यिक रूप से धन उधार लेना पड़ता है। इससे FCI पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ (2011-16 के बीच, 35,700 करोड़ रुपये) पड़ता है ।

आगे की राह

- फसल उत्पादन को **उच्च मूल्य वाले एवं निर्यात योग्य उत्पादों की ओर उन्मुख** किए जाने की आवश्यकता है। चावल का उपभोग न करने वाले भारत के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में धान की फसल को बासमती, कपास, मक्का, सोयाबीन आदि से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसा कि इनकी घरेलू और विदेशों में अत्यधिक मांग है। हरियाणा द्वारा किसानों को वैकल्पिक फसलों की बुवाई के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
- मूल्य सहायता के साधन के रूप में खरीद प्रक्रिया को **मूल्य अभाव भुगतान और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता से** प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसी के अनुरूप PM-AASHA और PM-KISAN योजनाओं में परिकल्पित किया गया है।
- अतिरिक्त बफर स्टॉक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत **निर्धनों को उनके निर्धारित मासिक कोटे** (5 किलोग्राम) से अधिक भी आवंटित किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, खरीद में विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परिवहन लागत और रिसाव कम करने के लिए आरंभ की गई **विकेंद्रीकृत खरीद योजना (DCP)** को बहुत कम राज्यों द्वारा अपनाया गया है।
    - इस योजना के अंतर्गत, संबंधित राज्य सरकारें स्वयं FCI की ओर से किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करेंगी और उन्हें गरीब लाभार्थियों में वितरित करेंगी।
- अंत में, FCI को कार्यात्मक रूप से अधिक कुशल बनाने के लिए नए सिरे से संगठनात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। 'मोरल हैजर्ड' (अर्थात् आसन्न जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहनों का अभाव) को रोकने के लिए दक्षता को अपनाया जाना अधिक आवश्यक उपाय है, क्योंकि यह तो निश्चित है कि इसका परिचालन, परिचालन घाटे की स्थितियों में ही किया जाएगा।

FCI का पुनर्गठन

भारत में खाद्य प्रबंधन में उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने और भारतीय खाद्य निगम की भूमिका का पुनर्गठन करने के लिए **2014** में **शांता कुमार** की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसकी महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में शामिल हैं -

- **खरीद: FCI** के कई कार्यों को राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रक के निकायों तथा निजी कंपनियों को सौंपकर **FCI** के भार को कम करना।
    - विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP जैसे उत्पादन अधिशेष वाले राज्यों में खाद्यान्नों की खरीद संबंधी कार्य को राज्य सरकारों को सौंप दिया जाना चाहिए।
    - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि पूर्वी राज्यों में, जहां छोटे और सीमांत कृषक अत्यधिक हैं, FCI को अपने मूल्य सहायता से सम्बन्धित कार्यों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
    - FCI को अतिरिक्त बोनस प्रदान करने वाले राज्यों से खाद्यान्नों (PDS हेतु आवश्यक मात्रा से अधिक) की आवश्यकता से अधिक खरीद नहीं करनी चाहिए।
    - FCI की खरीद पर, राज्य सरकार 2% से 15% के बीच कमीशन प्राप्त करती है। अतः केंद्र और राज्य स्तर पर एकसमान दर (~3-4%) तय की जानी चाहिए।
- **खरीद भुगतान प्रणाली:**
    - **परक्राम्य गोदाम रसीद (Negotiable Warehouse Receipts: NWR)** प्रणाली को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। इस प्रणाली के अंतर्गत, किसान अपनी उपज का भंडारण FCI के अधिकृत गोदामों में कर सकते हैं और MSP के तहत मूल्यांकित

VISION IAS

की गयी अपनी उपज पर बैंकों से अग्रिम ऋण ले सकते हैं। यह निजी क्षेत्र की पुनर्स्थापना में सहायता प्रदान करेगा, सरकार पर पड़ने वाले भंडारण की लागत को बड़े पैमाने पर कम करेगा और बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अधिक सुसंगत होगा।
  - यदि बाजार की कीमतें MSP से कम हैं तो भौतिक खरीद की कोई आवश्यकता नहीं है। किसानों को दोनों के बीच अंतर का DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाना चाहिए।
- **बफर स्टॉक:** केवल 10 मिलियन टन तक स्ट्रिप-डाउन बफर स्टॉक (आवश्यक मात्रा) को बनाए रखा जाना चाहिए और अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में खाद्यान्नों का आयात किया जाना चाहिए। सरकार, भावी मूल्य जोखिमों को कम करने हेतु **जिंस बाजारों में** फ्यूचर/ऑप्शन के माध्यम से भी खरीद कर सकती है।
- **भंडारण सुधार:**
  - केंद्रीय भंडारण निगम (CWC), राज्य भंडारण निगम (SWC) और निजी क्षेत्र को भी खाद्यान्न भंडारण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
    - PPP पद्धति के अंतर्गत गोदामों के निर्माण हेतु **निजी उद्यमी गारंटी (PEG) योजना**।
    - ग्रामीण भंडारगृहों के निर्माण और नवीनीकरण के उद्देश्य से पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने हेतु **ग्रामीण भंडारण योजना**।
  - भंडारगृहों **की "कवर एंड प्लिंथ" प्रणाली को** यंत्रीकृत/रोबोटिक्स संरचना द्वारा किये जाने वाले रखरखाव से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
- **परिवहन सुधार:**
  - हानियों को कम करने और रेलमार्गों एवं जलमार्गों द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन या लोडिंग/अनलोडिंग में **बोरों के बजाय कंटेनरों** का प्रयोग करना।
  - **मंडियों में कोष्ठागारों/भंडारगृहों** का निर्माण करना और उन्हें **रेल कनेक्टिविटी** प्रदान करना
  - **ख़राब होने वाली वस्तुओं** के रेफ्रिजेरेटेड परिवहन हेतु **प्रशीतक वाहनों का उपयोग** किया जाना चाहिए।
  - खरीद से लेकर खुदरा वितरण तक पूर्ण कम्प्यूटरीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग।
- **MSP नीति:** गेहूं और चावल के पक्ष में अधिक झुकी हुई प्रोत्साहन संरचना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए तथा दालों और तिलहन के लिए बेहतर मूल्य सहायता प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जानीं चाहिए।
- **अधिशेष बफर स्टॉक के लिए अग्रसक्रिय तरलता नीति:** जब भी FCI की मालसूची में बफर मानदंडों से ऊपर खाद्यान्न हो, तो स्वतः उस **अतिरिक्त स्टॉक का खुले बाजार (घरेलू या निर्यात) में विक्रय** कर दिया जाना चाहिए।

7.5. संबद्ध क्षेत्र

(Allied Sectors)

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रक निर्धनता, बेरोजगारी तथा असमानता को कम करके, आय विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर और सतत विकास को प्राप्त करके भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका का निर्वाह करता है।
- हाल के वर्षों में, भारतीय कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण भारत की कृषि गतिविधियों में अधिकाधिक कमी होती जा रही है, और संबद्ध गतिविधियां आजीविका रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण भाग बनती जा रही हैं।
- बढ़ती आय के साथ उपभोग प्रतिमान में परिवर्तन इन उत्पादों की मांग में वृद्धि को दर्शाता है क्योंकि भारत में आय में वृद्धि और निर्धनता में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, इनमें से कई उत्पादों के लिए विशाल निर्यात बाजार विद्यमान हैं जो उत्पादकता, मजदूरी और आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।
- **कृषि से संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम**
  - **एकीकृत कृषि प्रणाली**, जो कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन और मधुमक्खी-पालन पर ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रणाली से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि इससे सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
  - **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR):** किसानों के प्रयास को सबल बनाने, जोखिम को कम करने और कृषि व्यवसाय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि को लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाने हेतु।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति**: यह किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान, "हर मेड़ पर पेड़" के उद्देश्य से "कृषि वानिकी उप-मिशन" नामक एक विशेष योजना आरम्भ की गई और संचालित की गई।
- **पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन:** इसके अंतर्गत किसानों की आय में विविधता लाने के लिए बांस की कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है। बांस के बिना किसी समस्या के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए, बांस को 'वृक्ष' की परिभाषा से बाहर करने हेतु **भारतीय वन अधिनियम, 1927** में संशोधन किया गया था।
- **श्वेत क्रांति,** राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशज नस्लों के संरक्षण, आनुवंशिक रचना में सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि की स्थापना करके, डेयरी उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों का सृजन।
- **मधुमक्खी पालन:** को बड़ी संख्या में किसानों/मधुमक्खीपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने, मधुमक्खी पालकों और शहद समितियों/कंपनियों/फर्मों का पंजीकरण करने एवं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केन्द्र (IBDC) की स्थापना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

7.5.1. मत्स्यपालन

(Fisheries)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमति ने विशेष **मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)** के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)

FIDF की विशेषताएं

- **वित्तपोषण:** इस अनुमोदन में अनुमानित निधि आकार 7,522 करोड़ रुपये का है। इसमें नोडल ऋणदाता संस्थाओं (Nodal Loaning Entities: NLEs) द्वारा 5,266.40 करोड़ रुपये, लाभार्थी योगदान द्वारा 1,316.6 करोड़ रुपये और भारत सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के माध्यम से 939.8 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
- **नोडल ऋणदाता संस्थाएं (NLEs):** NLEs में शामिल हैं: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी समिति निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक।
- **निवेश गतिविधियों को वित्तपोषण:** FIDF मत्स्य उद्योग के विकास के लिए पहचानी गई निवेश गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों, राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों और उद्यमियों आदि को रियायती वित्त प्रदान करेगी।

FIDF के लाभ

- **उत्पादन में वृद्धि: नीली क्रांति के अंतर्गत** 2020 तक निर्धारित 15 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि; और उसके पश्चात् 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन को लगभग 20 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचाने के लिए 8%-9% की संधारणीय वृद्धि प्राप्त करना।
- **रोजगार के अवसर:** यह मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में 9.40 लाख मछली पकड़ने वालों/मछुआरों/मछुआरा समुदायों और अन्य उद्यमियों को रोजगार प्रदान करेगी।
- **निवेश में वृद्धि:** क्रेडिट सुविधाएं मत्स्यपालन और अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन में निवेश को आकर्षित करने में सहायता करेंगी।
- **नवाचार**: ओपन सी केज फार्मिंग (Open sea cage farming) जैसी **नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाने को सुविधाजनक बनाया जाएगा।**

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्रक

- भारत में अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त लगभग 8,118 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि यहाँ मत्स्यपालन की **व्यापक संभावना** विद्यमान है।
- भारत में अनुमानित **मछली उत्पादन** 11.4 मिलियन टन है। इसमें से 68% अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्रक से और शेष 32% समुद्री क्षेत्रक से दर्ज़ किया गया है।

VISION IAS

- भारत विश्व में मछलियों और अलवणीय जल की मछलियों का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।
- यह क्षेत्रक वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग **6.3%, GDP में 1.1% और कृषि GDP में 5.15% का योगदान** देता है।
- मत्स्यपालन क्षेत्रक वस्तुत: इस क्षेत्रक में पूर्णरूपेण, आंशिक रूप से या **सहायक गतिविधियों में संलग्न 14.49 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका** का स्रोत है। इसके अतिरिक्त, मत्स्य पालन और जलीय कृषि से सम्बद्ध गौण (अनुषंगी) गतिविधियों में भी लोगों की लगभग इतनी ही संख्या शामिल है।
- **नीली क्रांति (Blue Revolution):** सरकार द्वारा अनुमोदित मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन मत्स्य पालन क्षेत्रक के केंद्रित विकास और प्रबंधन हेतु व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें जलीय कृषि, अन्तःस्थलीय मत्स्य पालन संसाधनों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित समुद्री मत्स्यग्रहण क्षेत्र से मछली उत्पादन और मछली उत्पादकता, दोनों को बढ़ाना सम्मिलित है।

मत्स्यपालन क्षेत्रक हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

अंतर्देशीय मात्स्यिकी हेतु

- विभिन्न राज्यों में समष्टि-प्रबंधन दृष्टिकोण के तहत **"अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास"** पर एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारम्भ की गई है।
- सरकार ने अंतर्देशीय मात्स्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु डॉ.दिलीप कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

राष्ट्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि नीति (NIFAP), 2019 का प्रारूप

- **अंतर्देशीय मात्स्यिकी:** अनुशंसित नीतिगत उपाय-
  - देशज संसाधनों का संरक्षण, नदियों व आर्द्र भूमियों का पुनर्स्थापन आदि।
  - मानवनिर्मित जलाशयों में मात्स्यिकी के प्रबंधन को राज्य मात्स्यिकी विभागों को हस्तांतरित किया जाना।
  - हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मात्स्यिकी का विकास करना।
- **जलकृषि:** अनुशंसित उपाय-
  - राज्य और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजनाओं का विकास,
  - मात्स्यिकी और जलकृषि को कृषि के घटकों के रूप में शामिल करने हेतु भू-उपयोग श्रेणियों को पुनर्परिभाषित करना तथा
  - बीज, आहार और अन्य जलकृषि आगतों के उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना।

समुद्री मत्स्यन हेतु

- सरकार द्वारा **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति 2017** अधिसूचित की गई थी, जिसके तहत स्थानीय मछुआरों की आजीविका को संवर्धित करने हेतु अनन्य आर्थिक क्षेत्र में (EEZ) "लेटर ऑफ परमिट" (LOP) प्रणाली पर रोक लगा दी गई है।
- EEZ में मानसून अवधि के दौरान अधिरोपित मत्स्यन प्रतिबंध से परम्परागत मछुआरों को छूट प्रदान कर दी गई है।
- समुद्री पारितंत्र के संरक्षण हेतु भारतीय EEZ में हानिकारक मत्स्यन पद्धतियों जैसे LED लाइट्स और अन्य कृत्रिम लाइट्स का प्रयोग एवं बुल-ट्रालिंग (bull-trawling) व पर्स सीनिंग (purse seining) की पद्धति तथा गिल नेटिंग (gill netting) परिचालनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- सरकार द्वारा मछुआरों की एक जनगणना तैयार की गई है, वह मत्स्यन गतिविधियों का एक डेटाबेस निर्मित कर रही है तथा नौकाओं/पोतों को दुर्घटना से बचाने के लिए समुद्र में परिचालित मत्स्यन नौकाओं में निगरानी उपकरण अधिष्ठापित कर रही है।

समुद्री कृषि पर राष्ट्रीय मसौदा नीति

- राष्ट्र की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु संधारणीय समुद्री कृषि द्वारा उत्पादित **समुद्री खाद्य उत्पादन** को सुनिश्चित करने के लिए **समुद्री कृषि पर राष्ट्रीय मसौदा नीति** तैयार की गई है।
- समुद्री कृषि जलीय कृषि (aquaculture) की एक विशेष शाखा है, जिसमें समुद्र या **ज्वारीय प्रभाव** वाले किसी अन्य जल निकाय में **आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री पौधों और जीव-जन्तुओं की कृषि की जाती है।** इसमें समुद्र की तटवर्ती सुविधाएँ, जैसे- हैचरी, पालन-पोषण एवं विकास प्रणालियों में समुद्री जल का उपयोग करने वाली नर्सरी आदि शामिल होते हैं। यह कृषि सामान्यतः समुद्र में तट से 12 समुद्री मील तक और साथ ही जल निकायों में भी की जाती है जिनमें लवणता समुद्र के लगभग समान ही हो।
- वैश्विक स्तर पर जलीय कृषि पिछले दो दशकों में 6% की वार्षिक संवृद्धि दर के साथ सबसे तेज़ी से **वृद्धिशील खाद्य उत्पादन क्षेत्रक** के रूप में उभरी है। समुद्री कृषि जलीय कृषि का स**बसे तेजी से बढ़ता उप-क्षेत्रक है** और इसकी **संवृद्धि दर** अत्यधिक है।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- समुद्री कृषि क्षेत्र का विकास;
- समुद्री कृषि प्रणालियाँ और प्रजातियाँ;

VISION IAS

- बीज और भोजन की कमी को संबोधित करना; तथा
- अतिरिक्त आजीविका विकल्प उपलब्ध कराना।

आगे की राह

- **कृषि के समरूप:** जल, विद्युत् प्रशुल्क, कर लाभ, सब्सिडी, बीमा और ऋण के संदर्भ में जलकृषि को भी कृषि के समरूप समझने की आवश्यकता है।
- **डॉ. बी. मीना कुमारी समिति की अनुशंसाओं को लागू करना** जैसे कि एक बफर ज़ोन (200 मीटर और 500 मीटर के मध्य की गहराई वाला) का सृजन किया जाना तथा मत्स्यन जाल के वैज्ञानिक प्रयोग को प्रचलित किया जाना।
- मत्स्यपालक समुदायों हेतु **विशेष बीमा प्रणाली** का विकास किया जाना चाहिए तथा अनेक मछुआरों का जीवन बचाने हेतु मछुआरों की सुरक्षा में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।
- केंद्र सरकार की सतत संलग्नता के साथ **सहकारी क्षेत्र के पुनरुद्धार से** वर्ष 2022 तक मत्स्यपालकों की आय को दोगुना करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **संसाधनों का विविधीकरण:** उत्पादन में योगदानों की प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु उच्च भूमि (अपलैंड) जल निकायों, बाढ़कृत मैदानी झीलों और आर्द्र भूमियों, सिंचाई नहरों, लवणीय एवं जल प्लावित क्षेत्रों जैसे अन्य संसाधनों को उत्तरोत्तर मुख्यधारा में लाए जाने की आवश्यकता है।
- **उत्पादकता आवर्धन:** कार्यक्रमों को जलकृषि हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों एवं आहारों के उत्पादन एवं वितरण पर लक्षित होना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त संस्कृति आधारित मत्स्यपालन व जलकृषि हेतु उपयोगी प्रजातियों का पालन भी उत्पादन और उत्पादकता को इष्टतम बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा।

7.5.2. बागवानी

(Horticulture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने **ऑपरेशन ग्रीन्स (केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना)** की परिचालन रणनीति को स्वीकृति दे दी है।

इस संबंध में अन्य जानकारी

- **टमाटर, प्याज** और **आलू (TOP)** की आपूर्ति को स्थिर करने हेतु 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ TOP फसलों की सम्पूर्ण देश में मूल्य अस्थिरता के बिना उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गयी थी।
- केंद्र ने इस पहल के प्रथम चरण के लिए **8 राज्यों** (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल) में स्थित **17 TOP उत्पादक संकुलों** की पहचान की है।
- सरकार का उद्देश्य, योजना के तहत उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं उनकी क्षमता निर्माण हेतु **भारत-इजरायल सहयोग** के अंतर्गत 28 उत्कृष्टता केन्द्रों का उपयोग करना भी सम्मिलित है।
- सरकार ने TOP फसलों का संवर्धित उत्पादन सुनिश्चित करने के साथ ही मूल्य-श्रृंखला में वृद्धि के लिए विशेष **रणनीति और सहायता अनुदान** का प्रावधान किया है।

भारत में बागवानी से संबंधित तथ्य

- विगत दशकों में बागवानी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में प्रति वर्ष 2.6% की वृद्धि हुई है तथा वार्षिक उत्पादन में 4.8% की वृद्धि हुई है।
- विगत पांच वर्षों (2012-13 से 2017-18 तक) में भारत में खाद्यान्न फसलों से बागवानी फसलों की ओर क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।
- भारत फल एवं सब्जियों का विश्व का **दूसरा** सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- कुल बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी (392.48 लाख टन) रहा है तथा इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल का स्थान (324.2 लाख टन) आता है।

VISION IAS

"ऑपरेशन ग्रीन्स" के प्रमुख उद्देश्य:

- **TOP उत्पादन संकुलों** (क्लस्टर) और उनके किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सुदृढ़ करने तथा उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा TOP उत्पादक किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना।
- TOP संकुलों में उचित उत्पादन योजना और दोहरी किस्मों के उपयोग द्वारा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए **मूल्य स्थिरीकरण** करना।
- फार्म गेट अवसंरचना का निर्माण, उपयुक्त एग्रो लॉजिस्टिक्स के विकास और शेल्फ लाइफ में वृद्धि के लिए उपयुक्त भंडारण क्षमता के निर्माण द्वारा **फसल कटाई के पश्चात् होने वाली क्षति को कम करना**।
- उत्पादन संकुलों के साथ सुदृढ़ संबंध स्थापित कर **खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना** तथा TOP मूल्य-श्रृंखला में मूल्यवर्द्धन करना।
- **बाजार आसूचना तन्त्र की स्थापना करना** और TOP फसलों की मांग एवं आपूर्ति के रियल टाइम आंकड़ों को एकत्र करना और उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना।

7.6. कृषि शिक्षा

(Agricultural Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और देश में उच्च कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 1100 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) की शुरुआत गयी है।

कृषि शिक्षा की आवश्यकता

- **कृषि उत्पादकता -** प्रभावी कृषि शिक्षा (किसानों एवं शोधकर्ताओं, दोनों के लिए) कृषि प्रक्रियाओं में बेहतर आर्थिक और तकनीकी निर्णय लेना संभव बनाती है जो भविष्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित होती है।
- **कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला -** कृषि संबंधी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला, अर्थात् कृषि इनपुट से लेकर मार्केट लिंकेज तक सभी कुछ, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इनका समाधान कृषि शिक्षा द्वारा भली भाँति किया जा सकता है।
- **रोजगार -** उभरती श्रम शक्ति को अवशोषित करने के लिए कृषि शिक्षा की आवश्यकता है। विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य फसलों और परिशुद्धता कृषि (प्रिसीजन एग्रीकल्चर) के उभरते क्षेत्रों कारण कृषि शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **श्रम मूल्य -** भारत में कृषि क्षेत्र में व्यक्ति के श्रम का बाज़ार मूल्य कई विकासशील देशों की तुलना में कम है और कृषि शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करते हुए उसके श्रम के बाजार मूल्य को बढ़ाती है।

कृषि शिक्षा द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **वित्त-** कृषि राज्य का विषय है और इसका वैधानिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर अधिरोपित किया गया है। राज्य सरकारों के पास प्रायः निधि का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, कृषि विश्वविद्यालयों की **स्थापना लागत** में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है**,** जबकि परिचालन बजट कम हुआ है। यह संस्था के नवप्रवर्तन संबंधी प्रयासों के समक्ष बाधाएं उत्पन्न करता है।
- **फैकल्टी-** राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs) सेवानिवृत्त हुई **फैकल्टी के स्थान पर नयी फैकल्टी की नियुक्ति न हो पाने की स्थिति का सामना कर रहे हैं।** साथ ही उनमें नियुक्त होने वाली फैकल्टी की अधिकांश आपूर्ति स्वयं उसी विश्वविद्यालय से होती है (अर्थात् अधिकांश फैकल्टी सदस्यों ने उसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की होती है जहाँ वे अध्यापन कर रहे हैं)। इससे शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों की गुणवत्ता बाधित होती है।
- **नेटवर्किंग और गुणवत्ता की कमी –** अधिकतर विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साहचर्य और एकीकरण का अभाव है।
- **निम्न गुणवत्ता -** इन विश्वविद्यालयों में प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता तुलनात्मक रूप से निम्न होती है जो उनकी वैश्विक रैंकिंग को और अधिक प्रभावित करती है।
- **प्रथम विकल्प नहीं -** कम प्रतिफल और करियर के सीमित अवसरों के कारण कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हुई है। परिणामस्वरूप कृषि शिक्षा को छात्रों द्वारा एक विकल्प के रूप में वरीयता प्रदान नहीं की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) के विषय में

- **वित्तपोषण:** इसे विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 भागीदारी के आधार पर वित्तपोषित किया जाएगा।

VISION IAS

- **उद्देश्य:** विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में भाग लेने वाले सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का समर्थन करना।
- **लाभ:** यह तकनीकी रूप से सुदृढ़ और सत्यापन योग्य निवेश को प्रस्तावित एवं कार्यान्वित करने के इच्छुक AUs का समर्थन करके गुणवत्ता संबंधित विषयों को संबोधित करता है। इससे संकाय के प्रदर्शन में सुधार करने, योग्य छात्रों को इन AUs की दिशा में आकर्षित करने, छात्र-अधिगम परिणामों में सुधार करने और विशेष रूप से निजी क्षेत्र में भावी रोजगार हेतु उनकी संभावनाओं में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होती है।

संघटक

- **संस्थागत विकास योजनाएं (IDPs): NAHEP** के तहत ऐसे चयनित सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों को **संस्थागत विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा** जो अधिगम परिणामों, AUs के छात्रों की भविष्य में रोजगार प्राप्त करने की संभावना, संकाय शिक्षण प्रदर्शन और अनुसंधान प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु प्रयासरत हैं।
- **उन्नत कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र (CAAST):** महत्वपूर्ण एवं उभरते कृषि विषयों हेतु शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार प्रदान करने के लिए बहु-विषयक केन्द्र स्थापित करने वाले चयनित सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों को CAAST द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- **चयनित सहभागी कृषि विश्वविद्यालयों के लिए नवाचार अनुदान:** कृषि विश्वविद्यालयों को सुधार हेतु तैयार करने के लिए (अर्थात् मान्यता प्राप्त करने हेतु) तथा पहले से सुधार कर चुके AUs और अन्य अंतरराज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक भागीदारियों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त AUs को परामर्श प्रदान करने हेतु।
- **परिणामों की निगरानी और मूल्यांकन:** शिक्षा प्रभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा **NAHEP** के सभी संघटकों की गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए **निगरानी और मूल्यांकन (M&E) प्रकोष्ठ** की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

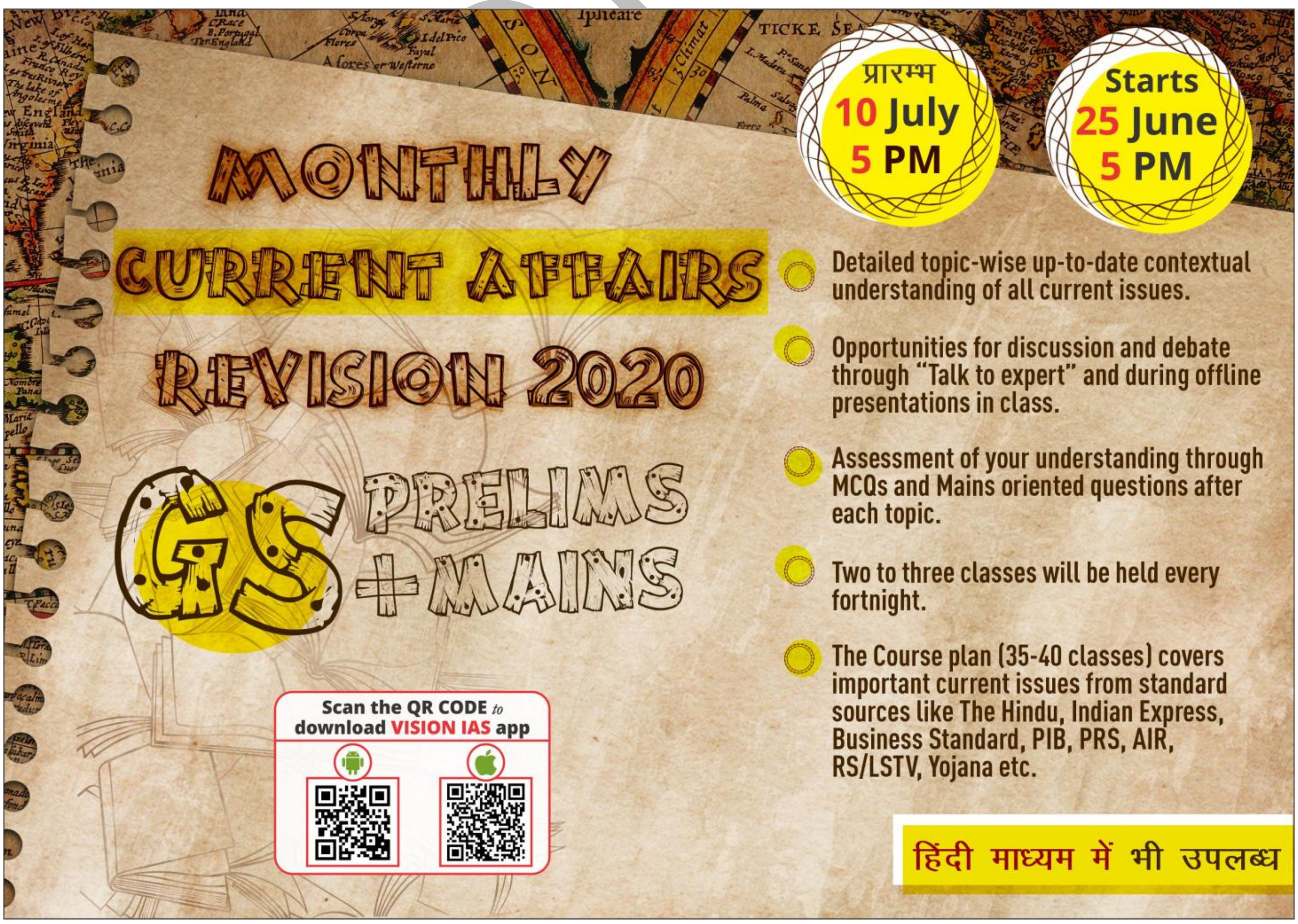

8. औद्योगिक नीति और संबद्ध मुद्दे (Industrial Policy and Associated Issues)

भूमिका

- तीव्रता से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद, भारत के हालिया विकास का महत्वपूर्ण पहलू सेवा क्षेत्र की गतिशीलता है। हालांकि, अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों, जहां विनिर्माण क्षेत्रक की वृद्धि दर सम्पूर्ण जीडीपी की तुलना में अधिक रही है, के विपरीत भारत के विनिर्माण क्षेत्रक का विकास अत्यंत मंद गति से हुआ है।
- अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में विनिर्माण क्षेत्रक के योगदान तथा विनिर्माण क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता के मध्य बढ़ता अंतर चिंता का विषय है।
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन में **सुधार** हुआ है। वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) की वृद्धि दर 2017-18 के 5.9 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 6.9 प्रतिशत रही।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारतीय उद्योग हेतु अवसर

- भारत, **निम्न लागत वाली अर्थव्यवस्था** बना हुआ है।
- भारत में **युवा आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक** है।
- भारत को निरंतर **शीर्ष निवेश गंतव्य** के रूप में रेट किया जाता रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह न केवल घरेलू बचत में अंतर को समाप्त करने में सहायता करता है बल्कि प्रबंधकीय एवं तकनीकी कौशल के संदर्भ में भी लाभ प्रदान करता है।
- भारत की **सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रभावशाली स्थिति** बनी हुई है। वर्तमान में इसका सॉफ्टवेयर सेवाओं में प्रभुत्व है। यह हार्डवेयर में प्रभुत्व होने के अवसर का भी लाभ उठा सकता है।
- GST कर सुधार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए भारत को एक समान बाजार में बदल देगा।
    - यह संभवतः उद्योगों द्वारा सबसे अधिक लाभप्रद चुनने की उस प्रथा को भी समाप्त करेगा, जो उन्हें राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र-आधारित छूट के कारण प्राप्त होती है तथा यह देश भर में एकसमान व्यापार परिवेश का निर्माण भी करेगा।

औद्योगिक विकास में बाधाएं

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** भारत, भौतिक अवसंरचना क्षमता के साथ-साथ दक्षता के सन्दर्भ में गंभीर कमी से ग्रस्त है।
- **प्रतिबंधित श्रम कानून:** ये नियोक्ताओं को नियमित आधार पर श्रमिकों को नियोजित करने से हतोत्साहित करते हैं। संभवत: इसके कारण उद्यमियों द्वारा श्रम गहन क्षेत्रों का चयन नहीं किया जाता है।
- **जटिल व्यावसायिक परिवेश:** यह विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाने की धीमी गति:** इसके कारण उत्पादकता में कमी आयी है। साथ ही लागत में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की पहुँच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।
- **निम्न उत्पादकता:** भारत में विनिर्माण में प्रति श्रमिक मूल्य वर्धित के रूप में मापी जाने वाली उत्पादकता और औसत मजदूरी चीन की तुलना में केवल एक तिहाई है।
- **व्यापार के लिए चुनौतियां:** वैश्विक मांग में गिरावट/संकुचन, सस्ते आयात (चीन) से कड़ी प्रतिस्पर्धा और विश्व भर में बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति।
- **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर अपर्याप्त व्यय**

यह भी समझा जाना चाहिए कि ये कारक वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये सभी कारक दृढ़ता से एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा परस्पर एक-दूसरे को बल प्रदान करते हुए लाभप्रदता को कम करते हैं। सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस दुष्चक्र की कड़ियों को एक से अधिक स्थानों पर तोड़ा जाए।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में औद्योगिक नीति पर संसदीय स्थायी समिति की वाणिज्य रिपोर्ट में की गयी अनुशंसाएं-

- **अनुसंधान एवं विकास:** औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत बनाए जाने और उद्योगों द्वारा विश्वविद्यालयों/IITs से अपेक्षाकृत अधिक संपर्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- **बौद्धिक सम्पदा अधिकार ढांचा-** यह सुनिश्चित करना चाहिए कि TRIPS में शामिल किए गए मानकों के अतिरिक्त सुरक्षा हेतु किन्हीं अन्य उच्चतर बौद्धिक सम्पदा मानकों पर सहमति प्रदान न की जाए।

VISION IAS

- **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति**
  - **स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देने** के लिए इसे पुनर्विन्यासित किया जाना चाहिए जिससे शून्य उत्सर्जन, शून्य दुर्घटनाएं, शून्य-त्रुटिपूर्ण विनिर्माण आदि वर्तमान की प्राथमिकताएं बन जाएं।
  - हमारे विनिर्माण क्षेत्र को चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश करने के लिए तैयार करने और स्मार्ट बनाने हेतु इसमें स्मार्ट औद्योगिक प्रक्रियाओं व संधारणीय प्रथाओं के सहज समावेश को संभव बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास निधि (TADF)** के ढांचे पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
  - पूंजीगत वस्तुओं (capital goods) के उद्योगों में निवेश को पुनः प्रवर्तित किया जाना।
- **लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र-** MSMEs को समय पर और वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए सूचना तक पहुंच सुलभ होनी चाहिए, ऋण प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए और ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- **श्रम और औद्योगिक विकास-** श्रम क्षेत्र में विद्यमान कानूनों की अधिकता में कमी और उनका सरलीकरण किया जाना।
- **स्किल-इंडस्ट्री इंटरफ़ेस को बढ़ाना-** भारत में दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्मिकों की आवश्यकताओं के साथ संतुलित नहीं हैं, इसलिए श्रमबल की ज़रूरतों के साथ कौशल विकास कार्यक्रम का उचित संरेखण आवश्यक है।

8.1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(Micro, Small and Medium Enterprises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित **'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर विशेषज्ञ समिति'** की रिपोर्ट को जारी किया गया।

MSMEs की परिभाषा

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम (संयंत्र तथा मशीनों में निवेश)	सेवा उद्यम (उपकरणों में निवेश)
सूक्ष्म	25 लाख रुपए तक	10 लाख रुपए तक
लघु	25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक	10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक
मध्यम	5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक	2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक

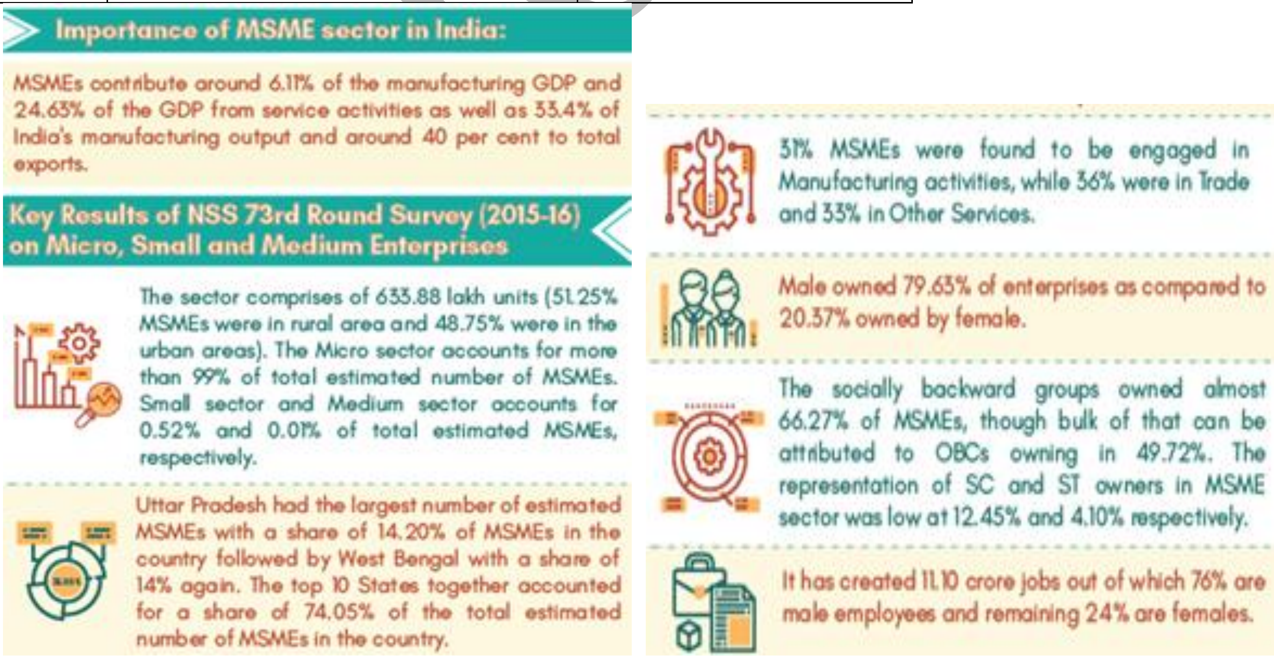

MSMEs के समक्ष व्याप्त मुख्य चुनौतियां :

- **सीमित पूंजी:** आर्थिक सर्वेक्षण **2017-18** के अनुसार पर्याप्त और समय पर **बैंकिंग वित्त पोषण** का अभाव है। MSMEs को नवंबर 2017 तक कुल प्रदत्त ऋणों का **केवल 17.4 प्रतिशत** प्राप्त हुआ था।

- विभिन्न कारकों के कारण MSMEs को **विलंबित भुगतान** की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उनके व्यवसाय संचालन के समक्ष वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है।
- उत्पादन क्षमता के कम होने तथा आंतरिक क्षमताओं के अभाव के कारण, MSMEs को अपने उत्पादों की विक्रय करने हेतु **उचित बाजारों तक पहुंच स्थापित करने में कठिनाई** होती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र** में MSMEs की व्यापक स्तर पर विद्यमानता, उन्हें अपने लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता योजनाओं का उपयोग करने से वंचित करती है।
- **प्रौद्योगिकी का अभाव: उपयुक्त प्रौद्योगिकी** की अनुपलब्धता के कारण लोगों के मध्य यह धारणा बनना कि MSMEs के उत्पाद कम गुणवत्ता मानकों वाले होते हैं।
- **कम उत्पादन:** अप्रभावी विपणन रणनीति, आधुनिकीकरण और विस्तार आदि में बाधाओं जैसे कारणों से।
- जल, विद्युत आपूर्ति, सड़क एवं रेल और टेलीफोन कनेक्टिविटी जैसी **आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी।**
- संकुलों (क्लस्टर्स) की संख्या अत्यधिक है, परन्तु संकुलों की विकास गतिविधियों के संचालन हेतु **संसाधनों की उपलब्धता** सीमित है।
- **अनुसंधान संस्थानों** (प्रौद्योगिकी के आपूर्तिकर्ता) तथा **MSMEs की व्यवसाय आवश्यकताओं** (प्रौद्योगिकी के उपयोगकर्ता) के मध्य विशाल अंतराल विद्यमान है।
- वर्तमान में, MSMEs को उद्योग आधार पोर्टल, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) जैसी विभिन्न इकाइयों में **बहुविध पंजीकरण** कराने की आवश्यकता होती है। यह पंजीकरण प्रक्रिया को कठिन बना देता है तथा प्रयासों का दोहराव भी होता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम

- **MSMEs आउटरीच कार्यक्रम** को देश भर के 100 जिलों को सम्मिलित करते हुए 100 दिनों तक संचालित किया गया। इसके अंतर्गत सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)** क्षेत्रक को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के विषय में उद्यमियों को अवगत कराने के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों ने इन जिलों का दौरा किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से कहा है कि वे **खुदरा ऋणों और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों को दिए गए ऋणों की परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) ब्याज दरों** को बाह्य बेंचमार्कों जैसे रेपो दर या ट्रेजरी बिल से सम्बद्ध कर दें।

MSMEs की सहायता करने के लिए अन्य सरकारी योजनाएँ:

MSMEs के लिए ऋण और वित्तीय सहायता

- **MSMEs के लिए ऋण तक आसान पहुंच को संभव बनाने के लिए 59 मिनट का ऋण पोर्टल:** इस पोर्टल का लिंक GST पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
- **ब्याज अनुदान:** नए या वृद्धिशील ऋणों पर GST के अंतर्गत पंजीकृत सभी MSMEs को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट अवधि में ऋण प्राप्त करने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज छूट में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
- **नकद प्रवाह की निश्चितता:** 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से **व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली (TReDS)** के अंतर्गत लाया जाएगा। इस पोर्टल से जुड़ने से उद्यमी अपने आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी नकदी के चक्र से जुड़ी समस्या का समाधान होगा।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है।
- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना** के अंतर्गत नए व मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उधार लेने हेतु प्रति इकाई 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित पात्र ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी) प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है।
- **क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना (CLCSS)** का लक्ष्य MSME क्षेत्रक के प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुविधाजनक बनाना है।
- सरकार ने सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों से संबंधित विकास और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** भी आरंभ की है।

VISION IAS

कौशल विकास और प्रशिक्षण

- प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क और व्यवसाय विचार कार्यक्रम के इनक्यूबेशन तथा वाणिज्यीकरण के माध्यम से स्टार्ट-अप प्रोत्साहन का ढांचा तैयार करने के लिए **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन के लिए योजना (ASPIRE/एस्पायर)**।

अवसंरचना

- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए फंड की योजना (**SFURTI**)
- सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना (**MSE-CDP**)

विपणन सहायता

- **MPDA** (बाजार संवर्धन विकास सहायता) के अंतर्गत खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
- **MSME** विलंबित भुगतान पोर्टल - **MSME समाधान**
- **MSME** के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल - **MSME संबंध**
- **अनिवार्य सार्वजनिक खरीद:** सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से MSMEs से अपनी कुल 20 प्रतिशत खरीद के बजाय 25 प्रतिशत की खरीद करना अनिवार्य बनाया गया है।
- **महिला उद्यमी:** MSME से 25 प्रतिशत खरीद (अनिवार्य बनाई गई) में से 3 प्रतिशत अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है।
- **GeM पोर्टल:** केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक उपक्रमों को अब अनिवार्य रूप से GeM का भाग बनना होगा। उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को भी GeM पर पंजीकृत कराना होगा।

प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्द्धा

- **ZED (जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट) प्रमाणन में MSME** के लिए शून्य त्रुटि उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाने के साथ और पर्यावरण आदि को प्रभावित किए बिना उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में अपने गुणवत्ता मानकों का उन्नयन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **MSME** को वित्तीय सहायता।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नस

- **फार्मा कंपनियों को सहायता:** फार्मा MSMEs क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इन क्लस्टरों को स्थापित करने की लागत का 70 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- **एक वार्षिक रिटर्न:** 8 श्रम कानूनों और 10 संघ विनियमों के अंतर्गत रिटर्न अब वर्ष में केवल एक बार दाखिल किया जाएगा।
- **इंस्पेक्टर राज का अंत:** अब एक इंस्पेक्टर द्वारा दौरा किए जाने वाले प्रतिष्ठानों का निर्णय कंप्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से किया जाएगा और इंस्पेक्टर को 48 घंटे के भीतर पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करनी ही होगी।
- **पर्यावरण अनुमतियों में छूट:** किसी इकाई की स्थापना करने के एक भाग के रूप में, किसी उद्यमी को दो अनुमतियों अर्थात् पर्यावरणीय अनुमति और स्थापित करने हेतु स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत अब इन दोनों का एक ही अनुमति में विलय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रिटर्न को स्व-प्रमाणन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।

अन्य सेवाएं

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र।**

समिति की मुख्य अनुशंसाएं

- **विधायी ढाँचे की समीक्षा:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 को एक व्यापक और समग्र MSME कोड के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें विधायी ढांचे के अंतर्गत विद्यमान विविध जटिल कानूनों को समाप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- **MSME की परिभाषा को परिवर्तित करना:** MSME की परिभाषा को वर्तमान की निवेश-आधारित परिभाषा से परिवर्तित कर **टर्नओवर-आधारित** किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिक पारदर्शी व प्रगतिशील है तथा इसे सरलता से क्रियान्वित किया जा सकता है। यह मौजूदा परिभाषा में विनिर्माण उद्यमों के प्रति विद्यमान पूर्वाग्रह को भी समाप्त करेगी।
- **खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना:** गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GEM) पोर्टल को बढ़ावा देकर इसकी भुगतान प्रणाली में सुधार करना।

- **विभिन्न एजेंसियों की भूमिका:**
  - लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित **राज्य वित्तीय निगम (SFC)** को राज्य विधानों द्वारा अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है।
  - प्रचार कार्य (promotional work) पर ध्यान केन्द्रित करने सहित **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)** को निगमित किया जाना चाहिए।
- **MSMEs के लिए एग्जिट पॉलिसी:** इस क्षेत्रक में विशेषज्ञता का अभाव एक प्रमुख मुद्दा है। ऐसे में MSMEs को **दिवालियापन संहिता/प्रत्यायोजित विधान** के माध्यम से आउट-ऑफ-कोर्ट सहायता प्रदान की जानी चाहिए (जैसे- मध्यस्थता, वित्तीय शिक्षा या न्यासियों के चयन जैसे मुद्दों के संबंध में)।
- **संकुलों (क्लस्टरों) का प्रदर्शन:** इनके प्रदर्शन में निम्नलिखित के माध्यम से सुधार किया जा सकता है:
  - कई सहायता योजनाओं के अंतर्गत सहक्रिया और समन्वय स्थापित कर।
  - प्रशिक्षण, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे अन्य हितधारकों के साथ संबंध विकसित करने में **बिज़नस मेम्बरशिप ऑर्गेनाइजेशन (BMOs)** जैसे स्थानीय मध्यस्थों को शामिल करके।
- **बाज़ार सहायता:** विकास सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को विकसित कर MSMEs के लिए बाज़ार सहायता को बढ़ाया जा सकता है। यह क्षमता और संसाधनों की कमी का सामना कर रहे MSMEs को आवश्यकता के अनुसार समाधान प्रदान कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुंच:** प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित प्रयासों को समेकित करने हेतु एक प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से MSMEs की प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और अधिक उद्योग विशिष्ट प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है।
- **MSMEs हेतु राष्ट्रीय परिषद:** सुसंगत नीतिगत दृष्टिकोण तथा निगरानी के संबंध में एकरूपता स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में MSME के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना।

MSMEs को वित्तपोषण के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने हेतु अनुशंसाएँ

- MSMEs के मूल्यांकन हेतु बैंको को अपने पारंपरिक तरीकों का त्याग करना चाहिए। बैंकों को MSMEs के अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हुए ऋण प्रदान करना चाहिए।
- विलंबित भुगतानों की समस्या के समाधान हेतु एक द्वितीय **ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)** विंडों की स्थापना की जा सकती है।
- विभिन्न एजेंसियों द्वारा निवेश की क्राउड सोर्सिंग को प्रोत्साहित करने हेतु एक गैर-लाभकारी **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)** की स्थापना की जानी चाहिए।
- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** को अवसंरचना तथा क्लस्टर विकास के लिए राज्य सरकारों को सॉफ्ट लोन प्रदान करने हेतु **प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल (PSS) निधि** का उपयोग करना चाहिए। **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** तथा **सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (MFIs)** जैसी निजी ऋणदाताओं के साथ मिल कर असेवित जिलों और क्षेत्रों में भी MSMEs के लिए क्रेडिट बाज़ारों की पहुँच को बढ़ावा देना चाहिए।

आगे की राह

MSMEs क्षेत्रक का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के लिए कई प्रकार से अहम है। उपर्युक्त अनुशंसाओं के उचित कार्यान्वयन के अतिरिक्त, इटली की **सहयोग आधारित प्रतिस्पर्धा** अवधारणा, मेक्सिको की **कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंसिंग** तथा चीन में एक प्रौद्योगिकी हब के रूप में **शेनज़ेन** की सफलता जैसी सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से भी सीख प्राप्त की जा सकती है।

8.2. SEZ नीति रिपोर्ट

(SEZ Policy Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की वर्तमान **SEZ नीति** का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित **बाबा कल्याणी समिति** ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

VISIONIAS

SEZ का प्रदर्शन

- 31 मार्च 2018 तक देश में 355 अधिसूचित SEZ में से 223 परिचालनरत SEZ थे।
- SEZ में कुल निवेश (31 मार्च, 2018 तक) 4.75 लाख करोड़ रुपये था और इसने लगभग 20 लाख नौकरियां सृजित की थीं।
- SEZ से होने वाला निर्यात 2017-18 में लगभग 5.81 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2016-17 में 5.23 लाख करोड़ और 2015-16 में 4.67 लाख करोड़ से अधिक है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विशेष रूप से निरूपित शुल्क मुक्त विदेशी अंत:क्षेत्र हैं और व्यापार परिचालनों तथा शुल्कों एवं प्रशुल्कों के प्रयोजन से विदेशी क्षेत्र माने जाते हैं।

भारत की SEZ नीति 1 अप्रैल 2000 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 का निर्माण किया गया जो SEZ नियम 2006 द्वारा समर्थित है।

SEZ अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन
- रोजगार अवसरों का सृजन
- अवस्थापना सुविधाओं का विकास

SEZ नियम निम्नलिखित के संदर्भ में प्रावधान करते हैं:

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास, परिचालन और रखरखाव के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं व SEZ में इकाइयां स्थापित करने एवं व्यवसाय संचालित करने हेतु;
- SEZ या उसके भीतर इकाई स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस हेतु;
- केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस हेतु;
- स्व-प्रमाणन पर बल देने के साथ सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं और प्रलेखन हेतु।

SEZ का अनुमोदन तंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था: विकासकर्ता द्वारा संबंधित राज्य सरकार को **SEZ** की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार को ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि से **45** दिनों के भीतर अपनी अनुशंसाओं के साथ प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करना होता है। **आवेदक के पास प्रस्ताव सीधे अनुमोदन बोर्ड को भी प्रस्तुत करने का विकल्प होता है।**

- **SEZ** अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा **सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में अनुमोदन बोर्ड** का गठन किया गया है।
- अनुमोदन बोर्ड में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

प्रमुख चुनौतियां और समाधान

- **SEZ में अप्रयुक्त भूमि (25,000** हेक्टेयर से अधिक), विभिन्न क्षेत्रों के लिए **SEZ** में भूमि के उपयोग में लचीलेपन की कमी के कारण है। **इस चुनौती का समाधान "SEZ** में खाली भूमि का इष्टतम उपयोग (भूमि उपयोग में लचीलेपन की अनुमति देकर और क्षेत्रक-विशिष्ट बाधाएं दूर करके) करना है।"
- **आर्थिक क्षेत्रों के कई मॉडलों** जैसे **SEZ,** तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, खाद्य पार्क और वस्त्र पार्क की मौजूदगी।
    - **समाधान:** केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवों के समूह ने इन मॉडलों को **"तर्कसंगत"** बनाने की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (**DIPP**) एवं **NITI** आयोग इस चुनौती से निपटने के लिए "औद्योगिक समूहों के लिए मास्टर प्लान का विकास" करने जा रहे हैं।
- **वर्तमान क्षमता का अल्प उपयोग।** वर्तमान में, **SEZ** इकाइयों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (**DTA**) की इकाइयों के लिए "जॉब वर्क" (किसी अन्य व्यक्ति या इकाई की वस्तुओं पर कार्य करते हुए उस कार्य के किसी भाग या सम्पूर्ण कार्य को पूरा करना) करने की अनुमति नहीं है। कोई भी क्षेत्र जो भारत में **SEZ** या किसी अन्य कस्टम बॉन्डेड जोन (कस्टम विभाग द्वारा नियंत्रित क्षेत्र) के बाहर स्थित है, उसे **DTA** के रूप में जाना जाता है। **DTA** से **SEZ** में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जाता है और **SEZ** से **DTA** में आने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को आयात माना जाता है। यह अनुशंसा की गई है कि **"DTA** के लिए जॉब वर्क की अनुमति" देकर **"SEZ** इकाइयों में वर्तमान क्षमता का इष्टतम उपयोग" किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **SEZ की घरेलू बिक्री को हानि का सामना करना पड़ता है** क्योंकि उन्हें मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) के लिए निर्धारित कम दरों की तुलना में "पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है"। यह सुझाव दिया गया है कि घरेलू बिक्री के लिए भी "सर्वश्रेष्ठ FTA दरों" की अनुमति दी जानी चाहिए।
- 1 अप्रैल, 2012 से SEZ पर **न्यूनतम वैकल्पिक कर** (MAT) के साथ ही 1 अप्रैल, 2017 और 1 अप्रैल, 2020 से **नए SEZ और नई इकाइयों पर आयकर का आरोपण**। विशेषज्ञों ने आयकर लाभ और साथ ही MAT छूट की पुनर्स्थापना का समर्थन किया है।
  - साथ ही, **GST के अंतर्गत परिवर्तित कराधान व्यवस्था का SEZ नियमों से तालमेल बैठाने की** आवश्यकता है।
- एक **अन्य चुनौती "SEZ इकाइयों द्वारा DTA क्षेत्र को प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान की आवश्यकता"** रही है। इस समस्या से निपटने के लिए, SEZ अधिनियम, 2005 में "सेवाओं" की परिभाषा में संशोधन का सुझाव दिया गया है।
  - स्वीकृति के लिए प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने की बात आने पर **राज्य सरकारों से समर्थन की कमी।**
- **अन्य मुद्दे:** व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय की अन्य मांगें भी हैं। इनमें - SEZ और औद्योगिक पार्कों के निर्माण को अवसंरचना की श्रेणी में करना, संपूर्ण SEZ अवसंरचना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की अनुमति देना, ECB के माध्यम से पुनर्वित्तपोषण विकल्प की अनुमति देना; अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए "जोखिम भारांश मानदंड" को शिथिल करना सम्मिलित है।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति देने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने और शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम, 2007 की कुछ धाराओं को निरस्त करने की भी मांग की गई है।
  - वाणिज्य मंत्रालय SEZ में स्थित इकाइयों को 2011 में उन पर लगाए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर, या MAT से छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ लगातार लॉबिंग करता रहा है।
- SEZ नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए कुछ प्रोत्साहनों को **अमेरिका द्वारा WTO में चुनौती दी गई है** और उन्हें अन्य प्रशमनकारी मदों से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता हो सकती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019

- यह विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है और 2 मार्च, 2019 को जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।
- अधिनियम के अंतर्गत 'व्यक्ति' की परिभाषा में व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, सहकारी समिति, फर्म या व्यक्तियों का एक संघ सम्मिलित है। यह विधेयक इस परिभाषा में **दो और श्रेणियों** एक ट्रस्ट, या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली किसी अन्य इकाई को सम्मिलित करता है।

चीन क्यों सफल हुआ जबकि भारत में SEZ को सीमित सफलता मिली?

निम्नलिखित आठ विशेषताओं ने चीन में SEZ की सफलता में योगदान दिया है: अद्वितीय अवस्थिति, विशाल आकार, अनिवासी चीनियों के प्रति निवेश अनुकूल दृष्टिकोण, आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज, उदार सीमाशुल्क प्रक्रियाएं, लचीले श्रम कानून, मजबूत घरेलू बाजार तथा क्षेत्रों का प्रशासन करने के लिए प्रांतों और स्थानीय प्राधिकरिणों के पक्ष में शक्ति का विकेन्द्रीकरण।

- चीनी SEZ को **भौगोलिक लाभ** प्राप्त है क्योंकि भारतीय SEZ के विपरीत, जो मुख्य भूमि में अधिक हैं, अधिकांश चीनी SEZ पत्तनों के निकट स्थित हैं। पांच SEZ में से शेन्ज़ेन, शान्तोऊ और झुहाई चीन के प्रवेश द्वार - हांगकांग से सटे गुआंगडोंग प्रांत में स्थित हैं।
- चीन में SEZ की सफलता के लिए **आकार** एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक SEZ 1,000 हेक्टेयर (जो न्यूनतम अनुशंसित क्षेत्र है) से अधिक में विस्तृत है। भारत में SEZ में परिवर्तित किए गए EPZ इसका एक तिहाई भी नहीं हैं।
- भारत के विपरीत, जहां घरेलू बाजार में बिक्री में नीतिगत बाधाएं विशाल घरेलू बाजार की क्षमता बाधित करती हैं, **चीन का मजबूत घरेलू बाजार** SEZ की सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
- जहां चीन में SEZ का बल **विदेशी निवेश और आधुनिक तकनीक** आकर्षित करने पर रहा है, वहीं भारत में निर्यात पर बल दिया गया है।
- **शक्ति का विकेंद्रीकरण** भी चीन में SEZ की सफलता का एक प्रमुख कारण है। प्रांतीय और स्थानीय प्राधिकरणों को उनमें विदेशी निवेश को स्वीकृति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित करके सहभागी और हितधारक बनाया गया है।

VISION IAS

- **SEZ में जब चाहे रखो और हटाओ की नीति** भी चीन में विदेशी निवेशकों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रही है। सभी नौकरियां श्रमिक अनुबंध आधार पर हैं, जो अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाती हैं और किसी विशिष्ट नौकरी के लिए निश्चित/लचीली हो सकती हैं। इसके विपरीत, भारत में श्रम नीति निवेश के बजाय श्रमिक उन्मुख है।

समिति की अनुशंसाएं

- **रोजगार और आर्थिक विदेशी अंत:क्षेत्र (Employment and Economic Enclaves: 3E) के रूप में SEZ का रूपांतरण:** SEZ समिति की अनुशंसाओं का मुख्य बल इस बात पर है कि SEZs का संकेन्द्रण निर्यात के बजाय आर्थिक और रोजगार विकास पर होना चाहिए। इसे साकार करने के लिए, विनिर्माण SEZ के लिए प्रोत्साहन विशिष्ट मापदंडों पर आधारित होना चाहिए जिसमें मांग, निवेश, रोजगार और प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन और समावेशिता सम्मिलित हैं।
- **SEZ (3E) के लिए अन्य समर्थन**
  - 3E इकाइयों को क्षेत्र से बाहर निर्बाध रूप से व्यवसाय का समर्थन करने हेतु सक्षम बनाने के लिए लचीलापन।
  - निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी दरों पर स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPPs) से इकाइयों को सीधे विद्युत की आपूर्ति।
  - ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न अनुमोदनों में तेजी लाना।
  - 3E के साथ MSMEs को एकीकृत करना और प्राथमिकता उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।
  - 3E परियोजनाओं को उन्हें सस्ता वित्त उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का दर्जा देना।
- **दूरस्थ SEZ से कनेक्टिविटी:** सरकार द्वारा राजमार्गों और शहरी संकुलों से दूर स्थित क्षेत्रों के लिए 'लास्ट माइल' और 'फर्स्ट माइल' कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाना चाहिए।
- **ITES की सफलता की पुनरावृत्ति करना:** IT और ITES जैसे सेवा क्षेत्र द्वारा दर्ज की गयी सफलता को स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवा, कानूनी, मरम्मत और डिजाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **कर लाभ**: सेवा SEZ के लिए, कर लाभ बनाए रखा जाना चाहिए जिसमें सनसेट क्लॉज़ (वह प्रावधान जिसमे यह उल्लेख किया गया हो कि कोई विधि या संविधि किस तिथि तक प्रभावी रहेगी) का विस्तार, चिह्नित की गयी रणनीतिक सेवाओं के लिए करों को कम करना (जैसे कि MAT को 9 प्रतिशत तक कम करना और DDT से छूट), वस्तुओं और सेवाओं के बीच समता लाने के लिए भारतीय मुद्रा में घरेलू बाजार में आपूर्ति की अनुमति देना सम्मिलित है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता:** समिति ने मजबूत मध्यस्थता और वाणिज्यिक न्यायालयों के माध्यम से समयबद्ध ऑनलाइन अनुमोदन और विवाद समाधान का उपयोग करते हुए अपेक्षाकृत सरल प्रवेश और निकासी प्रक्रियाओं का समर्थन किया है।
- **विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों और GST के अनुरूप,** समिति ने "केंद्रित विविधीकरण (focused diversification)", जैसे इंजीनियरिंग और डिजाइन, बायोटेक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए **सनराइज (अपेक्षाकृत नयी तथा तेज़ी से उभरने वाली सेवाएं) लिस्ट तैयार करने** की अनुशंसा की है।
- औद्योगिक पार्कों, निर्यात उन्मुख इकाइयों, **SEZ,** राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों और क्षेत्रकीय पार्कों की **एक जैसी योजनाओं के बीच प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए नीतिगत ढांचे में तालमेल बैठाना** और विकासकर्ताओं एवं प्रयोगकर्ताओं या किरायेदारों (tenants) को व्यवसाय करने की सुगमता प्रदान करना।

8.3. राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019

(National Mineral Policy, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए इस क्षेत्रक के लिए अधिक प्रभावी विनियमन के साथ-साथ अधिक संधारणीय दृष्टिकोण प्रदान करना है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 वस्तुतः **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य** वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 को प्रतिस्थापित करेगी।

VISION IAS

- खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा करने के लिए **डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता** में एक समिति का गठन किया गया था।
- मंत्रालय ने इस नीति को उक्त समिति की रिपोर्ट और हितधारकों के साथ अनुवर्ती विचार-विमर्श के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया है।

नीति की समीक्षा की आवश्यकता

- **भारतीय खनन क्षेत्रक की निम्न संवृद्धि दर-** पिछले दशक के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्रक का योगदान केवल **1-2** प्रतिशत (प्रमुख खनन अर्थव्यवस्थाओं में **5** से **6** प्रतिशत के विपरीत) रहा है।
- **अन्वेषण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है-** भारत में खनिजों का उत्पादन बनाम आयात का अनुपात **1:10** है। उच्च आयात का मुख्य कारण उद्योगों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता है। इसलिए अन्वेषण को उद्योग के रूप में अपनाया जाना चाहिए और अन्वेषण हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर अवकाश, कर लाभ आदि के साथ इससे स्टार्ट-अप के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- **निवेश हेतु निजी क्षेत्रक को पर्याप्त समर्थन का अभाव-** कंपनियों द्वारा विभिन्न जोखिमों के कारण खनिजों के अन्वेषण में पर्याप्त निवेश नहीं किया जाता है।
- **अवैध खनन की समस्या के प्रभावी समाधान की आवश्यकता-** उल्लेखनीय है कि ओडिशा में **102** खनन पट्टों को वन अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं था।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान की आवश्यकता-** उदाहरण के लिए, खनन कार्य के कारण बेल्लारी में उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या; साथ ही खनन की गई भूमि का पुनरुद्धार और सुधार करने की आवश्यकता है।
- **अंतरपीढ़ीय अधिकारों से संबंधित समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है।**

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 की मुख्य विशेषताएं

- निजी क्षेत्रक के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए **समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।**
- निजी क्षेत्रक के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए यह **खनन गतिविधि को उद्योग दर्जा प्रदान करता है।**
- **खनिजों के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति** निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने और व्यवसाय में स्थिरता लाने में सहायता करेगी।
- नीति **अनन्य खनन क्षेत्रों (Exclusive Mining Zones)** की अवधारणा प्रस्तुत करती है। इन क्षेत्रों को खनन पट्टा प्रदान करने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सांविधिक अनुमति प्राप्त होगी।
- **इंटर जनरेशनल इक्विटी की अवधारणा को अपनाया गया है** जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के बल्कि अगली पीढ़ियों के कल्याण से संबंधित है।
- परियोजना प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के समान विकास के लिए **जिला खनिज निधि का उपयोग।**

नीति का विश्लेषण

नीति के गुण

- **व्यापार अनुकूल नीति:** यह अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर सकती है। इसका लक्ष्य आगामी 7 वर्षों में खनिज उत्पादन में 200% तक वृद्धि करना है।
- **संधारणीयता संबंधी प्रावधान:** क्योंकि इसके अंतर्गत अंतर-पीढ़ीगत समानता पर विचार किया गया है।

नीति के दोष

- **पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निर्बल:** इस नीति में प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट और परिचालन लागत को कम करने के लिए केवल "खनन स्थलों पर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग" किए जाने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह संबंधित कानूनों के अंतर्गत खनन क्षेत्रों में प्रदूषण निगरानी के लिए मानकों के निर्धारण और रूपरेखा तंत्रों को निर्दिष्ट करने संबंधी निर्देश प्रदान नहीं करती है।
- **संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है:** नीति में संधारणीय विकास के उच्चतम वैश्विक मानकों का अनुपालन करते हुए नए युग के खनिजों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर चर्चा नहीं की गई है। साथ ही उनके निष्कर्षण एवं डाउनस्ट्रीम उत्पाद विकास पर बौद्धिक संपदा प्राप्त करने के संबंध में भी इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

आगे की राह

उद्योग, केन्द्र और राज्य सरकारों, विनियामकों जैसे सभी हितधारकों के मध्य पूर्ण तालमेल की आवश्यकता है ताकि इस नीति का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

VISION IAS

8.4. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019

(National Policy on Electronics, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति, 2019 (NPE 2019) को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस नई नीति की आवश्यकता

- **भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की विकासशील प्रकृति- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012** (NPE 2012) के तत्वावधान में कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों ने एक प्रतिस्पर्द्धी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) वैल्यू चैन को सफलतापूर्वक सुदृढ़ किया है। NPE-2019 को देश में ESDM उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से NPE 2012 द्वारा स्थापित आधार पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के परवर्ती प्रभाव-** जैसे बढ़ती सुरक्षा संबंधी चिंताएं, बढ़ती प्रतिलोमित शुल्क संरचनाएं, बड़ी शक्तियों पर निर्भरता और रोजगार सृजन की क्षमता।
- इस प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र केवल उपभोग वस्तु के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण का क्षेत्र नहीं है, अपितु इसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र के कार्य संचालन पर होता है।

NPE 2012 के अंतर्गत प्रारंभ पहलें

- NPE 2012 के पश्चात आरम्भ की गयी **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (M-SIPS),** के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु सब्सिडी प्रस्तावित की गई है। हालाँकि, उसके बाद जमा किए गए आवेदनों की स्वीकृति और किए गए निवेशों की दर कम ही रही है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना**, वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना ने राज्य सरकार की संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं को एक क्लस्टर के भीतर बेहतर गुणवत्ता युक्त अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना के तहत ग्रीनफील्ड EMC के लिए परियोजना लागत का 50% हिस्सा और ब्राउनफील्ड EMC के लिए 75% हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड (EDF) योजना**, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। EDF निधियों का कोष है जो जोखिम पूंजी में निवेश करता है।

नीति के मिशन और उद्देश्य

- इस नीति का उद्देश्य भारत को **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) के एक वैश्विक केंद्र** के रूप में स्थापित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु घरेलू विनिर्माण, कौशल विकास, स्टार्ट-अप व निर्यात पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और ESDM उद्योग की व्यवसाय करने की सुगमता (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) में सुधार किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमरीकी डॉलर का कारोबार करना और ESDM क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।

NPE 2019 में रेखांकित रणनीति

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी ESDM क्षेत्र के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण –** कर प्रोत्साहनों, **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों** की स्थापना, डिफेंस ऑफसेट और सेमी-कंडक्टर फैसिलिटी, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स आदि जैसे उप-क्षेत्रों के प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी ESDM क्षेत्र के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण किया जाएगा।
- **व्यवसाय करने की सुगमता में वृद्धि- इन्वेस्ट इंडिया, राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन एवं सुविधा एजेंसी** जैसे मौजूदा तंत्रों के उपयोग के माध्यम से वैश्विक निवेशकों के लिए सिंगल विंडो तंत्र की सुविधा प्रदान करके।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में **उद्योग-आधारित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना**। इसके अंतर्गत 5G, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स/सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादि क्षेत्रों की विभिन्न पहलों को प्रदत्त समर्थनों को शामिल किया जाएगा। इन समर्थनों में नए शैक्षिक पाठ्यक्रम, इन्क्यूबेशन सेंटर, **स्वतंत्र पेटेंट फंड** शामिल होंगे और यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के सम्पूर्ण जीवन-चक्र में **संधारणीयता के सिद्धांतों** को समाहित करेगा।

VISION IAS

- **विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य-श्रृंखला को प्रोत्साहित करना-** ताकि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार किया जा सके और साथ ही **राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा ग्रिड, संचार नेटवर्क, डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं** में इसकी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित किया जा सके।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स के उप-क्षेत्रों में मुख्य दक्षताओं का विकास करना-** जैसे कि भारतीय फैब-लेस चिप डिजाइन उद्योग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, गतिशीलता के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग।
- **इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण परिवेश का संवर्द्धन-** लिथियम-आयन सेल, चिप घटकों, ईंधन सेल, ऑप्टिकल फाइबर, सौर सेल इत्यादि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण परिवेश का संवर्द्धन करना।
- **अधिमान्य बाजार पहुंच-** राज्यों को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 (**PPO 2017**) को अपनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की खरीद में (साइबर सुरक्षा सहित) **सरकारी ई-बाजार क्षेत्र** (GeM) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के माध्यम से।
- **अन्य उपाय-** ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए इको-पार्क को बढ़ावा देना, कच्चे माल का भंडारण करना, **विदेशों में (अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया) दुर्लभ मृदा धातुओं की खानों का अधिग्रहण** करना और राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग की प्रस्थिति के आकलन के लिए एक सूचकांक को विकसित करना।

8.5. चौथी औद्योगिक क्रांति

(Fourth Industrial Revolution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) ने भारत में **चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु एक केंद्र** का शुभारम्भ किया है।

चौथी औद्योगिक क्रांति और भारत

भारत के लिए अवसर

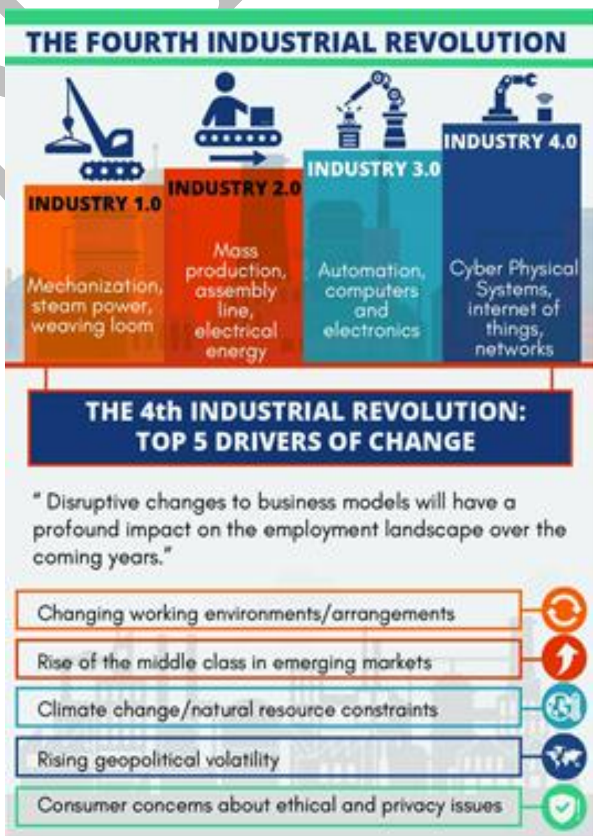

- बेहतर **जनांकिकीय लाभांश** के लाभों के कारण भारत चौथी वैश्विक औद्योगिक क्रांति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है (2020 तक, चीन और अमेरिका में लोगों की औसत आयु 37 वर्ष होगी जबकि इसकी तुलना में भारत में औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी)।
- भारत दूरसंचार के क्षेत्र में **अपने विस्तार** तथा डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्ट-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी सरकार की पहलों के कारण डेटा उपयोग और उपलब्धता में भारी वृद्धि का अधिकतम लाभ उठा सकता है।
- निर्धनता कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और दिव्यांग लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI)** का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। AI का विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् चिकित्सा से लेकर आपराधिक न्याय, विनिर्माण, वित्त तक में व्यापक अनुप्रयोग है।
- **नियामकीय फ्रेमवर्क, शैक्षणिक परिवेश और सरकारी प्रोत्साहनों** जैसे उत्प्रेरकों के उचित मिश्रण से भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से यह अपनी संवृद्धि और विकास के परिणामों की गुणवत्ता, समता और स्थायित्व को भी बढ़ा सकता है।

भारत के लिए चुनौतियां

- नौकरियों की संख्या में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में भारत के निम्न कौशल प्राप्त युवाओं को बड़े उद्योगों और साथ ही MSMEs में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि **उत्पाद चक्र बहुत अल्पकालिक** हो जाएंगे और इससे अत्यधिक **अनिश्चितता एवं अस्थिरता उत्पन्न** होगी।

VISION IAS

- लघु पैमाने के विनिर्माण को **गंभीर अवसंरचनात्मक समस्याओं** के साथ-साथ **ऋण तक अपर्याप्त पहुंच** का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप ये परिवर्तनों से लाभ उठाने में समर्थ नहीं होंगे।
- अत्यधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल लोग रोबोटिक्स और AI पर आधारित बड़े विनिर्माण उद्यमों में भारी वेतन प्राप्त करेंगे। इससे कुशल और अकुशल श्रमिकों की आय के मध्य भारी अंतर उत्पन्न होगा।

आगे की राह

विनियामकीय ढाचे, शैक्षिक परिवेश एवं सरकारी पहलों सहित उत्प्रेरकों के बेहतर संयोजन के साथ भारत चौथी औद्योगिक क्रान्ति का नेतृत्व कर सकता है और साथ ही अपनी स्वयं की संवृद्धि व विकास परिणामों की गुणवत्ता, समानता और संधारणीयता में वृद्धि कर सकता है। इसके लिए आवश्यक विभिन्न उपायों में कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

- कंपनियों को अपनी **तकनीकी आधारभूत संरचना** और डेटा विश्लेषण क्षमताओं में निवेश करना चाहिए। साथ ही, सभी व्यवसायों को स्मार्ट व अंतर्संबंधित संगठन बनने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए अन्यथा वे शीघ्र ही प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे।
- भविष्य के कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुसार लचीलेपन और आलोचनात्मक चिंतन कौशलों के लिए लोगों को तैयार करने के लिए **शिक्षण और प्रशिक्षण प्रणालियों** को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- भारत को डेटा विज्ञान और कोडिंग में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए तथा साथ ही पारंपरिक विनिर्माण कौशलों में अधिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए व्यावसायिक और नए डिजिटल औद्योगिक कौशल के बीच उचित संतुलन कायम करने की आवश्यकता है।
- **नई डिजिटल औद्योगिक प्रौद्योगिकियां** अपनाते हुए भारत को **पारंपरिक विनिर्माण** को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी।

8.6. भारत में सौर उपकरणों का विनिर्माण

(Solar Manufacturing In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि यदि भारत अपने महत्वाकांक्षी सौर कार्यक्रम को साकार करना चाहता है तो उसे **सौर उपकरण विनिर्माण रणनीति** की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि

- भारत ने विगत कुछ वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग **आठ गुना** की वृद्धि की है। यह 2014 के **2,650 मेगावाट** से बढ़कर 31 मार्च 2019 तक **28.18 गीगावाट** हो गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 20 GW सौर क्षमता का प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया था, जिसे निर्धारित समयसीमा से चार वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। ज्ञातव्य है कि 2015 में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2022 तक 100 GW सौर क्षमता कर दिया गया था।
- सौर संयंत्रों की स्थापना से संबंधित नई नीति के बावजूद, भारत **अभी भी सौर उपकरणों का विशुद्ध विनिर्माता नहीं है।**

भारत में सौर उपकरण विनिर्माण की संभावना

- **रोजगार सृजन:** इस क्षेत्र में आगामी **5** वर्षों में **50,000** प्रत्यक्ष और लगभग **1,25,000** अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
- **आयात में कमी:** घरेलू स्तर पर सौर उपकरणों के विनिर्माण से **2030** तक उपकरणों के आयात से संबंधित **42 बिलियन अमरीकी डॉलर** की बचत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा उपकरणों की सुरक्षित आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।
- **घरेलू मांग:** आगामी वर्षों में भारत में मांग में होने वाली अत्यधिक वृद्धि (योजनाबद्ध सौर ऊर्जा वृद्धि) की संभावना को देखते हुए, सौर उपकरणों (पैनल और सेल) हेतु घरेलू विनिर्माण आधार निर्मित करने और उन्हें चीन की तरह विकसित करने का यह उपयुक्त अवसर है।
    - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (2018) के अनुसार, भारत की वार्षिक सौर सेल विनिर्माण क्षमता लगभग **3 GW** है, जबकि **औसत वार्षिक मांग 20 GW** है।
- **विदेशी बाजार का विस्तार:** भारत **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)** के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में से एक है। इससे सदस्यों के मध्य सौर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में सहायता मिलेगी।
    - भारत इसे घरेलू सौर उपकरण उद्योग के लिए अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका जैसे कुछ छोटे और अदोहित बाजारों में भी प्रवेश प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखता है।

VISION IAS

भारत में सौर उपकरण विनिर्माण से संबंधित समस्याएं

- **कम मूल्य वाले आयातों पर अतिनिर्भरता:** भारत द्वारा 2017-18 में सौर उपकरणों से संबंधित अपनी आवश्यकता के 92.11 प्रतिशत अंश को आयात के माध्यम से पूरा किया गया था।
  - चीन विश्व में सौर उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। 2017-18 में भारत के सौर सेल के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी लगभग 89 प्रतिशत थी।
- देश में पॉली-सिलिकॉन, इनगोट/वेफर एवं सौर PV विनिर्माण श्रृंखला के अपस्ट्रीम चरण (जो कि एक अत्यधिक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है) के लिए **विनिर्माण आधार का अभाव है**। अधिकांश भारतीय कंपनियां केवल मॉड्यूल असेंबली या वेफर विनिर्माण में कार्यरत हैं।
- एकीकृत ढांचे, इकॉनमी ऑफ़ स्केल और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी के कारण **उत्पादन की उच्च लागत।**
  - साथ ही, विदेशी विनिर्माताओं की तुलना में घरेलू विनिर्माताओं को अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है, जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाती है।
  - इसी प्रकार, विदेशी विनिर्माताओं की तुलना में देश में उत्पादित सौर उपकरणों की कीमत प्रतिस्पर्धी नहीं है।
- **सरकार के प्रयासों के समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियाँ**
  - **घरेलू सामग्री की आवश्यकता (Domestic Content Requirement: DCRs)** वाले प्रावधान के माध्यम से स्थानीय विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने का भारत का प्रयास तब विफल हो गया जब विश्व व्यापार संगठन ने सरकार द्वारा आयातों पर निर्धारित स्थानीय सोर्सिंग आवश्यकताओं को नकार दिया।
  - 2018 में भारत ने आयातित सौर पैनलों पर एक **रक्षोपाय शुल्क (सेफ़गार्ड ड्यूटी)** आरोपित की थी।
    - इस शुल्क के आरोपण का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसके कारण **प्रशुल्कों में वृद्धि हुई**, जिसके परिणामस्वरुप कई सौर नीलामियों को रद्द कर दिया गया।
    - लेकिन, भारतीय विनिर्माताओं के लिए, रक्षोपाय शुल्क के माध्यम से प्रदान की गयी सुरक्षा का प्रभाव शीघ्र ही निष्प्रभावी हो गया क्योंकि चीनी पैनल विनिर्माताओं द्वारा भी इन उपकरणों की कीमतों में कमी की गई।
- **अन्य नियामकीय मुद्दे:** जैसे कि भूमि/विद्युत की उच्च लागत, क्षमता का कम उपयोग और कुशल श्रमबल की कमी। उपर्युक्त समस्याओं के साथ-साथ उद्योगों से भी उचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

सौर PV विनिर्माण योजना पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संकल्पना पत्र (कांसेप्ट नोट)

- सौर PV उपकरणों, सेल, वेफर/इनगोट और पॉली-सिलिकॉन की विनिर्माण क्षमता के सृजन के माध्यम से भारत में एंड-टू-एंड सौर PV विनिर्माण क्षमता का निर्माण करना।
- भारत को शुद्ध आयातक देश से शुद्ध निर्यातक देश में परिवर्तित करना और सौर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत की विनिर्माण नीति सौर विनिर्माण को **'रणनीतिक महत्व'** वाले उद्योग के रुप में मान्यता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय सौर मिशन** का एक उद्देश्य "विशेष रूप से सौर तापीय ऊर्जा हेतु स्वदेशी उत्पादन और बाजार नेतृत्व के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना" है।
- भारत सरकार द्वारा **सौर पैनल विनिर्माण क्षेत्र** में **100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई** है। इस निवेश को स्वचालित मार्ग से अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
- सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को **'निर्माण-स्वामित्व-संचालन (Build-Own-Operate: BOT)'** आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- **'संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना' (M-SIPS)** के अंतर्गत सौर उपकरण विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा 8,580 करोड़ रुपये की **व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)** योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए महंगे मेक-इन-इंडिया मॉड्यूल का उपयोग करके आगामी चार वर्षों के दौरान 12 GW के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना संभव हो सकेगा।

किए जा सकने वाले उपाय

- **सौर विनिर्माण रणनीति:** भारत को ऑटोमोटिव मिशन योजना (2006-2016) के अनुरूप एक सौर विनिर्माण रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि ऑटोमोटिव मिशन योजना के तहत भारत को विश्व में ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े विनिर्माताओं में से एक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। सुस्पष्ट उद्देश्यों सहित बेहतर नीतिगत ढांचे के माध्यम से भारत को सुदृढ़ PV विनिर्माण पारितंत्र स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

VISION IAS

- **बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खरीद पर ध्यान केंद्रित करना:** सरकार द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए निविदाएँ (bids) प्रस्तावित की जा सकती हैं। इनके माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि इनका विनिर्माण पूर्णतया भारत में ही किया जाए। ज्ञातव्य है कि इससे विश्व व्यापार संगठन की किसी प्रतिबद्धता का उल्लंघन भी नहीं होगा।
- **समूह आधारित दृष्टिकोण:** वैश्विक स्तर पर विनिर्माण समूहों को सुदृढ़ सरकारी सहायता के माध्यम से एकीकृत सौर औद्योगिक समूहों के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है। एक अनुकूल परिवेश का सृजन करने हेतु एक एकीकृत मॉड्यूल विनिर्माण पर केंद्रित SEZ की योजना बनाई जा सकती है।
- **चीन से सीखी जा सकने वाली युक्तियाँ-**
  - बड़े पैमाने पर सब्सिडी, निम्न ब्याज पर ऋण, अनुदानों तथा भूमि और उपादेयताओं तक आसान पहुँच के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से **'सोलर चैंपियंस'** का विकास करना।
  - **टेक्नोलॉजी टॉप रनर प्रोग्राम:** इसका उद्देश्य **1.5 GW** की अगली पीढ़ी की **PV प्रौद्योगिकी** के लिए उच्च दक्षता वाले सौर उत्पादों को प्राप्त करना है। इस प्रकार के लक्ष्यों के माध्यम से चीन सोलर सेल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम बन पाया है।

8.7. तकनीकी वस्त्र

(Technical Textiles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

तकनीकी वस्त्र क्या हैं?

- ये सौंदर्यपरक और सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए विनिर्मित वस्त्र सामग्रियां और उत्पाद हैं।**
- इनका न केवल वस्त्र, बल्कि साथ ही कृषि, चिकित्सा, अवसंरचना, मोटर वाहन, एयरोस्पेस, खेल-कूद, रक्षा और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में भी अनुप्रयोग है।
- उपयोग के आधार पर तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक के 12 खंड (segments) हैं: उदाहरण- एग्रोटेक (जैसे- मछली पकड़ने का जाल) मेडिटेक (सैनिटरी नैपकिन) आदि।
- यह वस्त्र उद्योग के लिए **सनसाइन क्षेत्रक** है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक तेजी से बढ़ते क्षेत्रकों में से एक है। ये देश में मांग, विकास और औद्योगीकरण द्वारा संचालित हैं। भारत में तकनीकी वस्त्र बनाने वाली लगभग 2100 इकाइयाँ हैं। इनमें से **अधिकांश गुजरात** में केंद्रित हैं।
- यह उद्योग आयात-गहन है। पिछले कुछ वर्षों में इस उद्योग में आयात में वृद्धि देखी गई है, 2014-15 में यह 1.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

भारत में वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector in India)

- **यह क्षेत्रक कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है,** जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
- भारतीय वस्त्र उद्योग, **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक उद्योग** है, यह विनिर्माण में 12.65 प्रतिशत व सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत का योगदान करता है।
- वस्त्र और परिधान के **विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 5%** है।
- भारत के कुल निर्यात में वस्त्र क्षेत्र की भागीदारी 12 प्रतिशत (2018-19) है।
- यह **सामाजिक गतिशीलता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांशतः महिलाएं कार्यरत हैं।
- इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बैकवर्ड लिंकेज होने के कारण लाखों किसानों, कारीगरों, हथकरघा और हस्तशिल्प विनिर्माताओं को विशाल अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- यह क्षेत्र सरकार की प्रमुख पहलों जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदि के साथ पूर्ण रूप से संरेखित है।
- **इस क्षेत्र के समक्ष आने वाली कुछ चुनौतियां:**
  - बड़े पैमाने पर विकसित न होना या वस्त्र विनिर्माण का कार्य विखंडित और पृथक-पृथक क्षेत्रों में बिखरा होना।
  - यद्यपि ओटाई (ginning) और कताई (spinning) क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, परन्तु बुनाई, प्रसंस्करण और कढ़ाई में अत्यल्प तकनीकी अंतराल विद्यमान हैं।
  - भारतीय परिधानों के निर्यात को बाह्य बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त करने वाले प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में उच्च औसत प्रशुल्कों का सामना करना पड़ रहा है।

VISION IAS

इस क्षेत्रक के लिए सरकार की पहल

- सरकार ने **स्कीम फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ़ टेक्निकल टेक्सटाइल्स (SGDTT)** आरंभ की थी। इसके 3 घटक थे:
    - तकनीकी वस्त्र उद्योग डेटाबेस बनाने के लिए आधार-रेखा (बेसलाइन) सर्वेक्षण।
    - अवसंरचना संबंधी सहायता के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसे जियोटेक्सटाइल्स के लिए 'BTRA', एग्रोटेक्सटाइल्स के लिए 'SASMIRA', प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के लिए 'NITRA' और मेडिकल टेक्सटाइल्स के लिए 'SITRA'।
    - उद्यमियों में जागरुकता पैदा करना।
- इसके पश्चात, तकनीकी वस्त्र उद्योग के मानकीकरण एवं निर्यात प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा **तकनीकी टेक्सटाइल प्रौद्योगिकी मिशन (2010-2014)** आरंभ किया गया।
- तकनीकी वस्त्र-आधारित सभी मशीनें **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना** के अंतर्गत आती हैं। यह योजना वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नई और उपयुक्त तकनीक को सुलभ बनाती है।
- सरकार ने तकनीकी वस्त्र खंड के लिए **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक FDI** की अनुमति दी है।

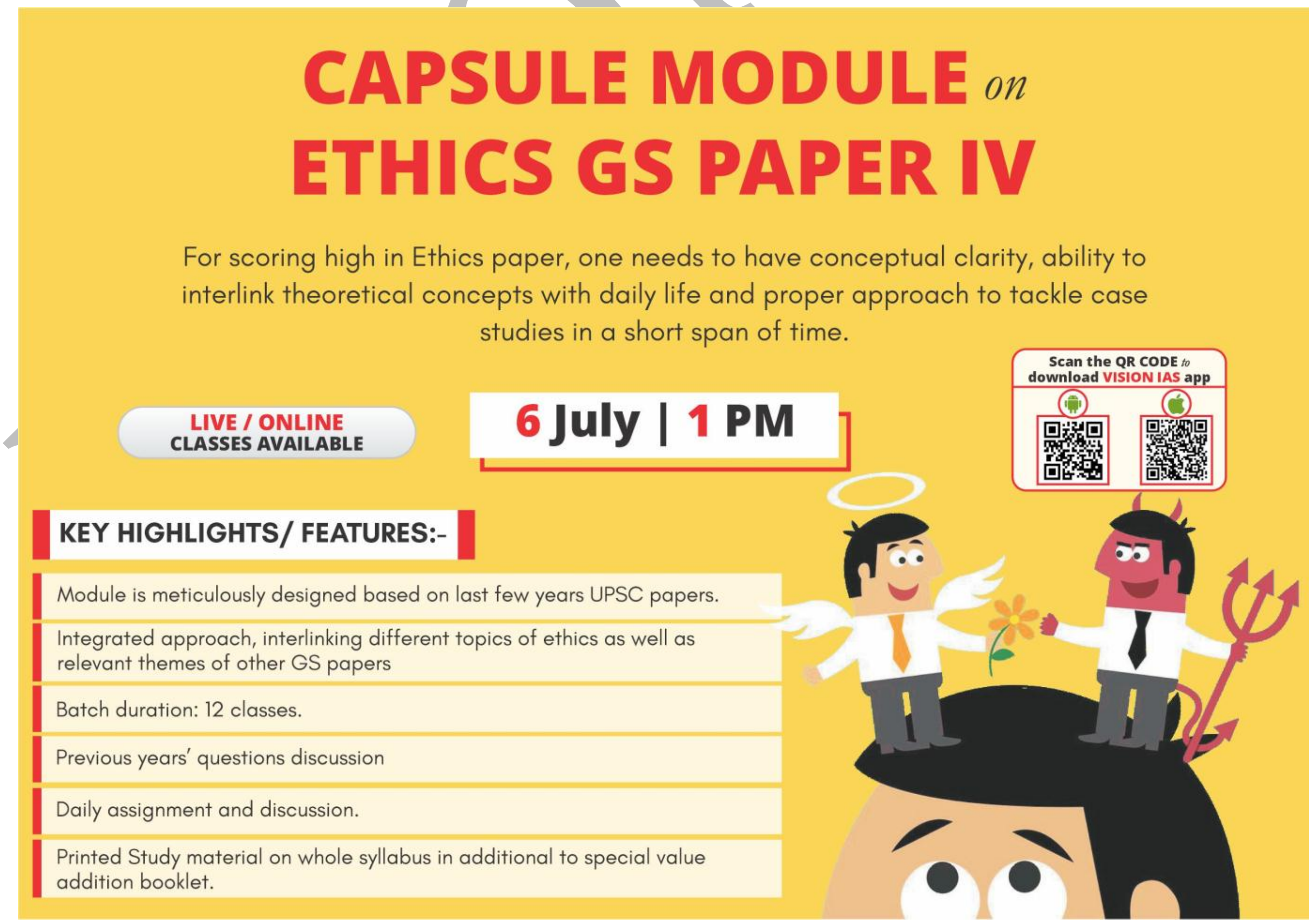

9. सेवा क्षेत्र (Services Sector)

9.1. ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति

(Draft E-Commerce Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा ड्राफ्ट ई-कॉमर्स नीति जारी की गयी है।

ई-कॉमर्स नीति की आवश्यकता

- **डेटा स्वामित्व:** ई-कॉमर्स के युग में, कंपनियों द्वारा व्यापक मात्रा में ग्राहकों का डेटा संग्रहित किया जाता है। किसी व्यक्ति के डेटा पर उसका स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए या अपने नागरिकों के डेटा तक सरकार की पहुंच होनी चाहिए, इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- **ई-कॉमर्स की तीव्र वृद्धि:** भारतीय B2C ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य 2017 में 38.5 बिलियन डॉलर था और यह 2026 में बढ़कर 200 बिलियन डॉलर तक होने का अनुमान है, जबकि B2B ई-कॉमर्स के लगभग 300 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी निर्यात क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के नियमों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- **कई नियामकों की उपस्थिति:** ई-कॉमर्स से संबद्ध विशिष्ट मुद्दे अलग-अलग क़ानूनों, यथा- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि के तहत प्रावधानित हैं और इस कार्यप्रणाली में कई सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार, एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति सभी हितधारकों को कवर करने के लिए विभिन्न मानदंडों और नियमों को समेकित करेगी।
- **अन्य नियामकीय मुद्दे:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न मुद्दों से निपटने के लिए वर्तमान नियम अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, प्राधिकारी डिजिटल लेनदेन पर 'सीमा शुल्क' आरोपित नहीं कर सकते हैं। साथ ही, नियामकों के लिए विदेशों में भौतिक उपस्थिति वाली संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराना एक कठिन कार्य है।
- **उपभोक्ता संरक्षण:** सुदृढ़ नियामकीय व्यवस्था ऑनलाइन बिक्री में धोखाधड़ी के मुद्दों का समाधान और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगी।
- **डिजिटल अवसंरचना:** देश के कई भागों में ई-कॉमर्स के लिए आवश्यक कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता की कमी है। नई ई-कॉमर्स नीति ऐसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करेगी।
- **उद्योगों के मध्य अवसर में असमानता:** अधिक पूंजी वाले उद्यम घाटे पर स्थिर बिक्री का वित्तपोषण करने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रहे हैं। इससे छोटे उद्योगों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्ट-अप सहित सभी हितधारकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एक उचित नीति की आवश्यकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संभावना:** एक नई नीति WTO द्वारा ई-कॉमर्स पर आरोपित किए जाने वाले किसी भी संभावित दायित्व को समाप्त कर देगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क के आरोपण संबंधी स्थायी स्थगन जैसे बाध्यकारी दायित्वों से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए राजस्व हानि होगी।

ड्राफ्ट नीति में प्रस्तावित रणनीति

- **डेटा:** यह नीति डेटा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे **'राष्ट्रीय परिसंपत्ति'/'सामाजिक संपत्ति'** के रूप में स्वीकार करती है और भारत में उत्पन्न **डेटा के सीमा-पार प्रवाह को प्रतिबंधित** करने के लिए विधिक और तकनीकी ढांचा स्थापित करने का प्रावधान करती है।
- **अवसंरचना विकास:** यह डेटा के भंडारण के लिए डेटा सेंटर, सर्वर फ़ार्म आदि जैसी **सहायक डिजिटल अवसंरचना को 'अवसंरचना दर्जा'** प्रदान करने की मांग करती है। **प्राधिकृत कार्यान्वयन एजेंसियों** को आवश्यक भौतिक अवसंरचना (जैसे- ऊर्जा आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि) स्थापित करने और **विदेश स्थित क्लाउड** एवं ईमेल सुविधाओं के लिए **घरेलू विकल्पों** को बढ़ावा देने की भी अनुशंसा की गयी है।

नई नीति से संबद्ध समस्याएं

- सरकार द्वारा अपने नागरिकों के **व्यक्तिगत डेटा के साथ सामूहिक संपत्ति** और राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में व्यवहार करने का तात्पर्य है कि सरकार अपने नागरिकों पर अपने व्यक्तिगत डेटा के संबंध में सही विकल्प चुनने के लिए विश्वास नहीं करती है। **यह न्यायमूर्ति**

VISION IAS

श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसाओं और SC के निजता के अधिकार पर दिए गए निर्णय के समक्ष विरोधाभास उत्पन्न करती है।

- कई भारतीय कंपनियां अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) जैसे क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज और सॉल्यूशंस की सुविधाओं का उपयोग करती हैं। **इन कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर डेटा को भंडारित करने से संबद्ध नियम को अनिवार्य बनाने से उनकी परिचालन लागत और दक्षता प्रभावित होगी।**

ई-कॉमर्स के मॉडल

मार्केटप्लेस मॉडल

- ई-कॉमर्स कंपनी उत्पादों के भंडारण के बिना खरीददारों और विक्रेताओं के मध्य सुविधाप्रदायक के रूप में कार्य करने हेतु डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर आईटी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है।
- यह विभिन्न खुदरा विक्रेताओं/ब्रांडों को एकत्रित करता है और उन्हें एक बिक्री चैनल (जो शिपमेंट, कॉल सेंटर, वितरण और भुगतान सेवाएं प्रस्तुत करता है) प्रदान करता है लेकिन इन्वेंटरी (inventory) पर स्वामित्व धारण नहीं कर सकता है।
- यह मॉडल एक बेहतर ग्राहक सेवा अनुभव को संभव बनाता है क्योंकि अब कई छोटे ब्रांडों को भी अधिक से अधिक पहुँच प्राप्त हुई है, जहां उपभोक्ताओं तक उनके उत्पादों को पहुँचाने की प्रक्रियाओं का ऑनलाइन बाजारों जैसे कि ई-बे/शॉपक्ल्यूस आदि द्वारा ध्यान रखा जाता है।
- ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गयी है।

इन्वेंट्री मॉडल

- इस मॉडल के अंतर्गत उत्पादों का स्वामित्व ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पास होता है। उत्पाद की खरीद से प्रारंभ होकर, भंडारण और उत्पाद प्रेषण के साथ समाप्त होने वाली संपूर्ण एंड-टू-एंड प्रक्रिया का संचालन कंपनी द्वारा ही किया जाता है।
- यह मॉडल त्वरित वितरण, बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण तथा बेहतर ग्राहक अनुभव और विश्वास को संभव बनाता है। परन्तु, यह नकदी प्रवाह को प्रतिबंधित करता है और इसका बड़े पैमाने पर विस्तार करना कठिन होता है।
- ई-कॉमर्स खुदरा (B2C) सहित, मल्टी-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निषिद्ध है; उदाहरणार्थ- जबोंग (Jabong), येपमी (YepMe) आदि।

- **ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस**
  - **FDI नीति:** इस नीति का उद्देश्य स्पष्ट रूप से **मार्केटप्लेस मॉडल और स्टॉक-आधारित मॉडल के मध्य सीमांकन** करना है। पुनः यह केवल 'मार्केटप्लेस' मॉडल में **FDI** को प्रोत्साहित करती है।
- **विनियामकीय मुद्दे**
  - **ई-कॉमर्स की अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति:** ई-कॉमर्स पर सचिवों के स्थायी समूह (SGoS) को अलग-अलग संविधियों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दों से निपटना चाहिए, नीतिगत चुनौतियों से निपटने के लिए सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीति डिजिटल परिवेश के साथ समन्वय स्थापित करे।
  - **डेटा प्रवाह और नेटवर्क को नियंत्रित करना:** विशेष रूप से **MSMEs** और **स्टार्ट-अप** के लिए ई-कॉमर्स में विज्ञापन शुल्क का विनियमन करना चाहिए। **कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित** निर्णय निर्माण की परिस्थितियों में बेहतर जवाबदेही हेतु सरकार को **स्रोत कोड और अल्गोरिदम के प्रकटीकरण का अपना अधिकार** सुरक्षित रखना चाहिए।
  - **कानून और व्यवस्था:** कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु डेटा तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
  - **छोटे उद्यम और स्टार्ट-अप:** डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने वाली छोटी फर्मों और स्टार्ट-अप को **'शिशु-उद्योग'** (infant-industry) का दर्जा दिया जा सकता है।
  - **कराधान संबंधी मुद्दे:** कराधान के उद्देश्य से **'स्थायी प्रतिष्ठान'** निर्धारित करने के आधार के रूप में **'महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति'** की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था के आलोक में **इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क आरोपित न करने की वर्तमान व्यवस्था** की समीक्षा की जानी चाहिए।
  - **विषय सामग्री संबंधी दायित्व:** ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया (मध्यवर्ती संस्थाओं) को अपनी वेबसाइटों पर प्रदत्त किसी भी जानकारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करना चाहिए।
- **घरेलू डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना:** इसका अभिप्राय दैनिक प्रशासन और अर्थव्यवस्था में **इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि करना** है, जैसे- ऑनलाइन सीमा शुल्क निर्गम के माध्यम से संभार तंत्र क्षेत्रक को स्वचालित बनाना और सीमा शुल्क से संबंधी इलेक्ट्रॉनिक डाटा आदान-प्रदान (EDI) प्लेटफ़ॉर्म को अपनाना।
- **ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात संवर्धन:** ई-कॉमर्स निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लेनदेन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

9.2. सॉफ्टवेयर उत्पाद पर राष्ट्रीय नीति

(National Policy for Software Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सॉफ्टवेयर उत्पादों पर एक राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसका उद्देश्य भारत को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के रूप में संस्थापित करना तथा वर्ष 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन करना है।

नई नीति की आवश्यकता

- **NASSCOM रणनीतिक समीक्षा, 2017** के अनुसार, वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग (ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री) का कुल मूल्य **413 बिलियन अमरीकी डॉलर** आंका गया है। हालाँकि, भारतीय IT-ITES राजस्व में सॉफ्टवेयर उत्पादों का योगदान केवल 7.1 बिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 2.3 बिलियन अमरीकी डालर राजस्व निर्यातों से प्राप्त होता है।
- दूसरी ओर, सॉफ्टवेयर उत्पादों के आयात का मूल्य लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है। वर्तमान में भारत **सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक निवल आयातक देश** है।
- इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर, **प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर उद्योग में तीव्र परिवर्तन** के कारण इस क्षेत्र के विकास में गंभीर गिरावट देखी गई है।
- **प्रथम सॉफ्टवेयर नीति वर्ष 1986 में जारी की गयी थी**। इसके परिणामस्वरूप 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) योजना प्रारंभ की गयी। हालांकि, एक परिपक्व उद्योग होने के कारण, एक विशिष्ट व सुदृढ़ विकास संबंधी चार्टर के साथ, इस क्षेत्र का पुनर्मूल्यांकन करने और मध्यावधि से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य वाली रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इसकी **क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए नवीन समाधानों को लागू करने की** भी आवश्यकता है।
- नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों को विकसित करने के संबंध में विभिन्न दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके फलस्वरूप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी इत्यादि जैसे **महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।**

सॉफ्टवेयर उत्पादों हेतु राष्ट्रीय नीति की रणनीतियाँ

- **सॉफ्टवेयर उत्पाद व्यवसाय परिवेश को निम्नलिखित की सहायता से बढ़ावा देना**
  - **भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद रजिस्ट्री का निर्माण कर**
  - **पूंजी बाजार में सॉफ्टवेयर कंपनियों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाकर**
  - **एकल विंडो प्लेटफॉर्म के निर्माण के माध्यम से**
- **रोजगार के लिए उद्यमवृत्ति एवं नवाचार को निम्नलिखित की सहायता से बढ़ावा देना**
  - **इन्क्यूबेशन कार्यक्रम की शुरूआत।**

नीति के पाँच मिशन

- बौद्धिक संपदा (IP) द्वारा संचालित एक संधारणीय भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना, जो वर्ष 2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाज़ार की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि करेगा।
- सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का पोषण करना जिनमें द्विस्तरीय व त्रिस्तरीय शहरों एवं कस्बों के ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शामिल हैं। ये स्टार्टअप वर्ष 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करेंगे।
- निम्नलिखित के माध्यम से सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा पूल का निर्माण करना
  - दस लाख IT पेशेवरों के कौशल में वृद्धि करना।
  - स्कूलों और कॉलेजों के एक लाख छात्रों को प्रेरित करना।
  - ऐसे दस हज़ार नेतृत्वकर्ता पेशेवरों का तैयार करना।
- क्षेत्रीय एवं रणनीतिक रूप से स्थापित 20 सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टरों को विकसित करके क्लस्टर-आधारित नवाचारों से संचालित परिवेश का निर्माण करना जिनमें एकीकृत ICT अवसंरचना, विपणन, इन्क्यूबेशन, अनुसंधान एवं विकास/परीक्षण मंच और परामर्श समर्थन उपलब्ध हो।
- इस नीति के कार्यान्वयन के लिए योजनाओं तथा कार्यक्रमों को विकसित करने और उनकी देखरेख करने के लिए, सरकार, शिक्षा जगत एवं उद्योग जगत के परस्पर सहयोग से राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी।

- उद्योग-अकादमिक अनुसंधान में विद्यमान अंतराल को कम करने के लिए उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों में सॉफ्टवेयर उत्पादों पर अनुसंधान तथा नवाचार का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम के प्रारंभ के माध्यम से।

VISION IAS

- भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद संकुलों (क्लस्टर) का निर्माण करना जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्स्टाइल इत्यादि।
- समर्पित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास फंड (SPDF) का निर्माण करना-
- **निम्नलिखित के द्वारा कौशल और मानव संसाधन विकास**
  - स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय "प्रतिभा उत्प्रेरक" कार्यक्रम के प्रारंभ के माध्यम से।
  - 10000 प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर उत्पादों वाले एक प्रतिभा पूल के निर्माण के माध्यम से।
- **निम्नलिखित के माध्यम से घरेलू बाजार की पहुँच में सुधार और सीमा-पार व्यापार को प्रोत्साहन।**
  - भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों का पंजीकरण सरकारी ई-बाजार (GeM) के साथ करने के माध्यम से।
  - हैकाथॉन के माध्यम से भारतीय उत्पाद स्टार्टअप/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को प्रोत्साहित करने के माध्यम से।
  - ओपन एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस (API) के कार्यान्वयन को अग्रसक्रिय रूप से बढ़ावा देना।
  - सरकारी खरीद में भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के अधिमान्य समावेश को बढ़ावा देना-
  - भाषागत अवरोधों का निवारण-
- **कार्यान्वयन तंत्र जैसे:**
  - "राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन (NSPM)" की स्थापना करना
  - कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न संगठनों को शामिल करना, जैसे भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI), राष्ट्रीय आसूचना विज्ञान केंद्र (NIC) इत्यादि।

9.3. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018

(National Digital Communications Policy- 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति - 2018 (NDCP-2018)** तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम **"डिजिटल संचार आयोग"** प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

दूरसंचार आयोग (अब डिजिटल संचार आयोग)

इसे दूरसंचार के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। दूरसंचार आयोग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:

- सरकार की स्वीकृति के लिए दूरसंचार विभाग की नीति तैयार करना;
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दूरसंचार विभाग का बजट तैयार करना और सरकार द्वारा इसको अनुमोदित कराना; और
- दूरसंचार से संबंधित सभी प्रकरणों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन।

नई नीति की आवश्यकता:

- NDCP-2018 को दूरसंचार क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय उन्नतियों जैसे 5G, IoT, मशीन टू मशीन (M2M) लर्निंग आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। इनके लिए भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की 'ग्राहक केंद्रित' और 'अनुप्रयोग संचालित' नीति की आवश्यकता थी।
- इससे ग्रामीण टेली-घनत्व, पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, न्यूनतम ब्रॉडबैंड स्पीड में वृद्धि इत्यादि जैसे क्षेत्रों में पिछली **राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012** की कमियों को दूर करने की अपेक्षा की गई है।
- यह नीति दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार आधारित सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए उभरते अवसरों को संबोधित कर **डिजिटल इंडिया** के मुख्य स्तंभ का निर्माण कर सकती है।
- NDCP-2018 के माध्यम से सरकार दूरसंचार क्षेत्र को केवल एक राजस्व स्रोत के रूप में देखने के बजाय, इस क्षेत्र की सहायता से देश के **सामाजिक-आर्थिक विकास** पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।

तीन मिशनों के लिए रणनीतियां

(i) कनेक्ट इंडिया

- सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुंच सुनिश्चित करने हेतु **'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन - राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान'** की नींव रखना
- **स्पेक्ट्रम को जनहित के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के रूप में मान्यता** प्रदान करना।
- **भारत में उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों का सुदृढ़ीकरण। इसमें सम्मिलित हैं,**

VISION IAS

- लचीली, प्रौद्योगिकी-तटस्थ और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था बनाने के लिए, अंतरिक्ष विभाग के साथ संचार सेवाओं के लिए उपग्रह संचार (Satellite Communications: SATCOM) नीति की समीक्षा करके, भारत में उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित बनाना।
- उपग्रह आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाओं हेतु **नए स्पेक्ट्रम बैंड** (जैसे Ka बैंड) उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का यथोचित ध्यान रखते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में **उपग्रह संचार के लिए परिवेश का विकास** करना।
- **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को चैनलाइज करके** अनाच्छादित क्षेत्रों और समाज के डिजिटल रूप से वंचित वर्गों का समावेशन सुनिश्चित करना।

(ii) प्रोपेल इंडिया

- दूरसंचार अवसंरचना को **महत्वपूर्ण और अनिवार्य अवसंरचना का दर्जा** प्रदान करके, निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने हेतु लाइसेंसिंग और नियामकीय व्यवस्था में सुधार लाकर डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए निवेश को बढ़ाना।
- उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करने के लिए समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना।
- स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों के लिए नई प्रौद्योगिकियों में R&D हेतु फंड बनाकर R&D पर ध्यान केंद्रित करना।
- **स्थानीय विनिर्माण और मूल्य संवर्धन।**
- अन्य रणनीतियों में क्षमता निर्माण, PSUs का सुदृढ़ीकरण तथा 2020 तक उद्योग **4.0 में संक्रमण के लिए रोडमैप** बनाना आदि सम्मिलित हैं।

(iii) सिक्योर इंडिया

- कोर रणनीतियों में मजबूत, लचीली और मजबूत **डेटा संरक्षण व्यवस्था** स्थापित करना।
- **नेटवर्क तैयारी, आपदा अनुक्रिया राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण घटकों** के लिए एक व्यापक योजना का विकास करना।

महत्व

- NDCP का मूलतत्व, अभिकल्पना, नवाचार और सृजनात्मकता प्रेरित उद्यमिता (DICE) के सिद्धांतों का लाभ उठाकर भारत के ICT उद्योग का चेहरा बदलने के इसके अंतर्जात दृष्टिकोण में निहित है।
- यह सराहनीय है कि नीति 'कनेक्ट इंडिया, प्रोपेल इंडिया एंड सिक्योर इंडिया' के मूल विषय (थीम) के अंतर्गत समग्र ICT वैल्यू चैन में शुरुआत से लेकर अंत तक समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।

9.4. स्थावर संपदा निवेश न्यास

(Real Estate Investment Trust: REIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्लैकस्टोन समूह ने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स के साथ स्थावर संपदा निवेश न्यास (Real Estate Investment Trust: REIT) के लिए भारत का प्रथम तथा एशिया का सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टस फ़ाइल किया है।

REIT क्या है?

- **REIT सूचीबद्ध संस्थाएं हैं, जो आय सृजन हेतु भवनों/संपत्तियों** (जैसे कार्यालय, पार्क, मॉल, होटलों, आवासीय इमारतों) के **स्वामित्व के साथ-साथ उनका संचालन एवं प्रबंधन** करती हैं। ये संस्थाएं SEBI तथा RERA, 2016 के द्वारा परिभाषित मानदण्डों से परिबद्ध हैं।
- किन्तु REIT **म्यूचुअल फंड की तरह कार्य** करती हैं तथा कई निवेशकों से धन एकत्रित करती हैं एवं निवेशकों को प्रतिफल के रूप में लाभांश प्रदान करती हैं।

REIT के लाभ

- **अधिक निवेश जुटाना:** REIT **परिसम्पतियों के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता,** कार्पेट एरिया में स्पष्टता, बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन, स्पष्ट प्रकटीकरण तथा वित्तीय पारदर्शिता प्रक्रियाओं के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र में और अधिक घरेलू तथा विदेशी निवेश में सहायक होगा।
- **रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन:** भारत में नगरीय रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीयन काफी निम्न स्तर पर बना हुआ है। इस संबंध में REIT उद्देश्यपूर्ण ढंग से, शहरी पुनर्विकास संभावनाओं का प्रयोग करते हुए वित्तीयन को बढ़ावा दे सकता है तथा ख़ुदरा निवेशकों के लिए आकर्षक, स्थिर तथा दीर्घावधिक लाभ प्रदान कर सकता है।
- **लघु निवेशकों हेतु बेहतर विकल्प:** अर्थात्, वृहद ऋण की चिंता किये बगैर, आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

VISION IAS

- **पोर्टफोलियो का विविधीकरण:** REITs, निवेशकों के पोर्टफोलियो के विविधीकरण में सक्षम हैं तथा निवेशकों को नियमित आय सृजित करने वाला एक नया उत्पाद प्रदान करेंगे।
- REITs वित्त की कमी का सामना कर रहे डेवलपर्स के साथ ही अन्य डेवलपर्स को **परियोजना से बाहर आने का विकल्प प्रदान** करके वाणिज्य क्षेत्र में अधिक तरलता का प्रवाह करेंगे।

REITs के साथ संबद्ध समस्याएं

- यद्यपि RERA को 2016 में अधिनियमित किया गया था, किन्तु भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास की कमी के कारण तथा SEBI द्वारा कई छूट प्रदान किए जाने के बावजूद पहले REIT को हाल ही में सूचीबद्ध (लिस्टिंग) किया गया।
- न्यूनतम REIT निवेश राशि को 2 लाख रूपए के उच्च मूल्य पर निर्धारित किया गया है। यह REIT में खुदरा निवेशकों (retail investors) को निवेश करने से रोकती है।
- भूमि के राज्य सूची में होने के कारण कुछ राज्यों में REITs की वैधानिक स्थिति अस्पष्ट है।

रियल एस्टेट (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, (Real Estate (Regulation and Development :RERA) को 2016 में अधिनियमित किया गया था। RERA, 2016 की विशेषताएं:

- इसका उद्देश्य आवासीय तथा व्यापारिक रियल एस्टेट डेवलपर्स के **क्रेताओं एवं प्रवर्तकों के मध्य वित्तीय लेन-देन को विनियमित** करना है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण का सृजन।
- RERA के विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण का सृजन।
- प्रमोटर को प्रत्येक परियोजना के लिए एक 'पृथक खाते' की व्यवस्था करनी है।
- प्रमोटर्स को समय-बद्ध रूप से परियोजनाओं को पूरा करना है,

9.5. औषधियों की कीमत निर्धारण

(Pricing of Drugs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की एक संसदीय स्थायी समिति ने "औषध (कीमत निर्धारण) आदेश, 2013 के संदर्भ में औषधियों का कीमत निर्धारण" विषय पर अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत की।

NPPP के सिद्धांत

- **औषधियों की अनिवार्यता**: औषधियों की कीमतों का विनियमन NLEM के अनुसार बताई गई औषधियों की अनिवार्यता के आधार पर होता है।
- **केवल फॉर्मूलेशन कीमतों पर नियंत्रण:** केवल फॉर्मूलेशन कीमतों (अर्थात्, केवल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली दवाएं, न कि अपस्ट्रीम उत्पाद, जैसे- थोक औषधियों या मध्यवर्ती औषधियां) को ही विनियमित किया जाना है, थोक औषधियों (1994 की ड्रग नीति के विपरीत) की कीमतों को नहीं।
- **बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण**: उच्चतम कीमत का निर्धारण 'बाजार के आंकड़ों' के आधार पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत खुदरा व्यवसायी को दी गई औसत कीमत तथा स्थानीय करों को कीमत निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है।

NPPP की विशेषताएं

- **कीमत निर्धारण की पद्धति**: आवश्यक औषधियों की उच्चतम कीमतों का निर्धारण, दवा के उन सभी ब्रांडों (एक विशेष चिकित्सीय खंड) की कीमतों के सरल औसत के आधार पर किया जाता है, जिनकी बाजार में कम से कम 1 प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है।
- **कीमतों में संशोधन**: अनुसूचित औषधियों की उच्चतम कीमतों में वार्षिक वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के अनुसार की जाती है।
- **गैर-अनुसूचित निरूपण** : गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों में प्रति वर्ष केवल 10% की वृद्धि की जाती है, ताकि औषधियों की समग्र कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
- **आयातित औषधियों के लिए कोई अलग मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है** (यदि DPCO की पहली अनुसूची में उल्लिखित है)।

औषधियों की कीमतों को नियंत्रित करने की आवश्यकता

- NSSO के 71वें दौर के सर्वेक्षण (2014) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कुल चिकित्सा व्यय का लगभग 72% और शहरी क्षेत्रों में 68% औषधियों की खरीद पर व्यय किया गया था। इसलिए, सभी वर्गों के लोगों द्वारा चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने में **औषधियों की वहनीयता** एक महत्वपूर्ण तत्व है।

VISION IAS

- बीमा में केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले बिल सम्मिलित होते हैं, औषधियों की लागत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। **जेब से किए जाने वाले व्यय का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा औषधियों पर खर्च किया जाता है।**
- लोगों के बीच सरकार द्वारा **आपूर्ति कराई जाने वाली नि:शुल्क औषधियों** और जेनेरिक औषधियों के बारे में **जागरूकता का अभाव** है। चिकित्सीय पेशेवरों, दवा विक्रेताओं और फॉर्मा कंपनियों के बीच एक सांठगांठ रहती है।

राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण एजेंसी

- **यह 1997 में गठित रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र, कार्यकारी निकाय है।**
- इसका मुख्य कार्य ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश (DPCO) के अंतर्गत अनुसूचित निरूपण की कीमतों को तय करना और उन्हें संशोधित करना है।
- यह बाजार की निगरानी के माध्यम से अनुसूचित दवाओं की कीमतों की जाँच और प्रवर्तन भी करती है।
    - अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में NPPA अधिकारियों द्वारा नमूनों की खरीद।
    - व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा शिकायतों की जांच।
- कीमत की सीमाओं का पालन करने में विफल कंपनियां NPPA को अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होती है|
- NPPA दवाओं की वहनीयता, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित औषध नीति व मुद्दों पर सरकार को निविष्टियाँ प्रदान करती है।

थोक औषध या सक्रिय औषध सामग्री (API) का आशय किसी भी चिकित्सीय, रासायनिक, जैविक अथवा वनस्पति उत्पाद से है जिसमें उसके लवण, एस्टर्स, आइसोमर्स, एनालॉग और यौगिक शामिल होते हैं, और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हैं तथा जिनका उपयोग इसी रूप में या किसी निरूपण के एक घटक के रूप में किया जाता है।
निरूपण या फार्मूलेशन – का आशय उस औषध से है जिसे एक या एक से अधिक औषधियों में से परिष्कृत किया जाता है या ऐसी औषध जो एक या अधिक औषधियों से युक्त है, तथा जिनका उपयोग किसी रोग के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए, आंतरिक या बाह्य रूप से, किसी चिकित्सीय सहायता के प्रयोग के साथ या उसके अतिरिक्त किया जाता है, लेकिन इसमें कोई आयुष (AYUSH) औषध को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

भारत में मूल्य नियंत्रण पद्धति का विकास

- **अनिवार्य उत्पाद अधिनियम 1955** के अंतर्गत विदित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश [DPCO] का उद्देश्य थोक औषधियों को और अधिक किफ़ायती बनाने के लिए उनकी कीमतों को और उनके निरूपण को विनियमित करना है।
- आरंभ में, **औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश** मुख्य रूप से लागत-आधारित कीमत निर्धारण के माध्यम से समग्र लाभप्रदता को सीमित करने पर केंद्रित थे।
- **राष्ट्रीय औषध (फार्मास्युटिकल) कीमत निर्धारण नीति 2012** ने औषधियों की कीमत निर्धारण के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया ताकि उचित मूल्य पर आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और साथ ही इस उद्योग-क्षेत्र की वृद्धि के लिए आवश्यक नवाचार व प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा सके।
    - राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण नीति (NPPP), कीमतों को नियंत्रित करने वाली नियामक नीति है और इस कीमत नियंत्रण को DPCO आदेश द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।
    - NPPP को तहत **औषध कीमत नियंत्रण आदेश (DPCO) 2013** के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। आवश्यक औषधियों की सूची उनकी खुराक व क्षमता के साथ, DPCO की **अनुसूची-1** में सम्मिलित हैं और उच्चतम मूल्य के अधीन हैं।
- वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, स्वास्थ्य मंत्रालय **आवश्यक औषधियों की एक राष्ट्रीय सूची (NLEM)** तैयार करता है। **NLEM 2015** के अंतर्गत, कुल 376 दवाएं कीमत नियंत्रण के अधीन आती हैं।
- NLEM के आधार पर, **राष्ट्रीय औषध कीमत निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)** DPCO के प्रावधानों का उपयोग करके निरूपण की कीमतों का निर्धारण करता है और इसके अनुपालन की निगरानी करता है।
    - सभी आवश्यक औषधियों (NLEM के अंतर्गत परिभाषित) को अनुसूचित सूत्रीकरण (DPCO-2013 के अंतर्गत) के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाई गई सभी दवाएं आवश्यक दवाएं समझी जाएंगी।
- इसके अतिरिक्त, अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित औषधियों की कीमतों के उतार-चढ़ाव में और आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में **प्रभावी नियंत्रण तथा विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए, औषधि कीमत नियंत्रण आदेश 2013** के अंतर्गत निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया था:

- सरकार के पास सार्वजनिक हित के लिए किसी भी चिकित्सीय आवश्यकता को कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाने का अधिकार है। इस प्रावधान का उपयोग हृदय-संबंधी स्टंट और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों की उच्चतम सीमा को निश्चित करने हेतु किया गया है।
- उच्चतम कीमत से कम कीमत पर अनुसूचित सूत्रीकरण (फॉर्मुलेशंस) को बेचने वाले निर्माता को उप-उच्चतम कीमत को बनाए रखना होगा।
- पहली अनुसूची के अंतर्गत परिभाषित औषधियों के संयोजन/क्षमता/खुराक के नए रूपों का उत्पादन करने में इच्छुक विनिर्माताओं को इन औषधियों को बेचने से पूर्व इनकी कीमतों को अनुमोदित कराना होगा।
- आवश्यक औषधियों के निर्माण को बंद करने से पूर्व विनिर्माताओं को सरकार से अनुमति लेनी होगी।

- यह ध्यान रखना उचित होगा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित **औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** के अंतर्गत औषधियों के कीमत निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

बाजार-आधारित कीमत निर्धारण प्रणाली को DPCO, 2013 में क्यों पेश किया गया था?

2013 से पहले, DPCO एक लागत-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली का पालन करता था, यह प्रणाली **उचित लाभांश के साथ किसी दवा के निर्माण में लगी लागतों पर आधारित** थी। लेकिन, ऐसी प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं:

- **लाभांश की उचित सीमा निर्धारण में कठिनाई:** फार्मा उद्योग में, एक नई दवा (औषधि) की खोज में संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें सैकड़ों यौगिको के परीक्षण के बाद एक या दो औषधियां प्राप्त होती हैं।इस प्रकार, नई औषधियों के अनुसंधान एवं विकास में बहुत समय लगता है और इनमें लागत भी अत्यधिक आती है। इसलिए इसे उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **इनपुट्स की अलग-अलग लागत:** एक ही औषधि का निर्माण अलग-अलग पैमाने की कई कंपनियों द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार, इनके निवेश की लागत भी अलग-अलग होगी। लागत-आधारित कीमत निर्धारण में एकरूपता बनाए रखना कठिन होगा।
- **अंकेक्षण लागत की समस्या**: कई कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से विनिर्माण प्रक्रिया में लगने वाली वास्तविक लागतों का विभाजन नहीं करती हैं। सत्यापन की प्रक्रिया इंस्पेक्टर राज को जन्म दे सकती है और लालफीताशाही को बढ़ा सकती है।

इस प्रकार, सरकार ने इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने और नवाचार व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित कीमत निर्धारण नीति को अपनाने का निर्णय लिया है।

भारत में औषधियों के कीमत-नियंत्रण की व्यवस्था में आने वाले विवाद

- **आवश्यक औषधियों की आपूर्ति में कमी:** उच्चतम कीमत का निर्धारण अनुसूचित औषधियों के निर्माण को लाभहीन बना देता है, इसलिए कई दवा कंपनियां विशेषकर छोटी कंपनियां गैर-अनुसूचित औषधियों के निर्माण की ओर खिसक जाती हैं। इससे कई आवश्यक औषधियों की आपूर्ति बंद हो गई है। उदाहरण के लिए:
    - NPPA द्वारा फ्यूरोपेड (Furoped) (हृदय रोग वाले बच्चों के लिए एक जीवनरक्षक दवा) की उच्चतम कीमत निर्धारित करने के बाद इसकी आपूर्ति लगभग 40 प्रतिशत कम हो गई थी।
    - हृदय-संबंधी स्टंट और घुटना प्रत्यारोपण की कीमतों की उच्चतम सीमा के विरुद्ध भी इसी प्रकार के तर्क दिए गए हैं।
- **गैर-आवश्यक औषधियों पर नियंत्रण का अभाव:** NPPA के पास गैर-आवश्यक औषधियों के मामले में कीमत नियंत्रण का अधिकार नहीं है, जिसमें औषधियों की घरेलू बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत सम्मिलित है। स्तन कैंसर जैसे जानलेवा रोगों के लिए आवश्यक कई औषधियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।
- **फॉर्मा कंपनियों और अस्पतालों के बीच सांठ-गांठ:** अस्पताल अपनी सुविधाओं के भीतर उपचार के लिए अधिक शुल्क लेते हैं, और साथ ही रोगियों को वितरकों से स्वतंत्र रूप से दवाएं (औषधि) भी नहीं लेने देते हैं। फॉर्मा कंपनियां औषधि की खुदरा कीमत अधिक रखती हैं, लेकिन उनके ब्रांडों को लिखने के लिए अस्पतालों को भारी कटौती देती हैं।

समिति द्वारा की गई अनुशंसाएँ

- **आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची:**
    - NLEM की वर्तमान नामावली उचित नहीं है और इसकी समीक्षा की जा सकती है और उपयुक्त रूप से इसे संशोधित किया जा सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, अनिवार्य एवं जीवनरक्षक औषधियों की वर्तमान सूची को बढ़ाया जाना चाहिए।
    - साथ ही, अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) की समीक्षा और संशोधन के लिए कोर समिति में NPPA को स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- **बाजार-आधारित कीमत-निर्धारण**: देश में दवा की कीमतों पर बाजार-आधारित और लागत-आधारित कीमत निर्धारण प्रणालियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।
    - कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि लागत-आधारित कीमत निर्धारण वास्तव में औषधियों को मितव्ययी बना देगा।

VISION IAS

- **जन औषधि स्टोर**: सभी जिलों में अधिक कार्यात्मक जन औषधि स्टोर खोले जाने चाहिए और वितरकों तथा संवहन व प्रेषण अभिकर्ताओं (C&F) को नियुक्त करके आपूर्ति श्रृंखला में सुधार किया जाना चाहिए। लोगों में **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (PMBJP)** के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
- **जेनेरिक दवाइयाँ**: डॉक्टरों को ब्रांड का नाम देने के बजाय दवा का जेनेरिक नाम लिखने की सलाह देनी चाहिए।
- **कड़े दंड प्रावधान**: यदि कोई निर्माता NPPA द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त राशि (उच्चतम कीमत से अधिक राशि) वापस नहीं करता है, तो ऐसी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे खुदरा विक्रेता जो औषधियों/चिकित्सीय उपकरणों के लिए अधिक पैसा लेते हैं, उन पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।
- **बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण**: अप्रामाणिक/अमानक गुणवत्ता वाली औषधियों की बेहतर पहचान के लिए और इन औषधियों की बिक्री/वितरण पर अंकुश लगाने के लिए औषधियों के नमूनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। अप्रामाणिक/अमानक गुणवत्ता वाली औषधियों के निर्माण, बिक्री और वितरण के विरुद्ध चलाये गए अभियोगों पर समयबद्ध निर्णय लेने की भी आवश्यकता है।
- **NPPA की संरचना**: NPPA की वर्तमान संरचना को अधिक पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है ताकि संगठन की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जा सके।

VISION IAS

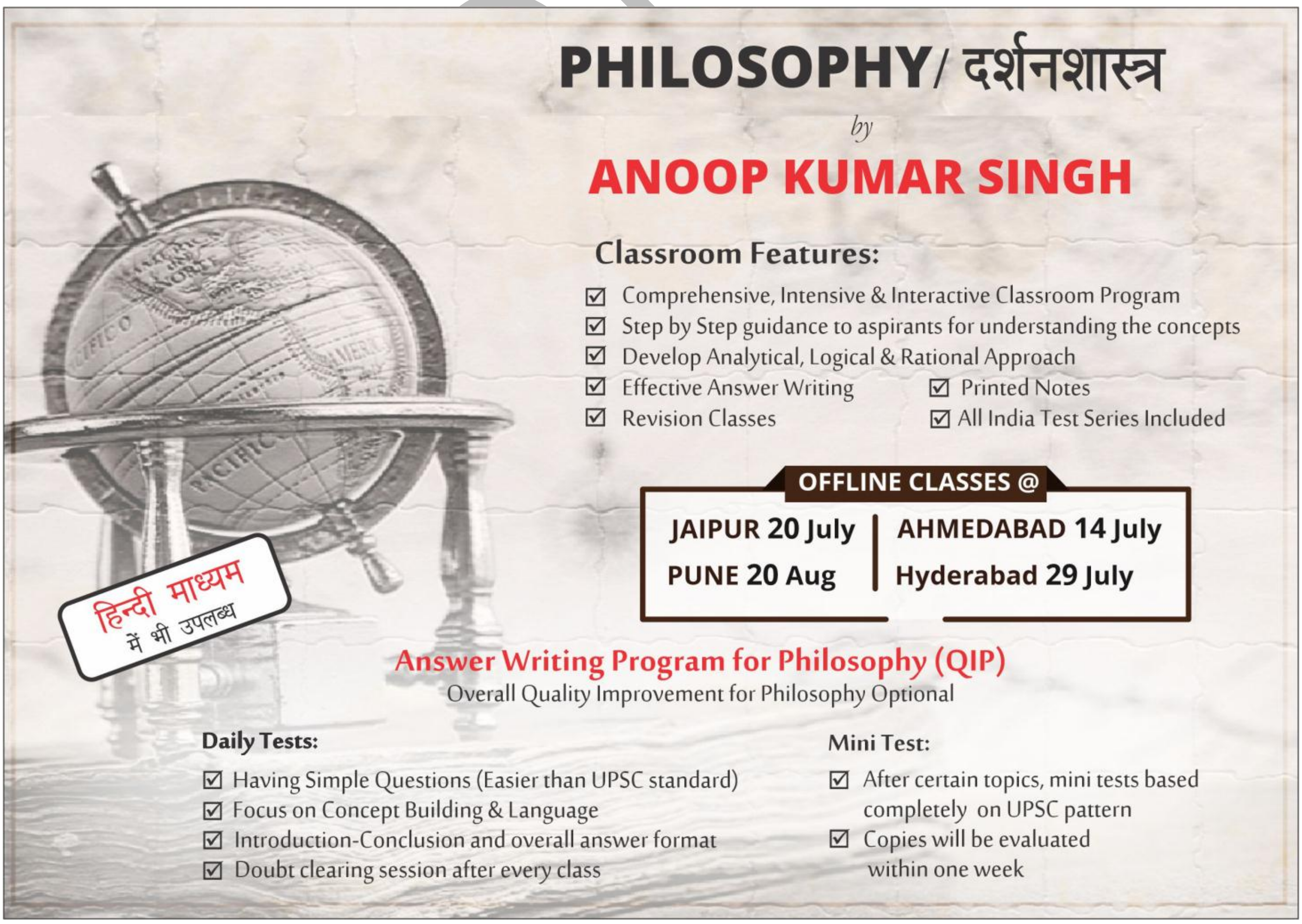

10. अवसंरचना (Infrastructure)

भूमिका

- उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, भारत में अवसंरचना क्षेत्रक के लिए **2016-2030** की अवधि में **6 ट्रिलियन डॉलर** के निवेश की आवश्यकता है।
- हालांकि, भारतीय अवसंरचना क्षेत्रक को **कई चुनौतियों** का सामना करना पड़ा है, जैसे- परियोजना लागत और समय में अत्यधिक वृद्धि, PPP ढांचे के माध्यम से अनुपयुक्त जोखिम साझाकरण, नीति और नियामक तंत्र में अनिश्चितता, सरकार और निजी अभिकर्ताओं के मध्य दीर्घावधि से लंबित विवाद, विद्युत् वितरण कंपनियों की ख़राब वित्तीय स्थिति आदि।
- इसके अलावा, इस क्षेत्रक को परिसंपत्ति देयता असंतुलन के कारण पूंजी की उच्च लागत, प्रतिभूति-सीमित वित्तीयन (non-recourse funding) और दीर्घकालिक वित्तपोषण स्रोतों की कमी संबंधी चुनौतियों के रूप में वित्तपोषण से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, घरेलू निवेशकों द्वारा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश भी सुप्रलेखित (well documented) चुनौतियों और क्षेत्र में निरंतर विद्यमान समस्याओं के कारण अवरुद्ध हो गया है।
- इन मुद्दों ने परियोजनाओं की **व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।** परिणामस्वरूप **निवल NPA** के 4.6% (2017) के स्तर पर पहुंचने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में **अभूतपूर्व दबाव** के चलते वित्त पोषण में गिरावट के साथ इस क्षेत्र को धीमी वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
- इस क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, अवसंरचना के वित्त पोषण पर **श्री दीपक पारेख** की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गईं हैं। इसने घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से अतिरिक्त माध्यमों का दोहन करके और बेहतर जोखिम पहचान, लंबे कार्यकाल एवं ऋण की कम लागत के संदर्भ में वित्तपोषण को समृद्ध करके बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए सिफारिशें की हैं।
- इसके अलावा, भारत में अवसंरचना वित्तपोषण के मुद्दे के समाधान हेतु कुशल और नवीन वित्तपोषण तंत्रों को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति लागू करने की आवश्यकता है।

10.1. राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क का प्रारूप

(Draft National Urban Policy Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने **राष्ट्रीय शहरी नीति फ्रेमवर्क (NUFP), 2018** के प्रथम प्रारूप को जारी किया है।

पृष्ठभूमि

- विगत दो दशकों में भारत में तीव्र गति से शहरीकरण हुआ है, परन्तु अनेक प्रयासों के बावजूद, भारत के शहर अपनी वर्तमान आबादी के लिए व्यवस्था करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। यह देश की शहरी रणनीति का तत्काल पुनरावलोकन करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय मिशनों के आधार पर निर्मित **NUPF** भारत में शहरी नियोजन के भविष्य हेतु एकीकृत और सुसंगत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
- NUPF को **दो पद्धतियों के साथ संरचित** किया गया है, ये हैं: (i) शहरी नियोजन के 10 **मुख्य दार्शनिक सिद्धांत**, और (ii) इन सिद्धांतों को शहरी स्थान और प्रबंधन के **10 कार्यात्मक क्षेत्रों** में लागू किया जाना।
- यह फ्रेमवर्क इन कार्यात्मक क्षेत्रों पर अनुशंसाएँ प्रदान करता है।

NUFP के 10 शहरी सूत्र (सिद्धांत)

- शहर मानव पूँजी के संकुल हैं।
- शहरों में एक 'स्थान की भावना (sense of place)' की आवश्यकता होती है।
- स्थिर मास्टर प्लान नहीं बल्कि विकासशील पारितंत्र।
- घनत्व हेतु निर्माण।
- सामाजिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहित करने वाले सार्वजनिक स्थल।
- मल्टीमॉडल सार्वजनिक परिवहन आधार।

VISION IAS

- पर्यावरणीय संधारणीयता।
- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता।
- शहरों के लिए स्पष्ट एकीकृत नेतृत्व की आवश्यकता।
- शहर क्षेत्रीय विकास के वाहक होते हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ और अनुशंसाएँ

कार्यात्मक क्षेत्र	चुनौतियाँ	अनुशंसाएँ
शहर नियोजन	• मास्टर प्लानिंग ने एक स्थायी निर्माण परिवेश का सृजन किया है। यह शहरी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तित होती सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से व्यापक रूप से असंबद्ध है। • स्थानिक और कार्यात्मक पहलुओं के मध्य सम्पर्क उपस्थित न होने के कारण मास्टर प्लान वास्तविक अर्थों में समग्र होने में विफल रहे हैं। • शहरी नियोजन पुरुषवादी दृष्टिकोण के साथ सम्पादित किया गया है।	• नियोजन क्षेत्र की परिधि में **शहरी और परिनगरीय दोनों क्षेत्र** सम्मिलित होने चाहिए। • मास्टर प्लान **गत्यात्मक** होना चाहिए और उपलब्ध बजट के साथ स्पष्ट रूप से संबंधित होना चाहिए। • स्थानिक नियोजन अभ्यास सहभागितापूर्ण होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसमें समाज के सभी वर्गों के विविधतापूर्ण दृष्टिकोण सम्मिलित हों। • GIS, GPS, सुदूर संवेदन जैसी तकनीकों का उपयोग करके मास्टर प्लानिंग को अधिक कुशल बनाया जा सकता है।
शहरी अर्थव्यवस्था	• संकुलन प्रभाव शहरीकरण की पूर्ण आर्थिक क्षमताओं के कार्यान्वियन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। • भारत में शहरी विकास योजनाबद्ध राष्ट्रीय विकास से भिन्न बना हुआ है।	• शहरों को भीतरी प्रदेशों से दुर्बल संपर्क वाला आर्थिक गतिविधियों का अलग-थलग केंद्र बने रहने के बजाए जीवंत केंद्र बनना चाहिए तथा क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। • राज्यों को न केवल स्थान बल्कि आगत और निर्गत संपर्कों के सदंर्भ में भी अनौपचारिक क्षेत्र को आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करने के तरीकों पर रणनीतियों का विकास करना चाहिए। • हरित प्रौद्योगिकियों, नवीन और पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियों में रोजगार सृजन के नए मार्गों का अन्वेषण किया जाना चाहिए। • बड़े शहरों में नगर आर्थिक परिषदें विशिष्ट परियोजनाओं की प्रगति को तीव्र करने हेतु उद्योगों और सरकारों के मध्य समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर सकती हैं। • शहर स्तरीय निवेश, GDP और रोजगार संवृद्धि को समाहित करने वाला एक त्रैमासिक सिटी डैशबोर्ड होना चाहिए।
भौतिक अवसंरचना	• **पेयजल** ○ जल स्रोत दूर अवस्थित हैं। ○ उप-सतही जल पर अत्यधिक निर्भरता। ○ सरकार उपभोक्ताओं पर वास्तविक लागत अधिरोपित करने की इच्छुक नहीं है। • **स्वच्छता और सीवरेज** ○ मानकों के उन्नयन अथवा उन्हें बनाए रखने हेतु भी निवेश का अभाव।	• **वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क** (जैसे कर वृद्धि वित्तपोषण)। • शहरी अवसंरचना शासन के प्रत्येक क्षेत्र हेतु पेशेवर संस्थान। • राज्यों को नागपुर का अनुकरण करते हुए प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों की ओर स्थानांतरित होकर एक निर्धारित समयावधि में दक्षता और सेवा वितरण में सुधार लाना चाहिए। • एकीकृत डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग

VISION IAS

	○ शहरों के एक विस्तृत भाग में मलजल निपटान प्रणालियाँ विद्यमान नहीं हैं; अतः अपशिष्ट नदियों में प्रवाहित हो जाते हैं।	किया जाए। • **स्थानिक योजनाओं को अवसंरचना योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाए।**
सामाजिक अवसंरचना	• तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सीय और शैक्षणिक सेवाएँ (धार्मिक सेवाओं को छोड़कर) अपर्याप्त रूप से विकसित की गई हैं। • लिंग आधारित शैक्षिक असमानता। • सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी में गिरावट, स्वास्थ्य पर अत्यधिक आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय। • सांस्कृतिक धरोहर का ध्यान नहीं रखा जाता है।	• सरकार की सभी योजनाओं हेतु उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की ओर अग्रसर होना। • शहरी निर्धनों और शहरी समाज के अन्य सीमांत वर्गों के लिए आवश्यकता आधारित शिक्षा सेवाओं का विकास किया जाए। • शहरों में स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के लिए GIS आधारित धरोहरों का मानचित्रण किया जाना चाहिए।
आवास और वहनीयता	• शहरी क्षेत्रों में भूमि दुर्लभ है। • लगभग 95% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के परिवार आवासों के अभाव से ग्रस्त हैं। • किराए पर आवास को प्रोत्साहित करने पर नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं गया है।	• जैसा कि PMAY (U) दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से NUP की रूपरेखा के अंतर्गत **राष्ट्रीय आवासीय स्टॉक** निर्मित किया जाना चाहिए। • स्व-निर्मित आवासों की भौतिक और कानूनी सुभेद्यता कम करने वाला स्व-स्थाने उन्नयन किया जाना चाहिए। • **समावेशी जोनिंग में** सम्पूर्ण, गतिशील मिश्रित-उपयोग वाले स्थान निर्मित करने हेतु आजीविका को भी समाविष्ट किया जा सकता है। • · अधिकृत सार्वजनिक भूमि को सामाजिक किराये के स्थान (social rentals) में परिवर्तित करना, किराए पर आवास को विस्तार करने का एक उपाय हो सकता है।
परिवहन और गतिशीलता	• यातायात की भीड़भाड़ में वृद्धि। • सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न रूप परस्पर असम्बद्ध रूप में कार्य करते हैं। • सड़क आधारित सार्वजनिक परिवहन के लिए निर्दिष्ट स्थान का अभाव इसके प्रति उन यात्रियों के आकर्षण को कम करता है जो परिवहन के अन्य साधनों को वहन कर सकते हैं। • व्यापक पार्किंग नीति का अभाव।	• सड़क सुधार 'परियोजनाएं' फुटपाथ या साइकिल ट्रैक की लागत पर नहीं होनी चाहिए। • व्यापक **स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी।** • भविष्य के सभी विमानपत्तनों, बसों, ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों को परिवहन के कई माध्यमों का उपयोग करने वाले नियमित यात्रियों का निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। • सार्वजनिक बस ऑपरेटरों को **इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS)** का प्रयोग आरम्भ करना चाहिए
शहरी वित्त	• जनोपयोगी सेवाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु उचित दरों का आकलन करने के लिए स्थानीय स्तर पर (विशेष रूप से लघु नगरपालिकाओं के मामले में) आर्थिक और वित्तीय विशेषज्ञता अनुपलब्ध है। • आबादी के एक वर्ग की निम्न भुगतान क्षमता का उपयोग उन वर्गों से भी शुल्क न लेने के एक बहाने के रूप में	• संघ सूची और राज्य सूची की तर्ज पर **'स्थानीय निकाय वित्त सूची' (LBFL)** प्रविष्ट की जानी चाहिए। • संपत्ति कर, व्यावसायिक कर, उपयोगकर्ता प्रभार, और शुल्क को सम्मिलित करने वाली

VISION IAS

	किया जाता है, जो भुगतान कर सकते हैं और जिन्हें करना चाहिए।	राजस्व संग्रहण की योजना। • जिन नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) की क्रेडिट रेटिंग की गई है, उनके द्वारा **राजस्व संवर्धन योजनाएँ** लागू की जानीं चाहिए। • दोहरी प्रविष्टि और प्रोद्भवन प्रणाली पर आधारित उन्नत लेखांकन प्रणाली होनी चाहिए जिससे श्रेष्ठतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त हो।
शहरी शासन	• कार्यों का विखंडित होना। • राज्य के स्वामित्वाधीन निकायों की उपस्थिति (विशिष्ट कार्यों के लिए) ने शहरी स्तर पर अभिकरणों की बहुलता का प्रसार किया है। • अधिकांश ULBs में कर्मचारियों की कमी है।	• सभी पदाधिकारियों की भूमिकाओं को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। • जवाबदेही की समकालीन विधियों का पता लगाया जाना चाहिए, जैसे कि वापस बुलाना और जनमत संग्रह। • **डिजिटल रूप से सक्षम सामाजिक लेखा परीक्षा** प्रचलित की जानी चाहिए। • कार्यों और पदाधिकारियों की आउटसोर्सिंग से क्षमता अंतराल की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।
शहरीकरण और सूचना प्रणाली	• शहर/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर अनुभवजन्य आँकड़ों की कमी, अद्यतित सटीकता आधारित मानचित्रों का अभाव, भूमिगत अवसंरचना के मानचित्र आँकड़ों की कमी, भूमि सर्वेक्षण की अप्रचलित तकनीक, नागरिक एप्लीकेशन्स का अत्यल्प उपयोग।	• शहरों को **एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC)** बनाने की आवश्यकता है। • विद्युत, जल एवं गैस के लिए स्मार्ट विद्युत ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से सुधार। • सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों जैसे इंटेलिजेंट एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और सर्विलांस तथा रक्षा और सुरक्षा प्रणालियों (CCTV, पुलिस, यातायात, आदि) की नेटवर्किंग। • **खुली डेटा नीतियों** का कार्यान्वयन।
पर्यावरणीय संधारणीयता	• भारत के शहर वायु प्रदूषण के संदर्भ में अत्यधिक गंभीर रूप से प्रभावित हैं। • सुरक्षित और उपयोग करने योग्य सतही एवं भूजल स्रोतों तक पहुँच का अभाव।	• राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा योजनाओं का नियोजन और कार्यान्वयन किया जाए। • 5 से 10 वर्ष की समयावधि के साथ शहरी जल प्रबंधन योजनाओं का विकास किया जाए। • अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility: EPR)** सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाए।

10.2. स्मार्ट सिटी मिशन

(Smart Cities Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या में पिछले एक वर्ष में **182% की वृद्धि देखी गयी** है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार ने नागरिकों के रहन-सहन को सुगम बनाने तथा शहरों को निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए वर्ष 2015 में **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM)** का शुभारंभ किया था।
- हालांकि **स्मार्ट सिटी** की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन व्यापक रूप से इसे समग्र अवसंरचना, संधारणीय अचल संपत्ति, संचार और बाजार व्यवहार्यता की दृष्टि से अत्यधिक उन्नत शहरी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

VISION IAS

स्मार्ट सिटी मिशन की रणनीति

- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत क्षेत्र-आधारित विकास के रणनीतिक घटक निम्नलिखित हैं: **नगर सुधार (पुन:संयोजन), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (ग्रीनफ़ील्ड विकास)**। इसमें सम्पूर्ण नगर में विस्तारित पहल भी शामिल होती है जिसमें शहर के एक बड़े भाग को सम्मिलित करते हुए स्मार्ट समाधानों को कार्यान्वित किया जाता है।
- शहरी स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन इस उद्देश्य के लिए सृजित **विशेष प्रयोजन वाहन (स्पेशल पर्पज व्हीकल: SPV)** द्वारा किया जाएगा।
- प्रत्येक स्मार्ट सिटी में एक **स्मार्ट सिटी सेंटर (SCC)** (अर्थात् एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र) होगा। SCC, शहर के तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसके अंतर्गत केंद्रीकृत निगरानी और निर्णयन को संभव बनाने के लिए शहर के सामाजिक, भौतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के साथ डिजिटल तकनीकों को एकीकृत किया जाता है।

मिशन की उपलब्धियां

- **परियोजनाओं का पूर्ण होना-** विगत एक वर्ष में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की संख्या में 182% की वृद्धि देखी गयी है। पूर्ण हुई परियोजनाएं जून 2018 में 318 से बढ़कर जून 2019 में 897 हो गई हैं।
- **स्मार्ट सिटी केंद्रों (SCC) की स्थापना-** अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर जैसे 10 शहरों में पहले ही इन्हें स्थापित किया जा चुका है। इसकी सफलता के विभिन्न उदाहरण सामने आए हैं (बॉक्स देखें)।
- **शहरी परिदृश्य में सुधार-** SCC के प्रभाव को विशेष रूप से सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि, सुरक्षा और लचीलापन (रिज़ीलिअन्स), शहर के परिचालन में समावेशिता, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन और पर्यावरणीय संधारणीयता जैसे **पांच क्षेत्रों** में अनुभव किया जा रहा है।
- **स्टार्ट अप उद्योग को बढ़ावा -** इसने शहरी निवासियों की उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई है।

मिशन में चुनौतियां

- **अपर्याप्त निजी भागीदारी-** प्रारंभ में स्मार्ट सिटी मिशन में निजी भागीदारी के माध्यम से कुल मिशन लागत का **21%** वित्तपोषित करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक, क्रियान्वयन के अधीन कुल योजनाओं में केवल **15%** परियोजनाएं ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (**PPP**) पद्धति के अंतर्गत हैं।
- **वित्त पोषण के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं-** हालांकि शीर्ष **60** शहरों ने अपनी सभी परियोजनाओं की सूचना दी है और अधिकांश परियोजनाओं (**94%**) की लागत परियोजना प्रस्तावों में ही प्रस्तुत की गई है, परन्तु केवल **17** शहर ही प्रत्येक परियोजना के स्तर पर वित्त के स्रोतों की पहचान कर पाए हैं।
- **बढ़ती असमानता-** यह मिशन **क्षेत्र आधारित विकास** (**ABD**) मॉडल पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें यह अप्रत्यक्ष रूप से शहरों को **उनका अधिकांश वित्तपोषण शहर के एक छोटे भाग पर केंद्रित करने** के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार यह पाया गया है कि **99** शहरों की **ABD** परियोजनाओं के तहत कुल क्षेत्रफल का केवल **7%** और कुल बजट का **80%** ही कवर किया गया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण शहर के भीतर और शहरों के मध्य असमानता उत्पन्न करता है।
- **स्मार्ट सिटी के सीमित क्षेत्रों पर बढ़ता ध्यान:** जैसे 5 विकास श्रेणियों- परिवहन, ऊर्जा और पारिस्थितिकी, जल एवं स्वच्छता, आवास तथा अर्थव्यवस्था की SCM बजट में लगभग 80% हिस्सेदारी है। सूचना प्रौद्योगिकी, अभिशासन, संस्कृति एवं धरोहर तथा स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी अन्य श्रेणियों की वित्तपोषण में केवल 15% हिस्सेदारी है।
- **सत्ता का पुनर्केंद्रीकरण -** शहरों में **विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs)** की भूमिका में वृद्धि हुई है, जिसने शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों का अतिक्रमण किया है। साथ ही, **SPV** और नगरपालिका के मध्य संबंधों और पदानुक्रम के संबंध में भी स्पष्टता का अभाव है।

आगे की राह

- SCC के प्रभाव से अधिक से अधिक सेवाओं के एकीकरण से सुधार आएगा। मिशन का उद्देश्य शहर की अन्य परियोजनाओं के साथ अभिसरण और विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य सूचनाओं का बेहतर साझाकरण होना चाहिए।
- शहरी क्षेत्र को और अधिक उन्नत बनाने के लिए शासनात्मक ढांचे, नीतिगत प्रोटोकॉल, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं और नागरिक-सरकार संलग्नता की प्रकृति के विकास सहित सक्षमकारी परिवेश को विकसित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

स्मार्ट सिटी मिशन में सफलता के उदाहरण

- **राजकोट-** विगत दो तिमाहियों के दौरान अपराध दर में **18%** की कमी आई है और यातायात चालान निर्गमन में सुधार हुआ है। यह व्यवहार संबंधी परिवर्तन दर्शाता है। **CCTV** कैमरे के माध्यम से साफ-सफाई के कार्यों की निगरानी के कारण गंदगी फैलाने, सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रविसर्जन करने और रात्रि के समय कचरा जलाने की घटनाओं में कमी हुई है।
- **पुणे-** शहर के चारों ओर प्रमुख बिंदुओं पर **SCC** को डेटा उपलब्ध कराने वाले बाढ़ संवेदक लगाए गए हैं, जो समय पर चेतावनी और अनुक्रिया तंत्र को सक्षम बनाते हैं। निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के लिए **120** स्थानों पर इमर्जेंसी कॉलबॉक्स स्थापित किए गए हैं जिनका केवल बटन दबाना होता है।
- **अहमदाबाद-** BRTS गलियारों पर निःशुल्क वाई-फाई लगाने से फरवरी **2018** की तुलना में मार्च **2018** में यात्रियों की संख्या में **20,000** तक की वृद्धि हुई है।
- **भोपाल** में संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि देखी गई है। साथ ही यह अपनी परिवहन सेवाओं पर ऑनलाइन निगरानी रखने में भी सक्षम है।

10.3. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप

(Draft National Logistics Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का प्रारूप जारी किया है।

लॉजिस्टिक्स क्या है?

- यह संसाधनों का प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला में उन्हें स्थानांतरित करने की समग्र कार्यपद्धति को संदर्भित करता है।
- यह परिवहन के अतिरिक्त, भंडारण, ब्रोकरेज, संसाधनों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने (एक्सप्रेस डिलीवरी), महत्वपूर्ण अवसंरचना सेवाओं आदि गतिविधियों के एक विन्यास का समावेश करता है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक का महत्व

- **रोजगार:** यह उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और यह प्रतिवर्ष 15% की दर से विकास कर रहा है। इसके उप-क्षेत्रक तो 30-40% तक की दर से विकास कर रहे हैं।
- **सकल घरेलू उत्पाद:** भारत लॉजिस्टिक्स और परिवहन पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.4% व्यय करता है। वित्तीय वर्ष 2016-2020 के मध्य इस क्षेत्रक के 15-20 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से विकसित होने की संभावना है।
- **किसान आय:** एक कुशल लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में किसानों की आय में कई गुना वृद्धि करने की संभावना विद्यमान है, जिसके समग्र अर्थव्यवस्था पर **दूरगामी प्रभाव** हो सकते हैं।

नीति की आवश्यकता क्यों ?

- **विखंडित नीति दृष्टिकोण:** वर्तमान में अनेक मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला के विभिन्न भागों का प्रबंधन (सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, डाक, वित्त, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन आदि) किया जा रहा है, जिससे समन्वित निरीक्षण नीति कार्रवाई बाधित होती है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण प्रेरक होने के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका 9-10%, यूरोप 10%, जापान 11% की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अत्यधिक उच्च अर्थात् 13 से 14% है।
- **परिवहन की विभिन्न विधाओं के बीच अनुपात की विषमता** जिसमें 60% माल का परिवहन सड़कों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- **उभरती हुई नयी प्रवृत्तियाँ -** जैसे- विशिष्ट कौशल समुच्चयों के साथ डोमेन विशेषज्ञता, पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स एवं साइबर खतरों के प्रति लचीलापन आदि उभरती हुई नई प्रवृत्तियाँ, मानव शक्ति द्वारा संचालित असंगठित एवं खंडित लॉजिस्टिक क्षेत्र के पुनरुद्धार की मांग करती हैं।

VISION IAS

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए सरकार की पहलें

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को 2017 में अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया गया, जो निधि सम्बन्धी एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी अन्य बाधाओं को दूर करेगा।
- सरकार ने **एशियाई विकास बैंक की सहायता से असम में एक लॉजिस्टिक्स हब** प्रस्तावित किया है।.
- सरकार ने राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स के समक्ष विद्यमान बाधाओं पर ध्यान देने के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स (LEADS) लॉन्च किया है।
- भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने हेतु **लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्द्धन कार्यक्रम** लॉन्च किया गया था।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) लॉजिस्टिक्स के लिए जटिल कर संरचना की समस्या का समाधान करता है तथा इस प्रकार से लॉजिस्टिक्स कंपनियों द्वारा दक्ष निर्णय लेने में सहायता करता है।

लॉजिस्टिक नीति प्रारूप 2018 के मुख्य बिंदु

- **नीति के लक्ष्य: सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी**, प्रक्रियाओं और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाते हुए वास्तव में एकीकृत, विश्वसनीय और **लागत प्रभावी** लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक विकास एवं व्यापार प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रेरित करना ।

नीतिगत उद्देश्य	**नीतिगत रूप से संबंधित क्षेत्र**
लॉजिस्टिक्स के लिए ज्ञान और जानकारी साझा करने के प्लेटफार्म का **एकल संदर्भ बिंदु** निर्मित करना।	• वन स्टॉप ई-मार्केटप्लेस के रूप में **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस** का निर्माण करना। • डेटा चालित निर्णय निर्माण को सक्षम बनाने हेतु **लॉजिस्टिक डेटा और एनालिटिक्स सेंटर (LDAC)** स्थापित करना।
लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के अनुमानित वर्तमान लागत 13-14% से कम करके 10% तक लाने के लिए प्रेरित करना, और लॉजिस्टिक्स **के एकीकृत विकास को बढ़ावा देकर अधिक कुशल बनने हेतु क्षेत्रक को प्रोत्साहित करना**।	• कुछ प्रमुख गलियारों जैसे प्रमुख क्लस्टरों को जोड़ने वाले '**मॉडल लॉजिस्टिक**' गलियारों का विकास करना। • निर्बाध और विश्व स्तरीय मल्टीमोडल माल-भाड़ा अंतरण संभव करने के लिए **मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP)** के विकास को प्रेरित करना। • देश में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) के विकास के लिए **एकीकृत नीति एवं मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क प्राधिकरण** की स्थापना की जानी चाहिए। • माल का निर्बाध प्रवाह सक्षम करके **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना। • **भण्डारण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने** में गोदाम प्रबंधन प्रणाली (WMS) और अन्य आईटी संचालित समाधान को अपनाने की प्रक्रिया प्रभावी होती जा रही है।
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार करना	**विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) के छह संकेतकों** - सीमा शुल्क; अंतरराष्ट्रीय नौवहन; कंसाइनमेंट (प्रेषित माल) की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग; अवसंरचना; लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्द्धा; माल प्रेषण की समयबद्धता, पर कार्य किया जा सकता है।
कृषि अपव्यय के कारण होने वाली क्षतियों को कम करके 5% से कम के स्तर पर लाना और इस प्रकार कृषि से मूल्य प्राप्ति एवं किसान आय में वृद्धि करना।	**शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं** की पैकेजिंग, परिवहन और भंडारण के लिए **विशेष प्रकृति की आवश्यकताएं प्रदान करने पर** ध्यान केन्द्रित करना।
देश में **पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स** के अंगीकरण को प्रोत्साहित करना।	यह नीति वैकल्पिक ईंधनों पर शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, बेहतर वाहन डिजाइन आदि के माध्यम से **आपूर्ति श्रृंखला के कार्बन फुट प्रिंट** में कमी करने का विचार रखती है और साथ ही पैकेजिंग में **3 आर- रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल** (कम उपयोग करना, पुनः प्रयोग करना और पुनर्चक्रित करना) पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

VISION IAS

कुछ अन्य उद्देश्य एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र	• एकीकृत राष्ट्रीय **लॉजिस्टिक्स कार्य योजना** का निर्माण करना। • **एकीकृत लॉजिस्टिक पर एक फ्रेमवर्क अधिनियम बनाना।** • **लॉजिस्टिक के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क और अभिशासन।** • **लॉजिस्टिक क्षेत्र में रोजगार को दोगुना** करना।

10.4. परियोजना / कार्यक्रम प्रबंधन पर रिपोर्ट

(Report on Project / Program Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग के अधीन कार्यरत एक टास्क फ़ोर्स ने भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन हेतु नीतिगत रूपरेखा का सुझाव देते हुए, **परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन** पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

बेहतर परियोजना प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता

- इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्येक परियोजना विशिष्ट एवं जटिल होती है, इसमें कई हितधारक सम्मिलित होते हैं तथा इन्हे पूरा करने के लिए अत्यधिक वित्त और समय की आवश्यकता होती है, **परियोजना प्रबंधन की पारंपरिक विधियां** निष्प्रभावी सिद्ध हुई हैं।
- **निम्नस्तरीय परियोजना प्रबंधन के परिणाम:**
  - **अतिरिक्त व्यय:** लागत वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय का बोझ; परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त परियोजनाओं हेतु वित्त का अभाव हो जाता है।
  - **परियोजना में विलंब के स्वीकरण की संस्कृति का निर्माण:** इसके कारण अनावश्यक विलंब और परिहार्य लागतों के स्वीकार्यता की संस्कृति सृजित होती है, जिसके चलते ऐसे मामलों की संख्या में और वृद्धि होती है।
  - **आर्थिक बोझ:** निवेश पर विलंबित प्रतिफल के कारण अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सृजन होता है।
  - **खरीद लागत में वृद्धि:** ठेकेदारों द्वारा अनुभव किए जाने वाले उच्च जोखिम (जैसे कि सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं से सम्बद्ध विलम्ब और क्रियान्वयन के दौरान लक्ष्य में परिवर्तन) के मुद्रीकरण के कारण अधिप्राप्ति की लागत में वृद्धि।
- **संरचित परियोजना प्रबंधन प्रणालियाँ:**
  - **सीमित संसाधनों में वृद्धि करेंगी** और परियोजना की बदलती आवश्यकताओं के प्रति प्रभावी ढंग से अनुक्रिया करेंगी।
  - वांछित गुणवत्ता के साथ, समय पर और बजट के भीतर जटिल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रोजेक्ट स्कोपिंग, नियोजन, अनुसूचन, जोखिम आंकलन, टीम निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण जैसे कौशल प्रदान करेंगी।
  - सागरमाला, भारतमाला, औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी सभी जटिल कार्यक्रम पहलों के लिए तालमेल, एकीकरण और साझा भाषा लागू करेंगी।

प्रमुख अनुशंसाएं

- संपूर्ण देश की विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं, जैसे- सार्वजनिक/निजी/राज्य क्षेत्रक में अनुबंध, अवसंरचना, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों, CSR आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए **नेशनल प्रोजेक्ट/प्रोग्राम मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क (NPMPF)** विकसित करना। यह परियोजना/कार्यक्रम प्रबंधन पर पहले से ही उपलब्ध वैश्विक सर्वोत्तम मानकों का सन्दर्भ ले सकता है तथा सार्वजनिक क्षेत्रक की परियोजनाओं और PPP परियोजनाओं के प्रभावी परियोजना निष्पादन के लिए प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों का सुझाव दे सकता है।
- **पृथक प्रोजेक्ट/प्रोग्राम मैनेजमेंट डिलीवरी टीम की स्थापना करना:** इसे वृहद परियोजनाओं से सम्बद्ध डिलीवरी संबंधी मुद्दों का लेखांकन करने का कार्य सौंपा जा सकता है। साथ ही यह मौजूदा परियोजनाओं में "सुधारों" की अनुशंसा भी कर सकती है।
- सक्षम परियोजना पेशेवरों के संसाधन पूल के निर्माण हेतु नोडल संस्थान बनने के लिए **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड प्रोजेक्ट प्रोफेशनल (NICPP) की स्थापना करना।** इस रिपोर्ट के अनुसार, अगले 10 वर्षों में भारत को 70 लाख कुशल परियोजना प्रबंधकों की आवश्यकता होगी।
- उचित पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध में **शेयर धारक समझौता (SHA) और राज्य सहयोग समझौता (SSA)** सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **अन्य महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में सम्मिलित हैं:**
  - परियोजना प्रबंधन को संस्थागत बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करना।
  - गुणवत्तायुक्त **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)** तैयार करने पर ध्यान देना।

VISION IAS

11. परिवहन क्षेत्रक (Transport Sector)

11.1.अंतर्देशीय जलमार्ग पर पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल

(First Multi-Modal Terminal on Inland Waterways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत के पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की विश्व बैंक समर्थित **जल मार्ग विकास परियोजना** के भाग के रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर बनाया जा रहा पहला मल्टी-मॉडल टर्मिनल है।
- वाराणसी में मल्टी-मॉडल टर्मिनल और प्रस्तावित फ्रेट विलेज की परियोजना से **500 प्रत्यक्ष रोजगार अवसर और 2000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर** सृजित होने की आशा है।

मल्टी-मॉडल परिवहन में परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे- सड़कमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग इत्यादि का उपयोग किया जाता है।

मल्टी-मॉडल परिवहन के मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं:

- **ट्रांस-शिपमेंट स्थलों पर समय की हानि को कम करता है:** मल्टी- मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अपने व्यवस्थित संचार लिंक के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट (पोतांतरण) बिंदुओं पर माल के अन्तर्विनिमय तथा उससे आगे के परिवहन का सुचारू रूप से समन्वय करता है।
- **वस्तुओं के अपेक्षाकृत तीव्र पारगमन में सहायक होता है:** बाजार, वस्तुओं के तीव्र पारगमन से भौतिक रूप से संकुचित हो रहे हैं; मूल या स्रोत सामग्री और ग्राहकों के बीच की दूरी महत्वहीन होती जा रही है।
- **प्रलेखन और औपचारिकताओं का बोझ कम करता है:** परिवहन श्रृंखला के प्रत्येक खंड से जुड़े कई दस्तावेज जारी करने का तथा अन्य औपचारिकताओं का बोझ न्यूनतम हो जाता है।
- **लागत की बचत होती है:** इन लाभों से उत्पन्न होने वाली लागत की बचत सामान्यत: मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (MTO) द्वारा प्रभारित माल भाड़ा दरों के माध्यम से और माल की बीमा लागत में परिलक्षित होती है।
- **संचालन समन्वय के लिए एक एकल एजेंसी की स्थापना करता है:** वस्तुओं या गंतव्य पर वस्तुओं की डिलीवरी में देरी से संबंधित सभी मामलों में प्रेषक/प्रेषिती को केवल मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से सम्पर्क करने की आवश्यकता होती है।
- **निर्यात की लागत कम करता है:** अंतर्निहित लाभ, निर्यात की लागत कम करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार खंड में मूल्य निर्धारण के साथ उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति सुधारने में सहायता करते हैं।
- **कम भीड़भाड़:** इससे परिवहन के किसी विशेष प्रकार पर अधिक बोझ को कम करने में सहायता मिलती है और इस प्रकार स्थान एवं भीड़भाड़ से संबंधित लागत की बचत होती है। इसके अतिरिक्त, इससे ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है।

भारत में हाल के समय में मल्टी-मोडल परिवहन में वृद्धि दर्ज की गई है और यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है।

- मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1993 पारित करने से लेकर वस्तु और सेवाकर के कार्यान्वयन जैसी सरकार की हाल की पहलों के साथ कंटेनरीकरण (containerization) के आरम्भ से देश को एकीकृत परिवहन प्रणाली की दिशा में प्रगति करने में सहायता मिली है।
- सरकार मल्टी-मोडल परिवहन पर नीति बनाने की योजना बना रही है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का अनुमान है कि भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र के (जो लगभग 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है) GST के कार्यान्वयन के साथ अगले दो वर्षों में 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है। इस संभावना को साकार करने के लिए, देश को IT के क्षेत्र में अपनी मजबूत शक्ति का प्रभावी उपयोग करना होगा और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ सहयोग की संभावना तलाशनी होगी।

IWT में विश्व की तुलना में भारत की स्थिति कैसी है?

- चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने मुख्य मार्गों पर अपनी नदी प्रणाली का रखरखाव और उन्नयन किया है जो एकल यात्रा में 40,000 टन कार्गो तक के बड़े आधुनिक जलपोतों का परिवहन कर सकते हैं।
- भारत में IWT की केवल 0.5% मोडल सहभागिता है; जबकि नीदरलैंड में यह 42%, चीन में 8.7%; संयुक्त राज्य अमेरिका में 8.3% और यूरोप में 7% के स्तर पर है।

VISION IAS

- चीन ने **2005-2010** में **15** बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया; जर्मनी ने केवल **2012** में ही **12** बिलियन यूरो से अधिक का निवेश किया।

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) की संभावना: **1980** की राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (**NTPC**) की रिपोर्ट के अनुसार, देश में नौगम्य जलमार्गों की अनुमानित लंबाई **14,500** किलोमीटर थी।

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 कुल **111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करता है, जिनकी कुल नौवहन योग्य लंबाई 20200 किलोमीटर से अधिक है**। इसमें से 17,980 कि.मी. नदियों और 2,256 कि.मी. नहरों का यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
- 2014 में RITES द्वारा प्रस्तुत एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड पर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 तक इन जलमार्गों पर **अनुमानित कार्गो आवागमन 159 मिलियन टन** होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने में चुनौतियां

- **निवेश का अत्यंत निम्न स्तर**: **IWT** और परिवहन के अन्य साधनों के बीच अभिसरण की कमी तथा **रेल और सड़क नेटवर्क के विकास पर अधिक बल देने** के परिणामस्वरुप **IWT** पर कम व्यय किया जाता है।
- **सहायक सुविधाओं के विकास की उच्च लागत:** मल्टी-मोडल और इंटर-मोडल टर्मिनल अंतर्देशीय जलमार्ग के नाव्य जलपथ विकास का भाग हैं। आधुनिक समय के मल्टी-मोडल टर्मिनलों, फेरी स्थलों, नौका बिंदुओं और नदी सूचना प्रणाली का विकास **अत्यधिक पूंजी गहन** है।
- **यह धारणा कि IWT निवेश उच्च जोखिम वाला निवेश है:** इसने बैंकों के लिए निजी भागीदारों को ऋण देना गैर-प्रोत्साहनकारी बनाया। इसने निजी भागीदारी की सहभागिता को भी (यहां तक कि PPP मोड के लिए भी) हतोत्साहित किया।
- **तकनीकी चुनौतियां:** जैसे कि **2.5** मीटर चौड़ाई से **3.0** मीटर की गहराई के **नाव्य जलपथों** का विकास और रखरखाव, **अनियमित गादभराव का नियंत्रण,** किनारों का अपरदन रोकने और अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए **गति नियंत्रण नियम,** क्रॉस फेरी के विरूद्ध सुरक्षा।

अंतर्देशीय जलमार्गों के लाभ

- **पूंजी की बचत:** जल मार्ग विकास परियोजना के माध्यम से **NW-1** पर नौगम्यता की क्षमता वृद्धि के लिए **2.53** करोड़ रूपये प्रति कि.मी. का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। इसकी तुलना में सड़क और रेल दोनों की लागत **5** करोड़ रूपये प्रति कि.मी. है।
- **परिवहन की लागत में बचत**: **IWT** का समग्र लॉजिस्टिक लागत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
  - 1 हॉर्स पावर ऊर्जा सड़क पर 150 किलोग्राम, रेल पर 500 किलोग्राम और जल पर 4000 किलोग्राम का परिवहन करती है।
- **पर्यावरण अनुकूल:** ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस (**LNG/CNG**) वाले आधुनिक अंतर्देशीय जलपोतों के उपयोग से **SOx, NOx (70%),** कणिकीय पदार्थ **(95%)** और **CO_2 (25%)** के उत्सर्जन में कमी आएगी। इसलिए परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। अन्य कारकों में सम्मिलित हैं-
  - यह न्यूनतम संसाधन ह्रास वाली परिवहन परियोजना है, इसमें **जल की खपत नहीं** होती है।
  - प्रति टन-कि.मी. **ईंधन की अत्यंत कम खपत** से सड़क और रेल परिवहन पर बोझ कम होगा जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की खपत कम होगी और परिणामस्वरूप कम पर्यावरण प्रदूषण होगा।
  - **भूमि की नगण्य आवश्यकता**: भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम आवश्यकता के कारण (कुछ स्थानों को छोड़कर जहां टर्मिनलों का निर्माण किए जाने की संभावना है), पारिस्थितिकी और जैव विविधता, कृषि गतिविधियों के साथ-साथ लोगों की आजीविका पर भी नगण्य प्रभाव पड़ेगा।
  - खतरनाक और बड़े आकार के कार्गो के लिए सुरक्षित माध्यम
  - LNG/CNG **इंजन के शोर का स्तर डीजल इंजन की तुलना में कम** होता है, इसलिए परिवेशी ध्वनि स्तर पर कम प्रभाव पड़ता है।
  - नौगम्यता सुविधाओं के सुधार/संवर्द्धन के कारण **नदी प्रवाह** में हुए सुधार से जलीय वनस्पतिजात और प्राणीजात को लाभ होगा।

VISION IAS

* **अनुपूरक माध्यम के रूप में:**
  * रोजगार और व्यावसायिक अवसरों के रूप में **आर्थिक अवसरों में वृद्धि** (कार्गो आवागमन और परिधीय गौण व्यावसायिक गतिविधियों दोनों के संबंध में)।
  * नदी के दोनों किनारों पर गतिविधियों का संचालन करने के लिए परिवहन के एक माध्यम के रूप में **स्थानीय समुदायों तक पहुंच**।
  * न्यूनतम जल स्तर को बनाए रखने के माध्यम से बेहतर जल प्रवाह, **बेहतर मछली उत्पादन और मत्स्यग्रहण** प्रदान करेगा, जिससे नदी के किनारे मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए प्रत्यक्ष आय संवर्द्धन संभव होगा।
  * नदियों एवं नौगम्यता के साथ **व्यापारिक केंद्रों और सहायक अवसंरचना (कार्गो हैंडलिंग आदि) तक बेहतर पहुंच** से स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को लाभ होगा।

अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करने की पहलें

* गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-I (NW-I) पर '**जल मार्ग विकास परियोजना',** वाराणसी और हल्दिया के मध्य आरंभ की गई है। यह एक वृहत एकीकृत IWT परियोजना है, जो 5369 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 1380 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है।
* तकनीकी आर्थिक अध्ययनों के आधार पर, **2017-18 में विकास के लिए आठ नए NW को चयनित किया गया है**। इनमें सम्मिलित हैं, NW-16 (बराक नदी); गोवा में तीन, अर्थात NW-27 (कम्बरजुआ), NW-68 (मंडोवी), NW-111 (ज़ुआरी); NW-86 (रूपनारायण नदी); NW-97 (सुंदरबन); NW-9 (अलाप्पुझा-कोट्टायम-अथिरमपुझा नहर) और NW-37 (गंडक नदी)।
* उत्तर पूर्व और मुख्य भूमि के बीच कार्गो की लॉजिस्टिक लागत कम करने और यात्री आवागमन सुविधाजनक बनाने के लिए, **बांग्लादेश के साथ MOUs पर हस्ताक्षर किया गया है।**
* **संस्थागत वित्त पोषण** प्रदान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए केंद्रीय सड़क निधि की कुल प्राप्तियों का 2.5 प्रतिशत आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
* **एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन जलमार्ग ग्रिड अध्ययन:** इसे IWAI द्वारा RITES के माध्यम से पहले 6 राष्ट्रीय जलमार्गों को राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, रेलमार्गों (जहां व्यवहार्य हो) और समुद्री पत्तनों (जहां व्यवहार्य हो) से जोड़ने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था।

11.2. रेलवे सुरक्षा

(Railway Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी और 2018-19 में अपना सर्वश्रेष्ठ (पिछले 57 वर्षों में) सुरक्षा रिकॉर्ड हासिल किया गया।

भारत में रेल दुर्घटनाओं के सामान्य कारण

* कुल रेल दुर्घटनाओं में से 50% दुर्घटनाओं का कारण रेलों का पटरी से उतरना और 36% दुर्घटनाओं का कारण मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग हैं।

  इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख कारण हैं-
* टक्कर-रोधी प्रौद्योगिकियों का अभाव
* स्टाफ की कमी
* पटरियों का अनुचित रखरखाव

VISION IAS

- संसाधन की कमी
- निम्नस्तरीय रोलिंग स्टॉक (कोई LHB कोच नहीं)
- सरकार द्वारा उपेक्षा

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2018-19 में ट्रेनों के टकराने की घटनाओं की संख्या शून्य रही।
- पटरी से उतरने की घटनाएं वर्ष 2016-17 की संख्या 78 से घटकर 2018-19 में 46 हो गई हैं।
- दुर्घटनाओं में हुई मौतों की संख्या भी 2013-14 के 152 के आंकड़े से घटकर 31 जनवरी, 2019 तक 29 रह गयी थी। यह गिरावट 81% की रही।
- ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंगों को बंद कर दिया गया है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **रेलवे ट्रैक (पटरियों) के नवीकरण संबंधी कार्यों में तीव्रता-** ट्रैक संबंधी कमियों को समाप्त करने और पुरानी/क्षतिग्रस्त रेल पटरियों को शीघ्र बदलने के लिए ट्रैक नवीनीकरण परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी। परिणामस्वरूप, ट्रैक नवीनीकरण की गति 2014-15 के लगभग 2,400 ट्रैक किमी से दोगुनी होकर 2017-18 में लगभग 4400 किलोमीटर हो गई।
- **ट्रैक एवं रोलिंग स्टॉक की निगरानी और रख-रखाव का आधुनिकीकरण-** ट्रैक या रोलिंग स्टॉक में दोषों का पता लगाने और उनका निवारण करने हेतु।
- **रेलवे नेटवर्क के अति संकुलन में कमी करना और रोलिंग स्टॉक प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना-** सरकार ने नई लाइनों को चालू करने की औसत गति लगभग 4.1 किमी प्रति दिन (2009-14) से बढ़ाकर 6.5 किमी प्रति दिन (2014-18) कर दी है। सरकार मौजूदा रोलिंग स्टॉक को LHB कोचों जैसी नई तकनीक को अपनाकर तथा धीरे-धीरे अत्याधुनिक डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों की खरीद कर अपग्रेड कर रही है।
- **मानव रहित लेवल क्रॉसिंग के उन्मूलन की बढ़ती दर-** यह गति 2009-14 के दौरान प्रति वर्ष 1,140 के करीब थी, परन्तु केवल 7 महीनों (अप्रैल 2018-अक्टूबर 2018) में लगभग 3,400 मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों के उन्मूलन के साथ इस उन्मूलन की गति में तीव्र सुधार किया गया।
- **पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करना-** सुरक्षा व्यय हेतु राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का सृजन किया गया है। यह कोष भारतीय रेलवे को 5 वर्ष की अवधि (2017 से 2022) के दौरान सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश के लिए 1 लाख करोड़ की समर्पित धनराशि उपलब्ध कराएगा।
- **अन्य उपाय-** अत्याधुनिक सिग्नलिंग तकनीक {यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ETCS) लेवल 2} की शुरुआत; इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का प्रसार; स्टेशनों पर अधिक फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर्स, लिफ्ट उपलब्ध कराना, सुरक्षा संबंधी रिक्त पदों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए भरा जाना।

VISION IAS

12. ऊर्जा क्षेत्रक (Energy Sector)

भूमिका

- ऊर्जा क्षेत्रक, अंतिम उपभोग स्तर तक आपूर्ति हेतु विविध बाजारों (कोयला, गैस, तेल, नवीकरणीय स्रोत, विद्युत्, पेट्रोल एवं डीजल) तथा अवसंरचना आवश्यकताओं (संप्रेषण और वितरण ग्रिड्स, गैस पाइपलाइन व पेट्रोल पम्पस) के साथ अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक जटिल क्षेत्रकों में से एक है।
- अनेक उप-क्षेत्रकों में स्केल इकॉनमी (उत्पादन को कार्यकुशल बनाकर लागत संबंधी लाभ प्राप्त करना) की उपस्थिति, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की अंतर्संबंधित प्रकृति, विविध ईंधनों के विभिन्न पर्यावरणीय निहितार्थ और वहनीय मूल्यों पर ऊर्जा तक पहुंच के सामाजिक उद्देश्य इत्यादि, ऊर्जा क्षेत्रक में नीति निर्माण की जटिलताओं में अत्यधिक वृद्धि करते हैं।

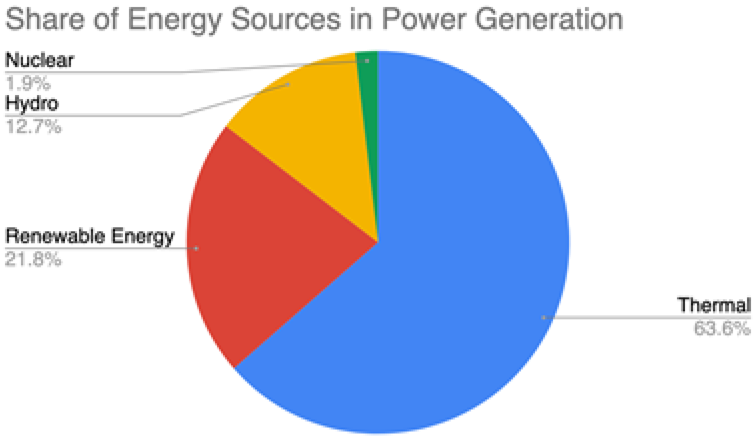

भारत के ऊर्जा क्षेत्रक हेतु प्राथमिकताएं:

- सरकार की हालिया घोषणाओं की पूर्ति के तरीकों की रूपरेखा तैयार करना। जो निम्नलिखित हैं:
  - वर्ष 2022 तक 24x7 विद्युत् आपूर्ति के साथ सार्वभौमिक विद्युतीकरण की प्राप्ति। वर्तमान में लगभग 30.4 करोड़ भारतीयों की विद्युत् तक पहुँच नहीं है।
  - GDP में विनिर्माण के वर्तमान हिस्से (16%) में वृद्धि कर उसे 25% तक पहुँचाना।
  - पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य तेल आयात को वर्ष 2022 तक 10% तक कम करना (वर्ष 2014-15 के स्तरों से)।
  - अभिप्रेत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) लक्ष्यों की प्राप्ति।
- विशाल जनसंख्या (जिसका वर्ष 2040 तक 1.6 बिलियन हो जाने का अनुमान लगाया गया है) की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
  - लगभग 500 मिलियन आबादी भोजन पकाने हेतु काष्ठ, कोयला, चारकोल जैसे परम्परागत ईंधनों पर निर्भर है।
  - नीति आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की ऊर्जा मांग के वर्ष 2012 और 2040 के मध्य 2.7-3.2 गुना तक हो जाने की संभावना है तथा इस प्रकार आयात मांग में वर्ष 2012 के 31% से वर्ष 2040 में 36.55% तक वृद्धि हो सकती है।
- ऊर्जा सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समन्वय में वृद्धि करना, क्योंकि विभिन्न मंत्रालय ऊर्जा से संबंधित मामलों का अपने क्षेत्रीय एजेंडे के अनुसार संचालन करते हैं।
- वायु प्रदूषण के कारण होने वाली क्षति को कम करना- इसके GDP के 3% तक हो जाने का अनुमान लगाया गया है तथा यह प्रत्येक वर्ष 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है।
- ऊर्जा क्षेत्रक में उभरते हुए परिदृश्यों के साथ सुसंगत एक नवीन एजेंडे को निर्धारित करना। ऐसे कुछ परिदृश्य हैं:
  - वर्ष 2005-2015 के दौरान **वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन**, जिसमें जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 88% से कम होकर 86% हो गया है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में 12.5% से 14% तक वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस के बढ़ते उत्पादन, तेल की तुलना में निम्न मूल्य और एक तिहाई निम्नतर कार्बन उत्सर्जन के कारण तेल के सापेक्ष गैस के प्रयोग में वृद्धि।

- बाजारों में तेल और गैस की अति आपूर्ति मूल्यों में कटौती का कारण बनी है, जिसने भारत जैसे देशों को राजकोषीय संभावनाएं प्रदान की है कि वे अपनी ऊर्जा संबंधी नीतियों में सुधार कर सकें।
- **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के मूल्य में कटौती-** पवन एवं सौर ऊर्जा मूल्यों में वर्ष 2010 और 2015 के मध्य क्रमशः 60% और 52% की कमी आई है।
- **जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताएं-** ऊर्जा उपयोग और निकृष्ट पर्यावरणीय परिणामों के मध्य लिंकेज की समझ तथा वायु गुणवत्ता मानकों के संबंध में जागरुकता में वृद्धि हुई है।

12.1. जल-विद्युत क्षेत्रक

(Hydro Power Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने जल-विद्युत क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को स्वीकृति प्रदान की है।

स्वीकृत उपायों में शामिल हैं-

- **बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं** (अर्थात् 25 मेगावॉट से अधिक क्षमता वाली जल-विद्युत परियोजनाओं) **को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में घोषित किया गया है।**
- **डिस्कॉम्स के लिए गैर-सोलर नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यता के तहत जल-विद्युत खरीद बाध्यता (Hydro Purchase Obligation: HPO) को एक अलग इकाई माना गया है।** HPO के अंतर्गत इन उपायों की अधिसूचना के बाद शुरू की गई सभी बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं (LHPs) को कवर किया जाएगा।
- **जल-विद्युत के प्रशुल्क (टैरिफ) को कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय,** जैसे कि परियोजना अवधि को 40 वर्ष तक बढ़ाने के बाद प्रशुल्क की बैक लोडिंग द्वारा प्रशुल्क निर्धारित करने के लिये डेवलपरों को लचीलापन प्रदान करना, ऋण भुगतान की अवधि को 18 वर्ष तक बढ़ाना और 2 प्रतिशत का वृद्धिशील प्रशुल्क अधिरोपित करना।
- **जलविद्युत परियोजनाओं के फ्लड मोडरेशन घटक के वित्तपोषण के लिये बजटीय सहायता प्रदान करना।**
- सड़कों और पुलों जैसी **सक्षमकारी आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में आर्थिक लागत पूरी करने के लिये बजटीय सहायता प्रदान करना।**

इन उपायों की प्रभाविता:

- देश के कुल ऊर्जा-मिश्रण (एनर्जी मिक्स) में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी में वृद्धि होने से वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के अंतर्गत ऋण** हेतु पात्र है**,** अतः यह बड़ी जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण की सुलभता सुनिश्चित करेगा।
- ऐसी जल-विद्युत परियोजनाओं से दूरस्थ और पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए **रोजगार का सृजन** होगा, साथ ही **अवसंरचनाओं** का निर्माण होगा जिससे उस क्षेत्र का समग्र विकास होगा।
- भंडारण (स्टोरेज) आधारित जल-विद्युत परियोजनाओं से **भूजल पुनर्भरण में सुधार** होता है और इससे भूजल स्तर में भी सुधार होता है। यह देखा गया है कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर स्टोरेज परियोजना के पश्चात् भूजल स्तर में काफी सुधार हुआ है।

भारत के ऊर्जा-मिश्रण में इन उपायों के पश्चात् हुए परिवर्तन		
संस्थापित क्षमता		
नवीकरणीय स्रोत	RNE में LHPs के सम्मिलित होने से पहले	RNE में LHPCs सम्मिलित होने के बाद
MW में	75,055.92	1,20,455.14
ऊर्जा-मिश्रण में % सहभागिता	21.43	34.40
नवीकरणीय ऊर्जा में भागीदारी (% में)		
स्रोत	RNE में LHPs के सम्मिलित होने से पहले	RNE में LHPs सम्मिलित होने के बाद
जल-विद्युत	6.03	41.45

VISION IAS

पवन ऊर्जा	47.02	29.30
जैव-ऊर्जा	12.28	7.65
सौर-ऊर्जा	34.68	21.61

जल-विद्युत क्षेत्रक के समक्ष मुद्दे:

- **सक्षमकारी अवसंरचना का अभाव:** सुदूरवर्ती क्षेत्रों, जहाँ जल-विद्युत क्षेत्रक के लिए संभावनाएं उपलब्ध हैं, तक पहुंचने के लिए सक्षमकारी अवसंरचना, जैसे- सड़कों, पुलों आदि का अभाव।
- बांधों, पावर हाउस आदि के लिए **भूमि अधिग्रहण में होने वाला विलम्ब।**
- **पर्यावरण और वन मंजूरी के कारण विलम्ब।**
- **पुनर्वास और पुनर्स्थापन** का स्थानीय लोगों द्वारा रोजगार और अतिरिक्त मुआवजे के लिए विरोध किया जाता है। यह कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है।
- **सांस्कृतिक/धार्मिक मुद्दे:** नदियों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** दीर्घ निर्माणपूर्व अवधि, अंतर-राज्यीय मुद्दे, विशेषकर नदी प्रवाह संबंधी अधिकार, जैसे- मुल्लापेरियर बाँध (तमिलनाडु और केरल के बीच)।
- **जल-विद्युत् परियोजनाओं का उच्च प्रशुल्क:** मुख्य रूप से जटिल संरचनाओं के निर्माण, दीर्घ निर्माणपूर्व अवधि, अल्प ब्याज दरों पर ऋण की अनुपलब्धता और लम्बी कार्यावधि, उच्च R&R (पुनर्वास और पुनर्स्थापना) लागत तथा अवसंरचना इत्यादि के कारण ऊर्जा के अन्य स्रोतों (पारम्परिक और साथ-साथ नवीकरणीय) की तुलना में उच्च प्रशुल्क।
- **वित्तपोषण के मुद्दे:** जल-विद्युत परियोजनाओं की ऊंची वित्तीय लागत और दीर्घावधिक वित्तपोषण का अभाव।
- **राज्यों द्वारा जल-उपकर लगाया जाना: उदाहरण- जम्मू एवं कश्मीर।**

जल-विद्युत को बढ़ावा देने हेतु स्थाई समिति की संस्तुतियां:

- **प्रभावित लोगों के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने के साथ-साथ जल-विद्युत् परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने हेतु इससे (जल-विद्युत् परियोजनाओं) संबंधित भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्बहाली (Resettlement and Rehabilitation :R&R) प्रक्रिया में तेजी लाना।**
- जल-विद्युत परियोजनाओं में समय एवं लागत में वृद्धि से बचने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली विभिन्न मंजूरियों की प्रक्रिया को समेकित कर तीव्रता लाना। सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में लम्बित मामलों की निगरानी में तेजी लाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना करना।
- जल विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए **कम ब्याज दर पर दीर्घावधि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना।** 16 अवरुद्ध जल विद्युत परियोजनाओं में से 10 वित्तीय बाधाओं के कारण अवरुद्ध हैं।
- **राज्यों द्वारा आरोपित जल-उपकर की समीक्षा:** पहले से तनावग्रस्त क्षेत्रक के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ है। समिति ने पाया कि चूँकि जिन राज्यों में ये जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, उन्हें पहले से ही 12% बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान है, ऐसे में राज्यों द्वारा जल-उपकर का आरोपण उचित नहीं है।
- **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका:** जलविद्युत में निजी क्षेत्रक की वर्तमान भागीदारी केवल 7.5% है। राज्य सरकारों को जल विद्युत् के दोहन हेतु निजी क्षेत्रक के साथ संयुक्त उपक्रम में प्रवेश करने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **सक्षम अवसंरचना का निर्माण:** राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की सहायता से जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व को ग्रहण करना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना** का उपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह

- भारत की जलविद्युत् क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए एक सक्षम नीति तैयार करने और इस कार्य को एक मिशन के रूप में समय-सीमा के भीतर सम्पादित करने की आवश्यकता है; जैसा कि पहले सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों के विकास के लिए किया जा चुका है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समन्वय एक पूर्व-शर्त है।

VISION IAS

जल-विद्युत क्षेत्र: अब तक की पहलें

- **राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005:** इस नीति में देश में संभावित जलविद्युत क्षमता के पूर्ण विकास पर बल दिया गया है।
- **जल-ऊर्जा नीति, 2008:** इस नीति के अंतर्गत राज्यों द्वारा निजी डेवलपर्स को परियोजना स्थल प्रदान करने के लिए पारदर्शी चयन मानदंडों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
- **राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007:** यह विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले जनजातीय और सुभेद्य वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करती है, साथ ही इसका लक्ष्य विस्थापन को न्यूनतम करना है।
- **प्रशुल्क नीति, 2016:** नीति का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित जलविद्युत को बढ़ावा देना है, ताकि उच्च आवश्यकता के समय हेतु पर्याप्त भंडार, विश्वसनीय ग्रिड संचालन और परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण प्राप्त हो सके।

12.2. दबावग्रस्त ताप विद्युत् संयंत्रों का पुनरुद्धार

(Revival of Stressed Thermal Power Plants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने दबावग्रस्त ताप विद्युत् संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए सुदृढ़ नीतिगत उपायों के सुझाव दिए हैं।

विद्युत क्षेत्र में दबाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदम:

- **शक्ति** (Scheme for harnessing & allocating koyla transparently in India: SHAKTI) (भारत में कोयले का पारदर्शी ढंग से दोहन एवं आवंटन करने की योजना) के अंतर्गत ईंधन संयोजन (लिंकेज)।
- प्रतिस्पर्द्धी आधार पर देश में विद्युत क्रय समझौते (PPA) की कमी की समस्या का समाधान करने हेतु 2,500 मेगावाट **विद्युत खरीद के लिए पायलट परियोजना।**
- **कोल एस्कलैशन इंडेक्स (कोयला वर्द्धन सूचकांक) को तर्कसंगत बनाना,** जो उत्पादक की बकाया राशि की अंडर रिकवरी से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखेगा।
- **नए पर्यावरणीय मानदंडों के पालन के कारण आने वाली अतिरिक्त लागत को** प्रशुल्क में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा।
- सरकार द्वारा अधिरोपित घरेलू करों, लेवी, उपकरों, शुल्कों में होने वाले किसी भी परिवर्तन से उन्हें बाहर लाना।
- DISCOM भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए **PRAAPTI** (उत्पादकों के बिलों में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद के भुगतान का सत्यापन और विश्लेषण) नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया गया है।
- अन्य कदमों में **DISCOM सुधार,** कोल लिंकेज की तर्कसंगतता आदि सम्मिलित हैं।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2003 में प्रवर्तित विद्युत् अधिनियम के पश्चात् होने वाली विभिन्न प्रगतियों ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया, जिसमें से 45.48% निवेश निजी क्षेत्रक ने किये। इस तीव्र क्षमता वृद्धि ने समग्र मांग और आपूर्ति में व्याप्त व्यापक अंतराल को कम किया है।
- हालांकि, मांग में उछाल देखी गयी है, जो प्रतिवर्ष 6% से अधिक दर से बढ़ रही है। सौभाग्य, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), एकीकृत विद्युत् विकास योजना (IPDS), सबके लिए ऊर्जा इत्यादि जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं से इसमें और वृद्धि होने की आशा है।
- विद्युत् उत्पादन के लिए कोयला ऊर्जा का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, क्योंकि 2,21,803 मेगावाट की परियोजनाएं ताप विद्युत् (कोयला और लिग्नाइट) द्वारा संचालित हैं। कुछ कोयला-आधारित विद्युत् संयंत्र अपनी ऋण-अदायगी में असमर्थ हैं। उनके समक्ष उत्पन्न दबाव के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी हैं।

विद्युत् क्षेत्रक में उत्पन्न दबाव के कारण

विद्युत् क्षेत्रक में दबाव के लिए समिति ने निम्नलिखित कारणों की पहचान की है:

- **कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दे:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 204 कोयला खदानों के आवंटन को निरस्त करने के पश्चात् कई विद्युत् परियोजनाएं ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था के बिना संचालन में असमर्थ हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, कई परियोजनाओं को

VISION IAS

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) से निश्चित कोयला आपूर्ति व्यवस्था के बिना ही स्थापित किया गया था, जिससे उनके संचालन की लागत बढ़ गयी थी।

- **विद्युत् की मांग में धीमी वृद्धि:** विद्युत् की मांग में अनुमानित वृद्धि के सापेक्ष कम वृद्धि ने अधिशेष आपूर्ति के परिदृश्य के साथ एकीकृत होकर ताप विद्युत् संयंत्रों की क्षमता का कम उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, महंगी विद्युत् की कुल खरीद का कम होना भी ताप विद्युत् संयंत्रों में दबाव का कारण बना है।
- **DISCOMs द्वारा भुगतान में देरी: DISCOMs** से प्राप्य (receivable) की वसूली में देरी से भी परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा समयबद्ध ऋण-वापसी में देरी हो रही है जिससे कार्यशील पूँजी पर दबाव में वृद्धि हुई है। कुछ मामलों में तो DISCOMs पर विद्युत् क्रय अनुबंधों (PPA) की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाला गया है। इसके साथ ही, अर्थदंड का भुगतान न करना/विलंबित भुगतान अधिभार (LPS) इत्यादि भी ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय दबाव उत्पन्न कर रहे हैं।
- **इक्विटी बढ़ाने और ऋण-वापसी में प्रवर्तक की असमर्थता:** वित्तीय कारणों और धीमे कार्यान्वयन से अनेक परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है।
- **अन्य मुद्दों में** वित्तीय संस्थानों द्वारा धन वितरण/उनके बीच अनुबंध में देरी, ऋणदाताओं द्वारा कार्यशील पूँजी की मंजूरी में विलम्ब, नियामक और संविदात्मक विवाद इत्यादि सम्मिलित हैं।

समिति की अनुशंसाएँ

- **कोयला आवंटन / आपूर्ति के लिए अनुशंसाएँ**
    - **PPA हेतु अल्पकालिक कोल लिंकेज:** अल्पकालिक आधार पर PPAs को कोल लिंकेज की अनुमति दी जा सकती है और एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के पश्चात् ऊर्जा दक्ष कीमतों की खोज (DEEP) अर्थात् "दीप" पोर्टल के माध्यम से विद्युत का विक्रय किया जा सकता है।
    - **PPAs का समापन:** DISCOMs द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में उत्पादक को PPA को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें अधिकतम दो वर्ष की अवधि या जब तक उसे दीर्घकालीन/मध्यम अवधि का किसी अन्य खरीददार का PPA उपलब्ध न हो जाए (जो भी पहले हो), तब तक अल्पकालिक कोल लिंकेज का उपयोग करने की सुविधा होनी चाहिए।
    - **नोडल एजेंसी द्वारा अधिप्राप्ति:** एक नोडल एजेंसी को नामित किया जा सकता है, जो कोल इण्डिया लिमिटेड (CIL) द्वारा पूर्व घोषित लिंकेज के विरुद्ध उपयुक्त अंश में 3 से 5 वर्षों के लिए मध्यम अवधि हेतु थोक विद्युत् की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर सकता है।
    - **विद्युत् के समूहक के रूप में PSU:** राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) विद्युत् के एक समूहक (aggregator) के रूप में कार्य कर सकता है अर्थात् यह ऐसे दबावग्रस्त विद्युत् संयंत्रों से पारदर्शी प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत् खरीद सकता है और NTPC के PPAs के आधार पर DISCOMs को तब तक विद्युत् की आपूर्ति कर सकता है जब तक NTPC के अपने संबंधित ऊर्जा संयत्र/इकाइयां कार्य करना आरम्भ न कर दें।
    - **कोयले की ई-नीलामी:** कोयला मंत्रालय, ई-नीलामी किये जाने वाले कोयले का 60% विद्युत् के लिए निर्धारित कर सकता है और यह विद्युत् क्षेत्र की नियमित कोयले की आवश्यकता के अतिरिक्त होना चाहिए।
    - **बिना नीलामी के अधिसूचित कीमतों पर लिंकेज प्रदान किया जाना:** विद्युत् उत्पादक को PPA की अधिप्राप्ति के लिए केवल एक ही बार बोली लगाने की आवश्यकता होनी चाहिए (कोयले के उत्पादन में क्रमिक रूप से वृद्धि होने की स्थिति में भी)। इसके साथ ही उसका लिंकेज उसे अधिसूचित कीमत पर बिना दुबारा बोली लगाए प्राप्त होना चाहिए।
- **दबावग्रस्त विद्युत् संयंत्रों के विद्युत् की बिक्री को सुविधाजनक बनाने हेतु संस्तुतियां:** पुराने और उच्च हीट रेट (इनपुट के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा तथा आउटपुट के रूप में प्राप्त होने वाली विद्युत् ऊर्जा का अनुपात) वाले संयंत्र, जो पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें चरणबद्ध और समयबद्ध ढंग से बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मांग/आपूर्ति में किसी भी प्रकार की विसंगति से बचते हुए उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
- **विनियामक और DISCOM द्वारा भुगतान पर संस्तुतियां:**
    - DISCOM द्वारा भुगतान में देरी के मामले में विलंबित भुगतान अधिभार का अनिवार्यत: भुगतान किया जाना चाहिए।
    - बट्टे पर हुंडी का भुगतान करने वाली PFI को भी त्रिपक्षीय समझौते (Tri-partite agreement: TPA) द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिए अर्थात् DISCOM द्वारा भुगतान पर चूक के मामले में, RBI राज्यों के खातों से बकाया राशि वसूल कर PFI को भुगतान कर सकता है।

VISION IAS

- **अन्य संस्तुतियां:** PPAs, ईंधन आपूर्ति समझौते और विद्युत पारेषण के लिए दीर्घावधिक खुली पहुंच, EC/FC मंजूरी व जल सहित अन्य सभी अनुमोदनों को बनाए रखा जाना चाहिए तथा इन्हें संबंधित एजेंसियों द्वारा रद्द नहीं किया जाना चाहिए, भले ही परियोजना को NCLT को संदर्भित किया गया हो या उसका किसी अन्य इकाई (निकाय) द्वारा अधिग्रहण किया गया हो।

12.3. विद्युत (संशोधन) विधेयक का मसौदा

(Draft Electricity Amendment Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संबंधी समिति और अन्य हितधारकों के सुझावों को सम्मिलित करने के पश्चात् विद्युत (संशोधन) विधेयक के संशोधित मसौदे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की मांग की है।

पृष्ठभूमि

- भारत में विद्युत क्षेत्रक के तीन अनुभाग (**उत्पादन, पारेषण और वितरण**) आरंभ में राज्य के स्वामित्व वाले बोर्डों द्वारा एक साथ एकीकृत किये गए थे। 1990 के दशक में उत्पादन अनुभाग को निजी क्षेत्रक के लिए खोल दिया गया था और बाद में कुछ राज्यों ने तीनों अनुभागों को पृथक करके व्यवस्था का पुनर्गठन किया था।
- विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत क्षेत्रक में सुधार हेतु अगला महत्वपूर्ण प्रयास था।
- हालांकि, भारत में **पारेषण और वितरण क्षेत्रकों में प्रतिस्पर्धा काफी सीमित** रही है। इसमें निजी क्षेत्रक की बहुत कम भागीदारी है।
- वर्ष 2014 में विद्युत (संशोधन) अधिनियम को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया गया था: (i) वितरण क्षेत्रक को वितरण और आपूर्ति में पृथक कर विद्युत क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना (ii) टैरिफ (प्रशुल्क) निर्धारण को युक्तिसंगत बनाना तथा (iii) नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **वितरण नेटवर्क और विद्युत् की खुदरा आपूर्ति का पृथक्करण।**
- **विद्युत की खरीद और बिक्री:** विद्युत क्रय समझौता (PPA) वस्तुतः विद्युत संयंत्र (उत्पादन कम्पनी) और विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) के मध्य एक विधिक अनुबंध होता है। संशोधनों के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विद्युत का समस्त क्रय और विक्रय दीर्घ/मध्यम/अल्प अवधि के PPAs के माध्यम से किया जाएगा।
- **केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (CERC)/ राज्य विद्युत् विनियामक आयोग (SERC) द्वारा प्रशुल्क की उच्चतम सीमा।**
- **सब्सिडी व्यवस्था के संदर्भ में सुधार:**
    - **प्रत्यक्ष सब्सिडी की ओर कदम; तथा**
    - **क्रॉस सब्सिडी का समापन।**
- **नवीकरणीय ऊर्जा:**
    - **नवीकरणीय ऊर्जा की परिभाषा:** मौजूदा अधिनियम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को परिभाषित नहीं करता है। हालाँकि इस विधेयक के मसौदे में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में पनबिजली (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा), पवन, सौर, बायोमास, जैव-ईंधन, नगरीय और ठोस अपशिष्ट, भू-तापीय, ज्वारीय, इन स्रोतों के सह-उत्पादन तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्रोतों को सम्मिलित करते हुए इसे परिभाषित किया गया है।
    - **नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय उत्पादन दायित्व (RPO और RGO):** संशोधन विधेयक में RPO और RGO को परिभाषित किया गया है। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधनों से लाभ

- **उपभोक्ताओं के लिए विकल्प:** आपूर्ति हेतु संरचना निर्माताओं (विद्युत् वितरण के लिए) और आपूर्तिकर्ताओं के मध्य पृथक्करण के कारण एक क्षेत्र में एक से अधिक विद्युत आपूर्तिकर्ता होंगे तथा उपभोक्ता के पास उनको प्राप्त हो रही सेवाओं की दक्षता के आधार पर अपनी विद्युत आपूर्ति कंपनी या उपयोगिता को बदलने का विकल्प होगा।
- **क्रॉस सब्सिडी के कारण क्षेत्रीय पक्षपात की समाप्ति:** विभेदित मूल्य निर्धारण और इसके पश्चात् क्रॉस सब्सिडी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के लिए इनपुट लागत को बढ़ा देते हैं।

VISION IAS

- **सब्सिडी और हानियों के चक्र को तोड़ना:** प्रस्तावित DBT सुविधा में डिस्कॉम्स को होने वाली हानियों को समाप्त करने की क्षमता है और यह अंतिम उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि सब्सिडी सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित होगी।
- **24x7 विद्युत आपूर्ति:** संशोधित मसौदा यह प्रस्तावित करता है कि 24x7 विद्युत आपूर्ति एक दायित्व है और इसमें विफलता की स्थिति में राज्य विद्युत विनियामक आयोग डिस्कॉम्स को दंडित कर सकते हैं।
- **PPA के उल्लंघन पर दंड:** यह विशेषता विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करती है, जो हाल ही में राज्यों द्वारा उच्च लागत व फंड की कमी का हवाला देते हुए PPA के रद्द किये जाने का खामियाजा भुगत रहे हैं।
- **नवीकरणीय क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन:** नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विधेयक की विशेषताएं, भारत के स्वच्छ ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होंगी।

संशोधन से संबंधित मुद्दे

- **उपभोक्ताओं के पास आपूर्तिकर्ता को बदलने का सामर्थ्य:**
    - उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प होना चाहिए कि वे एक आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक से दूसरे को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हों और साथ ही ऐसे संक्रमण के दौरान उपभोक्ता को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति बाधित भी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित संशोधनों में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आपूर्तिकर्ता को बदलने की कार्यप्रणाली कैसे कार्य करेगी और **एक आपूर्तिकर्ता से दूसरे में संक्रमण के दौरान विद्युत आपूर्ति संबंधी स्थिति क्या होगी।**
    - 2003 का अधिनियम कई लाइसेंस धारकों के लिए एक ही क्षेत्र में अपना नेटवर्क स्थापित करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी गयी है। हालाँकि, विद्युत वितरण खंड में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं देखी गयी है। एक नया नेटवर्क स्थापित करने हेतु **अत्यधिक पूँजी निवेश** की आवश्यकता होती है और इसलिए नए प्रतिभागियों के प्रवेश के लिए यह एक बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **अनन्य रूप से PPA के माध्यम से खरीद:** आपूर्तिकर्ता कंपनियों को कई बार अप्रत्याशित मांग का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में प्रश्न यह है कि उन्हें PPAs के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से विद्युत खरीद की अनुमति क्यों नहीं दी गयी है।
- **SERCs चयन समिति की संरचना:** प्रस्तावित SERC चयन समिति में राज्य से केवल एक प्रतिनिधि और केंद्र से पांच प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त देश में सभी SERCs की चयन समितियों में सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश के होने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
- **क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने से उत्पन्न मुद्दों से सरकारी कोष पर सब्सिडी के भार में वृद्धि हो सकती है:**
    - **कम भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए वर्धित प्रशुल्क:** यह वर्तमान में कम भुगतान करने वाले सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं (कृषि और आवासीय) के लिए प्रशुल्क में वृद्धि कर सकता है।
    - **सरकारी कोष पर सब्सिडी का भार:** राज्य और केन्द्र सरकार DBT के माध्यम से स्पष्ट सब्सिडी प्रदान कर अपने प्रशुल्क में किसी भी वृद्धि को संतुलित करने का विकल्प का चयन कर सकती हैं। इससे सरकारी कोष पर बोझ बढ़ सकता है।

12.4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

(Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले लाभार्थियों के दायरे का विस्तार किया है।

PMUY की उपलब्धियाँ

- भारत में LPG की पैठ 2014 के 56% से बढ़ कर मई 2018 में 80% हो गयी।
- अब तक जारी किए गए 5.8 करोड़ कनेक्शनों में 3.8 करोड़ SECC सूची से तथा शेष 2 करोड़ बाद में जोड़े गए अन्य सात वर्गों से थे।

इस पहल के बारे में

पूर्व में, PMUY के अंतर्गत आने वाले **लाभार्थियों** में '**सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC), 2011** के अंतर्गत कम से कम एक वंचना से पीड़ित' सभी **BPL परिवारों** को शामिल किया जाता था।

- इसे विस्तारित कर इसमें सभी **SC/ST** परिवारों, अन्त्योदय अन्न योजना **(AAY)** के लाभार्थियों, **PMAY (ग्रामीण), वनवासियों, अति पिछड़े वर्गों, टी एंड एक्स-टी गार्डन जनजातियों (Tea and Ex-Tea Garden Tribes) तथा द्वीपों या नदी द्वीपों पर निवास करने वाले लोगों को** शामिल किया गया है।

VISION IAS

- अब इस योजना में देश के सभी ग़रीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत, नए लाभार्थियों में वे शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड तथा आधार कार्ड दोनों उपलब्ध हों तथा जो **स्व-घोषणा** के माध्यम से स्वयं की निर्धन के रूप में पहचान करें।

PMUY के अपेक्षित परिणाम

- इसका आरंभ स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय तथा सुलभ बनाने के लिए किया गया था क्योंकि खाना पकाने के इंधन के तौर पर लकड़ी तथा गोबर के प्रयोग के कारण ग्रामीण घरों में **वायु प्रदूषण** प्राणघातक बन जाता है।
- इससे काष्ठ संग्रहण में आने वाली लागत तथा समय में कमी आएगी, परिणामस्वरूप आय अर्जित करने और परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
- इससे स्वास्थ्य, विशेषतया महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा तथा रोज़गार पर सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

PMUY के बारे में

- इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक BPL परिवारों की महिलाओं को नि:शुल्क **8 करोड़ LPG कनेक्शन** प्रदान करना है।
- इस शर्त के अधीन कि परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर **कोई LPG कनेक्शन न हो, 1600 रुपये** की वित्तीय सहायता के साथ LPG कनेक्शन **BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** जारी किया जाता है।
- उपभोक्ताओं को **EMI** (शून्य ब्याज) पर **गैस स्टोव** खरीदने और **रिफिल** कराने का विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे लाभार्थी को मिलने वाली **LPG** सब्सिडी से वसूल किया जाएगा।

अंगीकरण में आने वाली चुनौतियां

- **समग्र लागत:** अधिकांश राज्यों ने इस योजना को अपनाने में **प्रारंभिक उच्च लागत** को एक प्रमुख अवरोधक बताया है। इसी प्रकार, **रिफिलिंग चरण** में सरकार द्वारा सहायता न देना शहरी क्षेत्रों में गरीबों को अमीरों से अधिक भुगतान करने के लिए विवश करता है।
- **लंबी प्रतीक्षा अवधि और अपर्याप्त LPG वितरण केंद्र:** वितरकों की संख्या का सक्रिय LPG उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ समन्वय नहीं है। उदाहरण के लिए, 2016-2018 के बीच, LPG उपभोक्ताओं की कुल संख्या में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वितरकों की कुल संख्या में 9 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।
- **सूचना अंतराल:** PMUY कनेक्शन पर आंकड़े केवल राज्य स्तर पर ही प्रदान किए जाते हैं और जिलेवार पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि क्या परिवार खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के उपयोग से दूर हट रहे हैं या उनका संभवतः अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- **मांग-पक्ष हस्तक्षेप:** व्यापक मूल्यांकन और मध्यावधि सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। इसके लिए ग्रामीण-स्तर की **आशा कार्यकर्ताओं को पारंपरिक चूल्हों** के दुष्परिणामों के संबंध में जागरुकता पैदा करने के कार्य में लगाया जा सकता है। इससे स्वच्छ ईंधन के लिए **उर्ध्वगामी मांग** उत्पन्न होगी।
- **आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाना:** इस योजना की वहनीयता, उपलब्धता और जवाबदेही के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित कर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।
- **विविधीकृत विकल्प:** सरकार को ईंधन विकल्पों में विविधता लाने और **विभिन्न पोर्टेबल आकारों में सिलेंडर बनाने** और **घर-घर (डोर-टू-डोर) रिफिलिंग सेवा उपलब्ध कराने** का प्रयास करना चाहिए, ताकि रिसाव और चोरी कम हो सके।

12.5. विद्युत वितरण कंपनियों का ऋण उदय योजना के पूर्व के स्तरों तक पहुँचने का अनुमान

(Discom Debt To Return To Pre-Uday Levels)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कुल ऋण इस वित्त वर्ष के अंत तक **उदय योजना के पूर्व के स्तर अर्थात् 2.6 ट्रिलियन रुपये** तक पहुँच जाएगा।

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय - UDAY) के बारे में

- वर्ष 2015 में, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस योजना को भारत की ऋण-ग्रस्त विद्युत वितरण कंपनियों अर्थात् DISCOMS (जो उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करती हैं) के **वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता** में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ किया था। ये कंपनियाँ निजी या सरकारी हो सकती हैं।
- इस हेतु विद्युत मंत्रालय (MoP), राज्य सरकारों और संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता (समझौता ज्ञापन) हुआ था।

VISION IAS

- उदय (UDAY) के अंतर्गत, विद्युत वितरण कंपनियाँ अपना ऋण राज्य सरकार के बॉण्ड में परिवर्तित कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है, जैसे- **सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि में कमी, अनिवार्य मीटरिंग, विद्युत खरीद योजना** और **कार्य निष्पादन की निगरानी।** इसके प्रतिफल में, राज्य सरकारों ने विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का तीन-चौथाई भाग स्वयं ग्रहण कर लिया और इस प्रकार कंपनियों पर ब्याज का बोझ कम हो गया।
- उदय (UDAY) के लागू होने के बाद विद्युत वितरण कंपनियों के कुल ऋण में गिरावट दर्ज की गई थी। यह सितंबर 2015 के 2.7 लाख करोड़ रूपये से कम होकर वित्त वर्ष 2016 में 1.9 लाख करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2017 में 1.5 लाख करोड़ रूपये हो गया था।
- क्रिसिल (CRISIL) की एक रिपोर्ट ने 15 राज्यों में ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों का विश्लेषण किया है जो कुल घाटे के 85% के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अनुसार, ऋण के कम होने की प्रवृत्ति में अब व्युत्क्रमण होने की सम्भावना है और अनुमान है कि यह ऋण वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 2.28 लाख करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2020 में 2.64 लाख करोड़ रूपये हो जाएगा।

उदय योजना की विशेषताएं:

राज्य द्वारा विद्युत् वितरण कंपनियों के ऋण का अधिग्रहण	ऋण अधिग्रहण तंत्र	UDAY बॉण्ड्स	शेष ऋणों का निपटान	भविष्य में विद्युत् वितरण कंपनियों का वित्तपोषण
संयुक्त उत्पादन, पारेषण और वितरण उपक्रमों सहित यह योजना केवल राज्य विद्युत् वितरण कंपनियों के लिए उपलब्ध है।	विद्युत् वितरण कंपनियों के ऋण का अधिग्रहण पहले के बकाया ऋण तथा तत्पश्चात सर्वाधिक उच्च मूल्य के ऋण की प्राथमिकता के क्रम में किया जाएगा।	राज्य द्वारा जारी गैर SLR बॉण्ड्स की परिपक्वता अवधि मूलधन के पुनर्भुगतान पर 5 वर्ष तक के ऋणस्थगन के साथ 10-15 वर्ष होगी (राज्य की आवश्यकतानुसार)	जहाँ विद्युत् वितरण कंपनियों को इक्विटी सहायता की आवश्यकता हो, वहां उन्हें अनुदान का 25% तक इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।	विद्युत् वितरण कंपनियों की वित्तीय क्षतिपूर्ति हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान भविष्य में अग्रिम अल्पकालिक ऋण नहीं दे सकते हैं।
राज्यों द्वारा 30 सितंबर 2015 तक के डिस्कॉम्स के ऋणों का 75% हिस्सा अधिग्रहित किया जाना था। डिस्कॉम्स के ये ऋण इस प्रकार अधिग्रहित किए जाने थे: 2015-2016 - 75% 2016-2017 - 25%	राज्य द्वारा विद्युत् वितरण कंपनियों को किया गया हस्तांतरण, तीन वर्षों के आवधिक विकल्प के साथ एक अनुदान के रूप में होगा (विद्युत् मंत्रालय द्वारा उच्च ऋण वाले राज्यों को 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी)	10 वर्षीय बॉण्ड की कीमत का निर्धारण: 10 वर्षीय उदय बॉण्ड की कीमत का निर्धारण, 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों + 10 वर्ष के SDLs के 0.50% प्रसार + अर्द्ध वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर अथवा बाजार निर्धारित दरों (दोनों में से जो कम हो) पर परिकलित गैर SLR स्टेटस के लिए 0.25 % प्रसार के आधार पर किया जाएगा। यदि ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तो इसे भविष्य में और कम किया जा सकता है।	राज्यों द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले विद्युत् वितरण कंपनियों के ऋण-भार में 2015-16 में अधिग्रहित किए गए बॉण्ड्स सहित वह ऋण-भार भी शामिल होगा जिसको अधिग्रहित करने की प्रतिबद्धता FRP 2012 में की गई थी।	बैंक या वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यशील पूँजी ऋण विद्युत् वितरण कंपनियों के विगत वार्षिक राजस्व के केवल 25% तक ही प्रदान किए जाएंगे।
डिस्कॉम्स के ऋण राज्य के वास्तविक ऋण	विद्युत् वितरण कंपनियों के ऋण के उपयुक्त समायोजन	पहले, REC एवं PFC सहित वित्तीय संस्थानों (FIs) के ऋणों के	ऋण के रूप में अंतरित धन के लिए मध्यवर्ती अवधि में	राज्य द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की भविष्य में होने वाली

VISION IAS

(de facto) होंगे और इनकी गणना विधिक ऋणों (de jure) के अंतर्गत नहीं की जाएगी। लिए गए मूल ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ब्याज राशि को FRBM सीमाओं के भीतर सम्मिलित करना होगा।	हेतु राज्य द्वारा बाजार या प्रत्यक्ष रूप से बैंकों/वित्तीय संस्थानों (FIs) के लिए SDL बॉण्ड सहित नॉन SLR बॉण्ड जारी किए जाएंगे। राज्य द्वारा लाभों का वितरण विद्युत् वितरण कंपनियों को तात्कालिक रूप से किया जाएगा। तत्पश्चात विद्युत वितरण कंपनियाँ संबंधित धन की मात्रा का भुगतान बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋणों के लिए करेंगी।	विरुद्ध जारी बॉण्ड्स को पेंशन एवं बीमा कंपनियों सहित बाजार द्वारा सब्सक्रिप्शन हेतु जारी किया जाएगा। यदि कोई राशि शेष रह जाती है तो उसका भार बैंकों द्वारा विद्युत् वितरण कंपनियों को दिए गए अपने वर्तमान ऋणों के अनुपात में वहन किया जाएगा।	विद्युत् वितरण कंपनियों द्वारा राज्य को भुगतान किए जाने वाले ब्याज की दर राज्य द्वारा जारी किए जाने वाले बॉण्ड की दर से अधिक नहीं हो सकती है।	हानियों को श्रेणीबद्ध तरीके से अधिग्रहित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष (FY)-16: FY 15 की हानि का 0% FY -17: FY 16 की हानि का 0 % FY -18: FY 17 की हानि का 5 % FY-19: FY 18 की हानि का 10 % FY-20: FY 19 की हानि का 25 % FY-21: FY 20 की हानि का 50 %

राज्यों के ऋण स्तर में वृद्धि के कारण

- **सीमित राजकोषीय क्षमता:** राजकोषीय क्षमता राज्यों को अपनी विद्युत वितरण कंपनियों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाती है। वर्ष 2016 में अधिकांश राज्यों द्वारा अपनी विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण का तीन-चौथाई भाग वहन किया गया था, किन्तु अब विगत कुछ वर्षों में उनकी वित्तीय स्थिति में आई गिरावट के कारण उनकी क्षमता सीमित हो गई है।
- **परिचालन अक्षमताएँ:** जैसे कि कई राज्यों में प्रभावी बिलिंग प्रक्रियाओं की कमी, विद्युत खपत की अकुशल माप और विद्युत चोरी की अप्रभावी निगरानी संबंधी समस्याएं विद्यमान हैं।
- **विद्युत खरीद की बढ़ी हुई लागत:** उदय (UDAY) के अंतर्गत एकमुश्त उपायों को अपनाए जाने के बाद, 2018-19 के पहले नौ महीनों की अवधि में विद्युत खरीद की लागत में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कोयला और माल ढुलाई की आगत लागतों में भी वृद्धि हुई।

VISION IAS

- **संरचनात्मक सुधारों की कमी:** जैसे सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि दिसंबर 2018 तक UDAY-पूर्व स्तरों से केवल 400 आधार बिंदु तक कम हुई, जबकि AT&C हानि को 900 आधार बिंदु घटाकर 2018-19 में लगभग 15% करने का लक्ष्य था।
- **प्रशुल्क में उचित बढ़ोतरी नहीं:** औसत प्रशुल्क वृद्धि में प्रतिवर्ष 5-6% की नियमित वृद्धि को लागू करने के लक्ष्य की तुलना में यह केवल 3% ही थी, चूंकि अब ध्यान नए ग्रामीण कनेक्शनों पर दिया जा रहा है, इसलिए इसमें वृद्धि की संभावना नहीं है। भले ही विद्युत् वितरण कंपनियों ने अपनी परिचालन क्षमता में सुधार किया हो, परन्तु कुछ मामलों में राज्य नियामकों ने विद्युत दरों की इनपुट लागत के साथ सामंजस्य बना रहने नहीं दिया।

उठाए जाने वाले आवश्यक कदम

- **पावर बैंकिंग:** विद्युत वितरण कंपनियाँ पावर बैंकिंग व्यवस्था का भी आश्रय ले सकती हैं, जिसमें राज्य अधिशेष विद्युत् की स्थिति (जैसे- कर्नाटक के प्रकरण में जून/जुलाई के महीने में) में उन महीनों के दौरान कमी का अनुभव करने वाले अन्य राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति करके मौसम आधारित अंतरालों को आसानी से कम कर सकते हैं।
- **विद्युत वितरण कंपनियों में पृथक विद्युत योजना प्रकोष्ठ:** ऐसे प्रकोष्ठ मांग संबंधी पूर्वानुमान लगाने में सहायक हो सकते हैं और अन्य राज्य नोडल एजेंसियों के साथ समन्वय कर सकते हैं।
- विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए **लागत-प्रभावी प्रशुल्क** सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- स्मार्ट मीटरिंग, सरकारी भवनों पर प्रीपेड मीटरों को लगाना जैसे उपायों का प्रयोग करके सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि में प्रभावी कमी लाना।
- **ऊर्जा अंकेक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना:** स्मार्ट मीटरिंग पहल से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ ऐसे स्मार्ट मीटरों को लगाया जाना चाहिए जो दूरस्थ रियल-टाइम डेटा रिकॉर्ड कर सकें।

निष्कर्ष

अब तक, ऋण-बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, परन्तु समान उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में प्रौद्योगिकी और सबलीकरण से संबंधित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में एरियल केबल, स्मार्ट मीटरिंग एवं चोरी रोकने के लिए वितरण कंपनियों के साथ जुड़ी सक्षम पुलिस इकाइयों के लिए कुछ वित्त उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

13. विविध (Miscellaneous)

13.1. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम नॉर्डहॉस और पॉल रोमर को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने यह समझने की दिशा में कार्य किया कि किस प्रकार आर्थिक संवृद्धि के साथ नवाचार तथा जलवायु के एकीकरण द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संधारणीय विकास हो सकता है।

वर्ष 1987 के नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम. सोलो उन प्रारंभिक विद्वानों में से एक थे जिन्होंने 'तकनीकी विकास' को दीर्घकाल में संवृद्धि का मुख्य निर्धारक बताया।

- हालांकि, तकनीकी नवाचार, सोलो के मॉडल के संबंध में 'बहिर्जात (exogenous)' कारक था।

इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में क्या विशेष है?

इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जिन आर्थिक सिद्धांतों के लिए दिया गया है, उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक एवं व्यावहारिक निहितार्थ हैं। दोनों पुरस्कार विजेताओं का सम्पूर्ण कार्य विकास एवं प्रगति के पारंपरिक मॉडल (जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का विकास मॉडल, जो श्रमबल एवं पूँजी के विकास तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास के मध्य संबंध स्थापित करता है) के विपरीत है।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्य

विलियम नॉर्डहॉस

- नॉर्डहॉस का मानना है कि सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रदूषण फ़ैलाने वाले संसाधनों (जैसे ईंधन) की उचित कीमत सुनिश्चित करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान किया जा सकता है उदाहरण के लिए- पेट्रोल, डीजल पर उच्च करारोपण।
- जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के उपयोग, आय में वृद्धि एवं वैश्विक तापन को एकीकृत करने वाला इनका मॉडल, विभिन्न वैश्विक तापन प्रतिरोधी हस्तक्षेपों की लागत एवं लाभ की अधिकांश गणनाओं का आधार बन गया है।
- नॉर्डहॉस ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने "एकीकृत मूल्यांकन मॉडल" का निर्माण किया है। यह एक मात्रात्मक मॉडल है जो अर्थव्यवस्था एवं जलवायु के मध्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन करता है।
- जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य आरोपित करना एक प्रमुख उपाय है।

पॉल रोमर

- इनके अनुसार तकनीकी नवाचार एवं श्रमबल की कुशलता ही संधारणीय विकास के वास्तविक स्रोत हैं।
- इन्होंने "अंतर्जात विकास मॉडल" (endogenous growth model)" प्रस्तावित किया। इनके अनुसार तकनीकी प्रगति को व्यवसाय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनुसंधान व विकास में निवेश के परिणाम के रूप में देखा जाता है।
- बाजार के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था तकनीकी नवाचारों को कम कर सकती है।
- प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सब्सिडी, पेटेंट तथा अन्य रूपों में सरकारी हस्तक्षेप की अनुशंसा की है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

VISION IAS